Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंक 10] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 9

मंगलवार,

20 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, वित्त, जन स्वास्थ्य, आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, गृह, शिक्षा, चुनाव, श्रम, जन संपर्क, समाज कल्याण, चिकित्सा, सिंचाई, अकाल सहायता, उद्योग एवं यातायात विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में विद्युत व्यवस्था

196. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले विद्युत विस्तार की दृष्टि से सबसे पिछड़े जिले हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में अभी तक 132 के. वी. की लाइन नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार एवं राज्य विद्युत बोर्ड ने उक्त जिलों में 132 के. वी. लाइन पहुंचाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? उक्त योजना कब तक स्वीकृत की जाकर कब कार्य हाथ में लिया जायेगा और कब तक कार्य सम्पन्न कर दिया जायेगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) जी हां।

(2) जी हां, धनाभाव के कारण।

(3) इस जिले के लिए निम्न तीन 132 के.वी. लाइनें प्रस्तावित हैं जो योजना आयोग के विचाराधीन हैं:—

1. जोधपुर-डेचू,
2. डेचू-पोकरण,
3. जालोर-बालोतरा

(4) वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में उक्त लाइनों के लिए निम्न प्रावधान प्रस्तावित हैं। वर्तमान स्थिति में निश्चित

Page No 2

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है। योजना आयोग से प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस वर्ष व 1976-77 में इन लाइनों के लिए प्रस्तावित प्रावधान स्वीकृत किये जायें—

	1975-76	1976-77
	(राशि लाखों रुपयों में)	
1. जोधपुर-डेचू लाइन	40.00	100.00
2. डेचू-पोकरण लाइन	50.00	8 .00
3. जालौर-बालोतरा लाइन	00 50	43.49

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सिरोही और भीनमाल का........

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न मेरा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए आपने जवाब दिया है, मतलब यह है कि हमारे यहां कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई। 75-76 में कोई नहीं है, 76-77 में प्रावधान है वह 50 हजार का है और 76-77 के लिए जो प्रावधान बाड़मेर के जिले के लिए किया है वह 3 लाख है। उसका हमें पूर्ण विश्वास नहीं। इसकी भी स्वीकृति जो है, पेंडिंग केस है, मिलेगी या नहीं जब कि आप विद्युत् पर अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं। बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स जो सीमान्त क्षेत्र हैं की आप उपेक्षा करते हैं, यह क्या दृष्टिकोण है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अभी तक विद्युत् का प्रसार नहीं किया गया है। इसी वर्ष बाड़मेर को 33 के. वी. लाइन से बालोतरा से जोड़ा है। पोकरण और जैसलमेर में डीजल सेट हैं। हम चाहते हैं कि हमारी विद्युत् हो लेकिन जब तक 132 के. वी. लाइन वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं तब तक उस क्षेत्र में विद्युत् का प्रसारण सम्भव नहीं होगा। इसलिए वहां पर 132 के. वी. लाइन का प्रावधान किया गया है। आपका यह कहना कि जालोर वाली बात संदेहात्मक स्थिति में है कि स्वीकृत की जाय तो स्वीकृति कई जगहों से ली जाती है। राजस्थान विद्युत् मण्डल और सरकार ने एप्रूव कर दी है और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक अॉथोरिटी से टेक्निकल स्वीकृति होती है। वहां पर वह पेंडिंग है। मुझे विश्वास है कि वहां से भी वह तय हो जायगी। इस वर्ष 50 हजार रुपया रखा गया है और अगले वर्ष 43 लाख 49 हजार का प्रावधान है। कन्स्ट्रक्शन उसका प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि लाइन वहां पर जल्दी ही पहुंच सके। तो इसमें माननीय सदस्य को संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो 132 के. वी. की लाइन का जिस प्रकार का प्रावधान किया गया है अधिक से अधिक कोशिश की जाय तो 3-4 वर्ष पहले वहां पर वह 132 के. वी. की लाइन नहीं आ सकती। जब तक वह नहीं आती है तब तक इस इन्टरवीनिंग पीरियड में बाड़मेर टाउन के लिए रिवाइज्ड स्कीम है, पानी के ट्यूब वैल हैं उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। एक उद्योग वहां पर स्थापित किया गया है वह लड़खड़ा रहा है और उसको बिजली नहीं मिल रही है। उनकी समय पर पूर्ति नहीं होगी। 76-77 के अन्दर बाड़मेर के अन्दर जितने उद्योग

Page No 3

(3)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
स्थापित होंगे उनके लिए बिजली की सम्भावना नहीं है। जब तक वह न आये तब तक जालौर से मोकलसर 33 के. वी. लाइन को एक्सटेन्ड कर दें ताकि इस इन्टरवीनिंग पीरियड के अन्दर कोई डिफिकल्टी न हो और सारी चीजों की पूर्ति की जा सके। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 33 के. वी. की लाइन का कनेक्शन बढ़ा देने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 33 के. वी. की लाइन जो आ रही है वह जोधपुर से आई है और बाड़मेर गई है। अभी मौजूदा में 132 के. वी. से भी ज्यादा का वहां पर लोड है। माननीय सदस्य को संदेह नहीं रखना चाहिए। प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष कन्स्ट्रक्शन की स्वीकृति कर दी है और स्वीकृति होते हुए 2 साल के अन्दर अन्दर उसको पूरा कर देंगे और बाड़मेर-बालोतरा लाइन को जोड़ देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो वर्ष में पूर्ति कर देंगे लेकिन बाड़मेर टाउन में पानी की रिवाइज्ड स्कीम है वहां पर ट्यूब वेल्स को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वह एक ग्रामीण क्षेत्र है। जो स्कीम बाड़मेर में चल रही है उसको विद्युत् नहीं मिल रही है। उद्योग वहां पर स्थापित हुए हैं उनको नहीं मिल रही है। उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि 33 के. वी. लाइन जोधपुर से बालोतरा या जालौर से मोकलसर की करें लेकिन कोई न कोई व्यवस्था करें। इसमें 15-20 लाख का खर्चा होगा। यह प्रोवीजन मगर आवश्यक है, अन्यथा तो 2-2½ वर्ष में भी इसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी आश्वासन देंगे और आप भी आश्वासन देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, भीनमाल के लिए कुछ नहीं किया गया है।

श्री बिरदाराम (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जालौर और बाड़मेर पिछड़े जिले हैं। जालौर में बिजली नहीं है। सरकार काश्तकारों को फायदा पहुंचाना चाहती है। गरीब काश्तकार खेती करेंगे। अगले दो-तीन साल में वहां बिजली लगायेंगे तो काश्तकारों को कितना नुकसान होगा। यह बिजली जालौर आये और जालौर से बालोतरा जाये तो बाड़मेर को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो सरकार जल्दी से जल्दी इसको क्यों नहीं करती है। बिजली का मास्टर प्लान 68 में बना था जालौर का और आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। 15 साल हो गये। मैं निवेदन करूंगा कि बिजली वहां पर जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए ताकि काश्तकारों का फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीराम गोटेवाला। श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब वह दे रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जालौर जिले की बात कही। जालौर में विद्युत-प्रसारण के लिए माननीय सदस्य को स्वयं को मालूम है कि वहां पर 132 के. वी. लाइन खींच दी गई है और वहां पर विद्युत् का प्रसारण हो रहा है। यहां प्रश्न बाड़मेर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और जैसलमेर जिलों का है। ये जिले भौगोलिक स्थिति से कैसे है, इसकी माननीय सदस्य स्वयं जानकारी रखते हैं। उनमें कितना व्यय होता है, यह चीज भी माननीय सदस्य से पोशीदा नहीं है। उन स्थितियों में राज्य सरकार के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिले में अनाज के उत्पादन की बात उतना मूल्य नहीं रखती है, लेकिन अच्छे जिले हैं और सीमान्त क्षेत्र हैं और बाड़मेर जिले के अन्दर इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट होने की सभावनाएं हैं। इसी दृष्टि से वहां पर 132 के. वी. की लाइन लगा कर जल्दी से जल्दी बिजली लाने का प्रयास कर रहे हैं। 33 के. वी. की लाइन अभी लगायेंगे तो वह खर्चा अभी बेकार हो जायगा। इसलिए प्रयास यह कर रहे हैं कि बिजली की 132 के. वी. की लाइन वहां पर आ जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला, श्री रामानन्द अग्रवाल !

राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के समान अतिरिक्त मंहगाई भत्ता

197. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर), श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के समान अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के लिए वचनबद्ध है ? यदि हां, तो जो आखिरी 5 किश्तें केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी हैं, वे अब तक राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को क्यों नहीं दीं ?

(2) राज्य सरकार ये बकाया 5 किश्तें राज्य कर्मचारियों को कब तक देने का विचार रखती है ?

(3) इससे पूर्व घोषित तीन किश्तों का 31-12-74 तक का बकाया जिसको राज्य सरकार ने जुलाई, 1975 में भुगतान करने की घोषणा की थी, वह राज्य सरकार कब तक करेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1 एवं 2) राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की 9 किश्तें 1-5-73 से केन्द्रीय सरकार के अपनाये हुये फार्मूले के अनुसार दे चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने 5 और किश्तें देते समय इस फार्मूले को बदल दिया है। सम्पूर्ण मामले की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(3) यह मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह विचाराधीन मामला कब तक पूरा हो जाएगा ? जो दिये जाने का वायदा किया गया है, वह कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री चन्दनमल बैद : जल्दी ही होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप केन्द्रीय सरकार की तरह से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के लिए वचनबद्ध हैं, वह कब तक दे देंगे ? अगर अभी विचाराधीन है तो कब तक दे देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : केन्द्रीय सरकार ने 5 किश्तों में दिया जाने वाला पहले वाला फार्मूला बदल दिया है। राज्य सरकार इस बारे में सोच रही है कि वह क्या कदम उठाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह तो वचनबद्ध हैं कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार देगी, उसी प्रकार से देंगे ? इसके लिए तो विचार की आवश्यकता नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्रीय सरकार ने ही पुराने फार्मूले को बदल दिया है तो हमारे लिए यह सोचने की बात हो गई है कि हम भी उस पर विचार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केन्द्रीय सरकार की तरह से देने के लिए आप भी वचनबद्ध हैं। जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देगा, उसी प्रकार से राज्य सरकार स्वयं देगी। केन्द्रीय सरकार ने अगर बदल दिया है तो उस आश्वासन के अनुसार ही आप भी देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे उस आश्वासन की जानकारी नहीं है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार देगी, उसी प्रकार से अतिरिक्त मंहगाई अलाउन्स हम भी देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय, यह जानकारी देंगे कि जो 5 किश्तों के देने का सवाल है, उसका टोटल खर्चा कितना आयेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 9 किश्तें होने का 32 करोड़ भार पड़ेगा। और, जिस प्रकार से भारत सरकार देती है, उस प्रकार से दिया जाएगा तो 18 करोड़ भार और पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से भारत सरकार ने कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम का जो पैसा कर्मचारियों का जमा हुआ है, वह जुलाई, 75 के बाद वापिस देना शुरू कर दिया है तो राज्य सरकार के पास जो पैसा जमा है, उस को वापिस करने के लिए राज्य सरकार कब तक आॅर्डर्स देगी ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने बताया, प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पैसा उनका जमा है, वह देने में सरकार ढील-ढाल क्यों कर रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने बताया, विचाराधीन है। कोई ढीलढाल नहीं है। वह पैसा जमा कराते जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आप भी अपना वेतन क्यों नहीं जमा करा देते हैं ? आप भी जमा करायें।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे भी वही सुविधाएं देते है तो जमा कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप भी कम्पलसरी स्कीम में जमा कराकर लाभ ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

ग्राम बनेटी की हरिजन बस्ती में पानी की व्यवस्था

198. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के बनेटी ग्राम में जल प्रदाय योजना का लाभ वहां की हरिजन बस्ती को नहीं मिला है ?

(2) क्या यह सही है कि जन प्रदाय विभाग ने इसके लिए समाज कल्याण विभाग से रुपया मांगा है ? यदि हां, तो कितना और इसकी कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) :
(1) जी नहीं

(2) जी नहीं। ग्राम में पाइप लाइन बिछाने की कार्यवाही धन की उपलब्धि के अनुसार की जावेगी।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लाभ गांव वालों को मिला है, वह रिजनों की पूरी बस्ती को मिलना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, टंकी बनी हुई है। 5 नल लगे हुए हैं। 6 नलों से सारे गांव वाले पानी भरते हैं। इसलिए कोई विशेष सुविधा का प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह नल हरिजन बस्ती से काफी दूर पड़ते हैं। हरिजन बस्ती को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : नुकसान और फायदे की बात नहीं है। सारे गांव के लिए जो सुविधा है, वह सभी के लिए है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से गांव के और लोग भरते हैं, उसी प्रकार से क्या हरिजनों को भरने देते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : निश्चित तौर से भरने देते हैं। इस बारे में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि आप जो यह समानता की बात कर रहे हैं, वह गांवों में नहीं है ? वहां पर भयंकर छुआछूत है। आप जो समानता की घोषणा की बात करते हैं, वह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय !

आयुर्वेद और संस्कृत शिक्षा का सम्बन्ध

199. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद और संस्कृत का घनिष्ठ सम्बन्ध है और आयुर्वेद के प्रमुख शिक्षण ग्रन्थ संस्कृत भाषा में ही उपनिबन्ध है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिन्दी है और केवल एक पत्र का माध्यम संस्कृत है जब कि पाठ्यक्रम में एक दर्जन से अधिक सैद्धान्तिक पत्र हैं ? यदि

Page No 7

(7)

(श्री हनुमानसहाय व्यास)
हैं, तो फिर आयुर्वेद के गहन और विषयगत निपुणता के लिए आचार्य स्तर पर शिक्षण और परीक्षण में संस्कृत भाषा माध्यम का अनुपात प्रचुर करने के क्रम में सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रवेशिका और उपाध्याय स्तर पर पाठ्यक्रम में पूर्व आयुर्वेद विषय का समावेश हो गया है ? यदि हां, तो ऐसे छात्र जो पूर्व आयुर्वेद विषय लेकर उपाध्याय उत्तीर्ण होंगे, उन्हें सामान्य उपाध्याय या हायर सैकेण्डरी के सन्तुलन में क्या विशेष प्रवेश सुविधा देने की नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक कर दी जाएगी ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला): (1) जी हां।

(2) जी हां। सैण्ट्रल कौंसिल ऑफ इण्डियन मैडिसिन द्वारा निर्धारित नूतन आयुर्वेदाचार्य के पाठ्यक्रम में प्रश्न-पत्र और उत्तर लिखने का माध्यम संस्कृत किया जा चुका है जो गत वर्ष 1974-75 में लागू हो चुका है।

(3) उपाध्याय की पूर्व से मान्यता है किन्तु प्रवेशिका के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के समक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत होने पर आयुर्वेद संकाय में निर्णय किया जाएगा।

श्री हनुमान सहाय व्यास : यह निर्णय कब तक किया जाएगा ?

श्रीमती कमला : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड युनिवर्सिटी के सामने प्रस्तुत करेगा, तभी विचार होगा।

श्री हनुमान सहाय व्यास : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिक से अधिक कितने दिनों में भेज देगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): बोर्ड युनिवर्सिटी में भेज देगा लेकिन सरकार ने क्या विचारकिया है ? इसमें सरकार का क्या नुकसान है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसमें नुकसान और फायदे का सवाल नहीं है। उपाध्याय को हायर सैकेण्डरी और प्रवेशिका को सैकेण्डरी तक मान्यता दी जाये या नहीं यह वहां से ही निर्णय होगा।

प्रश्न संख्या 200.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हाजी जान-मोहम्मद !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामगोपाल !

ग्राम गोवरच्या में डकैती

201. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि ग्राम गोबरच्या पुलिस थाना, किशनगंज, जिला कोटा में कुछ दिनों पूर्व डकैती की घटना हुई थी ? यदि हां, तो पुलिस विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : जी हां, दिनांक 15/16 दिसम्बर, 75 की रात को ग्राम गोबरच्या जिला कोटा में सर्व श्री धन्नालाल, मदनलाल

(8)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
व श्रवणलाल जाट के मकानों में डकैती की घटना घटी। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 54, दिनांक 16-12-75 अन्तर्गत धारा 395,397, 458 आई. पी. सी. थाना नाहरगढ़ पर दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई। मुकदमा अभी तक जेर तफतीश है तथा माल मुलजिमान की पतारसी जारी है।

श्री रामगोपाल : क्या यह सही है कि पंचायत समिति, शाहाबाद के जो बन्दूकधारी लाइसेंस वाले हैं, उनके लाइसेंस टेम्प्रेरी सस्पेण्ड कर दिये गये थे ? उनकी बन्दूकें थाने में जमा करा दी गई थीं। प्रश्न दो, यह है कि क्या डकैती के बाद में कोटा के एस. पी. ने यह रिकमंड किया है कि लाइसेंस वापिस रिइन्स्टेट कर दिये जायें ? उनके ही रखे जायें जिनके लिए ऐसा आवश्यक हो। इस बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जयकिशनलाल तोषावड़ा (फागी): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार-उत्तर प्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश सरकार यह सरकारें मिलकर डकैती के उन्मूलन के लिए योजना बनाती हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं, जिनमें जान माल को खतरा हो जाता है। इस बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ? ऐसी योजना को बनाते हैं तो वह किस आधार पर चलाई जा रही है ? इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक डकैतियों के उन्मूलन का सवाल है, डकैतों के 13 गैंग लिक्वीडेट किये हैं। अभी भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। भरतपुर, धौलपुर और कोटा में जो चम्बल रिवाइन्स हैं, जो छोटे मोटे गैंग बच गये हैं, उनको लिक्वीडेट करने में लगे हुए हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय, यह डकैती की घटना लाइसेंस सस्पेण्ड करने के बाद में हुई या पहले हुई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है।

श्री शंकरलाल (पाली) : अब जो जानकारी दी गई है, इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य जो जानकारी देंगे, तदनुसार कार्यवाही अवश्य कर ली जाएगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं यह जानना चाहता हूं लाइसेंस सस्पेण्ड करना उस इलाके के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लाइसेंस सस्पेण्ड करने के बाद जनता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या साधन हो सकता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इस प्रश्न में ऐसा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए ऐसी तात्कालिक जानकारी नहीं है।

श्री रामगोपाल : लाइसेंस सस्पेण्ड राज्य सरकार की ओर से हुए या पुलिस विभाग की ओर से हुए हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार और पुलिस विभाग में कोई फर्क नहीं है।

श्री रामगोपाल : मैं यह पूछना चाहता हूं ... ..

श्री हरिदेव जोशी : कोई फर्क नहीं है। राज्य सरकार की ओर से किया जाये या पुलिस की ओर से किया जाये। लाइसेंस सस्पेण्ड करने की बात आपके प्रश्न में लिखी नहीं गई थी। इसीलिए कोई रेफरेन्स नहीं है।

श्री शंकरलाल : अब जो राज्य सरकार की जानकारी में लाया गया है तो उस पर सरकार ध्यान देगी?

प्रश्न संख्या 202

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रतीराम यादव!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी!

श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : प्रश्न संख्या 203

श्री अध्यक्ष : आपने सीट चेन्ज कर ली है आज। You have changed your seat.

श्री जयकिशनलाल तोमावड़ा : ये जगह बदलने की क्षमता नहीं रखते, अब इनकी उम्र बदल गई है।

विधि व्याख्याताओं की नियुक्ति

203. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान विधि कॉलेजेज में कितने विधि व्याख्याता हैं?

(2) इस सत्र में (1975-76) में कितने विधि व्याख्याता किस-किस कॉलेजेज में किस-किस तिथि को नियुक्त किये हैं?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) इस समय राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में निम्न प्रकार से विधि व्याख्याता हैं:—

पूर्णकालीन विधि व्याख्याता 14
अंशकालीन विधि व्याख्याता 22

(2) इस सत्र 1975-76 में जिन विधि व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सत्र जुलाई में प्रारम्भ होता है और अक्टूबर के पहले कोई नियुक्ति नहीं होती जबकि दिसम्बर और जनवरी तक होती रहती है। क्या सरकार इसमें अपनी असमर्थता प्रगट करती है, या कोई निश्चित नीति नहीं है?

श्री फारूक हसन : ज्यादातर कॉलेजेज के अन्दर अक्टूबर, 75 के अन्दर ही नियुक्तियां मिल गई हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अक्टूबर, नवम्बर में भी हुई हैं और 2-12-75 को आप देखें कृपा करके।

श्री फारूक हसन : अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर के लिए मैंने अर्ज किया है। ब्यावर में 19-10-75 को तीन लेक्चरार की, 12-10-75 को अजमेर में दो लेक्चरार की,

Page No 10

(10)

(श्री फारूक हसन)
इसी तरह से भीलवाड़ा, भरतपुर और कोटा में भी अक्टूबर में की गई। अलवर में 9 अक्टूबर को एक की नियुक्ति की है और फुल टाइम सिर्फ एक स्थान पर 17-1-76 को बीकानेर में की गई है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अक्टूबर में कई जगह आपने नियुक्तियां की हैं और नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में भी की गई हैं तो क्या इससे छात्रों की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होता है?

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने लेक्चरारों की नियुक्तियों के लिए कमेटियां बनाई हैं और नियम भी बना रखे हैं जिनके आधार पर चयन होना चाहिये या कोई नियम ही नहीं है जिससे इतनी अनियमिततायें होती हैं? इसके लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय। नम्बर तीन, क्या राज्य सरकार की जानकारी में है जो इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनको ठीक करेंगे?

श्री फारूक हसन : अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश और महाविद्यालय के प्राचार्य होते हैं और जो केन्डीडेट होता है उसके लिये एलएल. बी. और सात साल का बार का एक्सपीरियेन्स होना चाहिए। जहां तक शिकायतों का ताल्लुक है, जो भी शिकायतें प्राप्त हुई होंगी, निश्चित रूप से उनकी जांच हुई है और कोई स्पेसिफिक शिकायत तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ब्यावर में आपने चार लेक्चरार्स की जगह बताई हैं और उनकी जगह तीन लिये हैं, एक जगह अभी भी रिक्त है।

श्री फारूक हसन : ब्यावर में शिकायत आई है और उसकी जांच हो रही है, इसीलिए एक स्थान रिक्त है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री चांद मोहम्मद को ब्यावर में इसलिए नहीं लिया गया कि पुलिस में उसकी पहले की रिपोर्ट थी और उस बिना पर उसको नहीं लिया गया? उसका सारा परिवार नेशनल मूवमेन्ट में हिस्सा लेता रहा है और वह यहां पर कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी रहा है, इसके बावजूद भी होम डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट पर कि वह एण्टी नेशनल है और उसको कोई पुरानी रिपोर्ट पर नहीं रखा गया।

श्री फारूक हसन : ऐसी बात है कि श्री चांद मोहम्मद की शिकायत आई थी और उसकी जांच करने हेतु ही एक स्थान रिक्त है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार के विरुद्ध दर्ज मामला

204. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में श्री प्रतापसिंह भूतपूर्व महाराजकुमार के आदमियों द्वारा महल चौक में नालियां तोड़ कर ले जाने के सम्बन्ध में कार्यालय अधीक्षक, जिलाधीश अलवर की रिपोर्ट पर पुलिस कोतवाली अलवर में अभियोग

(11)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

संख्या 388, दिनांक 24-12-73 धारा 444/379 भा० दं० संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आदमियों के हाथों में कुदाल, छेनी, हथोड़े और भाले आदि हथियार भी थे ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 14-2-74 को इन्हीं श्री प्रतापसिंह भूतपूर्व महाराजकुमार के आदमियों ने हाथी, बैल-गाड़ी, कार आदि लेकर जबर्दस्ती मर्दाना महल पर कब्जा करने के लिए जब कि यह महल राज्य सरकार के कब्जे में है, महल के मुख्य दरवाजे से जबर्दस्ती प्रवेश किया जिसके सम्बन्ध में उन आदमियों के खिलाफ अभियोग संख्या 54, दिनांक 14-2-74 धारा 448 भा० दं० संहिता के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि 14/15-2-74 की रात को श्री प्रतापसिंह के आदमियों ने राज्य सरकार के कब्जे में महल के मुख्य द्वार पर अपने अलवर राज्य का पुराना पंचरंगा झण्डा जबर्दस्ती फहरा दिया जिसके सम्बन्ध में 15-2-74 को उन आदमियों के खिलाफ अभियोग संख्या 56, धारा 448 भा० दं० संहिता के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि इन्हीं श्री प्रतापसिंह ने कुछ वर्ष पहले अलवर में पोलो ग्राउन्ड के कुछ हिस्से पर राज्य सरकार की इमारत बनाये जाने में भी गैर कानूनी मदाखलत करने का प्रयत्न किया था ?

(5) क्या यह सही है कि इन्हीं भूतपूर्व महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह ने अपनी कोठी फूलबाग और मोती डूंगरी की दीवार के बीच शाराय ग्राम को जबर्दस्ती दीवार बनाकर रोक रखा है ?

(6) क्या यह सही है कि अलवर में गत 18-19 अक्टूबर, 1975 को हुए फासिस्ट विरोधी सम्मेलन में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है जिसमें श्री प्रतापसिंह भू० पू० महाराजकुमार की दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी और राष्ट्र-विरोधी हरकतों से चिन्ता प्रकट की गई है और उन्हें मीसा में गिरफ्तार करने की मांग की गई है ?

(7) राज्य सरकार इन भूतपूर्व महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह की इन समाज विरोधी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति खामोश क्यों है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) अभियोग पंजीबद्ध किया गया।

(2) अभियोग पंजीबद्ध किया गया।

(3) अभियोग पंजीबद्ध किया गया।

(4) अभियोग पंजीबद्ध किया गया।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : इससे अच्छा जवाब नहीं आयेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो पूछा गया था, उसको पहले आप पढ़ लें।

(5) दिनांक 1-4-70 को पटवारी अलवर द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार ने शाराय ग्राम पर जबर्दस्ती कब्जा कर पक्की दीवार बना दी है। इस रिपोर्ट पर महाराजकुमार

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
के विरुद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें तहसीलदार अलवर के न्यायालय से यह फैसला हुआ कि अनाधिकृत निर्मित दीवार को हटा दिया जावे और महाराजकुमार पर 1217.70 पैसे जुर्माना किया गया। तहसीलदार के इस फैसले की अपील जिलाधीश न्यायालय में विचाराधीन है एवं नगर विकास न्यास अलवर को भी इस मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करने के स्थगन (इन्जेक्शन) आदेश सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। अतः न्यायालय के फैसले तक पेंडिंग रखा हुआ है।

(6) दिनांक 18/19-10-75 को हुए फासिस्ट विरोधी सम्मेलन में अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार की दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी हरकतों से चिन्ता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पास करने के बारे में राजस्थान टाइम्स, अलवर दिनांक 22-10-75 में समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(7) राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार (भूतपूर्व राजकुमार प्रतापसिंह के विरुद्ध) कार्यवाही की जाती रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इसी से सम्बन्धित है, एक घटना 5-1-76 की है और उसे भी इस प्रश्न के साथ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष (श्री रामानन्द अग्रवाल से): आपको कोई एतराज नहीं है, एक साथ ले लें तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, उसमें काफी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष: जब ट्रान्जेक्शन्स एक ही है तो फिर क्या बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, 5-1-76 का जो है उसको कॉल-अटेन्शन नोटिस के रूप में ले लें तो ले लीजिये वरना....

श्री अध्यक्ष: एक ही सब्जेक्ट मैटर पर दो दफा डिस्कस करने से क्या फायदा?

श्री रामानन्द अग्रवाल: एक नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक नहीं है तब तो बात अलग है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, एन्टायरली डिफरेन्ट है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो आपने चार केसेज के बारे में स्वीकार किया है कि पंजीबद्ध किये गये, कृपया यह बतावें कि इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और अब ये केसेज किस स्टेज पर हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: इन चारों मुकदमों की छानबीन करने पर पाया गया कि यह मुकदमे साबित नहीं हो सके इसलिए फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह रिपोर्ट या सारे केसेज के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है वह सरकारी अधिकारी या कलेक्टर या किसी और ऑफिसर की रिपोर्ट पर दर्ज किये गये हैं। एक केस जिसकी कि एफ. आई. आर. 24-12-73 की है जिसका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जिक्र प्रश्न संख्या (1) में है, उसकी रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा दर्ज कराई गई है और जिसमें यह लिखा हुआ है कि "राज्य परिवार की दो गाड़ियां (स्टेशन वैगन नम्बर आर. जे. ए. 2207, तथा कार नम्बर डी. एम. ए. 2826) लगभग 40-50 व्यक्तियों का गिरोह भरकर आई तथा विना किसी सूचना के छैनी और हथोड़ों से जिलाधीश कार्यालय के बीच को छतरियों के साथ लगी हुई संगमरमर की जालियों एवं बीच के खम्भों को छोड़कर मलबा उठा ले गई है। यह काम काफी जल्दी में किया गया तथा आवाज सुनकर अब कर्मचारीगण बाहर आये तो संगमरमर की जालियों की टूट-फूट व कुछ संगमरमर की जालियों को छोड़कर उक्त गिरोह गाड़ियों में भाग गया।"

तो, अध्यक्ष महोदय, यह गाड़ियां महाराजकुमार के नाम में रजिस्टर्ड हैं, यह गाड़ियां वहां पर आयीं। पुलिस आयी और यह कलेक्टर की तरफ से रिपोर्ट दर्ज है। इसी तरह से दूसरे केसेज भी हैं, जिसमें महल चौक पर कब्जा करने के लिए वहां पर गाड़ियों, हाथी, घोड़ों और पैदल फौज लेकर वहां पर आये, दिन के वक्त और तीन दिन तक किले को घेरे रखा। उसके बाद सदन में उत्तर दिया। उसके बाद पचरंगा झण्डा पुराने राजाओं का लहराया। यह तीन केस इस किस्म के हैं। चौथा केस है, आपने पोलो ग्राउण्ड की जमीन को लेने के लिए भेजा उन्होंने कब्जा नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अरेस्ट कर लो, तब कब्जा दिया। यह चार केसेज हैं, इनके बारे में कहा कि एफ. आर. हो गई है। क्या आप बतायेंगे कि उस वक्त जो कलेक्टर थे, उसके बयान लिये वह झूठे पाये गये, जिन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज कराई है। पुलिस और एस. पी. के बयान लिये, वह गलत पाये गये? किस आधार पर एफ. आर. प्राप्त की? क्या झण्डा नहीं लहराया? क्या फौज लेकर नहीं गये? क्या इन तथ्यों को झूठा पाया?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक केस नम्बर 388 का सम्बन्ध है, इस मामले में यह पाया गया था, यह जाली, जिसकी किवाड़ तोड़ लिये जाने की घटना बताई जाती है, यह राज्य सरकार द्वारा महाराजा को 1968-में हैंडओवर कर दी गई थी और महाराज कुमार के पजेशन में थी। इसलिए यह केस प्रूव नहीं हुआ।

जहां तक दूसरे केस का सवाल है, बिल्डिंग में एन्ट्री करने का प्रश्न था, वह केवल एक्सक्लुजिवली कलेक्टर के पजेशन में थी, यह साबित नहीं हुआ। इसलिए एफ. आर. दे दी गई।

नम्बर 3, यह कहा गया, मंदिर पर महाराज कुमार ने पंचरंगा झण्डा फहराया। यह मंदिर महाराजा के पजेशन में था : सारी महाराज कुमार की निजी सम्पत्ति में माना गया है। इसलिए यह प्रूव नहीं होता है कि पंचरंगा झण्डा फहराया गया वह गलत तरीके से फहराया गया था, पजेशन न होने की वजह से फहराया।

जहां तक जमीन देने वाला मामला है, जो जमीन महाराज कुमार ने स्वयं गवर्नमेंट को सरेंडर की थी एक फार्म बनाने के

Page No 14

(14)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
लिए। यह फार्म न बना कर राज्य सरकार ने फिशरीज डवलपमेंट करने का फैसला किया। उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैंने जमीन स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी है। स्पेसिफिक पर्पज परफोर्म नहीं किया इसलिए डिस्प्यूट अराइज किया था। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। चूंकि और दूसरे बयानात हुए थे, उसके आधार पर इस प्रकार के केसेज की इन्वेस्टीगेशन के दौरान प्रूव न होने की वजह से उसमें एफ. आर. दे दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि तमाम केसेज भूतपूर्व महाराज कुमार प्रतापसिंह के आदमियों के खिलाफ दर्ज किये गये और एफ. आई. आर. थीं उनसे उनका सम्बन्ध है, उनका माल पकड़े जाने के बावजूद महाराज कुमार के खिलाफ कोई मुकदमे में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया, जब कि उनकी चीजें पकड़ी गई—इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एफ. आई. आर. में जिन लोगों के नाम दर्ज थे, जो सबूत पेश किये गये, उसके आधार पर महाराज कुमार का उससे सम्बन्ध न होने की वजह से उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 388 में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की है। इन एफ. आई. आर. में इन्क्वायरी के दौरान पता लगा कि यह व्यक्ति है तो उसको इम्प्लीकेट नहीं करते हैं। 388 में गाड़ियों का नम्बर दर्ज है कि गाड़ियां किसकी हैं। हाथी किसके, हैं, उसका नम्बर रजिस्टर्ड है वह दर्ज है। यह सब महाराज कुमार के हैं तो कोशिश उसको इम्प्लीकेट करने की क्यों नहीं की गई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, प्रायमाफेसी केस नहीं बनता है तो किसी को जुर्म में इम्प्लीकेट करने का प्रश्न नहीं होता है। प्रायमाफेसी भी इन्वेस्टीगेशन के दौरान साबित नहीं होती तो जबर्दस्ती इम्प्लीकेट करना सम्भव नहीं हो सकता।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय ···

श्री रामानन्द अग्रवाल : फासिस्ट विरोधी सम्मेलन के बारे में आपने कहा केवल एक अखबार में पढ़ा। मेरे को जहां तक याद है, माननीय मुख्य मंत्री स्वयं उस सम्मेलन में गये थे और उस रिजोल्यूशन को स्वयं पढ़ा है। क्या उनके नोटिस में यह बात और बातें लीडर द्वारा लाई गई ? इस सदन के माननीय सदस्य जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भाषण में उल्लेख किया था—यह सही है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक रिजोल्यूशन पास करने का सवाल है, उसको स्वीकार किया है, रिजोल्यूशन में है उसके बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से वहां स्वीकार हुआ है, जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट और दूसरे लोग सब थे। उसमें महाराजकुमार के खिलाफ जितनी भी उनकी राष्ट्र विरोधी हरकतें हैं, उनका जिक्र किया है और मांग की है कि मीसा के अन्दर बन्द किया जाय।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
क्या उसके बारे में सरकार ने विचार किया ?

श्री अजीत सिंह (टोंक) : मैं जानना चाहता हूं, जब रिपोर्ट झूठी साबित हो गई और फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को दी तो झूठी रिपोर्ट करके परेशान करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही राज्य सरकार करना चाहती है ? क्या 182 का मामला चलाया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : यह एफ. आई. आर. कलेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई। कलेक्टर बहुत जिम्मेदार ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसने एफ. आई. आर. दर्ज कराई है। महाराज-कुमार के आदमियों को हथकड़ी पहनाई। खुद आपके कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफ. आई. आर.। कितनी ही ऐसी घटनायें हैं जिनमें स्वयं कलेक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज की है। बहुत थोड़ी घटनायें होंगी राजस्थान में जिनमें कलेक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई हो, कलेक्टर हिमसेल्फ विटनेस हो। फिर कहते हैं कि प्रायमाफेसी केस नहीं बना और उसमें एफ. आर. लगा दी। एफ. आर. लगा दी तो कलेक्टर के विरुद्ध 182 में प्रोसीड क्यों नहीं करते हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : कलेक्टर द्वारा गलतफहमी में निजी सम्पत्ति को सरकारी सम्पत्ति समझ कर रिपोर्ट दर्ज करा दी जाय, आपको ज्ञान है कि कलेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और गलत तरीके से किसी को फंसाया जाय—क्या ऐसा कानून है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं निवेदन करना चाहता था कि गवर्नमेंट ने काफी सीनियर ऑफिसर को, एडीशनल आई. जी. पी. को इन सारी शिकायतों की जांच करने के लिये भेजा था ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या नाम है ?

श्री हरिदेव जोशी : मिस्टर सिधा। वह अलवर गये, उन्होंने जांच की और जांच करके अपनी रिपोर्ट दी। इसके बावजूद, क्योंकि केसेज दर्ज हो चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट ने यह उचित समझा था, इन केसेज की प्रॉपर इन्वेस्टीगेशन होनी चाहिए और काशीप्रसाद को, जिसको कि माननीय सदस्य भी जानते हैं, और जिनकी क्षमता और निष्पक्षता की बाबत कोई अंगुली नहीं उठा सकेगा, उनको इस तरह की इन्वेस्टीगेशन सुपुर्द की गई, और उनके सुपरवीजन में इन्वेस्टीगेशन हुई। सारी गम्भीरता को महसूस करते हुए भी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एफ. आई. आर. दर्ज की है, तथ्य यह है कि केसेज साबित नहीं हो सके इसलिए फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री केदार-नाथ ! श्री मीठालाल !

205. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) [श्री केदारनाथ (गंगानगर) की अनुपस्थिति में] व श्री मीठालाल (लालसोट): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सदन में बार-बार आश्वासन देने के बावजूद पंचायत चुनाव को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

(2) क्या राज्य सरकार निश्चित तौर पर कहने की स्थिति में हैं कि पंचायत चुनाव कब होंगे ?

श्री मीठालाल : लिखा हुआ नहीं पढ़ें। आदत पड़ेगी इस तरह।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) पंचायतों के चुनाव स्थगित किये जाने के कारणों का मानचित्र संलग्न है।

(2) मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिसम्बर, 1977 को समाप्त होगा। पंचायत ग्राम चुनाव अवधि समाप्त होने के पहले यथासम्भव सम्पन्न करा दिये जायेंगे।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुरदयालसिंह संधु : यह दूसरा पार्ट सवाल का जो है, उसमें कहा गया है कि कोई आप तिथि निश्चित कर सकते हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया ?

श्री फारूक हसन : मैंने अर्ज किया, यथा सम्भव सम्पन्न कराये जायेंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा निवेदन है, आप कोई तिथि निश्चित कर सकते हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं।

श्री मीठालाल : माननीय राज्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या जवाब देते वक्त थोड़ी बहुत शर्म महसूस हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : कतई नहीं।

श्री दीपंकर : क्या इस प्रकार खड़े होकर मन्त्री को शर्मिन्दा करने में शर्म आती है या नहीं ?

श्री मीठालाल : सरकार को गम्भीरता से सोच कर कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। इस तरह निश्चित अवधि इस बारे में निश्चित करनी पड़ेगी। पंचायती राज के प्रति विश्वास जनता में खत्म होता जा रहा है और बारह-बारह साल से सरपंच बैठे हुए हैं वह ऐसे करतब करते हैं उनके खिलाफ बराबर शिकायतें आती हैं।

श्री दीपंकर : सप्लीमेन्ट्री पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ? क्या बात है ?

श्री मीठालाल मीणा : इस तरह की शिकायतें हो रही हैं, एक तारीख निश्चित कर लें तो ज्यादा उचित है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने जो राय व्यक्त की है उससे सहमति हो सकती है, किन्तु जो परिस्थितियां हैं उनमें निश्चित तारीख देना सम्भव नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : 12 वर्ष हो गये इसलिए सरपंचों के ......

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

नौकरी से निकाले गये श्रमिक

206. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मुख्य मन्त्री एवं श्रम मन्त्री को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जयपुर,

(श्री मोहर्रसिंह)
कोटा में जिन श्रमिकों को आपात स्थिति में गिरफ्तार किया गया था उन्हें जेल से छूटने के बाद व्यवस्थापकों ने ड्यूटी पर नहीं लिया व मनमाने ढंग से नौकरी से अलग कर दिया है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने श्रमिक हैं ? उनकी नामावली, कारखानेवाइज सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) ऐसे व्यवस्थापकों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिन्होंने श्रमिकों को वापिस ड्यूटी पर नहीं लिया ? और अब उन श्रमिकों को कब तक ड्यूटी पर ले लिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, श्रम (श्रीमती कमला) : (1) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। यदि कोई मामले औद्योगिक विवाद से संबंधित विभाग के ध्यान में लाये जायेंगे तो उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहर्रसिंह : काफी लोग जो जेल से छूटे हैं उनको नौकरी से अलग कर दिया है। बार-बार उन्होंने गृह आयुक्त को लिख दिया और श्रम विभाग को भी लिख दिया। गृह मन्त्री को भी लिख दिया। इस प्रकार के 43 व्यक्ति हैं राजस्थान में—39 जयपुर में और 4 कोटा में-जिन्होंने बार-बार लिखकर दिया है। आप कहते हैं कि आपको सूचना नहीं है, यह कहां तक सही है ?

श्रीमती कमला : आपने जो आपात स्थिति का प्रश्न उठाया है उसकी जानकारी नहीं है लेकिन औद्योगिक विवाद जो भी आते रहे हैं उनका डिस्पोजल भी किया जाता रहा है और आगे भी आयेंगे तो विधिवत उनका डिस्पोजल होगा।

श्री मोहर्रसिंह : आपात स्थिति में जो गिरफ्तार किए हैं और छूटे हैं, उन्होंने मुख्य मन्त्री को भी हमारे सीटू की तरफ से लिखकर दिया है, उन्होंने खुद ने कहा है कि हम इन्क्वायरी करके कार्यवाही करेंगे लेकिन अब तक इस पर कार्यवाही नहीं की गई। आप कहती हैं कि सूचना नहीं है, यह कहां तक सही है ?

श्रीमती कमला : जो उपलब्ध सूचना है, उसी के आधार पर मैं निवेदन कर चुकी हूं। औद्योगिक विवाद सम्बन्धी जो मामले हैं, उनका विधिवत डिस्पोजल किया जा रहा है और किया जाएगा।

श्री मोहर्रसिंह : बार-बार उन्होंने आपको सूचना दी है, गृहायुक्त के पास सब ने दरख्वास्तें दी हैं।

श्रम मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : गृहायुक्त के बजाय हमें सूचना दें ताकि जल्दी कार्यवाही हो सके।

श्री मोहर्रसिंह : आपको भी सूचना दी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारे पास सूचना आती है तो उसी समय कार्यवाही करते हैं। अगर आपके पास सूचना है तो दे दें, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा !

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में टेलीविजन की व्यवस्था

207. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने टेलीविजन सेट कार्यरत है ? कृपया तहसीलवार पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त सभी टेलीविजन सेट सही हालत में चालू हैं ? यदि नहीं, तो कितने खराब पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नए टेलीविजन सेट स्थापित करते समय अन्य तहसीलों के ग्रामों की भांति लालसोट (जयपुर) तहसील के ग्रामों को भी चुना गया था ? अगर हां, तो फिर वहां टेलीविजन सेट नहीं लगाने का क्या कारण है ?

(4) क्या भविष्य में लालसोट तहसील में टेलीविजन सेट लगाए जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला) : इस प्रश्न का सम्बन्ध विकास विभाग से है, इसलिए सम्बन्धित मन्त्री अपनी टर्न पर जवाब देंगे।

श्री मीठालाल मीणा : मैं क्या करूं, यह जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इन्तजार करें

श्री मीठालाल मीणा : लालसोट को बीच में, सर्वे होकर, कैसे आपने छोड़ दिया, आपसे भी बात हुई है।

श्रीमती कमला : मुझसे इस सवाल का ताल्लुक नहीं है, जिनका ताल्लुक है पूरी जानकारी करके आपको बता देंगे, वह जवाब देंगे, आप तब तक इन्तजार करें।

श्री मीठालाल मीणा: इसको इसी सेशन में लिया जाएगा ? अगर नंबर पर नहीं आता है तो मेरे पास लिखित में जवाब तो आ जाए।

श्री अध्यक्ष : कोशिश कर लेंगे।

प्रश्न संख्या 208

श्री नानालाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 209

श्री चुन्नीलाल इंदलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री जेठमल आर्य !

मन्डार जल प्रदाय योजना का कार्य

210. श्री जेठमल आर्य (रेवदर सु.): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की मंडार जल प्रदाय योजना लम्बे समय से अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अंतर्गत बनने वाली टंकी को ठेकेदार

(श्री जेठमल आर्य)
अधूरी छोड़कर चला गया है ? यदि हां तो उसे कब तक पूरी करवा दी जावेगी ?

(3) सिरोही जिले में कुल कितनी जल प्रदाय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं ? किस-किस का कार्य पूरा हो चुका है तथा किस किस पर कितना-कितना खर्चा हो चुका है ? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सिरोही जिले में आगामी दो वर्षों में किस किस ग्रामीण जल प्रदाय योजना को पूरा कर दिया जायेगा तथा कहां कहां पर काम चालू है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) मंडार जल प्रदाय योजना में टंकी के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य वर्ष 1971-72 में पूरे किए जा चुके हैं. टंकी का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण पूरा नहीं किया जा सका। कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

(2) जी हां। कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

(3) जिला सिरोही में 18 जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य पूरा किया जा चुका है, जिन पर किए गए खर्चे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस वर्ष सिरोही जिले में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अंगोर पालड़ी स्वीकृत की गई है जिस पर कार्य चालू किया जा रहा है। योजना का कार्य अगले 2 वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जेठमल आर्य: मंडार की जल प्रदाय योजना कितने दिनों से अधूरी पड़ी हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद: ओवरहेड टेंक के अलावा सारा कार्य पूरा हो चुका है और सारे गांव को बराबर पानी सप्लाई किया जा रहा है। चूंकि लगातार तीन ठेकेदारों को टेंक का काम दिया गया जो बिना काम पूरा किए भाग गए इसलिए अधूरा रह गया अब तो डिपार्टमेंटली या भरासेदार ठेकेदार द्वारा इसको करा कर अगले साल पूरा किया जाएगा।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर): मंडार और तनाजा तहसील में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में नल लगाने की योजना है ? नल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद: मैं ऑफ हैंड तो नहीं कह सकता कि कहां-कहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये नल लगे हुए हैं या नहीं। अगर पाइप सप्लाई की जगह है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लिए नल होना चाहिए। अगर नल नहीं हैं तो माननीय सदस्य मुझे सूचित करें, मैं इंतजाम करूंगा।

श्री शंकरलाल: ठेकेदारों को तीन बार क्यों बदलना पड़ा ?

श्री चन्दनमल बैद: वे छोड़ कर चले गए, क्यों छोड़ कर चले गए, मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनराज !

Page No 20

(20)

बाली से लूनावा वाया सेसली सड़क का कार्य

211. श्री मोहनराज (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 2 वर्ष पूर्व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (मिनिमम नीड प्रोग्राम) के अंतर्गत बाली क्षेत्र में एक सड़क "बाली से लूनावा वाया सेसली" स्वीकृत हुई थी और अभी तक उक्त सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य का ठेका दो वर्ष पूर्व ही दे दिया गया था ? अभी तक कार्य आरंभ नहीं करने के कारण उक्त ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) बाली से लूनवा वाया सेसली सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति 14 दिसम्बर, 1974 को दी गई है। कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

(2) ठेका ठेकेदार को मार्च, 1975 को दिया गया है। ठेकेदार को कार्य आरंभ करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। बाकी कार्यवाही ठेके की शर्तों के अनुसार विचाराधीन है।

अब मैं आपको बता दूं डिपार्टमेंटली यह काम शुरू कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या 212

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फारअली !

आदर्श विद्या मन्दिर जयपुर के विरुद्ध दर्ज मामला

213. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदर्श विद्या मंदिर में जो घोटाले हुए थे उनके सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था लेकिन आज तक किसी के भी खिलाफ कोई चालान नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि आदर्श विद्या मंदिर के बहुत से कागजात प्रशासन द्वारा जरायम को छिपाने के लिए खुर्द बुर्द कर दिए और शहादत खत्म कर दी गई ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) आदर्श विद्या मंदिर में कथित घोटाले के संबंध में थाना आदर्श-नगर, जयपुर में मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश उपरांत पाए गए दोषी व्यक्ति-मुलजिम का चालान न्यायालय एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 4 में दिनांक 22-8-75 को पेश किया जा चुका है।

(2) राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आपने फर्माया कि चालान पेश कर दिया गया है, वह किन व्यक्तियों के विरुद्ध पेश किया गया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : श्री मेघराज भाटिया जिसके खिलाफ चार्ज था 32 रु.

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
परीक्षा की फीस लेने का । उनको गलत पेमेंट कर दिया गया था । श्री खेमचन्द शर्मा के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : और किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो चालान नहीं है इन दो के अलावा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : श्री नारायण तिवाड़ी ने पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके 16 मुद्दे थे । 16 मुद्दों में से इन्वेस्टीगेशन के दौरान नं. 1 में चालान कर दिया गया है, चौथे में अभी भी अनुसंधान बाकी है, बाकी मामले ड्रॉप कर दिए गए हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जिनका चालान कर दिया गया है उनके नाम फर्मा दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : केवल खेमचन्द शर्मा के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : क्या यह सही है कि रामगोपाल गोयल के खिलाफ कोई चालान पेश नहीं किया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का यह कहना है कि वहां पर 16 बिन्दुओं के बारे में शिकायत थी उसमें से एक के खिलाफ में जांच पूरी होने पर चालान पेश सिर्फ एक ही व्यक्ति का किया गया और बिन्दु संख्या 10, 13, 15 और चार में इन्वेस्टीगेशन चल रहा है ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टीगेशन किस-किस के खिलाफ में और कौन-कौन से बिन्दुओं पर चल रहा है उससे मेरा मतलब नहीं है मेरा मतलब तो स्पष्ट यह है कि क्या रामगोपाल का चालान पेश किया गया था या नहीं किया गया । इसका स्पष्ट जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि चालान पेश हुआ या नहीं ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, सीधा सा सवाल है कि क्या राम गोपाल के खिलाफ में चालान पेश किया या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के पास जो सूचना आयी है उसके अनुसार रामगोपाल के बारे में कोई सूचना नहीं आयी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का चालान पेश किया गया ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया कि एक पॉइन्ट पर सबूत होने पर एक व्यक्ति का चालान पेश किया गया, खेमचन्द का चालान पेश किया गया ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : क्या रामगोपाल का कोई चालान पेश नहीं किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य इतने परेशान क्यों हो रहे हैं । आपको बतला दिया है कि एक पॉइन्ट पर इन्क्वायरी हुई जो दोषी पाया गया उसका चालान पेश

(श्री हरिदेव जोशी)
किया गया जिसकी सूचना मन्त्री महोदय को है वह बता दी। जिसकी सूचना उनके पास नहीं है उसको वह कैसे बतला सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, गलत बयान सदन में दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले एक कागज के बारे में था कि आदर्श विद्या मन्दिर के मैनेजमेंट के बारे में जांच करके कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था, क्या वह कागज ट्रेस हो गया? उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही हो रही है? यह बतावें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस पॉइन्ट पर पेन्डिंग इन्क्वायरी है उसके बारे में यहां पर चर्चा करना उचित प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न संख्या 214

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्रसिंह!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल बरबड़!

लघु सिंचाई योजना परवतसर

215. श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि परवतसर पंचायत समिति में लघु सिंचाई योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से धनराशि स्वीकृत हुई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्यालय करीब तीन माह पहले खुल गया था? यदि हां, तो स्वीकृत स्टाफ आज तक पूरा क्यों नहीं लगाया गया? तथा यह अब कब तक लगा दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत किसानों को ऋण भूमि विकास बैंक, नागौर द्वारा दिया जायेगा?

(5) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, नागौर ऋण देने की स्थिति में नहीं है? यदि हां, तो इस इलाके के किसानों को ऋण देने की सरकार व्यवस्था किस प्रकार करेगी और किसानों को ऋण देना कब शुरू कर दिया जायेगा?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिंचाई विभाग से ताल्लुक नहीं रखता है इसलिए इसको सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास भिजवा दिया गया है। अतः वह अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे। इसलिए इसको पोस्टपोन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : पोस्ट पोन्ड। श्री दीपंकर!

नागौर जिले में राहत कार्य

216. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में अधिक वर्षा होने से साऊणी (खरीफ)

(श्री दीपंकर)
फसल नहीं हुई है और वहां अकाल जैसी स्थिति होने के कारण जिले की हर तहसील की बहुत बड़ी आबादी को राहत पहुंचाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा राहत के कार्य चलाने के लिए फसल नहीं होने वाले गांवों की सूचियां बनाई जा रही हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार इन गांवों को अकालग्रस्त कब तक घोषित कर देगी ?

(2) क्या राज्य सरकार ने जिन इलाकों में प्रतिवर्ष अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से अकाल की स्थिति बनती है उस स्थिति से निपटने के लिए स्थायी हल खोजने की योजना बनायी है ? अगर हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) अभी अन्तिम प्रतिवेदन नागौर जिले से प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आने के कारण होने वाले नुकसान से निपटने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कुछ योजनायें बनाई गई हैं। अनावृष्टि से अभाव के स्थाई समाधान के लिए कई कदम उठाये गए हैं जैसे:—

1. वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण हाथ में लिया गया जैसे राजस्थान नहर परियोजना, माही, जाखम, सेई, जैतपुरा आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार के लघु सिंचाई के कार्य भी हाथ में लिए गए हैं।

2. भारत सरकार के सहयोग से 10 जिलों एवं 6 तहसीलों में जिसमें सूखा निरन्तर पड़ता रहता है एक विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना (डी. पी. ए. पी.) प्रारम्भ की गयी है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ नागौर जिले के बारे में सूचना चाही थी लेकिन मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब न देकर पूरे राजस्थान के बारे में ही जैसे राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, माही जाखम आदि के बारे में सूचना दे दी है उसके लिए तो मैं उनकी बड़ी कृपा मानता हूं लेकिन मैं तो सिर्फ नागौर जिले के बारे में ही पूछना चाहता हूं कि नागौर जिले के लिए कलेक्टर से अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आयी या नहीं ? क्योंकि पिछले दो साल से नागौर जिले में भयंकर अकाल पड़ रहा है तो इसके लिए आप कब तक राहत खोल देंगे ताकि जनता को राहत कार्य खुलने से काम मिले ? इसके लिए जिलाधीश के पास से कब तक अन्तिम प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास पहुंच जावेगा ? दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि सारा नागौर जिला ही अकालग्रस्त हो गया है और उसकी पुष्टि में तहसीलदार, एस. डी. ओ. और जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट पर मोहर भी लग गयी है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार हर तहसील के 40-40 और 50-50 गांव अकालग्रस्त हैं तो उसके लिए आप कब तक राहत कार्य खोल देंगे ? क्या सरकार जल्दी ही अन्तिम प्रतिवेदन जिलाधीश से मंगा कर राहत कार्य खोलने की चेष्टा करेगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, अभी तक नागौर जिले के बारे में जिलाधीश से अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जल्दी राहत कार्य खोलने का निर्णय लेगी।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक समय हो गया है। लोग अकाल की वजह से भूखे मर रहे हैं लोगों के पास काम नहीं है। यह अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा क्या राज्य सरकार जिलाधीश से जल्दी अन्तिम प्रतिवेदन मंगवा कर शीघ्र ही राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वैसे आम-तौर पर राज्य सरकार अकाल राहत कार्य अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राहत कार्य खोलती है लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में विचार कर सकती है।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर क्षेत्र में करीब 350 गांव अतिवृष्टि के कारण अकाल की चपेट में आ गए हैं। पिछले दो साल से वहां भयंकर स्थिति अकाल की बनी हुई है। क्या राज्य सरकार उन 350 गांवों के लिये अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप शकुन्तला जी का सवाल पुछवालें जल्दी, यह बड़ी बेचैन हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूति गृह की व्यवस्था

217. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर या पांच गांवों के रेडियस पर एक प्रसूति गृह की स्थापना का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पंचायत समिति स्तर पर कितने प्रसूति घर हैं और क्या वे शहरों के प्रसूति गृह के बराबर इक्विपमेन्ट, दवाइयां और अच्छी लेडी डॉक्टरों से सुसज्जित हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण यह फिलहाल सम्भव नहीं है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में 18 प्रसूति गृह कार्यरत हैं। इनमें से 6 केन्द्र पचायत समिति मुख्यालय पर स्थित हैं। इनमें शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि राजस्थान की जन-संख्या को देखते हुए महिलाओं के लिये प्रसूति गृह खोलने का आधार कितनी प्रतिशत है इसके अलावा मन्त्री महोदय ने जो जवाब में कहा कि वित्तीय साधनों के

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
कारण तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर सदन में मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, वित्त मन्त्री जी बैठे हैं और चिकित्सा मन्त्री जी भी बैठे हैं तो क्या वह महिलाओं के लिये महिला जनसंख्या के आधार पर प्रसूति गृह नहीं खोले जा सकते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शायद शकुन्तला जी को यह शिकायत है कि पुरुषों के प्रसूति केन्द्र ज्यादा खोले जायं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय सप्लीमेन्ट्री का उत्तर दें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके प्रश्न का जवाब दे चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री केशरीमल !

राज्य में क्रमोन्नत स्कूल

218. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस शिक्षा सत्र 1975-76 में कितने प्राईमरी और मिडिल स्कूल खोले गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अजमेर जिले में इस सत्र में कितने स्कूल कहां कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य में इस सत्र में कितने प्राईमरी और मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अजमेर जिले में कितने प्राईमरी और मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि ब्यावर क्षेत्र के काबरा मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने का प्रार्थना-पत्र भी राज्य सरकार के पास आया था ? क्या यह भी सही है कि इस स्कूल में जितने मिडिल स्कूल के विद्यार्थी थे उतने विद्यार्थी और किसी स्कूल में नहीं थे ? यदि हां, तो इस स्कूल को क्रमोन्नत करने में क्या बाधा थी तथा ब्यावर क्षेत्र में बार बार मांग करने पर एक भी स्कूल को क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) सन् 1975-76 में प्राथमिक विद्यालय एक भी नहीं खोला गया तथा 50 मिडिल स्कूल खोले गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) एक स्कूल अजमेर शहर में खोला गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 50 प्राइमरी तथा 167 मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) 1 प्राईमरी तथा 6 मिडिल स्कूल क्रमोन्नत किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां, प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु यह सही नहीं कि इस स्कूल में जितने मिडिल पास विद्यार्थी थे उतने अन्य

(श्री फारूक हसन)
स्कूलों में नहीं थे। ब्यावर क्षेत्र से आए हुए प्रस्तावों में इसका पांचवा स्थान था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में कावरा मिडिल स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतने किसी ब्यावर के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और यहां पहले इस बारे में जो शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस स्कूल को क्रमोन्नत किया जायेगा, क्या कारण है कि इसको क्रमोन्नत नहीं किया गया ?

श्री फारूक हसन : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल क्रमोन्नत हों तो उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि मैंने प्रश्न संख्या पांच में जो जवाब दिया है उसमें मैंने बताया है कि उसका स्थान पांचवा स्थान था लेकिन अब अगर राज्य सरकार के सामने ब्यावर में मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने के बारे में कभी सवाल आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। (श्रीमती निर्मलाकुमारी से) आप क्या पूछना चाहती हैं ?

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : प्रश्न संख्या 219।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा कि आप कोई सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहती हैं। खैर प्रश्न पूछ लीजिये लेकिन सिर्फ प्रश्न का जवाब ही आयेगा कोई सप्लीमेन्ट्री आगे आप नहीं पूछेंगे।

बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़

219. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री की कितनी प्रतिशत सीमेन्ट डस्ट के रूप में उड़ती है ?

(2) डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट लगाने पर फैक्ट्री को कितना व्यय करना होगा ?

(3) क्या निकट भविष्य में डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट लगाने का फैक्ट्री का कोई विचार है ? यदि हां, तो यह प्लान्ट कब तक लगा दिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) कुछ भी नहीं।

(2) डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट लगा हुआ है।

(3) क्रम संख्या 2 में वर्णित तथ्य के कारण, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा फागी का प्रश्न तो ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप महिला बन सकते हैं क्या ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पिड़ावा में सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य

200. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिड़ावा कस्बे में काफी पुराने सरकारी भवन हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत आदि कार्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत है और इनकी मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी ?

उत्तर

पिड़ावा कस्बे के सरकारी भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं तथा इन भवनों की मरम्मत का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सामान की जरूरत

202. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना में जन स्वास्थ्य विभाग में कितने पी. वी. सी. पाइप, ए. पी. पाइप, बिजली के उपकरण तथा पम्प आदि की जरूरत पड़ेगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकांश मैकेनिकों व सिविल इंजीनियरों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में उपरोक्त सामान बनाने का कोई कारखाना खोलने का विचार रखती है ताकि इंजीनियरों का सदुपयोग हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है। अतः आवश्यक उपकरणों की सूची प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

कांकरोली का छात्रावास

208. श्री नानालाल (राजसमंद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के कांकरोली कस्बे में समाज कल्याण विभाग द्वारा एडेड छात्रावास कई वर्षों से चल रहा था जो इस वर्ष बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या इस क्षेत्र के छात्रों के लिये और कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

जी हां। उदयपुर जिले के कांकरोली कस्बे में समाज कल्याण विभाग के अनुदान से एक अनुदानित छात्रावास शैक्षणिक सत्र 1969-70 से चल रहा था जो कि

Page No 28

(28)

(समाज कल्याण मन्त्री)
संस्था ने इस सत्र से बन्द कर दिया है। इस क्षेत्र के छात्रों को उदयपुर जिले में संचालित अन्य राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नियमानुसार प्रवेश खुला है।

नोखा मण्डी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था

209. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नोखा मण्डी जिला बीकानेर के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति आज तक कभी हुई है? अगर नहीं हुई, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार नोखा अस्पताल में लेडी डॉक्टर व अन्य दो डॉक्टर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जून 1971 में डॉक्टर (कुमारी) कान्ता रानी चुग्गा को लगाया गया था।

(2) जी नहीं। फिलहाल ऐसा सम्भव नहीं है।

स्वयंपाठी छात्रों के परीक्षा केन्द्र

212. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वयंपाठी छात्रों के परीक्षा केन्द्र कहां-कहां पर हैं एवं किन-किन कारणों से ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाते हैं?

(2) ऐसे स्वयंपाठी छात्रों के परीक्षा केन्द्र नागौर राजकीय महाविद्यालय से हटाने के क्या-क्या कारण हैं?

(3) नागौर जिले के एक हजार से भी अधिक स्वयंपाठी छात्रों की सुविधा की दृष्टि से नागौर राजकीय महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र रखने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिये, जो इस वर्ष ग्रीष्मावकाश में होगी, 36 परीक्षा केन्द्र रखे गए हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन केन्द्रों का चुनाव पूर्व वर्ष में विभिन्न केन्द्रों पर स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रख कर किया गया है।

(2) स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा 1974 तथा 1975 में नियमित छात्रों के साथ हुई थी तथा स्वयंपाठी छात्रों के लिए अलग से परीक्षा केन्द्र स्थापित ही नहीं किए गए थे। अतः नागौर से स्वयंपाठी छात्रों का परीक्षा केन्द्र हटाए जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(3) नागौर जिले में स्वयंपाठी छात्रों के लिए 1977 से परीक्षाओं के लिए केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रश्न विश्वविद्यालय में विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पानी के कनेक्शन

214. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्रामीण जल-प्रदाय योजना में राज्य सरकार द्वारा निजी कनेक्शन देने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या विभाग द्वारा मांग होने पर कनेक्शन दिए जा सकते हैं ?

(2) ग्राम दूनी, आवां एवम् बनेड़ा जिला टोंक में इस प्रकार की क्या कोई मांग आई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनको निजी कनेक्शन देने की स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) पम्प व टैंक योजनाओं पर यदि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो तो निजी कनेक्शन देने की व्यवस्था है।

(2) जी हां। तीनों ग्रामों में निजी कनेक्शनों की मांग प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार ग्राम आवां में निजी कनेक्शन जून, 74 में दिये जा चुके हैं एवं ग्राम दूनी में उपलब्ध पाइप लाइनों में से निजी कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम बनेड़ा में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भिषगाचार्य पास व्यक्तियों को नौकरी

85. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि भिषगाचार्य पास राजस्थान में काफी संख्या में बेकार बैठे हैं ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि आयुर्वेदाचार्य पास करने में 50 प्रतिशत नम्बर लेने आवश्यक है जब कि भिषगाचार्य के लिये 40 प्रतिशित ही पासिंग मार्क्स थे ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि मेरिट लिस्ट बनाते समय इस अन्तर का भारी असर पड़ता है जिसका नुकसान भिषगाचार्य एप्लीकेन्ट्स को उठाना पड़ रहा है ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि आयुर्वेद एक ऐसी लाइन है जिसके पासशुदा को सिवाय इस लाइन के और किसी लाइन में नौकरी नहीं मिल सकती ?

(5) क्या 6 साल तक टेक्निकल भिषगाचार्य की शिक्षा लेने के बाद भी उनको सर्विस में न लेना अन्याय नहीं है ?

(6) क्या पुराने पासशुदाओं को पहले नौकरी देना परमावश्यक नहीं है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में भिषगाचार्य उत्तीर्ण 63 आशार्थी ऐसे हैं जिन्हें कि सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

(2) जनवरी, 1976 में उत्तीर्ण होने वाले भिषगाचार्य एवं आयुर्वेदाचार्य के लिए सैद्धान्तिक में 40 एवं प्रायोगिक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था। 1979 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। जनवरी, 1976 से भिषगाचार्य का शिक्षण बन्द कर दिया गया है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) जी नहीं। मैरिट लिस्ट प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जाती है अतः भिषगाचार्य अभ्यर्थियों को नुकसान उठाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) जी हां। किन्तु वैद्यों को राज्य सेवा के अतिरिक्त निजी फार्मेसियों, चिकित्सा संस्थाओं एवं स्वयं का व्यवसाय करने के अवसर उपलब्ध हैं।

(5) जितने पद रिक्त होते हैं उतने ही वैद्यों की नियुक्ति की जानी सम्भव होता है।

(6) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मैरिट फार्मूले के अनुसार नियुक्ति की जा रही है, जिसमें अंकों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं।

राज्य में स्टाम्प्स की व्यवस्था

86. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले पांच छः वर्षों से राजस्थान में नॉन-जुडिशियल स्टाम्प्स और दरख्वास्तों पर लगाये जाने वाले टिकिटों की आम तौर पर व विशेषकर जिला श्री गंगानगर में कमी रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नॉन-जुडिशियल स्टाम्प्स के बदले में नकद रकम जमा करवाने के सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी किया है उसको भी यहां लागू नहीं किया जा रहा है और उप-कोष क्षेत्रों में इनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस समय जिला श्री गंगानगर में 20 रुपये से कम का नॉन-जुडिशियल स्टाम्प नहीं मिल रहा है और दरख्वास्तों पर लगाये जाने वाले 15 पैसे व 25 पैसे व 50 पैसे के टिकिट भी उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसके लिये कोई स्थाई प्रबन्ध कर रही है और आज तक इस कमी के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत 5-6 वर्षों से राज्य में नॉन-जुडिशियल व जुडिशियल मुद्रांकों की विशेष कमी नही रही थी। गत दो वर्षों से अवश्य सामान्य रूप से लगभग सभी जिलों में नॉन-जुडिशियल मुद्रांकों की कमी अनुभव की गई।

(2) जी नहीं। जिन जिलों से स्टाम्प्स की कमी की सूचना प्राप्त होती है राज्य सरकार द्वारा वहां के जिलाधीश को मुद्रांक कर नकद में वसूली करने के आदेश जारी करने को अधिकृत कर दिया जाता है। जिलाधीश गंगानगर को भी राज्य सरकार द्वारा दि. 2-11-75 को अधिकृत किया गया और उन्होंने आदेश दि. 31-12-75 द्वारा जिले में मुद्रांक कर की नकद में वसूली दिनांक 1-1-76 से प्रारम्भ कर दी है। यह आदेश उप-कोषों पर भी लागू किया गया है।

(3) जी नहीं। दि. 1-12-75 से जिला गंगानगर में 20) रुपये से कम राशि के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प्स कोष कार्यालय एवम् उप-कोष कार्यालयों से जनता को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 15, 25 व 50 पैसे की टिकिटों की कमी अवश्य है

(वित्त मंत्री)
दि. 1-1-76 के बाद जनता को परेशानी होने की सम्भावना नहीं है।

समस्या का स्थाई समाधान नासिक प्रेस से स्टाम्प्स की आवक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार होने पर ही हो सकता है जिसके लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

जल प्रदाय योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि

87. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 75-76 में किन किन जल प्रदाय योजनाओं के लिये कितनी कितनी राशि प्रत्येक जिले में स्वीकृत की गई ?

(2) क्या उक्त स्वीकृत राशि में से अब तक कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए जनवरी व फरवरी तक विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि खर्च हो सकेगी? अगर नहीं, तो किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के लेप्स होने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि तारानगर-साहबा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की भांति बीकानेर जिले के करीब 190 गांवों की जल प्रदाय योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1975 में दी जा चुकी है? अगर हां, तो उक्त योजना की कुल कितनी अनुमानित लागत है तथा उनको पूरा करने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त उक्त योजनाओं के लिये उक्त विभिन्न योजनाओं में संभावित न खर्च हो सकने वाली राशि को न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की जिला समिति बीकानेर द्वारा राजस्थान नहर व लिफ्ट केनाल के जल स्रोतों के आधार पर क्रियान्विति के लिये स्वीकृत योजनाओं में से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) दिनांक 7 जनवरी, 76 तक वर्ष 75-76 में स्वीकृत की गई जलप्रदाय योजनाओं की सूची एवं इसके लिए स्वीकृत की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह संभव है कि किन्हीं जल प्रदाय योजनाओं पर उनके लिये स्वीकृत पूर्ण धन राशि खर्च न की जा सके। ऐसी स्थिति में वह धन राशि उसी जिले की किसी दूसरी योजना पर खर्च की जायेगी व उसको लेप्स नहीं होने दिया जायेगा।

(3) जी हां। जनवरी, 75 में कुछ संशोधनों के साथ योजना का सलाहकार जन स्वा. अभियान्त्रिकी, नई दिल्ली ने तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन किया है, योजना की कुल अनुमानित लागत 1973 के मूल्यों के आधार पर 5.51 करोड़ रु. है। जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार एवं धन राशि की उपलब्धि के अनुसार योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा सकेगा।

(4) योजनाओं को जो प्राथमिकता जिला आयोजना समिति द्वारा दी जायेगी

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
उसी प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नलकूपों से पेय जल की व्यवस्था

88. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या भूतल जल मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर व नागौर जिलों में भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में नलकूप बनाये गये व उनमें से जिनमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था उनको राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित किया गया? यदि हां, तो उपरोक्त नल कूपों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। प्रत्येक नलकूप में कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है उसकी भी जानकारी सदन को दें।

(2) उपरोक्त कितने नलकूप पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कार्य कर रहे हैं, कितनों से सिंचाई हो रही है व कितनों का उपयोग ही नहीं हो रहा है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के अन्वेषणात्मक नलकूप संस्थान द्वारा उनके अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित 11 नलकूप भू-जल विभाग को सुपुर्द किये गये थे। इसी संस्थान द्वारा निर्मित 39 नलकूप जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा भू-जल विभाग को इसलिए सुपुर्द किये गये कि उन नलकूपों का उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सके। इसके अतिरिक्त 33 नलकूप और लिये जाने का भारत सरकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है—जिलेवार सूची एवं उनकी क्षमता की सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से दी जाना संभव नहीं है।

(2) सुपुर्द किये गये 50 नलकूपों में से 18 सिंचाई के लिये प्रयोग में आ रहे हैं, 16 वापस जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पेय जल व्यवस्था हेतु दे दिये गये हैं, 1 नलकूप पेय जल व्यवस्था हेतु काम में आ रहा है, 1 पंक्चर हो जाने के कारण अनुपयोगी हो गया है तथा शेष 14 मांग न होने के कारण नहीं चलाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सूची दी जाना संभव नहीं है।

राज्य की वार्षिक योजना बनाने का आधार

89. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की वार्षिक योजना बनाने के लिए किन-किन आधारों को दृष्टिगत रखा जाता है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(2) क्या राज्य की सन् 1975-76 की वार्षिक योजना बनाते समय उन आधारों को ध्यान में रखा गया है और वांछित प्रक्रिया अपनाई गई है?

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
किन-किन आधारों पर क्या परिवर्तन कर स्वीकृति प्रदान की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार को अपनी वार्षिक योजना पर सन्तोष है ?

उत्तर

(1) राज्य की वार्षिक योजना तैयार करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:—

साधारणतया माह मई, जून में समस्त विभागों से आगामी वर्ष का नई परियोजनाओं तथा चालू वर्ष की योजनाओं का अगले वर्ष में कितना भार होगा (Committed Liability) की सूचना मंगाई जाती है तथा योजना से सम्बन्धित विभागों से उस संदर्भ में विचार विमर्श किया जाता है। वित्त विभाग आगामी योजना हेतु साधनों के अनुमान तैयार करने के लिए राजकीय उपकरणों से प्राप्त साधन, रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाली राशि, सार्वजनिक ऋण राशि आदि साधनों पर विचार करता है तथा योजना के लिए उपलब्ध होने वाले साधनों के अनुमान तैयार कर आयोजना विभाग को सूचित करता है।

आयोजना विभाग आगामी योजना के संदर्भ में मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन हेतु एक टिप्पण तैयार करता है, जिसमें योजना के आकार के आधार पर विभागों की सीलिंग निर्धारित की जाती है तथा उक्त सीलिंग मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् योजना से सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर दी जाती है, जिससे कि विस्तृत क्षेत्रवार योजना बनाई जा सके। विभागों से विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर योजना का प्रारूप तैयार कर योजना आयोग को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया जाता है। यह कार्य साधारणतः माह अक्टूबर-नवम्बर में किया जाता है।

इसके पश्चात् योजना आयोग में योजना के संदर्भ में विभिन्न कार्यकारी दलों की बैठक होती है तथा कार्यकारी दलों की बैठक के पश्चात् राज्य के मुख्य मन्त्री तथा योजना आयोग के मध्य विचार विमर्श होता है व राज्य की आगामी योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है।

(2) राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 को तैयार करते समय उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखा गया है तथा वांछित प्रक्रिया अपनाई गई है।

(3) राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 योजना आयोग को 98.50 करोड़ रुपयों की प्रस्तुत की गई थी। परन्तु मुख्य मन्त्री महोदय व योजना आयोग के मध्य विचार विमर्श के पश्चात् योजना का आकार 105.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। कृषि एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा जल व विद्युत् विकास के अन्तर्गत लगभग 9 करोड़ रुपयों की वृद्धि की गई तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं व अन्य के अन्तर्गत लगभग 2 करोड़ रुपयों की कमी की गई।

(4) राज्य सरकार द्वारा राज्य की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये योजना का आकार 110.84 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। यह वृद्धि

(योजना मंत्री)

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, (शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण व क्षेत्रीय विकास के लिए) योजनान्तर्गत अधिक राशि प्रदान करने के लिए की गई। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर व माही परियोजना तथा बाढ़ सहायता कार्यों के लिए 8.50 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 का आकार अब 119·34 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार को वार्षिक योजना 1975-76 के संदर्भ में संतोष है।

राजकीय माध्यमिक शाला लालसोट का पुस्तकालय

90. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय माध्यमिक शाला-लालसोट (जयपुर) में पुस्तकालय हेतु गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई? उक्त धनराशि से कितनी किस किस विषय व नाम की पुस्तकें खरीदी गई? कृपया मूल्य दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में जो पुस्तकें खरीदी गईं, वे सभी पुस्तकें अब पुस्तकालय में नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? कृपया गायब पुस्तकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। तथा क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

राजकीय माध्यमिक शाला लालसोट के प्रधानाध्यापक का निवास स्थान

91. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक शाला लालसोट (जयपुर) में जो भी प्रधानाध्यापक जाते हैं वे अपना निवास स्थान स्कूल भवन के कमरों में ही बना लेते हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा निरीक्षक, जयपुर के पास इस प्रकार की शिकायतें भी आई थीं पर आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त शाला में भवन के अभाव को देखते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रकार उसमें रहने को अनुचित मानती है? यदि हां, तो शाला भवन कब तक खाली करवा लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी हां। जांच कार्यवाही जारी है।

(3) वर्तमान में विद्यालय के कक्षा-वार एवं छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते

(शिक्षा मंत्री)
हुए भवन का अभाव नहीं है। जांच सम्पूर्ण होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई

92. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में जो माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं, उनमें कृषि, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक ज्ञान जैसा कोई छात्रों को आकर्षित करने वाला विषय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित विद्यालयों के छात्र ऐसे विषय पढ़ने से वंचित नहीं रहे हैं?

(2) क्या सरकार अब भी इन विद्यालयों में उपरोक्त विषय खोलने का अगले सत्र में विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करते समय सामान्यतया कला वर्ग खोला जाता है। फिर समुचित छात्र संख्या एवं स्थानीय मांग एवं उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार कृषि, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग खोलने पर विचार किया जाता है।

(2) स्थानीय मांग व उपलब्ध सुविधा एवं छात्रों की संख्या को देखते हुए गुणावगुण के आधार पर बजट प्रावधान होने की दशा में अन्य प्रस्तावों के साथ नए विषय खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जायगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सुरक्षित स्थान

93. श्री मूलचन्द सामरिया (दोसा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का पदोन्नति में सुरक्षित स्थान रखे जाने के बाद से अब तक इस योजना का कितने लोगों को लाभ मिला? सूची श्रेणीवार, विभागवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से अब तक कितने स्थान ऐसे रहे जिन पर योग्य व्यक्तियों के न मिलने के कारण उन्हें रिक्त रखा गया?

(3) इस योग्यता का क्या आधार है व इसका निर्धारण कौन करता है?

(4) क्या उक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य लोगों द्वारा की जावेगी?

(5) क्या इससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग प्रभावित नहीं होंगे? यदि नहीं, तो कैसे? यदि हां, तो सरकार इसकी पूर्ति किस प्रकार से करेगी?

(6) पदोन्नति में सुरक्षित स्थान रखने के कारण कितने राजपत्रित अधिकारियों को इसका लाभ मिला?

(7) क्या किसी आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस., आर. पी. एस., आर. जे. एस. आदि सेवाओं में रत

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिला ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(8) क्या सरकार पदोन्नति में आरक्षण को व्यवहारिक व अदूरदर्शितापूर्ण कदम मानती है ? यदि नहीं तो, इसे क्यों समाप्त किया जा रहा है ?

(9) क्या सरकार अन्तिम तौर से इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि वांछित संख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी वांछित योग्यता वाले नहीं मिल सकते ?

उत्तर

(1 व 2) वांछित सूचना जिन-जिन विभागों से प्राप्त हुई है, संकलित कर सूची संलग्न है । जिन विभागों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है, प्राप्त होने पर भेज दी जावेगी ।

(3) पदोन्नति के लिए योग्यता का आधार सम्बन्धित सेवा नियम, गोपनीय प्रतिवेदन, सेवा अभिलेख व कार्यक्षमता है । पदोन्नति का निर्धारण विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किया जाता है ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं, क्योंकि आरक्षित रिक्त स्थानों को तीन वर्ष के लिए आगे ले जाने का (केरी फॉरवर्ड करने का) प्रावधान है, जिससे इन जातियों के लोगों के आरक्षित स्थानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

(6) सूचना एकत्रित की जा रही है । प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(7) आई. ए. एस. एवं आई. पी. एस. सेवाओं के पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के बारे में राज्य सरकार के नियम लागू नहीं होते हैं, अतः उक्त योजना का लाभ इन सेवाओं में रत कर्मचारियों को दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता । बाकी सेवाओं में इस योजना का लाभ इस प्रकार दिया गया है:—

आर. ए. एस.	....	3
आर. जे. एस.	....	शून्य
आर. पी. एस.	....	1

(8) जी नहीं, समाप्त किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(9) जी नहीं । पदोन्नति में आरक्षण अभी चालू ही हुआ है, और धीरे-धीरे वांछित संख्या में वांछित योग्यता वाले इन जातियों के कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों की पूर्ति

94. श्री जयकिशनलाल गोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभागों में अनुसूचित

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों की पूर्ति निर्धारित प्रतिशत से अभी तक नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक विभाग के लिए पदों का सृजन करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों का बंटवारा निर्धारित प्रतिशत से नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार यह निर्णय लेगी कि पदों का सृजन करते समय ही प्रत्येक वर्तमान पदों पर आरक्षित पदों का निर्धारित प्रतिशत से बंटवारा कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

लालसोट प्रसूति गृह में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था

95. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) स्थित राजकीय प्रसूति गृह में गत कई महीनों से लेडी डॉक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार लेडी डॉक्टर के अभाव में प्रसूति महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रख कर शीघ्र ही लेडी डॉक्टर का पोस्टिंग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । महिला चिकित्सकों के अभाव के कारण लालसोट में महिला चिकित्सक का पद नहीं भरा गया है ।

(2) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र लालसोट (जयपुर) में दिनांक 9-1-76 को लेडी डॉक्टर नियुक्त कर दी गई है ।

विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों की व्यवस्था में सुधार

96. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य पथ परिवहन डिपो, जालोर एवं बाड़मेर की गाड़ियां जालोर–बाड़मेर, जालोर–जोधपुर, जालोर-फालना, जालोर-आबूरोड, बाड़मेर-आबूरोड वगैरह मार्गों पर समय पर नहीं चल रही हैं ? क्या यह भी सत्य है कि सिरोही एवं आबूरोड डिपो के मुकाबले उक्त डिपो की बसों का ब्रेक डाउन ज्यादा होता है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो पिछले 6 महीनों की तुलनात्मक स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रख कर स्पष्ट करने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त डिपो की भविष्य में व्यवस्था के सुधार के विषय में सरकार कब तक क्या-क्या कदम उठाना उपयुक्त समझेगी ? तथा इन डिपो पर जिला स्तरीय सतर्कता समितियां कब तक बना दी जावेंगी ?

(3) क्या निगम रानीवाड़ा–आबूरोड के बीच सिर्फ आबूरोड एवं सिरोही डिपो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
की बसें चलाना ही उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि जालोर एवं बाड़मेर में अभी तक निगम के स्थानीय वर्कशॉप स्थापित नहीं किए गए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब वहां वर्कशाप कब तक खोल दिये जाएंगे ?

(5) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा-सांचोर के बीच निगम की अभी तक अलग बस की व्यवस्था नहीं है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त रास्ते पर अलग बस व्यवस्था नहीं होने से रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को समय पर बस उपलब्ध नहीं होती? अगर हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था करना उचित समझा जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सत्य है कि अभी भीनमाल से जयपुर तक रात्रि बस सेवा उपलब्ध करवायी गयी है ? अगर हां, तो कब से ? क्या उक्त बस को आगे सांचोर तक बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सत्य है कि जालोर, फालना, जालोर-ऐरनपुरा एवं जालोर-जोधपुर बस रूटों पर अभी तक कुछ शीघ्रगामी बसों की व्यवस्था नहीं की गयी है ? अगर हां, तो क्यों ? अब शीघ्र गामी बसें उक्त रूटों पर कब से शुरू कर दी जावेंगी? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जालोर एवं बाड़मेर आगारों की गाड़ियां जो जालोर-बाड़मेर, जालोर-जोधपुर जालोर-फालना, जालोर-आबूरोड, बाड़मेर-आबूरोड आदि मार्गों पर औसतन 20 प्रतिशत मामलों में विलम्ब से आती जाती हैं।

आबूरोड आगार के मुकाबले जालोर एवं बाड़मेर आगारों की बसों का ब्रेक डाउन प्रतिशत कुछ अधिक है। सिरोही डिपो के मुकाबले जालोर आगार का ब्रेक डाउन प्रतिशत कम है। परन्तु बाड़मेर आगार का ब्रेक डाउन प्रतिशत ज्यादा है।

ब्रेक डाउन प्रतिशत अधिक होने का मुख्य कारण जालोर एवं बाड़मेर आगारों की स्थापना के साथ-साथ उपयुक्त वर्कशॉप का न होना है। अब इन दोनों ही आगारों में वर्कशॉप के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है, एवं निर्माण कराया जा रहा है। बाड़मेर में कार्यशाला का निर्माण मार्च, 1976 तक एवं जालोर में सन् 76-77 में पूर्ण किया जायेगा। ब्रेक डाउन की तुलनात्मक स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त डिपोज की भविष्य में व्यवस्था सुधार के लिए आगार कार्यशाला एवं आगार कार्यालय के निर्माण पूर्ण कराये जाने के लिए शीघ्रता की जा रही है। इन आगारों पर क्षेत्रीय स्तर पर यातायात सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इन आगारों को जोधपुर क्षेत्रीय यातायात सलाहकार समितियों में सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी यातायात समन्वय समितियों का गठन किया गया है जो प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर

(यातायात मंत्री)

जिलाधीश की अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं। निगम के डिपो मैनेजर इस समिति के सदस्य हैं। राज्य सरकार का सतर्कता समितियां बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) रानीवाड़ा एवं आबूरोड के बीच सिरोही एव आबूरोड आगार की बसें ही संचालित की जा रही हैं।

(4) जालोर एवं बाड़मेर में किराये की भूमि लेकर अस्थाई तौर पर साधारण मरम्मत के लिए कार्यशालायें खोली हुई हैं।

बाड़मेर में वर्कशॉप मार्च, 1976 तक एवं जालौर में मार्च, 77 तक निगम द्वारा निर्मित कर दिये जावेंगे।

(5) रानीवाड़ा एवं सांचोर के बीच शटल बस नहीं चलाई गई है, लेकिन रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन के यात्रियों को रेल के समय पर बड़गांव, भीनमाल एवं मण्डार के लिए सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। रानीवाड़ा एवं सांचोर के बीच लम्बे मार्गों से 10 अप व 10 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं। रानीवाड़ा पर रेल के यात्रियं को बस सम्बन्धी असुविधा नहीं है।

(6) जी हां, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 से। अब यह सेवा बन्द कर दी गई है। यह व्यवस्था वापस चालू कराने की व्यवस्था की जा रही है। उक्त बस को सांचोर तक बढ़ाने बाबत निर्णय विचाराधीन है।

(7) जी हां। शीघ्रगामी बसों को नियमानुसार 40 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं रोका जा सकता। अभी इन मार्गों पर शीघ्रगामी बसें संचालित किये जाने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ए. के. शफाखाना ब्यावर में
एक्स-रे फिल्म की व्यवस्था

97. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के ए. के. शफाखाने में एक्स-रे फिल्मों की कई महीनों से भारी कमी है और इसकी वजह से आम जनता को अपने एक्स-रे कराने के लिए अजमेर और ब्यावर के प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो यह अव्यवस्था क्यों है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी डॉक्टरों ने प्राइवेट डॉक्टरों से मिलकर इसका भी एक धन्धा शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिल्म की व्यवस्था कर इस गलत धंधे को बन्द करायेगी ?

(3) फिल्मों की पूरी व्यवस्था न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि आयन्दा ऐसी कमी फिर न हो ?

उत्तर

(1) जी हां। फर्म द्वारा सप्लाई नहीं किये जाने के कारण असुविधा हुई है।

(2) जी नहीं। सरकारी डॉक्टरों से प्राइवेट डॉक्टरों की कोई मिली भगत नहीं है।

Page No 40

(40)

(स्वास्थ्य मंत्री)

(3) सीमित बजट प्रावधान में आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

बाड़मेर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

98. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्शन कुल कितने लोगों को मिल रही है? सूची मय नाम एवं पतों के तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विषय में किन किन की दरख्वास्तें पेन्डिंग हैं? तहसीलवार सूची मय नाम एवं पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त दरख्वास्तों पर कब तक निर्णय कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में कुल 221 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है। सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले में 25 प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग हैं। सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पेन्डिंग प्रार्थना-पत्रों की जाच पूर्ण होने पर निर्णय शीघ्र ही करा दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रांट एवं लेडी बर्ड एल्यूमिनियम कण्डक्टर की खरीद

99. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के पास 1-4-74 को ग्रांट एवं लेडी बर्ड एल्यूमिनियम कण्डक्टर का कितना स्टॉक था और उसके पश्चात् इस प्रकार का कितना कण्डक्टर प्रति माह दिनांक 31-12-74 तक किस-किस फर्म से किस भाव खरीदा गया एवं उपयोग में लाया गया? कृपया इसकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्रकार के कण्डक्टर की स्टोर से किस सिद्धान्त पर "इश्यू प्राइस" निश्चय की जाती है और इस सिद्धान्त के आधार पर उपरोक्त महीनों में ग्रांट एवं लेडी बर्ड की इश्यू प्राइस कब-कब और कितनी-कितनी निश्चय की गई?

(3) लेडी बर्ड एल्यूमिनियम कण्डक्टर की खरीद एवं उपयोग कब से बन्द किया गया और क्यों?

(4) क्या यह सत्य है कि दिनांक 1-4-74 से अब तक लेडी बर्ड कण्डक्टर की लागत मूल्य 2,000) रु. प्रति किलोमीटर के लगभग होते हुए भी, मण्डल के स्टोर मे इश्यू प्राइस की सूची में 1000) रु.

(श्री अमृतलाल गहलोत)
प्रति किलोमीटर के लगभग दर्शाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के पास 1-4-1974 को ग्रांट और लेडी बर्ड कण्डक्टर का स्टॉक इस प्रकार था:—

ग्रांट	27.300 किलो मीटर
लेडी बर्ड	

1-4-74 से 31-12-74 तक जितना कण्डक्टर जिस-जिस फर्म से खरीदा गया उसका विवरण सूची 'अ' में संलग्न है। इस समयावधि में उपयोग में लाये गये कण्डक्टर का विवरण सूची 'ब' में संलग्न है।

(2) नवम्बर, 1974 से पहिले सामान वेचने की दर सहायक भण्डार निगम, जो उनके पास सामान आता था उसकी कीमत के आधार पर औसत कीमत लगा कर निश्चित करते थे। नवम्बर, 1974 से वितरण दर सब जगह आये हुये सामान की औसत दर के हिसाब से भण्डार निगम निश्चित करते हैं। अब वितरण दर हर प्रथम मई एवं प्रथम नवम्बर को वर्ष में दो बार निश्चित की जाती है। अब तक जो दरें निश्चित की गई हैं वे इस प्रकार हैं:—

दर निश्चित करने का समय	'लेडी बर्ड की' दर प्रति कि. मीटर	'ग्रांट' की दर प्रति कि. मीटर
1 नवम्बर, 1974	980.00	2,354.00
1 अप्रेल, 1975	980.00	2,350.00
1 नवम्बर, 1975	—	2,460.00

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण के विषय में जो सामान प्रयोग में लाया जाता है उसको स्टैण्डराइज्ड कर ने के लिए जो कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें 'लेडी बर्ड' कण्डक्टर का प्रयोग बन्द करने की सिफारिश की गई थी, तथा 'ग्रांट' और 'नेट' कण्डक्टर के प्रयोग को अपनाया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने इस निश्चय को 1973-74 में क्रियान्वित किया और 1-4-74 से 'लेडी बर्ड' कण्डक्टर का कोई क्रय आदेश नहीं दिया गया।

(4) 1972 एवं 1973 में जो भी 'लेडी बर्ड' कन्डक्टर आया है वह 925/-रु. प्रति किलोमीटर से लेकर 966/- रु. प्रति किलोमीटर की दर से खरीदा गया था। इस कारण से लेडी बर्ड कण्डक्टर की वितरण दर (Issue rate) 980/- रु. दिखाई गई जिसमें किराया व सेल्स टैक्स भी जो राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल खरीदते समय देता है, वह शामिल है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ए. आर सी स्कीम को आर. ई. सी. स्कीम से जोड़ने की व्यवस्था

100. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान में जहां ए. आर. सी. स्कीम चल रही है उस क्षेत्र को आर. ई. सी. से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ?

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) इन स्कीमों में से कहां-कहां यह जोड़ दी गयी हैं और भविष्य में कितनी और योजनाएं विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां-जहां तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा।

(2) वर्तमान में 15 क्षेत्रों में ए. आर. सी. एवं आर. ई. सी. स्कीमें साथ-साथ स्वीकृत/चल रही हैं। सूची 'ए' संलग्न है। भविष्य का निर्णय तकनीकी साध्यता पर निर्भर होगा, जिसके लिए राज्य स्तर पर गठित समिति समय-समय पर निर्णय लेती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

जयपुर एवं टौंक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था

101. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में मार्च, 1972 से अब तक कितने गांव विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं और इनमें से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तिथि से अब तक कितने कुओं को विद्युत् उपलब्ध कराई जा चुकी है और कितनी दरख्वास्तें कब-कब से विचाराधीन है ? और इन्हें कब तक विद्युत् उपलब्ध करा दी जावेगी ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर व टौंक जिले में विद्युतीकरण हेतु मार्च, 1972 से अब तक कितने-कितने गांव किस-किस तहसील से स्वीकृत हुए और उनमें कब कब विद्युतीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर तहसील-वाइज रखें।

(4) जयपुर व टौंक के कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण हेतु इस वर्ष स्वीकृति हेतु सरकार के पास विचाराधीन हैं जिन्हें इस वर्ष स्वीकृत करना है ? सूची सदन की मेज पर तहसील-वाइज रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में मार्च, 1972 से अब तक 4,415 गांवों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया जिनमें से 2,572 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिलेवार संख्या बताते हुए सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त तिथि से अब तक 40,120 कुओं को विद्युत् उपलब्ध कराई जा चुकी है। विचाराधीन दरख्वास्तें उप-खण्डों में ही रखी जाती हैं इनके बारे में सूचना संकलित नहीं की जाती।

(3) जयपुर व टौंक जिले में विद्युतीकरण के लिए मार्च, 1972 से अब तक 516 गांव तहसीलवार स्वीकृत हुए हैं। सूची 'बी' संलग्न है।

(4) जयपुर व टौंक जिले में विद्युतीकरण हेतु जो योजनायें इस वर्ष स्वीकृत हुई हैं उनकी सूची 'सी' संलग्न है। इन जिलों में कोई अन्य योजना चालू वित्त वर्ष में स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में सिंचाई रेट

102. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में लूणी नदी नेयड़ क्षेत्र में इनन्डेशन बांधों के कारण सेवज काश्त क्षेत्र पर पांच रुपये प्रति एकड़ सिंचाई रेट लगाने का सरकार का विचार है? अगर हां, तो क्यों एवं किस आधार पर?

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी ऊंची रेट काश्तकारों से सेवज रबी फसल की चार्ज करना उचित नहीं है? अगर हां, तो क्या सरकार वाजिब रेट लगाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कितनी एवं उक्त रेट का निर्धारण किन-किन आधारों पर किया जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि सेवज रेट सैटलमेंट द्वारा रेल 1, 2 एवं 3 निर्धारण किया जा चुका है? यदि हां, तो फिर इतनी ऊंची दर दुबारा लगाना कहां तक उचित है एवं उसका निर्धारण एवं असेसमेंट किस प्रकार किया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि बांधों की वजह से इनन्डेशन बदलता रहता है एवं सेवज क्षेत्र बदलता रहता है एवं स्थिर नहीं रहता एवं रबी फसल भी पानी आने पर कभी-कभी होती है? अगर हां, तो सिंचित क्षेत्र स्थाई न होने से वसूली मतालबा किस प्रकार निर्धारित किया जावेगा?

(5) क्या यह भी सही है कि इतनी ऊंची दर की काश्तकारों से वसूली किसी भी प्रकार नहीं की जा सकेगी? अगर हां, तो इस बारे में उचित निर्णय कब तक लिया जा सकेगा ताकि काश्तकारों में व्याप्त असन्तोष दूर किया जा सके?

(6) क्या यह भी सही है कि अभी तक ऐसी वसूली के लिए फिक्स्ड क्षेत्र भी निर्धारित नहीं किया गया है? अगर हां, तो अन्धाधुन्ध क्षेत्र लगाकर उक्त ऊंची दर से मतालबा लगाकर काश्तकारों से वसूली करना कहां तक उचित है? अगर अनुचित है तो इस बारे में सही निर्णय कब तक कर दिया जावेगा?

(7) क्या यह भी सही है कि लूनी इनन्डेशन बांधों से सिंचाई वास्तव में नहीं होती एवं कुदरती रूप से पानी फैलने से सेवज रबी फसल नदी का पानी आने पर ही कभी-कभी होती है? अगर हां, तो प्रति एकड़ 5 रु. रेट से वसूली किस प्रकार की जा सकेगी? क्या इससे खर्चा अधिक एवं आमदनी कम होने की सम्भावना है? अगर हां, तो उक्त वसूली नहीं करने का क्या सरकार शीघ्र निर्णय लेना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस समय सेवज काश्त क्षेत्र पर भी दूसरे क्षेत्रों के अनुसार बोई गई फसल के आधार पर ही सिंचाई रेट लगाया जाता है। जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(2) मामला विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(सिंचाई मंत्री)

रेल 1, 2, 3 जमीन किस्में हैं जिन पर भू-राजस्व निर्धारित है। इसका सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं। सिंचाई कार्यों से सेवज होने पर सिंचाई कार्यों द्वारा जिस क्षेत्र पर पानी फिर जाता है उसका निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है और दरों के अनुसार असेसमेन्ट कर दिया जाता है।

(4) सिंचाई बांधों के द्वारा इनन्डेशन क्षेत्र बदलता नहीं है। बांध में प्राप्त पानी के आधार पर कम अथवा अधिक होता है। जितने क्षेत्र को लाभ पहुंचता है वह ही क्षेत्र सिंचाई शुल्क के लिए निर्धारित किया जाता है।

(5) मामला विचाराधीन है।

(6) यह लघु सिंचाई योजनायें हैं जिनमें कि इनन्डेशन क्षेत्र का फिक्स होना जल भरने पर निर्भर करता है यह सही नहीं है कि अन्धाधुन्ध क्षेत्र पर सिंचाई की वसूली जावेगी। सिंचाई दर उसी भूमि पर लगायी जाती है जो भूमि इन बांधों द्वारा लाभान्वित होती है। सिंचाई की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दर उचित है।

(7) जी नहीं।

प्राकृतिक रूप से पानी फैलने पर इतनी सेवज सम्भव नहीं है जितनी इन सिंचाई बांधों के कारण है। इन बांधों के द्वारा अधिक समय तक क्षेत्र में पानी फैलता है और सिंचाई शुल्क उस क्षेत्र पर निर्धारित किया जाता है जो इस प्रकार लाभान्वित हो जाता है।

सांगानेर क्षेत्र में दिये गये बिजली के कनेक्शन

103. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर (जयपुर) में श्री डी. पी. शर्मा नामक सहायक अभियन्ता कार्य करते रहे हैं? यदि हां, तो किस तारीख से किस तारीख तक?

(2) उक्त श्री शर्मा, सहायक अभियन्ता के कार्यकाल में सांगानेर क्षेत्र में कितने अस्वीकृत गांवों को स्वीकृत गांवों से बिजली दी गई? कृपया निम्न तालिका के आधार पर उक्त कनेक्शनों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें:—

1. प्रार्थी के नाम व प्रार्थना-पत्र का तारीख (अलग अलग प्रार्थियों के नाम सहित)।

2. एस्टीमेट की तारीख।

3. एस्टीमेट बन कर आने की तारीख।

4. एस्टीमेट स्वीकृति हेतु जयपुर भेजने की तारीख।

5. जयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख।

6. डिमांड जारी होने की तारीख।

7. डिमांड जमा होने की तारीख।

8. वर्कआॅर्डर की तारीख।

9. वर्क कम्पलीट होने की तारीख।

(श्री मीठालाल मीणा)

10. कनेक्शन देने की तारीख।

(3) उक्त श्री शर्मा के कार्यकाल में कितने नये ट्रान्सफार्मर किन-किन गांवों में रखे गये ? नये ट्रान्सफार्मरों से स्वीकृत गांवों के कितने व अस्वीकृत गांवों के कितने कुए जोड़ गये ? ट्रान्सफार्मरों से आगे स्वीकृत गांव की कितनी दूरी है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त कार्यों में जो अनियमितता बरती गई हैं उसके लिये राज्य सरकार ने श्री शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री डी. पी. शर्मा दिनांक 28-7-71 से 18-5-72 तक सहायक अभियन्ता, सांगानेर के पद पर रहे।

(2) 40 अस्वीकृत गांवों में स्वीकृत गांव से कृषि कनेक्शन दिये गये। चाहे गये प्रोफार्मा में वांछित सूचना एकत्र करने में समय लगेगा।

(3) 70 नये ट्रान्सफार्मर उक्त अवधि में इस क्षेत्र में लगाये गये। इनमें 538 कृषि कनेक्शन स्वीकृत गांवों में व 74 कृषि कनेक्शन अस्वीकृत गांवों में दिये गये। ट्रान्सफार्मर से आगे स्वीकृत गांवों की दूरी का माप रखने का कोई प्रोसीजर नहीं है।

(4) कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी जांच चालू है।

चाकसू एवं फागी तहसील को लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे

104. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील चाकसू एवं फागी में लघु सिंचाई योजना का कब सर्वे किया गया ?

(2) यदि नहीं, तो अब कब तक सर्वे कराने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील चाकसू में लघु सिंचाई योजना खेजड़ी एवं तहसील फागी में गोकुलपुरा का सर्वे सन् 74-75 में कराया गया था।

(2) सर्वे करा लिया गया है।

मनोहरथाना क्षेत्र में पुलियाओं का निर्माण

105. श्री भेरूलाल (अकलेरा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मनोहरथाना जिला (झालावाड़) बीनागंज (एम. पी.) रोड पर राजस्थान सीमा में चार ऐसे नाले हैं जिन पर पुलियाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नालों पर पुलियाओं के अपूर्ण निर्माण के कारण इस रोड पर चलने वाली बसें बरसात में बन्द हो जाती हैं ?

(श्री भैंरूलाल)

(3) क्या यह भी सही है कि मनोहरथाना क्षेत्र के निवासियों को बरसात में इसी रोड पर होकर ही अधिकतर आना जाना होता है और बरसात में बसों के बन्द होने के कारण आवागमन में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना कर पैदल ही आना-जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या सरकार इन नालों के अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूरा कराने का विचार रखती है और कब तक इनका निर्माण कार्य संपन्न करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) मनोहरथाना बीनागन्ज रोड के चार नालों पर पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है ।

(2) अधिक वर्षा होने पर बसों एवं यातायात की कठिनाई स्वाभाविक है ।

(3) विभाग इस समस्या को हल करना चाहता है, किन्तु धनाभाव के कारण उक्त पुलियों का निर्माण कार्य अभी सम्भव नहीं हुआ है ।

चाकसू तहसील के ग्रामों में बिजली की व्यवस्था

106. श्री जयकिशनलाल तोलावड़ा (फागी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चाकसू तहसील में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में और कौन से ग्रामों का विद्युतीकरण करना चाहती है ?

उत्तर

(1) चाकसू तहसील के 14 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है सूची संलग्न है ।

(2) धनाभाव की वर्तमान स्थिति में अभी किसी ग्राम के विद्युतीकरण का निश्चय नहीं किया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

लालसोट के जे. ई. एन. के विरुद्ध शिकायतें

107. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लालसोट (जयपुर) के कनिष्ठ अभियन्ता (जे. ई. एन.) श्री बदवा ने कार्यालय का कार्यभार किस तारीख से सम्भाला ? उस दिन से आज तक श्री बदवा ने कितने कनेक्शन्स के एस्टीमेट्स (अग्रिम धनराशि योजना सहित) बनायें ?

(2) इनमें से कितनों को पुनः बनाना पड़ा व इनमें कितनी-कितनी धनराशि का अन्तर रहा ? प्रत्येक की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या श्री बदवा द्वारा जो एस्टीमेट्स बनाये गये उनके कनेक्शन फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व के आधार पर ही दिये गये या कुछ

(श्री मीठालाल मीणा)

परिवर्तन के साथ ? यदि परिवर्तन किया गया तो किस-किस के ? नाम, पता व परिवर्तन का कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि लालसोट की जनता व उनके कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से श्री बदवा के विरुद्ध लगातार शिकायतें करने के उपरान्त भी आज तक उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री बधवा (जे. ई. एन.) ने कार्य भार दिनांक 5-3-74 को संभाला था। श्री बधवा के कार्यकाल में कुल 545 एस्टीमेट बने।

(2) केवल 45 एस्टीमेटस रिवाइज करने पड़े जिनकी सूची (ए) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सभी कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर ही स्वीकृत किये गये और उसी प्रकार कनेक्शन लगे। केवल 4 घरेलू कनेक्शनों में कुछ देरी हुई है। कारण सहित सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

सिचाई की रेट्स

108. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सिचाई की नई विभिन्न रेट्स क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि छोटे बांध जो सिचाई के लिए केवल एक ही दफा पानी देते हैं उनसे पिलाई की पूरी रेट वसूल की जावेगी ?

(3) बड़े बांधों के कमाण्ड एरिया में पानी देने वाले छोटे बांधों की पिलाई भूमि जो केवल एक बार छोटे बांध से पिलाई गई है फिर बड़े बांध से पिलाई गई है, क्या उन काश्तकारों से दो पिलाइयां एक ही भूमि की वसूल की जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील के बांधों की पिलाई पटवारी दर्ज करता है व वसूल करता है ? बड़े बांधों की पिलाई सिंचाई विभाग दर्ज करता है व वसूल करता है ? यदि हां, तो इस प्रकार छोटे व बड़े बांधों का कमाण्ड एरिया एक ही होने के कारण सिचाई विभाग व राजस्व विभाग अलग-अलग एक भूमि व एक ही फसल की पिलाई दर्ज कर वसूल कर रहे हैं, तो क्या यह उचित है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। उनसे सिंचित ऐसे क्षेत्र पर नियमानुसार एक ही पानी की दर से पिलाई वसूल की जावेगी।

(सिंचाई मंत्री)

(3) सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है परन्तु कुछ क्षेत्र में ऐसी समस्या का समाधान विचाराधीन है।

(4) उपरोक्त अनुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

कौंसली-चौलाई सड़क पर डामर का कार्य

109. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील की कौंसली से चौलाई सड़क पर डामर डालने के टेन्डर आमंत्रित हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब और अब तक कितना कार्य हुआ है ?

उत्तर

सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, उपखण्ड शाहपुरा ने वर्ष 1975 में एप्रोच रोड कौंसली ग्राम के डामर कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित किये थे, किन्तु धनाभाव के कारण टेण्डर स्वीकृत नहीं किये जा सके।

बाडमेर जिले की सड़कों पर डामर डालने का कार्य

110. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) जिला बाड़मेर में गत वर्ष आरम्भ की गयी पक्की सड़कों में से किस सड़क के कितने भाग पर मेटल कुटाई का कार्य पूर्ण होने पर भी डामर बिछाने का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कौनसा कार्य इस वर्ष पूरा किया जा सकेगा ? तथा शेष के विषय में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची प्रस्तुत है।

(2) धनाभाव के कारण वर्ष 75-76 में आगे इन सड़कों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जयपुर जिले को सड़कों पर व्यय की गई राशि

111. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर जिले में जनवरी, 1972 से अब तक कौन-कौन सी तहसील में किन-किन सड़कों पर अकाल राहत कार्यों में, क्रेश प्रोग्राम में व एम. एन. पी. में तथा विभाग द्वारा कितना कितना रुपया खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग में तहसीलवार व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अकाल राहत कार्यों,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कैश प्रोग्राम व एम. एन. पी. योजना के अन्तर्गत सड़कों पर व्यय की गई धनराशि की सूचना संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

विराट नगर क्षेत्र की सड़कों पर व्यय की गई राशि

112. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराट नगर क्षेत्र में विभागीय, अकाल राहत कार्यों तथा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेकों सड़कों पर विगत 15 वर्ष से कार्य हो रहे हैं ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस सड़क पर किस-किस मद से कार्य प्रारम्भ किया गया और कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा अब इन सड़कों को पूरा करने का कब तक विचार है ?

(2) क्या यह सच है कि वर्ष 72-73, 73-74, 74-75 तथा 75-76 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस क्षेत्र में सड़कों के कार्य प्रारम्भ किये गये ? यदि हां, तो किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी धनराशि मेटेरियल पर तथा मजदूरी पर व्यय की गई ? पृथक्-पृथक् सूचना सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सच है कि इन सड़कों पर पड़ा हुआ मेटेरियल चोरी चला गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना तथा उसका क्या प्रबन्ध किया गया ?

उत्तर

(1) विराट नगर क्षेत्र में गत 15 वर्षों में वर्ष 1972-73, 73-74 एवम् 75-76 में अकाल राहत कार्य कराये हैं, जिन पर व्यय की गई धनराशि की सूची (अ) संलग्न है।

(2) वर्ष 74-75 में अकाल राहत कार्य विराट नगर क्षेत्र में नहीं हुए हैं। वांछित सूचना सड़कवार वर्ष 72-73, 73-74 तथा 75-76 की सूची (ब) संलग्न है।

(3) मनोहरपुर मेड, साईवाड बाड़ी जोड़ी तथा साईवाड किशनगढ़ रोड पर पड़ा मेटेरियल चोरी हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस थाना, शाहपुरा तथा सर्किल इन्सपेक्टर, कोटपूतली को दे दी है। पुलिस जांच परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं। बिखरे मेटेरियल की मात्रा की जानकारी की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)।

कोटपूतली में विश्राम गृह की व्यवस्था

113. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली में कोई सार्वजनिक विश्राम गृह नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि विश्राम गृह के लिये जमीन अवाप्त करने की कार्यवाही चालू है ? यदि हां, तो राज्य

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
सरकार कब निर्माण कार्य शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह नहीं है।

(2) भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही चालू है। कोटपूतली राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित होने के कारण भारत सरकार से प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

दिवंगत श्री हनुवन्तसिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : श्री हनुवन्तसिंह इस विधान सभा के माननीय सदस्य रहे हैं। यह पहले ही सत्र 1952 से 57 तक के सदस्य रहे हैं। जैसलमेर से आये थे। अच्छे कार्यकर्ता थे। फौज के आदमी थे एवं सीधे और सच्चे आदमी थे। उनका देहान्त हो गया है। सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सब ही खड़े होकर दो मिनिट के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर श्रद्धांजलि अर्पित की)

(विराम)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिनियम

श्री फारूक हसन (राज्य मंत्री, विधि): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत राजस्थान गौ पालन विनियमन अधिनियम, 1956 के परिशोधित पाठ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं।

(ख) अधिसूचनाएं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 1 से 10 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या प. 9(10) गृह ग्रुप 7/75, दिनांक 23 सितम्बर, 1975।

(2) अधिसूचना संख्या प.1(3)(55) परि/74, दिनांक 22 जुलाई, 1975।

(3) अधिसूचना संख्या प.9(1) गृह/ग्रुप 7/75, दिनांक 30 अप्रेल, 1975।

(4) अधिसूचना संख्या प. 9(1) गृह/ग्रुप 7/75, दिनांक 4 जून, 1975।

(5) अधिसूचना संख्या प. 9(1) गृह/ग्रुप 7/75, दिनांक 21 अक्टूबर, 1975।

(6) अधिसूचना संख्या प. 1 (5) गृह/ग्रुप 7/75, दिनांक 10 अप्रेल, 1975।

(7) अधिसूचना संख्या प.1(3)68/परि/74, दिनांक 5 अप्रेल, 1975।

(श्री मोहनलाल छंगाणी).

(8) अधिसूचना संख्या प.1(9) (21) परि/74, दिनांक 12 सितम्बर, 1975।

(9) अधिसूचना संख्या प. 1(3) (29) परि/74, दिनांक 17 मई, 1975।

(10) अधिसूचना संख्या प.1/(3) (4) परि/ 74, दिनांक 17 मई, 1975।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री भीखा भाई !

(अनुपस्थित)

कई माननीय सदस्य : (श्री भीखा भाई के सदन में प्रवेश करने पर) वे आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगों का उपस्थापन।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1975-76 और अतिरेक मांगें 1970-71 का उपस्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं 1975-76 के लिये अनुपूरक मांग (प्रथम संकलन) और 1970 71 के लिये अतिरेक मांगों के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीखा भाई !

समिति का प्रतिवेदन अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री भीखाभाई : (सभापति, अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति) अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति 1975-76 का आदिवासी छात्रावास सम्बन्धी तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के बंद रहने से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, और उसके सम्बन्ध में ? और भी लोग हैं। निवेदन यह है कि आज कमोबेश 7 महीने होने आये सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द है। पांच हजार मजदूर बेकार हैं।

श्री अध्यक्ष . इसमें केवल ध्यानाकर्षण करना है। उत्तर आयेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं ध्यानाकर्षित करता हूं नियम 131 के अन्तर्गत। चूंकि लिखा हुआ नहीं आया था इसलिए यह हुआ। सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द पड़ी है उसके लिए आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सरकुलेट हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री): सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के गत 9 सितम्बर, 1975 से बन्द रहने के सम्बन्ध में, सर्व श्री मोहम्मद गफ्फारअली, श्रीराम

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
गोटेवाला, रामानन्द अग्रवाल, मीठालाल मीणा तथा मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वांछित सूचना नियमानुसार है:—

फैक्ट्री दिनांक 9 सितम्बर, 1975 से वित्तीय कारणों से बन्द पड़ी हुई है। इसके फलस्वरूप, राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार, लगभग 4,112 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इसमें 2,067 श्रमिक फैक्ट्री के, 1,995 श्रमिक खानों के और 450 श्रमिक विभिन्न ठेकेदारों के सम्मिलित हैं। फैक्ट्री चालू है परन्तु कार्य अभाव के कारण, यद्यपि श्रमिक प्रतिदिन फैक्ट्री में जाते हैं परन्तु कार्य नहीं होने के कारण बैठे रहते हैं। फैक्ट्री के श्रमिकों के द्वारा ना तो ले ऑफ किया गया है और न ही फैक्ट्री का क्लोजर किया गया है। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को माह जुलाई, 1975 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रयासों से श्रमिकों को विभिन्न त्योहारों पर निम्न भुगतान अन्तरिम रूप में किया गया है :

(1) मुस्लिम कर्मचारियों को ईद के अवसर पर 50 रुपये प्रति कर्मचारी भुगतान किया गया है।

(2) दशहरा के अवसर पर (मुस्लिम कर्मचारियों को छोड़ कर) अन्य कर्मचारियों को 30) रु. प्रति कर्मचारी भुगतान किया गया।

(3) दीपावली के अवसर पर जिलाधीश द्वारा फैक्ट्री में पड़ी हुई सीमेन्ट को बेच कर 75) रु. प्रति कर्मचारी भुगतान किया गया।

(4) इसी अवसर पर फैक्ट्री के प्रबंधकों द्वारा भी 30) रु. प्रति कर्मचारी को भुगतान किया गया।

(5) इसके अतिरिक्त श्रमिकों को जुलाई, 1975 से अगस्त, 1975 तक के महीनों में प्रबन्धकों द्वारा 20) से 30) रु. प्रति श्रमिक अग्रिम भुगतान भी किया गया है।

फैक्ट्री के प्रबन्धकों की देनदारी दो करोड़ 50 लाख रुपये के आसपास है। इसमें राज्य सरकार का ऋण 31.66 लाख, राजस्थान वित्त निगम का बकाया 7 लाख 20 हजार 738 रु. तथा ब्याज की रकम लगभग 12 लाख है। श्रमिकों के वेतन की रकम माह जुलाई से दिसम्बर, 1975 तक लगभग 90 लाख रु. बनती है। इसके अतिरिक्त 12 लाख विद्युत् मण्डल के बकाया बताये जाते हैं। प्रोविडेन्ट फण्ड, ई. एस. आई., सी. डी. एस., एल. आई. सी. तथा औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकानों के मासिक किराये की बकाया किश्तों की देय राशि लगभग 98 लाख रु. बनती है। इसमें पी. एफ. की राशि 6 लाख 74 हजार के लगभग है। शेष ई. एस. आई., सी. डी. एस. इत्यादि के हैं।

इस फैक्ट्री के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 500) रु. प्रतिमास से अधिक होने के कारण, श्रम विभाग द्वारा पेमेन्ट ऑफ वेजेज अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को कोई राहत नहीं दी जा सकी। परन्तु भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 75 में उक्त अधिनियम में संशोधन कर उक्त राशि को 400) रु. की दर को बढ़ा कर 1000) रु.

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

प्रति माह कर दिया है। इस संशोधन के पश्चात् श्रमिकों द्वारा बकाया वेतन के लिए पेमेन्ट ऑफ वेजेज ऑथोरिटी, क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त, भरतपुर के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

प्रोविडेण्ट फन्ड की वसूली के लिये रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, जयपुर, जिलाधीश, सवाई माधोपुर के समक्ष पी.डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत वसूली करने हेतु सर्टिफिकेट दायर कर रखे हैं।

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज ने भी कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 418 के अन्तर्गत दिनांक 29-11-1975 का नोटिस दिया है। जिसके प्रत्युत्तर में कम्पनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को फैक्ट्री में लगातार हो रही हानियों की ओर ध्यान-आकर्षित करते हुए, दिनांक 16-12-1975 को लिखा है कि कम्पनी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से अतिरिक्त वित्तीय और साख सुविधायें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि इस सम्बन्ध में प्रगति हुई है और मामला निर्णयात्मक स्थिति पर है तथा फैसला उनके पक्ष में होने की संभावना है। उक्त वित्तीय सुविधायें प्राप्त होने पर कम्पनी बकाया वेतन, प्रोविडेण्ट फण्ड इत्यादि की बकाया राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि फैक्ट्री को राज्य सरकार द्वारा हर संभव आर्थिक सहायता समय-समय पर प्रदान की गयी है। जहां तक बिजली की कटौती का प्रश्न है, राजस्थान में बिजली का उत्पादन संतोषजनक ही नहीं रहा है, अपितु राजस्थान के अन्य समीपवर्ती राज्यों को भी बिजली सप्लाई की जा रही है। इस प्रकार बिजली की कटौती से हानि का आरोप भी तथ्यहीन लगता है।

फैक्ट्री के प्रबन्धकों द्वारा वित्तीय स्रोतों का अन्य अनुपयोगी कार्यों में व्यय करना, मैन्युपुलेशन करना, अनुत्पादक कार्यों में ऊंचे-ऊंचे वेतन पर बड़ी तादाद में अधिकारियों को रखना, कई स्थानों पर बड़े-बड़े दफ्तरों को खोल कर अधिक खर्चा बढ़ाना, सीमेन्ट के उत्पादन को ब्लैक में बेच देना, खरीद आदि में फैक्ट्री का हित न देखना इत्यादि प्रश्न कम्पनीज एक्ट के तहत आते हैं जिस पर कम्पनी लॉ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ही सक्षम है।

मशीनरी, रिपेयर, पार्ट्स तथा स्टोर आदि के अभाव के बारे में भी राज्य सरकार को विशेष जानकारी नहीं है।

कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में राज्य सरकार का भी डाइरेक्टर मनोनीत है। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त डाइरेक्टर सरकार को समय-समय पर कम्पनी के आर्थिक अभाव तथा संकट की जानकारी देते रहे हैं।

फैक्ट्री को अपने हाथ में लेने का मामला इण्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन एक्ट, 1951 के अन्तर्गत आता है जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार फैक्ट्री को पुनः चालू कराने के सतत् प्रयत्न कर रही है। तथा फैक्ट्री के शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े जो पहले सवालों के उत्तर में दिये थे उनके विपरीत हैं। उसमें 66·00 लाख रुपया गवर्नमेंट का कर्जा बताया था और आज 33 लाख का बता रहे हैं । मैं नहीं जानता आपके जवाबात किस तरह के आते हैं और स्टेटमेंट किस तरह का आया है । आपने जो बताया इस तरह थोड़ी-थोड़ी राशि दी गई तो क्या आपको जानकारी नहीं है कि जुलाई से उनकी तनख्वाह बन्द है, उनकी हालत यह हो गई है कि घर की सारी पूंजी, घर की सारी चीजें, कपड़े, बर्तन तक बेचने की नौबत आ गई? डेढ़ करोड़ रुपया राज्य सरकार का फंसा हुआ है, तीन करोड़ बैंक का लगा हुआ है, प्रोविडेंट फण्ड का पैसा गायब, एल. आई. सी. का पैसा गायब, आर. एस. ई. बी. का पैसा बकाया है, रेलवे का किराया बाकी है । क्या इस फैक्ट्री को हाथ में लेकर राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं था कि मजदूरों के मसले को हल करने के लिये कोई कदम उठाती ।

पहले चूंकि आपके एक्ट में नहीं आता था और अब एक्ट में तरमीम हो गई है इसलिये कदम उठाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा उस अमेन्डमेंट के बाद जिसमें एक हजार की सीमा मुकर्रर की गई है आपने कब कदम उठाया और क्या प्रगति हुई ? दूसरा जो मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है और आपने कहा कार्यवाही की जा रही है उसमें क्या प्रगति हुई और मजदूरों को क्या राहत पहुंचाई जा रही है ? आज हालत यह है कि मजदूरों के पास कोई चीज नहीं है। यह फैक्ट्री जब तक काला धन कमा रही थी जिसमें बहुत सी सीमेन्ट इधर-उधर करके चलाया लेकिन जब यह देखा ब्लैक मनी पर रोक लग रही है तो उस कारखाने को बन्द कर दिया । आपके लिये यह जरूरी था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोशिश करते मैनेजमेंट अपने हाथ में लेकर मजदूरों द्वारा इसको चलायें ताकि जो मजदूर कई महीनों से भूखों मर रहे हैं, उनकी हालत ठीक हो सके । आलोक के जो कन्सर्न हैं वे सबके सब इस तरह ही चल रहे हैं । यह सब रुपया ब्लैक मनी के रूप में दूसरे कन्सर्न में डाइवर्ट हो रहा है । आपने संक्षेप में यह कह दिया कि कम्पनी लॉ के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप केन्द्र की हुकूमत की तवज्जह दिलाते कि सीमेन्ट फैक्ट्री में अनियमितता हो रही है, ब्लैक मनी बनाया जा रहा है और गलत तरीके से रुपयों का इस्तेमाल हो रहा है । दो हजार से पांच हजार तक के आदमी उसमें काम कर रहे हैं-दो हजार से पांच हजार के ऑफिसर्स, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है····

श्री अध्यक्ष : मुख्तसर में ही कहें ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : वे उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो उन लोगों को, जो मैनेजमेंट में हैं, इतनी ऊंची तनख्वाह दिला कर उनसे काम करवा रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूर भूखों मर रहा है । तो मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय केन्द्र तक पहुंचाने के लिये तैयार है कि यह सीमेन्ट फैक्ट्री राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र द्वारा चलाई जानी चाहिये—एक बात

(श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली)
दूसरी बात क्या राज्य सरकार इस बात के लिये तैयार है कि उनको तुरन्त 3-3,4-4 महीने की तनख्वाह दी जाय ग्रौर उनकी जो हैसियत है ..

एक माननीय सदस्य : 6 महीने की तनख्वाह बकाया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारग्रली : हां, 6 महीने की बकाया है लेकिन तीन महीने की तो कम से कम राहत दे दी जाय। तो राज्य सरकार 6 महीने में से तीन महीने का इन्टरिम रिलीफ गवर्नमेंट के एक्सचेंकर से दे दें ग्रौर फैक्ट्री की चीजों को नीलाम करके ग्रपना पैसा वसूल करे। ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या राज्य सरकार इस तरह की सिक्योरिटी मानती है कि उनका डेढ़ करोड़ रुपया वसूल हो जायगा ? ग्रौर नहीं होगा तो राज्य सरकार क्या सोच रही है ? ग्रौर क्या राज्य सरकार द्वारा कम्पनी लॉ के मातहत उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जायगा ? क्या इसके बारे में कोई रिकमण्डेशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देने को तैयार है कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये ? इन सवालों का जवाब मुझे दिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम राज्य सरकार को ग्रौर राज्य सरकार के श्रम मंत्री जी को इस बात के लिये थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रौर वह थोड़ी इस मायने में कि माननीय मंत्री जी ने कुछ दिलचस्पी रखी है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो ग्रांकड़े दिये हैं 41 लाख के ग्रौर उनको जुलाई से वेतन नहीं दिया जा रहा है

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : धन्यवाद ज्यादा ग्रौर काम थोड़ा, यह क्यों ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं धन्यवाद के साथ ग्रभी ग्रौर भी चीजें पेश कर रहा हूं। ग्राप जरा तसल्ली रखिये। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया ग्रौर उस वक्तव्य में जो बात बताई है वह मेरे प्रश्न के उत्तर में भी दी गई थी, वह सारे तथ्यों के विपरीत है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जुलाई से श्रमिकों को वेतन नहीं मिले, यह बात सही है कि 20-20, 30-30 रुपये एक-एक श्रमिक को दिये गये लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, विचार किया जाय कि एक श्रमिक पर करीब 8-10 ग्रादमी निर्भर करते हैं ग्रौर उसे ग्राप 20 रुपये ग्रौर 30 रुपये की सहायता दिलवा कर किस तरह गुजारा करवाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री है। इस कम्पनी के मालिकों की बैलेन्स शीट मैंने देखी हैं उसमें 1972-73 में 8,90,7,339 ग्रौर 1973-74 में 2,94,41,799 रुपया था। तो मैं यह जानना चाहता हूं हमारे यहां के रिप्रेजेन्टेटिव, हमारे यहां के इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ग्रधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया ग्रौर इस फैक्ट्री ने करोड़ों रुपया दूसरी कम्पनियों में डाइवर्ट कर दिया चाहे वह भागलपुर की कोई फैक्ट्री हो, चाहे एग्रो-इण्डस्ट्रीज की कोई कन्सर्न हो ग्रौर चाहे कानपुर की फैक्ट्री हो, हमारे यहां के ग्रधिकारी मौन बैठे रहे। पांच हजार

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मजदूरों के 25 हजार ग्रादमी मौत के मुंह में धकेल दिये गये ग्रौर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । मैं जानता हूं मजदूरों को किस परेशानी में से गुजरना पड़ रहा है । मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में यह कहा था, उनके लिये बैंक से कर्जे की व्यवस्था की जा रही है । ग्रापने वक्तव्य में भी कहा है लेकिन यह ग्राश्वासन मात्र है । जो कम्पनी करोड़ों रुपयों के घाटे में जा रही है—साढ़े तीन करोड़ से ऊपर जो कम्पनी लॉस में जा चुकी है ग्रौर ग्राप स्वयं जानते हैं एल.. ग्राई.सी. का जो पैसा जमा था, ई.एस.ग्राई. का जो पैसा था वह सब खा गये, कम्पलसरी डिपोजिट का जो पैसा था वह खा गये, रेलवे के किराये का पैसा था वह खा गये । तो, ग्रध्यक्ष महोदय, इस तरह करीब 20 करोड़ का घपला है ग्रौर पांच करोड़ रुपया स्टेट बैंक से, चाहे राज्य सरकार से ग्रौर चाहे भारत सरकार से जो दिलवाने की बात है, वह इस मैनेजमेंट को दिये जाने का मतलब है सारे रुपयों को ग्रौर मिट्टी में दबाना चाहते हैं । जिस मैनेजमेंट के 42 ग्रधिकारी केवल मात्र इसके लिये नियुक्त हैं कि वे बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में ऐश करें ग्रौर वह कम्पनी के ग्रादमी मानकर चलते हैं कि इस कम्पनी का पैसा इसी के लिये है । इसलिए माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करना चाहता हूं पांच हजार मजदूरों के भविष्य को देखते हुये, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसको देखते हुये । हिन्दुस्तान में ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा सामेन्ट का उद्योग है । वह राजस्थान की खुशहाली का कारण है, उसका रॉयल्टी का पैसा मारा जा रहा है । कारखानों की मशीनें ठीक करने में वह कम्पनी पैसा नहीं लगाये, उसी मैनेजमेंट के हाथ में पांच करोड़ रुपया ग्रौर दिलवा कर पब्लिक से जो टैक्स वसूल करते हैं, हम उन लोगों के हाथ में डाल दें जो इन मजदूरों के लिये भेड़ियों के समान हैं । ग्राप ग्राश्चर्य करेंगे जुलाई के महीने से ग्राज तक वेतन नहीं दिया गया है । 6-6 महीने, 7-7 महीने वे इधर से उधर भटकते फिरें ग्रौर खाने को उनको कुछ भी नसीब न हो । ग्राप कोई ग्रॉडिनेन्स निकाल कर भारत सरकार से बात कर सकते हैं । ग्राप कह सकते हैं ग्राज मजदूर हड़ताल करते हैं तो वह जेलों में ठूंस दिये जाते हैं । यहां जयपुर में कई मजदूरों के दरवाजे बन्द करके छुट्टी कर दी गई ग्रौर उसका मालिक सात महीने से वेतन नहीं दे रहा है ग्रौर न मजदूरों को जेल में भेजता हैं, न मालिक को जेल में भेजते हैं । दो में से किसी एक को भेज देते । मजदूर को जेल भेजते हैं तो कम से कम उनको रोटियां तो वहां मिल जायेंगी । मेरे पास ग्राज भी श्रमिक नेता ग्राये ग्रौर वह कह रहे थे कि हम परेशान हैं, हमें जरायम पेशे करने पड़ेंगे, हमें चोरियां करनी पड़ेंगी क्योंकि भूख हमको सताती है । ग्राज हम हमारे परिवार वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं । मुर्दे तक को उठाने के लिए पैसे नहीं हैं । तो मैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें प्रश्न श्रम मंत्री जी से करना चाहता हूं कि ग्रापके जो डाइरेक्टर साहब वहां विराजते हैं या राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं उन्होंने इस घाटे के बारे में क्या राज्य सरकार को सूचना दी या नहीं दी? ग्रौर ग्रगर दी है तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? क्योंकि मैंने फिगर्स दिये हैं कि लगभग

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

3।। करोड़ रुपये का घाटा पिछले तीन वर्षों से लगातार हुआ तो एक तो उसके बारे में पूछता हूं और दूसरे आपके डाइरेक्टर या इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी वहां बैठे-बैठे क्या करते हैं जब कि इस कम्पनी का 22 करोड़ रुपया अन्य कम्पनियों में चला गया और 6 महीने से वहां की मशीनें ठीक नहीं करवा सके हैं, फलौदी की खान जो कि एक तरह से सोने की खान है और लाइम स्टोन जैसा फलौदी की खान का है वह कहीं का भी नहीं है, उस खान को भी ठीक करने की व्यवस्था नहीं की गयी तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों ने वहां क्या किया ?

इसके अलावा मैं एक स्पेसिफिक आश्वासन यह चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इस स्थिति में आना चाहती है क्योंकि मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि डिवेन्चर शेयर पर पहले 3 पर्सेन्ट का इन्ट्रेस्ट मिलता था और आज 8 पर्सेन्ट उनसे लेने का तय किया है तो इतना बड़ा राज्य सरकार का हित उसमें निहित है और मजदूरों का हित उसमें निहित है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार भारत सरकार पर इस बात के लिए विशेष दबाव डालेगी कि इस सवाई माधोपुर फैक्ट्री को दुबारा उन्हीं के हाथ में नहीं देकर भारत सरकार अपने कब्जे में ले।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री का मामला है मैं समझता हूं कि प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है उसके अलावा इस बीस सूत्री कार्यक्रम को यह सरकार कितनी ईमानदारी और गम्भीरता से लागू करना चाहती है उस चीज का भी इससे एक नतीजा अवश्य निकलता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नोत्तर काल में एक राजकुमार के बारे में जिक्र आया था। उसके ऊपर सरकार ने क्या रुख अपनाया ? सारे केसेज फाइल कर दिये वह भी सामने आया। अब हिन्दुस्तान के एक बड़े से बड़े मोनोपोलिस्ट, जो, हिन्दुस्तान की जनता की आवश्यकता की सीमेन्ट जैसी चीज को पैदा करने के कारखाने के मालिक हैं, का यहां पर जिक्र है। अगर इस सारे इतिहास का, जिसका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है पूरे तरीके से उल्लेख किया जाये तो इस बात में अध्यक्ष महोदय को सन्देह नहीं रहेगा कि यह जो सारी घटनायें हो रही हैं, यह जो इसमें नुकसान हो रहा है और 6 महीने से कारखाना बन्द है, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है—यह सब के सब मिस-मैनेजमेन्ट के मामले मिस्टर आलोक जैन के हाथ में इस सीमेन्ट फैक्ट्री का मैनेजमेन्ट आने के बाद शुरू हुए। जो दलीलें आज दी जा रही हैं कि फलौदी से लाने में उनको माइलेज ज्यादा पड़ता है और खर्चा ज्यादा पड़ता है इसलिए यहां की सीमेन्ट की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और प्राइज कम है इसलिए यह नुकसान हो रहा है मैं यह समझता हूं कि उनमें कोई बहुत जस्टीफाइड बात नहीं है क्योंकि फलौदी की खानों से तो हमेशा से ही यहां आ रहा है और अब तक जो भी आंकड़े माननीय सदस्यों ने दिये उसके मुताबिक सन् 1970-71 तक लगातार मुनाफा ही मुनाफा होता

(श्री रामानन्द अग्रवाल),

रहा और एकदम से लॉस हो गया यह लॉस मिस-मैनेजमेन्ट और खास तौर से मिस्टर आलोक जैन और कुछ बड़े अधिकारी, जो वहां रखे हुए हैं, की वजह से है। जो राज्य के अधिकारी उनके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में हैं उनको यह चीज मालूम है और जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि वह क्या करते थे—मैं यह समझता हूं कि वह बात, जो हो रही है, सरकार के नोटिस में अवश्य लाये। सरकार के पास यह बात अवश्य आई होगी और जहां तक मेरी जानकारी है इन तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार को बाकायदा दी गई है। इस तरीके से वहां पर यह लॉस हुआ है और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के तो इस कारखाने से बहुत गहरे सम्बन्ध हैं और बहुत पुराने सम्बन्ध हैं क्योंकि सरकारी प्रतिनिधि यदि यह बात सरकार के नोटिस में नहीं लाये तो मिस्टर आलोक जैन या श्री के. एल. जैन तो यह बात अवश्य सरकार के नोटिस में लाये होंगे क्योंकि वह तो इनसेपरेबल हैं इस फैक्ट्री और सरकार से भी। तो इस तरह के मामले सरकार के नोटिस में नहीं लाये हों तो यह सम्भव नहीं है। इसलिये मैं यह जानकारी सरकार से चाहूंगा कि एक तरफ तो 6 हजार मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और ऐसे टाइम में जब कि हमारी प्रधान मंत्री प्रोडक्शन के काम को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहती हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम ही यह है प्रोडक्शन को बढ़ाना। राजस्थान में मजदूरों ने जितनी भी मेहनत करके प्रोडक्शन को बढ़ाया है उसके इन्डेक्स को एक ही पूंजीपति ने और एक ही सीमेन्ट फैक्ट्री ने नीचा कर दिया है 6 महीनों से उसको बन्द करके।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें जो बदइन्तजामी चल रही थी, रिपोर्ट सरकार के पास लगातार आ रही थी और इसमें जिस तरीके के खर्चे वहां किये जा रहे थे उसमें बताया जाता है कि 30 अधिकारी तो 3 हजार से 6 हजार रुपये तक की तनख्वाह वाले हैं और इसके दिल्ली, बम्बई और चार जगह ऑफिसेज खुले हुए हैं और एक करोड़ रुपये सालाना उन ऑफिसेज का ही खर्चा है। यह इस किस्म की बात है कि जिसके खर्चे तो फौरी तौर से बन्द किये जा सकते थे। मेरी जानकारी के अनुसार ऑफिसेज के खर्चे और ऑफिसर्स के खर्चे इन हालात के होते हुए आज भी रेकरिंग हैं और उसी तरीके से चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी बताया गया कि माननीय श्रम मंत्री जी बचकर निकलना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे डिपार्टमेन्ट से जो मामला था वह तो कर दिया और कम्पनीज एक्ट वालों का मामला है वह वह करें या भारत सरकार करे। मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रोवीडेन्ट फण्ड उन्होंने जमा नहीं करवाया और आपने ही उसका फिगर 60 लाख रुपये बताया है जो आज दिन तक जमा नहीं कराया। मेरी जानकारी के अनुसार वहां के डिपार्टमेन्ट ने अटेचमेन्ट के ऑर्डर्स भी निकाले और आपसे कहा कि इस पर कार्यवाही की जाये लेकिन वह अटेचमेन्ट की कार्यवाही नहीं की गयी। इतना ही नहीं यह तो क्रिमिनल ऑफेन्स भी है और इसके तहत 409 में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था और राजस्थान में कितने ही छोटे-छोटे कर्मचारियों पर केसेज चल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहे है। तो 60 लाख का मजदूरों का पैसा उन्होंने गबन किया है जो प्रोविडेन्ट फण्ड का था उसको जमा नहीं करवाया और कानून में वह गबन है उसके अन्दर मुकदमा बनाकर क्यों नहीं जेल में मिस्टर आलोक जैन को या जो भी सम्बन्धित थे उनको नहीं डाला ? मैं जानना चाहता हूं कि यह तो कम्पनीज लॉज का कानून नहीं है यह तो श्रम का ही कानून है। श्रम मंत्रालय की दूरदर्शिता नहीं होने की वजह से 6 हजार मजदूर हैं वह आज बेरोजगार हैं, और कारखाना बदइन्तजामी में चल रहा है। यह कारखाना बन्द हो जायेगा इसलिए इस पर एक्शन लें क्या यह सरकार के सोचने की बात नहीं थी ? सरकार की तरफ से क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने मंत्रिमंडल के सामने लगातार यह बात रखी ? फिर मंत्रिमंडल ने गौर नहीं किया हो और चुप बैठे रहे हों तो वह बात समझ में आ सकती है। वह बतायें कि उन्होंने क्या प्रयत्न किया ? क्या वे दिल्ली गए इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिले, मुख्य मंत्रीजी से यह बात की कि इस कारखाने को किस प्रकार चलाया जाय ? अभी भी यह बतायें कि उनकी राय क्या है ? मैं फिर आश्वासन मांगता हूं माननीय मंत्री महोदय से, यह आपने पांच करोड़ रुपया इसी एडमिनिस्ट्रेशन और इसी प्राइवेट कम्पनी को सौंप दिया, इसका क्या सेफ गार्ड लिया है ? मैं समझता हूं कि यह इस एडमिनिस्ट्रेशन और इसी प्राइवेट कम्पनी को देना कुएं में डालना होगा। इन अनुभवों के बाद भी हम सबक न सीखें और उसी तरीके से काम करें तो मैं यह समझता हूं कि यही सारी प्रॉब्लम फिर कुछ समय के बाद आपके सामने आयेगी। ब्यावर का उदाहरण आपके सामने है, लक्ष्मी मिल का कारखाना अच्छी तरह से सरकार ने चला कर और फिर जबरदस्ती मालिकों को सौंप दिया। कुछ अर्से के बाद वह फिर बन्द हो गया और फिर मजदूरों को कोई एक साल से ज्यादा बेरोजगार रहना पड़ा और फिर आपको हाथ में लेना पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि इससे भी आप सबक सीखें। इस तरह से अच्छा कारखाना चलते हुए भी इस तरह की हालत में वहां के मजदूरों को बेकार रहना पड़ा है। इसी तरह से फिर पांच करोड़ रुपया कहीं से मोबीलाइज करके दिलवायें तो भयंकर भूल होगी। मैं जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय की क्या राय है इस सम्बन्ध में और उन्होंने क्या सजेशन भेजा है ? आखिरकार आपके छः हजार मजदूरों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ? इसलिए इस पर सोचना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि आपका इससे सम्बन्ध नहीं है या उनका उत्तरदायित्व नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी बात तो वही मंत्री कह सकता है जिसको मालूम हो कि मैं तो पांच-चार दिन के लिये ही हूं, मुझे क्या करना है, आगे आने वाला सम्भालेगा। वरना मैं मानता हूं कि श्रम मंत्री को मजदूरों से हमदर्दी है, वे उनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन वह मदद केवल जुबानी नहीं हो सकती, कोरे भाषणों से मदद नहीं हो सकती। आप ऑथोरेटेटिवली बतावें जब आप इधर बैठते थे तो मैं समझता हूं कि हमारी तरह ही आप भी इस कम्पनी को बुरा समझते थे, कई प्रश्न उन्होंने इस बारे में यहां पर उठाए थे और मैं समझता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि अब भी उनकी राय इस कुर्सी पर बैंटने के बाद नहीं बदली होगी, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए यह कारखाना सरकार के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा टेक-ओवर किया जाना चाहिए तभी इसका इलाज हो सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सारे राजस्थान का प्रश्न है। कम से कम मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम यह नहीं चाहते कि जब एक नया इकॉनोमिक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, प्रधान मन्त्री जी का ट्वन्टी पॉइन्ट प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं तो ऐसे समय में पहले कैसी भी कोई कमजोरियां रही हों, उन कमजोरियों को भूल कर एक नए एतबार के साथ, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कमजोर वर्ग की मदद करने जा रहे हैं तो जहां इस तरीके के सवालात आयें, जहां कहीं बड़े मोनोपोलिस्ट्स का सवाल हो, जहां बड़े राजाओं का सवाल हो वहां फिर सरकार में उसी तरह की हिचकिचाहट आए, उसी तरह से फिर पैर लड़खड़ाने लगें जैसे कि पहले लड़खड़ाते थे। इन नए इकॉनोमिक प्रोग्राम में और प्रधान मन्त्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम में जो नीति सरकार अपना रही है, यह नीति उसके विपरीत है जिस तरह का रुख आज राज्य सरकार अपनाने जा रही है। यह इसलिए कि किसी जमाने में इस फैक्ट्री के जरिये से, और किसी तरीके से, पोलिटिकल तरीके से भी कोई भी मदद मिलती रही हो लेकिन आज उन सब कंसीडरेशन्स को एक तरफ रख कर केवल मात्र राजस्थान की जनता के हित में, राजस्थान की पौने तीन करोड़ जनता के हित में, देश के हित में हमको सोचना होगा। इसलिए मैं मन्त्रिमण्डल से कहना चाहता हूं कि यह पॉइन्ट क्लियर करिये। राज्य सरकार के एक्शन को जस्टीफाई नहीं किया जा सकता है। सरकार का सात महीने तक शांत रहना, इस तरीके से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना, उन लोगों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाना जस्टीफाई नहीं किया जा सकता है।

मेरी जानकारी में बहुत सी को-ऑपरेटिव सोसायटी यह सीमेंट लेने के लिए......

श्री अध्यक्ष : कृपया मुख्तसर में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैक्ट्री के पास एडवांस डिपोजिट कराना पड़ता था। पैसा पहले लेते थे। वह डिपोजिट लाखों रुपया जमा है। जिलों का लाखों रुपया जमा है। सीमेंट उन्हें भेजी नहीं और आगे बन नहीं रही। इस तरह की उनकी क्षमता नहीं है। कि और सीमेंट ले सकें। तो उसमें भी इस तरीके से कमी हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है अभी भी एक तरफ एक तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं और आज भी इस कारखाने को चलाने वाले मुख्य अधिकारी लोग बड़ी हंसी खुशी के साथ घूमते हैं, नजदीक नजदीक घूमते हैं, मन्त्रिमण्डल के नजदीक घूमते हैं, मन्त्रियों के नजदीक घूमते हैं और मुख्य मन्त्री के नजदीक घूमते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो, मैं समझता हूं कि यह चिंतनीय है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे केन्द्र की सरकार को उस कारखानेदार के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है लेकिन राज्य सरकार की भी रेस्पांसिबिलिटी है। राजस्थान में यह कारखाना है इसलिए राजस्थान सरकार की भी कम से कम यह डेफिनेट राय जानी चाहिए कि यह कारखाना प्राइवेटली न चलावें और यह कारखाना भारत सरकार या तो खुद अपने हाथ में ले और अगर जरूरत हो तो भारत सरकार के कहने पर आप लें। हम लेने को तयार हों भारत सरकार से उन कण्डीशन्स पर जो आपके और भारत सरकार के बीच तय हों। किसी तरह से फिफ्टी-फिफ्टी या कैसे भी करें लेकिन किसी हालत में प्राइवेट कम्पनी को न दें, यह कम से कम श्रम मंत्रालय, राज्य सरकार की सिफारिश वहां पर जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : नो। कॉल अटेंशन है। जिनके नाम आ चुके हैं उनके अलावा नहीं। श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री गत छः महीने से बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं, उत्पादन की कमी, धन की बरबादी, ये सारे ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। अगर इस सारी फैक्ट्री के संचालन के बारे में सरकार पहले से सतर्क रहती तो शायद फैक्ट्री के सामने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में ऐसा कुछ आभास होता है कि फैक्ट्री के संचालकों की बदनीयती और सरकार की साजिश, सरकार के अधिकारियों की साजिश भी इसमें जिम्मेवार है। यह कोई आज की बात नहीं, गत छः महीने की घटना नहीं बल्कि वर्षों से निरन्तर, 70 के बाद से नुकसान में फैक्ट्री चल रही है। 70 के बाद में दिनों दिन फैक्ट्री के बारे में शिकायतें मिलती रही हैं। शिकायतें चाहे पब्लिक की ओर से की गई हों, चाहे जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के सामने पेश की गई। विधान सभा में भी बराबर और बाहर भी सरकार की आंखें खोलने के लिए कहा गया कि यह फैक्ट्री के संचालकों की बदनीयती से यह दिनों दिन अवनति की ओर जा रही है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। समय समय पर इस पवित्र सदन में भी मामले उठे और कई जगह से लोगों ने लिख लिख कर सरकार को भेजा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसी का यह परिणाम हुआ है और आज यह स्थिति देखने को मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह आम शिकायत थी कि सीमेंट चोरी से जा रही है, फैक्ट्री से लाखों कट्टे चोरी से गए हैं। प्रतिदिन ट्रकों के ट्रक लोड होते थे। यह भी सूचना मिली थी कि सीमेंट पचास किलो की जगह कुल 35 किलो, 40 किलो बोरे में आ रहा है और जानबूझ कर नुकसान दिखाया जा रहा है। जो सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा निश्चित रूप

(श्री मीठालाल मीणा)

से जब फैक्ट्री बन्द होगी, नुकसान में जायेगी। यह पहले ही अवगत करा दिया गया था सरकार को कि यह होने वाला है। लेकिन फैक्ट्री में बहुत से ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो सरकार के ऊपर प्रभाव रखते थे। उन्होंने अपना प्रभाव रखा और उसका इस्तेमाल किया और सरकार इस बात को मौन रखकर देखती रही। हजारों मजदूर बेकार हो गए, फैक्ट्री का उत्पादन बन्द हो गया किन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आलोक जैन या आलोक समूह, आलोक उद्योग समूह वगैरह उन्होंने क्या किया यह सरकार को मालूम है। इस सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री से पैसा निकाला है वह चाहे सीमेंट के जरिये या अन्य तरीके से। पैसा निकाल निकाल कर उन्होंने बहुत सी अलग फैक्ट्रियां लगाई। जयपुर में ही रोहतास की घी की फैक्ट्री है और दूर जगह फैक्ट्री स्थापित की। निरन्तर सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री से पैसा निकाला गया और अन्य स्थानों पर अलग से फैक्ट्रियां स्थापित की गई। आज ही नहीं वर्षों से फैक्ट्री घाटे में चलती रही और वर्षों से सरकार को मालूम है कि सीमेंट फैक्ट्री से पैसा निकाला जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार ने पांच करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दे दी। बिना कोई भी जांच किए या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किये अथवा देनदारियों की जांच से पहले ही पांच करोड़ का अनुदान दे दिया कि एक दफा कारखाना चालू हो। गत छः महीने से मजदूर बेकार बैठे हैं। सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अब तक श्रम मंत्रालय क्या करता रहा? श्रम मंत्रालय को यह सोचना चाहिए कि अगर सीमेंट फैक्ट्री बन्द होगी तो मजदूर बेकार होंगे। अध्यक्ष महोदय, उद्योग के संचालकों की यह योजना सरकार को मालूम थी लेकिन राजनैतिक कुछ ऐसे कारण थे कि उनके कारण कारखाने के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहते थे। क्योंकि पहले के इतने अहसान हैं, उन अहसानों के नीचे सरकार इतनी दबी हुई है कि जिन्होंने स्वयं को न्यौछावर कर दिया सरकार को बनाने के लिए उनके बारे में कदम उठावें तो कैसे उठावें। किसी दिन तो यह सपूत बेटा था आज नालायक हो गया तो हो गया। मगर सरकार ने मजदूरों के हित और उत्पादन के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में जांच की जाए। यहां से पैसा निकाल कर इन लोगों ने दूसरी जगह पर लगाया है और जिस ढंग से षड़यन्त्र रच कर गवर्नमेन्ट को बेवकूफ बनाया है, उस सारे मामले की जांच की जाये और कोई ऐसा हल निकाला जाये जिससे कि यह अत्यधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री चालू हो। सरकार किसी भी ढंग से फैक्ट्री की समस्या का निराकरण करे और ऐसा हल निकाले ताकि दूसरे उद्योगपति इससे सबक लें और भ्रष्टाचार, बेईमानी न बढ़े। सरकार इस उद्योग को हाथ में ले सके तो ले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार हाथ में भी लेगी या नहीं?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष : आप कोई नयी बात कहना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : नयी तो क्या कहूंगा। आप हुक्म देंगे तो बोलूंगा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। बोलने से पहले ही कोई व्यवस्था हो जाए तो क्या करूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर सीमेन्ट फक्ट्री के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ कहा है उसमें खास तौर से श्री अग्रवाल जी ने यह कहा कि सरकार इसको अपने हाथ में ले या नहीं इसके बारे में क्या राय है। सर्वप्रथम तो मैं यह राय जाहिर करूंगा कि जब एक संस्था को, किसी उद्योग को पनपाने में सरकार बहुत अधिक मदद करती है और फिर भी वह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा न हो सके और उस उद्योग को चलाने वाले लोगों के दिमाग में, उद्योग में काम करने वालों के प्रति शोषण की भावना हो, तो जहां हम चाहते हैं कि मजदूर देश के उद्योगों में भागीदार बनें और इस तरह से सरकार मदद दें और फिर भी वे उद्योगपति मजदूरों का शोषण करते रहें तो फिर मैं समझता हूं कि सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है। ऐसी लूट-खसोट किसी सेठ द्वारा हो और फिर वह सेठ सरकार बनाने में सहयोग देता है, चुनाव में सहयोग देता है तो भी इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है क्योंकि यह देश के उत्पादन का सवाल है। साथ ही मजदूरों के हितों को देखते हुए मैं सर्वप्रथम यह मांग करूंगा कि इस उद्योग को सरकार अपने कन्ट्रोल में ले और इसको चलावे तो निश्चित ही उत्पादन ज्यादा हो सकेगा और मजदूरों का भी हित होगा। अध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं, इसके पूर्व भी इस उद्योग के बारे में बार-बार इस हाउस में प्रश्न आया है खुद वर्तमान श्रम मंत्री, जब सदस्य थे, माननीय श्री गोटेवाला के साथ इस उद्योग के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज वे स्वयं सरकार में बैठे हैं। उन्होंने एम. एल. ए. की हैसियत से कई बार यहां पर आवाज उठायी है। अब मंत्री की हैसियत से वे इसका फैसला करें और अगर वे इसका फैसला नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि उनकी स्वतंत्र विचारधारा पर अंकुश लगा हुआ है। समाजवादी विचारधारा की जो बात वे उठाते थे वह खोखली थी अथवा अब उनके प्रतिक्रियावादी उसूल हो गये हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को चाहे इसके लिए त्याग करना पड़े, वे त्याग करें और इस सरकार से इसका फैसला मजदूरों के हितों में करावें और सरकार को भी वे इस उद्योग के बारे में अपनी इन्डिपेन्डेन्ट राय दें। उनके खिलाफ फैसला होता है तो श्रम मंत्री की यह मजबूरी होगी परन्तु फिर भी श्रम मंत्री अपने स्वाभिमान को न गिरने दें और इसको सरकार अपने हाथ में ले ऐसा फैसला करावें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय,..........

श्री अध्यक्ष : यह कॉल अटेन्शन मोशन है।

Page No 64

(64)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इन्टक के नाते दो शब्द कहना चाहता हूं। मजदूरों की तरफ से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सभी ने जितनी बातें कही हैं वे मजदूरों की ओर से ही कही हैं। सेठों की तरफ से किसी ने नहीं कहा है। जो नियम है, जो परम्परा है कॉल अटेन्शन के बारे में, उस पर वही बोल सकता है जिसने दिया है उसके अलावा और दूसरा नहीं बोल सकता है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दरअसल में यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड की सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री इस हालत में पहुंच गयी कि उसका काम-काज बंद हो गया और आज जहां हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर उत्पादन ठप्प हो गया। अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्रियां बंद होती रहती हैं किन्तु दूसरे कारणों से। मजदूरों और मैनेजमेन्ट के बीच तनाव आ जाए और दूसरे कारण पैदा हो जायें तो एक बात है किन्तु यह एक असाधारण स्थिति है और इस असाधारण स्थिति से न केवल मजदूर ही प्रभावित हैं बल्कि राज्य सरकार और भारत सरकार भी प्रभावित है। एक बार माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन कर दूं कि जो भी डवलपमेन्ट्स यहां पर होते रहे हैं उन डवलपमेन्ट्स की सम्पूर्ण जानकारी भारत सरकार को है और उनको हमने यह बतला दिया था क्योंकि शुरू शुरू में एक बार मैनेजमेन्ट की ओर से राज्य सरकार से डेढ़ करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई स्टेट गारंटी के रूप में। हमने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि डेढ़ करोड़ की गारन्टी देने से कारखाना अच्छी तरह से चल सकता है, तो दे देंगे किन्तु यह नहीं चल सकता है और भारत सरकार को भी इन सारे तथ्यों के बारे में कहा है और इन सारे तथ्यों की जांच करायी है। मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी थोरो जांच इस फैक्ट्री के फाइनेन्स के बारे में इन पिछले महीनों में हुई है उसके कारण भी कुछ देरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का पैसा शेयर और लोन के रूप में है। परन्तु इससे कई गुना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें लगा हुआ है। राज्य सरकार के पास जितने एक्सपर्ट, इकोनोमिस्ट हैं उनके मुकाबले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के पास उनसे अधिक अच्छे एक्सपर्ट्स और इकोनोमिस्ट्स हैं, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने इन सारी चीजों को देखा है कि क्या तरीका होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने चिट्ठियां लिखी हैं, हमने तार दिये हैं, और रूबरू भी हम मिल चुके हैं टी. एन. पै से, जो भारत सरकार के उद्योग मंत्री हैं, दो-दो, तीन-तीन बार मिल चुके हैं, हमारे वित्त मंत्री मिल चुके हैं। हम सब लोग अपने अपने लेवल पर इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। भारत सरकार के उद्योग मंत्री, भारत सरकार के बैंकिंग मंत्री भी इन सारी चीजों को जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ बैंकिंग भी जानती है इन फैक्ट्स को और इन फैक्ट्स में से कोई फैक्ट ऐसा नहीं है जो कि भारत सरकार की जानकारी में नहीं हो। हम ने भारत सरकार को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान मैनेजमेंट से काम नहीं चल सकता है और काम की

(श्री हरिदेव जोशी)

ठीक से नहीं चल पाया है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि अमुक-अमुक प्रकार का पेनल एक्शन ले सकते हैं उस पर भी हमारी यह मान्यता थी कि फैक्ट्री चले, चाहे फिर इसको भारत सरकार टेक-ओवर करे तो हमें खुशी होगी मगर इस पर इन्डस्ट्रीयल रेगुलेशन एक्ट के तहत ही एक्शन लिया जा सकता है और वह एक्शन करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। डिसीजन लेने का अधिकार गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइन्ड मेक-अप नहीं करे और हमको डाइरेक्शन न हो तब तक हमारे लिये, राज्य सरकार के लिये अमुक अमुक प्रकार की सर्विसेज के अन्दर वह करने अथवा वेलफेयर के ऑर्डिनेन्स निकाल देने की एक बात है परन्तु जिसका 8-9 लाख टन उत्पादन हो उस फैक्ट्री को टेक-ओवर करना दूसरी बात है। यह स्टेट गवर्नमेंट के बूते के बाहर है। हमारा फाइनेन्स इतना नहीं है, हम इसको टेक-ओवर कर सकें, इसलिए टेक ओवर का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना होगा। राजस्थान गवर्नमेन्ट इसके अन्दर भागीदार हो सकती है। राज्य सरकार यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री चले और एक दिन भी व्यर्थ किसी मजदूर को न रहना पड़े। मगर माननीय सदस्यों को मैं एक बात कह सकता हूं कि जितनी तीव्रता से आप अनुभव करते हैं उतनी ही तीव्रता से भारत सरकार के अधिकारी अनुभव करते हैं। यहा नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, मैनेजिंग डाइरेक्टर, मिनिस्टर फॉर बैंकिंग की जितनी सिटिंग्स अब हुई हैं उतनी पहले हुई ही नहीं शायद। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के दोनों मिनिस्टर एक साथ बैठ कर इस मसले पर विचार करते हैं और इस पर इतना ध्यान दिया है कि शायद उतना महत्व पहले किसी मसले पर नहीं दिया होगा। यहां मैं साधारण उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि मैं चण्डीगढ़ अधिवेशन के अन्दर गया था कांग्रेस के, और मैं बैठा हुआ था। कोई सामान्य शिष्टाचार की बात भी नहीं थी, पर टी. एन. पै बात कर रहे थे और लीडर्स बोल रहे थे तो मुझे देखकर कहा उन्होंने कि आपका मसला बहुत जल्दी ही फैसल हो जायगा। उन्होंने समझा कि मैं इस बारे में बात करूंगा। इस अन्दाज से पहले ही उन्होंने कह दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट काफी एन्क्शस है। सारे फैक्ट्स एण्ड फीगर्स स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के पास में हैं क्योंकि हमारे से बड़े लेनदार वह हैं। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि स्टेट बैंक ने एक प्रकार से वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर दिया है। अब स्टेट बैंक के मैनेजमेंट के दस्तखत के बगैर कोई चैक सिकारा नहीं जा सकता और ऐसे मैनेजमेंट के बाबत दूसरी प्रकार की चीजों के बाबत भी सोचा जा रहा है। क्योंकि वह प्रीमेच्योर है और मुझे कन्वे नहीं किया जा सकता है इसलिए सारी चीजों को सदन के समक्ष नहीं रख सकता। लेकिन मैं आज यह कहने की स्थिति में हूं और मुझे यह विश्वास दिलाया गया है, श्रम मन्त्री जी को यह विश्वास दिलाया गया है कि जल्दी से जल्दी, और उन्होंने दिन भी दिया लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड उसको रहने देता हूं, वह फैक्ट्री चालू हो जाय इसको देखना चाहते हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

दूसरे, मजदूर एक दिन भी बेरोजगार न रहें राज्य सरकार इसको देखना चाहती है, और हम यह प्रयत्न करेंगे कि मजदूर किसी भी तरह से नुकसान के अन्दर न रहे।

अब रहा प्रश्न कि घाटा क्यों हुआ, बड़े-बड़े अफसरों के कारण ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है इसकी सारी बातों के अन्दर जाना होगा। राज्य सरकार भी लेनदार है इसलिए उसको भी जाना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया भी लेनदार है, उसको भी जाना होगा। आगे ऐसा न हो, वह आंखें मींचकर नहीं किया जा सकता है। वह किसी ऐसी व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है कि आइन्दा इस प्रकार की बात न हो। लेकिन मैनेजमेंट क्या हो, कैसा हो, यह बहुत कुछ निर्भर करता है स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया पर, क्योंकि वह सबसे बड़ा लेनदार है। वह बहुत कुछ निर्भर करता है भारत सरकार पर जो कि सारी चीजों को गाइड करती है। राज्य सरकार का जहां तक सवाल है राज्य सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अब आइन्दा होगा वह सेफ रहे। राज्य सरकार का जहां तक प्रश्न है तो राज्य सरकार यदि भारत सरकार टेक ओवर कर ले तो इसको सबसे अधिक पसन्द करेगी। यही मैं कह सकता हूं। किन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा इन्ट्रेस्ट इसके अन्दर है कि आज जो बेरोजगारी और अनुत्पादन पैदा हो गया है वह बेरोजगारी और अनुत्पादन राजस्थान में अधिक दिन तक न रहे। जहां तक माननीय सदस्य ने मोटिव इम्प्यूट करने की कोशिश की है मैं यह कह सकता हूं कि किसी के दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है तो निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं इस स्टेज पर इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम, 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 1, सन् 1976) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर !

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया "प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को एक सप्ताह / एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 जब पहले सदन में आया उस वक्त इस पर चर्चा होने के बाद में यह पाया गया कि इसमें कुछ खामियां रही हैं, किसे सिविल सेवा में माना जाय और जिनके साथ में अन्याय हो जाता है विभागीय तौर पर उसको दुरुस्त करने के लिए पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था कर सकें इसलिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। प्रवर समिति की कई बैठकों में कितने ही संगठनों को सुना, और उसके साथ-साथ जो विधिवेत्ता थे उनको भी सुना····

(12.55 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पाठासीन)

और उनके सुनने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय मुझे आज पुनः वापिस इस विधेयक के बारे में यह अभिमत जाहिर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उसमें जो भी सदस्य थे उनकी सब की सहमति इसमें नहीं थी। श्री रामानन्द जी अग्रवाल उसके सदस्य थे। उन्होंने अपनी अलग राय जाहिर की है। उन्होंने अपना अलग अभिमत जाहिर किया है, ऐसे मामलों में सिविल सेवा में रहने वाले व्यक्तियों को न्याय कैसे मिल सकता है, किस तरह का जांच आयोग हो जैसा कि अधिकरण बनाने का सुझाव दिया है। उसी तरह से माननीय गुमानमल जी लोढ़ा ने अपनी राय अलग दी है, और सरकार का अभिमत और है। फिर भी मैं आपकी मार्फत निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि जो सिविल सेवा के कर्मचारी आपने माने हैं उसकी परिभाषा बहुत ही विस्तृत की जानी चाहिए। आपके वह भी व्यक्ति हैं। आप अपने साधनों से दूसरों से काम करवाने के निमित्त जो भी आयोग गठित करते हैं, जो भी किसी तरह के बोर्ड बनायें, जो संस्थाएं बनायें चाहे वह पंचायत समितियां हों, पंचायतें हों, या अपनी म्युनिसिपेलिटियां हों, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त ज्यादा समानता नहीं लायेंगे तो उनमें सेवा करने की और एकता की भावना नहीं आयेगी कि मैं भी एक कर्मचारी हूं सरकार का। उनकी

(68)

(श्री दीपंकर)
शिकायतों को निपटाने के लिए दो आयोग का गठन करना चाहते हैं। दो नहीं चार करिये उसमें किसी को एतराज नहीं है। सवाल यह है कि चाहे माननीय मन्त्री जी उसके चैयरमैन रहे हों प्रवर समिति के और उनका काफी अनुभव रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित बात है कि सरकारी कर्मचारियों के अन्दर दो-तीन तरह के लोग हैं। फोर्थ क्लास के लोग हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है वह एक अलग चीज है। परन्तु सिविल सेवा में राजस्थान के कर्मचारी आते हैं। तो यह मानकर चलना चाहिए कि भारतवर्ष के नियमों के तहत जो अपने यहां पर एक क्लास कायम की है वह अपने को बहुत सुप्रीम मानती है। अपना साथी अगर कोई गलती कर दे तो वह उसकी सुनती नहीं, कहती नहीं चाहे सुख सुविधा और भवन दिलाने का सवाल आये, दूसरा विदेश जाने का सवाल आये, कहीं सत्ता में उनको लिये जाने का सवाल आये, कोई राय लेने का सवाल आये तो अपने आपको वह आज तक ऊंचा मानते हैं, और बहुत सुप्रीम मानते हैं। तो हमारे पास में बहुत से वर्षों के कर्मचारी हैं जो कम से कम बाबू हैं और रिटायर हुए तो भी बाबू की स्थिति में बैठे हैं उनके अनुभव का लाभ न उठाकर उनको दुतकारे जाने के कारण उनकी आत्मा हीन हो जाती है। मनमाने तरीके से उनकी प्राइवेट में रिपोर्ट लिखी जाती है जिसको कि गोपनीय रिपोर्ट कहते हैं तो एक बड़ा भारी विभेद आपके यहां पर पैदा होता है। तो उस विभेद को दूर करने के लिए निश्चित तौर से न्याय अगर उनको दिलाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से यह मानकर चलना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। जहां तक राजस्थान का सवाल है और उसमें जहां पर जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार का सवाल आ जाता है तो वहां पर इस प्रकार से किसी व्यक्ति को तरक्की न मिले, उसे पेन्शन न मिले, उसे अमुक तरह की छुट्टी अवसर पर न मिले, छुट्टा पर चला गया तो उसको सस्पेण्ड कर दें। उसको किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो वह किस के पास जाय और कौन फैसला करे। जो अधिकारी वर्ग हैं, उसने उनके साथ में ऐसा किया है। एक अधिकारी अपने अधीन किसी से भी कुछ भी कह सकता है। वह कह सकता है कि तुम ठीक नहीं बैठते हो। तुम से यह आशा नहीं की जा सकती या वह आशा नहीं का जा सकती। उसको तरक्की नहीं मिलेगी। जिसको वह चाहेगा उसको तरक्की मिलेगी। जिन कर्मचारियों के साथ में ऐसा होता है, आप उनकी बात सुनना चाहें तो आप किसी कमरे में बैठकर अकेले में सुनिए जहां उच्चाधिकारी नहीं हो। इसका मतलब यह है कि उनके साथ में उचित न्याय नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि सेवा निवृत्त कर्मचारी हटे हैं। सरकार के अन्दर जो अधिकारी बैठे हैं, उनके मन में वैसा ही अधिकार बैठा है। मैंने मुख्य मन्त्री महोदय के सामने ऐसे कई मामलों को रखा है। एक जागीर का कर्मचारी है जिसको बिना किसी शिकायत के कहा कि घर चले जाओ। यह कहने वाला कौन आदमी है। मेरे कहने का मतलब है कि आप विधान सभा में किस

(श्री दीपंकर)
लिए बैठे है। आप कर्मचारियों के अधिकार की बात करते हैं। उनकी कौन सुने। उच्च न्यायालय का जो जज होगा वह कमेटी का अध्यक्ष होगा तो वही सुनेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं समझता हूं कि कहीं पर बात हो रही है, आप निबटाना चाहते हैं विभागीय आधार पर। तो यह बात सही है। वह हाईकोर्ट में क्यों गया है। इसलिए कि लोगों का वरिष्ठता सूची में नाम था परन्तु उसको ओहदा नहीं दिया गया। जिम्मेदारी नहीं दी गई। उसके नीचे जो 15 और 10 पर नाम थे, उनको दे दिया। बहुत से आदमी थे। राजस्थान सेवा नियमों के बारे में बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट से, राजनैतिक आधार पर कर्मचारियों की तरक्कियां मारी गई हैं। इसलिए दीवानी अदालत में इतने मुकद्दमे हैं। आप निपटारा करना चाहते हैं तो इसको कम से कम निष्पक्ष बनायें। दूसरे गांवों में रहने वाले आदमी हैं। उन लोगों के लिए आप कानून बनाकर देते हैं। आर. एस. आर. आपके जाते हैं। क्या वजह है, उनके कार्य करने की विधि नहीं है। दो ही विधियां हैं, एक तो क्रिमिनल प्रॉसीजर है, दूसरा सिविल प्रॉसीजर है। काम करने में क्या दिक्कत है? इसलिए जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख दिया जाता है। इसलिए यह सी. आर. लिखने का जो एक व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है, बल्कि यह कहना चाहिए कि उस व्यक्ति का पीढ़ियों का भाग्य सुधर जाता है। अन्यथा यह कहा गया कि मैं गया, वह आदमी नहीं मिला। इतना कह कर चाहे जिस आदमी की शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटे दस्तावेज बनाने से बचायें। बिगड़ते हुए भाग्य को बचायें। आपने उदारता पहले दिखा कर इसको प्रवर समिति को दिया। उसमें सभी के विचारों का वर्णन है। विभिन्न तरीकों से राय ली गई है। रामानन्द जी की भी राय है। मैं उसका बहुत विश्वास करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब वह अपील में जाता है तो उसको स्टे मिलना चाहिए। उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर अपील में जा रहा है तो उसको वेतन मिलना चाहिए। उसकी छुट्टी को सवेतन माना जाना चाहिए। इसी तरह से ऐसी कुछ बातें हैं जिनको अगर नहीं माना जाएगा तो कर्मचारी सिक्योर्ड नहीं है। वह यह महसूस करता है कि उसको अफसरों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। वह यही सोचेगा कि हमारा बॉस नाराज होगा तो हमारी जिन्दगी बिगाड़ देगा। अगर हम समाजवाद की रचना करने जा रहे हैं, तो आप ऑफिसर को नहीं, छोटे से छोटे कर्मचारी को हिम्मत बंधाएंगे तो वह ज्यादा लाभकारी होगा। ऐसे आदमी के बारे में ज्यादा चिन्तन करें ताकि उनको विश्वास मिल सके। मैं समझता हूं कि यह प्रवर समिति में जाने और संशोधन लाने की जो कुछ भी चर्चा हुई है, जो विचार है, वह यह है कि आज मुकदमेबाजी बढ़ रही है। उसको निपटाना है। निपटाया जाएगा तो जो तरक्की मिलेगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। परन्तु जो लोग रोयेंगे टेबल पर बैठकर चुपचाप

(श्री दीपंकर)

उनकी भी आप सोचिए। उनको आपने विभागीय तौर पर किस प्रकार से तरक्की दी है। औरों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा आपका उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपने हाई कोर्ट का जज बना दिया है। इसमें अगर आप यह करेंगे कि विधान सभा का अलग से होगा, नगरपालिका का अलग से होगा, पंचायत समिति का अलग से होगा—यह अलग अलग नहीं होकर एकरूपता में सामने आये जिससे कि सरकारी नीति का परिपालन कर सके। इसी कारण मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

आप इसे मानने की कृपा करेंगे। जिनको दण्ड दिया गया है, उनकी नहीं सुनेंगे तब कितने ही फैसले और तारीखें देंगे, रास्ते रुके ही रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को पुनः एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में/इसी सत्र/सात दिन में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)]

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1975, प्रवर समिति के दौर से गुजर कर सिफारिशों के साथ में सदन में उपस्थित है। प्रवर समिति ने दो वर्ष में अपनी 25 बैठकों में राज्य के विभिन्न कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों, एडवोकेट्स से और इस मामले में जो स्पेशियलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करके अपना यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया है।

अमेण्डेड प्रतिवेदन के अन्दर पिछले प्रतिवेदन के मुकाबले में काफी सुधार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ क्लॉजेज और कुछ सब-क्लॉजेज बहुत सख्ती से और स्पष्ट रूप से जोड़े जाने की आवश्यकता थी।

आरम्भ में जब इस सदन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और प्रवर समिति के पास गया उस समय इस बिल का दायरा बहुत ही सीमित था और केवल राज्य सेवाओं या अधीनस्थ सेवाओं या सचिवालयीय या चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं या उच्च न्यायालयों की अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को छोड़ कर इन सब सेवाओं के कर्मचारी इसके अन्तर्गत आते थे। लेकिन अब जब कि यह बिल प्रवर समिति के सामने गया और भिन्न-भिन्न सेवाओं के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करीब दस संगठनों को प्रस्तुत किया गया और उन्होंने इस पर विचार करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि नगरपालिकाओं के कर्मचारी, पंचायतों और पंचायत समितियों के कर्मचारी, राज्य परिवहन निगम और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के कर्मचारी भी इसके अन्तर्गत आने चाहिये तो प्रवर समिति ने री-अमेन्डेड क्लॉज के अन्दर यह जोड़ा कि—'Civil Services' means the civil services of the State of Rajasthan and such other services as the State Government may, notify in the official gazette from time to time."

लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि प्रवर समिति के सामने ऐसी क्या कठिनाइयां थीं कि जिनके कारण राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी या नगरपालिकाओं के या पंचायत समितियों के कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत ले लेते या पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो स्कूल आते हैं उनके कर्मचारियों को भी इसके अन्दर ग्रहण कर लेते ? या और किसी अन्य कैटेगरी के कर्मचारियों को, जिनको कि राज्य सरकार इसके अन्दर लाना जरूरी महसूस करती हो, उसको इसके अन्दर सम्मिलित किया जाय जो उनको भी किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के मामले यह अपीलेट ऑथोरिटी ले सकती है, पहले जो पिछला प्रतिवेदन था, उसमें तो चार प्रकार की कोर्ट्स की बात थी, अब एक सिविल अपीलेट ऑथोरिटी बना दी गई है और बाकी सरकार फ्रोम टाइम टू टाइम गजट नोटिफिकेशन के जरिये लाया करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सलेक्ट कमेटी के दौर से गुजर जाने के बाद जो यह नया बिल आया है वह भी वेग है। इसमें कई अमेन्डमेन्ट भी मैंने प्रस्तुत किए हैं जिनका जिक्र अमेन्डमेन्ट पेश करते वक्त करूंगा। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों का दमन, कर्मचारी संघों के विवाद, आवश्यक सेवा निवृत्ति के मामले, या सी. आर. के मामले गुप्त रिपोर्ट के मामले भी इसमें जोड़ देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज हम देश में एक नये आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने जा रहे हैं और राजस्थान में जो पचास वर्ष की आयु के कर्मचारी हो गये हैं और जिनका सेवा काल बीस वर्ष हो चुका है उन कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने का भी जो एक नया कानून बनाया गया है और जो प्रायः सभी प्रान्तों में अभी नहीं है, उसको हमने लागू किया है और इसके अन्तर्गत हजारों, सैंकड़ों कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त भी किया है और अगर इस पर दृष्टिपात करें तो आई. ए. एस. ऑफिसर तो केवल एक है और आर. ए. एस. भी दो-चार से अधिक नहीं होंगे। अधिकतर कर्मचारी, जिनको सेवा-निवृत्त किया गया है, सैकिण्ड केटेगरी के लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या में थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं। अगर इस कानून पर निगाह डाली जाय तो हम एक निश्चित नतीजे पर पहुंचेंगे कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिये कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट को मुख्य आधार मानकर या जनरल रेपुटेशन के आधार पर ऐसा किया है। कुछ मामले इस सदन में भी आये थे जैसे करणसिंह का मामला इस

Page No 72

(72)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सदन में आया। राज्य सरकार ने अनेक ऐसे कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त किया है जिनकी कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट खराब थी। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि आज ऐसे कर्मचारियों, जिनको कम्पलसरीली रिटायर किया जा रहा है, की सुनवाई के लिए या अपील करने के लिए कोई कोर्ट हो जिससे उनको अपेक्षित न्याय प्राप्त हो सके। आज केवल वे इसके लिए मिनिस्टर से ही डिमाण्ड कर सकते हैं। आज सी. आर. का मिसयूज इमर्जेन्सी में एक बहुत बड़ा फीचर हो गया है। सी. आर. लिखने के सम्बन्ध में फासिज्म को बहुत मजबूत किया गया है और मेरे सामने ऐसे अनेक मामले हैं जहां पर कि हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट अपने सबोर्डिनेट की सी. आर. लिखने की बात करते हैं तो उसके लिए पैसे तय होना शुरू हो गया है कि अगर आप अपनी कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट सही लिखवाना चाहते हो। बहुत से ईमानदार कर्मचारी हैं जो अपनी सी. आर. लिखवाने के सिलसिले में मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको भ्रष्ट तरीके अपनाने पड़ रहे हैं, मजबूर होकर उनको ऐसा करना पड़ता है नहीं तो उनको सेवा-निवृत्त होना पड़ रहा है या फिर उनकी सी. आर. खराब की जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारे मामलों को भी शामिल करना बहुत ही आवश्यक है, इनको भी इस अपीलेट ऑथोरिटी के अन्तर्गत लाया जाय। फिर इस अपीलेट ऑथोरिटी का हैड एक आई. ए. एस. ऑफिसर रखा है। मैं समझता हूं कि इस बिल की यह मन्शा है जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के अन्दर यह वर्णित है कि सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में फैसले होने में बहुत समय लग जाता है और लोगों के अन्दर इस तरह की एक भावना है कि लोग वहां इसलिए जाते हैं कि वहां एक जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट अपने केस में चाहते हैं। इसलिए अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हो तो यह भी होना चाहिए कि मेजोरिटी इसमें जुडीशियरी की हो और इसका हैड भी एक जुडिशियल ऑफिसर हो। इस तरह का प्रावधान भी इसके अन्दर हो कि ऐसे भी दो ऑफिसर इन्क्लूड किये जायं, लॉ सारा का सारा गजट में नोटिफाई करें। चाहे पांच लोगों की अपीलेट ऑथोरिटी हो, उसमें सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज निश्चित रूप से हैड होना चाहिए या उसी लेवल के हाई-कोर्ट के जज के लेवल के लोग हो सकते हैं जिससे कर्मचारी यह महसूस कर सकें कि उनको अपेक्षित न्याय मिल सकेगा।

एक बड़ी कमी, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह है कि उस कर्मचारी का केस किस प्रकार का है, किसी भी प्रकार का हो उसमें उसको स्टे ऑर्डर नहीं प्राप्त हो सकेगा। फिर सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट के मुकाबले में किस प्रकार से हम अधिक सहूलियतें देने की बात करते हैं? इसलिये इसमें स्टे ऑर्डर का प्रावधान होना चाहिए, यह बात मैंने संशोधनों में भी पुटअप की है।

एक बात यह भी है कि जितने दिन कर्मचारी इस अपील के सिलसिले में इस कोर्ट में रहे, जितने दिन उसको लगें या जितनी देर रहे वह उसी तारीख में रहे, जिस तारीख में रहे वह उसकी ड्यूटी में रहे, गिना जाय न कि उसको कोई स्पेशल लीव लेनी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

पड़े या कैजुग्रल लीव लेनी पड़े या विदाउट सैलेरी लीव लेनी पड़े या हाफ सैलेरी लीव लेनी पड़े। इसलिए जब उसके केस की ग्रपीलेट ग्रॉथोरिटी में सुनवाई हो रही है तो उसको ड्यूटी पर माना जाना चाहिए। इसके ग्रलावा इसकी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्लास फोर ग्रौर जितने भी लो पेड एम्प्लाइज हैं उनको ग्रधिक से ग्रधिक इसका लाभ मिल सके। इसके लिए कोर्ट पहले डेज फिक्स कर सकती है ताकि ग्रपीलेट ग्रॉथोरिटी वहां पर पहुंच जाय ग्रौर वहीं पर उसकी सुनवाई वगैरह हो सके ग्रौर उसको न्याय वगैरह प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके ग्रतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, एक टाइम लिमिट भी इसमें फिक्स की जानी चाहिए क्योंकि कोर्ट में मामलों की सुनवाई ग्रौर निर्णय होने में बहुत देरी होती है ग्रौर इसी कारण से इस बिल को लाया गया है। वैसे तो प्रवर समिति ने भी इसमें बहुत देरी कर दी है, दो वर्षों से भी ग्रधिक समय लगाया है ग्रौर 25 बैठकों के बाद वह इस बिल को सदन में पेश कर सकी है लेकिन फिर भी इसके ग्रन्दर देरी को दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं डाला गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी मामला इसके ग्रन्दर ग्रावे उसका कम से कम 40 दिन के ग्रन्दर ग्रवश्य निर्णय हो जाना चाहिए वह देरी चाहे प्रवर समिति में हुई हो या सिविल कोर्ट में होती हो या ग्रन्य किसी कोर्ट में होती हो, सारी देरी को दूर करके 40 दिन का प्रावधान इसमें डाल देना चाहिए।

ग्रन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह ग्रर्ज करूंगा कि ग्रगर हम ग्रपने एडजेसेन्ट स्टेट्स की इस प्रकार की जो ग्रॉथोरिटीज हैं, उनकी तरफ गौर करें, केवल हम ग्रपने पास के स्टेट गुजरात की ग्रोर देखें, ग्रौर ग्रावश्यक है कि प्रवर समिति ने उन सारी स्टेट के इस प्रकार के बिलों का ग्रध्ययन भी किया होगा, गुजरात में तो इस बिल का नाम है पंचायत सुनवाई ग्रपीलेट ग्रॉथोरिटी। सारी की सारी सर्विसेज गुजरात स्टेट की, चाहे रोडवेज की हों, चाहे पंचायत की हों, चाहे नगरपालिका की सर्विस हो, मैं विधान सभा सर्विस के बारे में नहीं कह सकता, उसको ग्रापने इन्क्लूड नहीं किया है न ही कीजियेगा, ग्रध्यक्ष महोदय प्रतीक हैं प्रजातन्त्र के, उनके द्वारा ग्राराम से निर्णय हो सकता है ग्रौर न्याय प्राप्त हो सकता है ग्रौर न्यायपालिका को भी इसमे लेना मैं उचित नहीं मानता, उसको निकाल देना बिल्कुल उचित होगा, लेकिन जिस प्रकार से एडजेसेन्ट स्टेट ने सारे डिपार्टमेंट्स को ग्रपीलेट ग्रॉथोरिटी में इन्क्लूड किया है, उनकी सुनवाई होती है, उसी प्रकार इस बिल में उनकी सुनवाई का प्रावधान डाला जाना चाहिए। यह बहुत ग्रावश्यक है।

फिर ग्राज विक्टीमाइजेशन के मामले हैं यह मामले चाहे लेबर लॉ से गाइड होते हों, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड से गाइड होते हों, गाइड होते हैं। निश्चित तौर से, ग्राज के 21 सूत्री प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो ग्रधिक इसको प्रभावशील बनाने के लिए सारे के सारे मामले ग्रपीलेट ट्रिब्युनल

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में लाने होंगे। जहां देश के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर से देश के अन्दर नई गति आये और सेल्फ जेनेरेटिंग इकॉनॉमिक एपरेट्स कायम हों उसके लिए यह विक्टीमाइजेशन को निश्चित रोकना पड़ेगा। आपने बोनस आठ पर्सेन्ट के बजाय 4 पर्सेन्ट कर दिया तो फिर पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स के जो कर्मचारी हैं वह कहां जायेंगे? इसके अलावा डिलेइंग मैटर होते जाते हैं, उसी प्रकार से नगरपालिका के अन्दर काफी खींचा तानी के, काफी विक्टीमाइजेशन के मामले चलते हैं, पंचायत समिति में चलते हैं, तो क्विक डिस्पोजल के लिए यह परम आवश्यक है, प्रजेन्ट स्थितियों को देखते हुए सारे मामले, अधिक से अधिक मामले जल्दी से जल्दी इसके अन्तर्गत लाये जाने चाहिए और चालीस दिन का प्राव-धान किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं इन सजेशन के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामनन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जो कि सलेक्ट कमेटी में से होकर आया है, वापिस सलेक्ट कमेटी मे भेजने के लिये प्रस्ताव भेजा है। इस सलेक्ट कमेटी में जो पहले बिल था, उसके मुकाबले में काफी सुधर कर आया है। मैं भी उस सलेक्ट कमेटी का एक सदस्य था। इस नाते मैंने अपना नोट ऑफ डिसेन्ट दिया जिन मुद्दों पर मेरा मतभेद था, या मैं समझता था, उनमें और सुधार होना चाहिए—उनका उल्लेख अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में किया है। उन मुद्दों के बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इस विधेयक में, सलेक्ट कमेटी की सिफारिश के बावजूद जो मामले विचाराधीन इसके अन्दर रखे हैं, उसमें कुछ और मामले भी शामिल किया जाना आवश्यक हैं उनका उल्लेख मैंने इसमें किया है और अमेंडमेंट भी उन क्लॉजेज में भेजे हैं। वह मामले इस प्रकार है दमन के मामले, संघों के विवाद के मामले, अनुशासनात्मक दण्ड के मामले, आवश्यक सेवा निवृत्ति के मामले, वार्षिक गुप्त रिपोर्ट से सम्बन्धित मामले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब हम यह विधेयक ला रहे हैं, इसका उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को अधिक लिटिगेशन से बचाने का और लम्बे समय तक लिटिगेशन से बचाने का मकसद रखा है तो इस सम्बन्ध में राज्य के कर्म-चारियों की स्वयं की क्या इच्छा है, कौन से मामले उनको अधिक परेशान करते हैं और कौन से मामले वे चाहते हैं कि ऐसे ट्रिब्युनल के सामने आयें। तो यह मामले, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ऐसे मुद्दे हैं जो कि उनको बहुत परेशान करते हैं और जिनको आम राज्य कर्मचारी चाहता है कि वह ट्रिब्यूनल के सामने आने चाहिए। मसलन, उपाध्यक्ष महोदय, अभी इमरजेन्सी के बाद आवश्यक सेवा निवृत्ति नियम सरकार ने बना कर लगभग दो हजार कर्मचारी और अधिकारियों को आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त किया है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अब इसके तहत राज्य सरकार ने कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई अपील करने का अधिकार भी, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं रखा है। केवल मात्र कुछ मिनिस्टीरियल सर्विस में कुछ लोगों को अपील का अधिकार अवश्य दिया है। एक तो यह डिस्क्रिमिनेट्री तरीका क्यों रखा? यह बात भी थोड़ी अजीब सी लगती है, जो इसमें बहुत प्रासंगिक नहीं है, चूंकि और सभी आये हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें, एक कैटेगरी ऑफ सर्विस को तो आपने अपील का अधिकार दिया और दूसरी कैटेगरी को, दूसरे लोगों को किसी तरीके का न रिप्रेजेंटेशन का, न इस तरह का अधिकार दिया। इसमें जिस तरह से कुछ मामले हमारे नोटिस में आये हैं, उनके मुताबिक इस प्रकार के अनुचित रूप से भी एक्शन लिये गये हैं, जिसमें जो कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं होने चाहिए उनको सेवा निवृत्त कर दिया गया है। अब इस तरह के मामले जल्दी से इस ट्रिब्युनल के सामने आ जाय तो अच्छा है। लेकिन अभी नियमों में कहीं जाने का रखा नहीं नतीजा यह होगा कि वह एम्प्लाई हाईकोर्ट में रिट के रूप में जाय और इस प्रकार से जो मन्शा है इस कानून के तहत राहत देने की, वह राहत देने की न रह कर उल्टे परेशानी में डालने की हो जायगी, अगर वह इसमें आप नहीं रखेंगे। एक मामला, उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक नोटिस में आया, एक मिस्टर एक्स, जिसके फादर का नाम वाई है, को सेवा निवृत्त किया गया और आॅर्डर एक्स, जिनके फादर का नाम जेड है, को एक्चुअली दे दिया गया। एक्चुअली आॅर्डर एक्स, फादर का नाम जेड, के नाम निकाल दिया गया। ऐसे मामले में न रिप्रेजेंटेशन की इजाजत दें, न अपील की इजाजत दें, फिर नीचे अधिकारी है वह जैसे पुराने जमाने में किस्सा सुना था, किसी को फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी का फंदा बड़ा था, मुलजिम के गले में आया नहीं। उन्होंने कहा, जिसके गले में फंदा आ जाय उसको पकड़ लाओ। उसको लाकर फांसी पर चढ़ा दिया। राजस्थान में जयपुर की पोल सुनी है। आप इसे सारे राजस्थान की पोल मत बनाइये। उसमें इस तरह की पोल बनेगी, एक्स पुत्र वाई को सेवा निवृत्त करें और एक्स पुत्र जेड घर पर बैठ जाय। मैं जानना चाहूंगा, अगर ऐसी बात है—यह तो एक बात है, और भी कई हो सकती हैं तो क्या प्रावधान है कि लोग उसमें रिलीफ ले सकें। आप रिप्रेजेंटेशन भी न देने दें, आप अपील न करने दें। यह कहां तक न्यायोचित है? हम यह मानते हैं कि इस प्रकार के मामले हो सकते हैं जिनमें सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए। इस सदन के अन्दर हमने कहा, यह शिकायत है, आर. एस. एस. और आनन्द मार्ग से सम्बन्धित लोग हैं, जिनका आपके पास रिकार्ड मौजूद है। इस सदन में हम रिकार्ड रख रहे हैं, उनको आप सेवा निवृत्त नहीं कर रहे हैं। यह शिकायत है। इसलिए इस बात से हमें एतराज नहीं है कि आपने इतना नम्बर क्यों किया। लेकिन एक्स के बजाय वाई का कर रहे हैं। कल ही सदन के सामने आया कि आर. एस. एस. का आदमी गिरफ्तार हो गया उसको दुबारा नौकरी में रख रहे हैं और जिसने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शिकायत की थी उसको पेनलाइज करके घर पर बिठाया। नं. 1 में चयन हुआ है राधेश्याम गोयल का। तो ऐसे मामले सेवा निवृत्ति के आपको ट्रिब्युनल के जुरिस्डिक्शन में रखने चाहिएं। इसी तरह से मैंने ए. सी. आर. के बारे में सजेस्ट किया। दरअसल तो यह ए.सी.आर. का सिस्टम है, अपने आप में ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार थी उसमें अनुचित तरीके से कर्मचारियों को, हिन्दुस्तान के लोगों को अपने नीचे दबाव में रखने के लिए इस पद्धति को इन्ट्रोड्यूस किया था। अभी तक इसको इसी रूप में जारी रखना, यह भी विचारणीय है। लेकिन जिस रूप में आज है यह निश्चित तौर से किसी भी डेमोक्रेटिक प्रशासन के लिए शोभाजनक नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेज मेरे नोटिस में है जिनमें एक अधिकारी ने कहा कि अमुक बिल पास कर दो और अकाउन्टेन्ट ने कहा कि इसके अन्दर गड़बड़ है, माल खरीदा नहीं गया या इन्फीरियर क्वालिटी का है, मैं कैसे पास कर दूं तो ऐसे लेखाकार के विरुद्ध अधिकारी ने ए. सी. आर. में विपरीत रिमार्क लिख दिया। इससे उनकी लाइफ खराब होती है, प्रमोशन और सेवा निवृत्ति के मामले तय होते हैं। मुझे यहां तक जानकारी है कि बहुत से केसेज में एडवर्स रिमार्क्स कर्मचारी को कम्युनिकेट भी नहीं होते, सरकार उन्हीं पर एक्ट अपोन करके प्रमोशन और दूसरे प्रश्न तय करती है, यह अनुचित है। अगर आप ए. सी. आर. को इसमें न रखें तो मुझे खुशी होगी लेकिन अगर आप इस सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं तो उस मामले को इस ट्रिब्युनल के सामने आने का मौका दिया जाए। एडवर्स रिमार्क किसी के खिलाफ हुआ है उसे इस ट्रिब्युनल के सामने लाकर इस मामले को तय करा दें।

इसी तरह से आपस में जो एसोसियेशन्स हैं इनके रिकग्नीशन के झगड़े हैं इनके मामले भी सामने आते हैं। ऐसे मामले मेरे नोटिस में आए हैं जिनमें एक माइनोरिटी एसोसियेशन 10-12 आदमियों की मिलकर बना दी, पहली एसोसियेशन आपको इसलिए पसन्द नहीं है कि वह अधिकारियों की कमियां बताती है तो फौरन माइनोरिटी एसोसियेशन को रिकग्नाइज करके उससे बात करने लगते हैं। हम समझते हैं कि यह डेमोक्रेटिक तरीके के विपरीत है। यही सबोर्डिनेट अकाउन्ट्स सर्विसेज एसोसियेशन के संबंध में हुआ। श्री कुलदीप सिंह उसके प्रेसीडेंट हैं। कुछ लोगों को वह पसंद नहीं था तो विभाग के लोगों ने दूसरा संघ खड़ा करके उसको मान्यता दे दी क्योंकि पहली एसोसिएशन ने अपने अधिकारी के खिलाफ गबन वगैरह की शिकायतें की थीं। तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाए आल्टरनेटिव यूनियन खड़ी करके उसको मान्यता दे दी। तो इस प्रकार के मामले इसी ट्रिब्युनल के सामने आने चाहिए।

दूसरे मुद्दे पर मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे गौर करें। वह यह है कि इस ट्रिब्युनल को बनाने में हमारी मन्शा है कि राज्य कर्मचारियों को जो अभी सुविधायें हैं उससे कुछ अधिक सुविधायें दें। उनके पास जो सुविधायें मौजूद हैं उससे कम करके छीनने की नहीं है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की भी यही मन्शा है तो फिर आप इस तरीके से ट्रिब्युनल बनायें जिससे राज्य कर्मचारियों में ज्यादा विश्वास

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पैदा हो। अभी जो व्यवस्था है इस कानून के वगैर भी वह दो फोरम की है। राज्य कर्मचारी अपने ग्रीवेन्सेज के लिए लोअर सबोर्डिनेट कोर्ट में और उन्हीं मुद्दों पर फैक्चुल मुद्दों पर हाईकोर्ट में जाता है। अब आप ये दोनों फोरम हटाकर उनको एक फोरम में केवल ट्रिब्यूनल में दे रहे हैं। इस कानून के आने के बाद हाईकोर्ट में भी कर्मचारी तमाम मुद्दों पर नहीं जा सकेंगे। ऐसे ही केसेज में जा सकेंगे जिनमें हाईकोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो अपीलेट अधिकार हैं में उनके तहत जो पहले कर्मचारी जा सकते थे, इस ट्रिब्युनल बन जाने के बाद उसके अंदर नहीं जा सकते। इसलिए आप कर्मचारियों से कहना चाहते हैं कि अभी आपके दो फोरम मौजूद हैं, हम आपको अब एक ही देना चाहते हैं लेकिन ऐसा देते हैं कि जो फाइनल है इससे आगे मत जाओ। इसका स्वरूप आप ऐसा बनाते हैं कि इसका अध्यक्ष वही प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं और सरकार उस कर्मचारी से कहती है कि सिविल कोर्ट में मत जाओ, हाईकोर्ट में मत जाओ। फिर आप दावा करते हैं कि इस विधेयक के जरिए आप ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। यह उचित नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के चाहे आपस में कितने मतभेद और राइवलरीज हों चाहे अब सर्वे करवा लें, सबने एक मत से कहा है कि हम हाईकोर्ट जज इसका चेयरमैन चाहते हैं, हम आई. ए. एस. को इसका अध्यक्ष नहीं चाहते हैं। उनके जरिए तो हमें जो कुछ न्याय मिलना था वह मिल चुका है, उसके अगेन्स्ट में तो हम इस ट्रिब्युनल में जा ही रहे हैं। इसलिए जब वह प्रशासनिक अधिकारी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्युनल में जाता है; उस डिसीजन में सरकार तक का फैसला होगा, मंत्रिमंडल की फैसला होगा तो वह आई. ए. एस. अधिकारी, जो खुद पार्टिसिपेट करता है या उसका कुलिग पार्टिसिपेट करता है जिसका दृष्टिकोण भी उसी तरीके का बना हुआ है और जिससे वह मोरेली बाउण्ड है, जिस सरकार के डिसीप्लीन में वह है, क्या उसमें कर्मचारियों का विश्वास हो सकता है कि वह निष्पक्ष न्याय देगा?

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रिब्युनल जो बनाया जाए, इसका अध्यक्ष एक हाईकोर्ट जज होना चाहिए। उसके बाद दूसरे जो दो अधिकारी हैं उनमें एक प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है और दूसरा टेक्नीकल एक्सपर्ट लेकिन चेयरमैन हाईकोर्ट जज होना चाहिए। अगर वह हम नहीं करते हैं तो इसका मकसद डिफीट होगा और उसका नतीजा यह होगा कि जो हम कर्मचारियों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं, उनको यह महसूस होगा कि ऐसा ट्रिब्यूनल उन पर थोपा जा रहा है। कोर्ट में जो जाने का अधिकार था उसको छीन कर उनको रोने भी न दें, यह सही नहीं होगा और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि ट्रिब्युनल बनाने के लिये और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये जो प्रपोजल आये हैं उसमें ऐसा है कि हमने दो के बजाय एक ट्रिब्युनल बनाने का सुझाव रखा है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें ऐसा भी है कि ट्रिब्युनल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि जब आप एक ही ट्रिब्युनल कायम कर रहे हैं तो आप उस ट्रिब्युनल के लिये ऐसा आदेश दे दें कि वह ट्रिब्युनल सभी डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स पर जाकर लोगों की अपीलें सुने। अगर हम ऐसा नहीं कर पायेंगे तो मैं समझता हूं कि जहां आपने सरकारी कर्मचारियों को सुविधा देने के लिये यह ट्रिब्युनल बनाने की व्यवस्था की है वह सुविधा आप शायद उनसे छीनने की बात कर रहे हैं। इसमें अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो बहुत ही भयंकर स्थिति कर्मचारियों की हो जायेगी। क्योंकि मान लीजिये जैसलमेर का एल. डी. सी. या जैसलमेर का कोई चपरासी है उसके खिलाफ किसी ने एक्शन ले लिया जैसे किसी एल. डी. सी. को डिसमिस कर दिया या उसका ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दिया या रिवर्शन कर दिया तो उस व्यक्ति को दीवानी दावा करने के लिये जयपुर में आना पड़ेगा। अब एक एल. डी. सी. बेचारा गरीब या कोई चपरासी है वह जैसलमेर से किराया लगाकर यहां आयेगा तो उसका कितना समय नष्ट हो जायगा, कितना पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो वह ऐसे सिविल केसेज के लिये जैसलमेर में ही सिविल जज के कोर्ट में केस कर सकता है। नहीं तो ऐसे कर्मचारी को, जिसका कोई डिसमिसल का या सीनियोरिटी का मामला है, उसके बारे में या कोई एडवर्स एन्ट्री के बारे में अपील करनी होगी तो वह सिर्फ जहां ट्रिब्युनल है वहीं पर आकर अपील कर सकेगा। इससे मैं समझता हूं लोगों को जो आप सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात करते हैं वह बिलकुल बंद हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे आप ट्रिब्युनल का हैडक्वार्टर जयपुर में रखें लेकिन आपको चाहिए कि उस व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा दी जावे। ट्रिब्युनल हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर निश्चित तारीख पर जावे ताकि लोगों को सुविधा मिले। नहीं तो आप जहां सुविधा बढ़ाने की बात कर रहे हैं वहां शायद मैं समझता हूं कि आप सुविधा घटा रहे हैं। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सामने जो दो मुद्दे रखे हैं उन पर राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। एक तो ट्रिब्युनल की फिक्स्ड डेट हो ताकि वहां पर कर्मचारी अपना केस इन्स्टीट्यूट कर सके। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी ट्रिब्युनल में केस करने जावे उसको गवर्नमेंट ड्यूटी पर माना जाना चाहिये। नहीं तो उस कर्मचारी को बहुत ही दिक्कत होगी। उसको अपनी पी. एल. खराब करनी पड़ेगी या उसको अपनी सी. एल. खराब करनी पड़ेगी। अगर यह दोनों ही नहीं करेगा तो वह मेडिकल सर्टिफिकेट झूठे पेश करेगा लेकिन वह यह तो कर नहीं सकेगा क्योंकि उसको कोर्ट में केस इन्स्टीट्यूट करने के लिये हाजिर होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से पैनेलाइजेशन होगा। इसलिये आप इस बात पर विचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल सलेक्ट कमेटी में डिस्कस हो रहा था तब भी कुछ मुद्दों का मैंने यहां पर उल्लेख किया है। उनके बारे में वहां भी निवेदन किया था और उनको न मानने पर मेरा नोट ऑफ डीसेन्ट भी दिया हुआ है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिये मैंने यहां सदन में भी अपने विचार इस बारे में व्यक्त किये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में यह सुधार किये जायें। इसके लिये मैं ज्यादा डिले होना तो मुनासिब नहीं समझता हूं। इसलिये या तो आप इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें और फिर जो चेन्जेज करने हों वह कर लें या आप यों ही इनफॉर्मल डिस्कशन इस पर कर लें ताकि जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं साफ हो जायं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये और जनमत जानने परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव रखे हैं।

श्री दीपंकर : डीडवाना से नहीं लाडनूं से।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां लाडनूं से। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी माननीय सदस्यों ने करीब-करीब वही मुद्दे वापिस दोहराये हैं जो कि उन्होंने अपने प्रस्तावों में कहा है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय। तो उसके बारे में जब संशोधनों पर खण्डशः विचार किया जायेगा तब उन पर अलग से विचार कर लिया जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उन माननीय सदस्यों का मूल उद्देश्य इस बिल के स्कोप को बड़ा करने का है। इसमें उन्होंने कुछ मुद्दे और जो उठाये हैं उनमें कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के केसेज के बारे में और एसोसियेशन्स को इन्क्लूड के बारे में करने की बात कही है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं राज्य सरकार की इस विधेयक को लाने की मन्शा इस प्रकार की थी, आज जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने केस के लिये कोर्ट में जाते हैं तो उसमें जो प्रोसीजर है वह बहुत ही लम्बा होने की वजह से उन्हें सही वक्त पर न्याय नहीं मिलता है और इस प्रकार एक स्टे कोर्ट से मिल जाने के बाद कोर्ट में केस काफी लम्बे समय तक चलता रहता है जिससे वह लोग अपने अधिकारों और न्याय से वंचित हो जाते हैं। इसलिये राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल कायम करने का फैसला किया। इससे जो प्रोसीजरल ज्यादा लम्बी डिले हो जाती थी कर्मचारियों के सर्विस मैटर्स में न्याय मिलने के लिये, वह जल्दी से जल्दी निपटाये जा सकें इसलिये यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल कायम किया जा रहा है। जहां तक सवाल कर्मचारी संघों का इस ट्रिब्युनल के गठन के बारे में है सभी ने इसका स्वागत् किया है। सभी संघों ने इसको पसन्द किया है। हां कुछ मामलों में अलग-अलग संघों ने चेयरमैन और सदस्यों के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन ट्रिब्युनल बने इसके लिये सभी संघ एक मत के हैं। इसके अलावा जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि लोगों को कम्पलसरी रिटायर किया

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

गया है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि जहां तक कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का सवाल है कोई इमर्जेन्सी की वजह से लोगों को रिटायर किया हो और पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो यह बात नहीं है। हमारे यहां जो आर. एस. आर. है उसमें सेक्शन 244 पहले से ही था और हर साल लोगों को सेक्शन 244 (2) के तहत रिटायर किया जाता रहा है। और उसके लिये अपील करने की पहले भी गुन्जायश थी उसमें अगर अफेक्टेड व्यक्ति यह महसूस करता तो वह उस वक्त भी हायर आँथोरिटीज को अपील कर सकता था। इसमें अगर कोई भूल से हो गया हो या कोई रिकार्ड के अनुसार गलत सूचना मिल गयी हो तो उसको अपील की पहले भी सुविधा थी और वह आज भी है। कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के बारे में आज भी उन कर्मचारियों को सुविधा दी गयी है उनको आँपोरचुनिटी है वह राज्य सरकार को अपील कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी सुविधा शायद कम्पलसरी रिटायरमेन्ट वाले लोगों को नहीं दी गयी है, ऐसी मेरी जानकारी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी सुविधा है उनका प्रतिवेदन गवर्नमेन्ट के सेक्रेट्रीज के पास जाता है और उस प्रतिवेदन को स्क्रूटिनाइज करके बाद में जो मिनिस्टर कन्सर्न है उसके पास वापिस भेजते हैं। इस प्रकार अलग-अलग डिपार्टमेन्ट्स के सेक्रेट्रीज के पास अलग एप्लीकेशन्स स्क्रूटनिंग के लिये आयी हैं और उनको वह लोग स्क्रूटिनाइज करने के बाद कन्सर्निंग मिनिस्टर के पास भेजते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन है? हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसा सेक्शन 244 (2) के तहत जिन लोगों को रिटायर किया गया है मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन्स नहीं दिये हैं वह क्या अभी भी अपना रिप्रेजेन्टेशन्स दे सकते हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी रिप्रेजेन्टेशन्स दे सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक बात ए. सी. आर. के बारे में कही गयी है कि यह बहुत पुराना तरीका है ए. सी. आर. भरने के बारे में तो हमने नया तरीका ए. सी. आर. के बारे में रखा है। हालांकि वह इस साल से लागू नहीं होगा अगले साल से लागू किया जावेगा। फिर भी अगर कोई आँफिसर ए. सी. आर. में किसी प्रकार की एडवर्स एन्ट्री करता है तो उसमें प्रोसीजर दिया है उसको अपील करके करेक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो विक्टीमाइजेशन के बारे कहा है तो यह विक्टीमाइजेशन जो शब्द है यह बहुत ही वाइड टर्म है या जो आप कह देंगे कि फलां व्यक्ति को ट्रान्सफर कर दिया उसको आप विक्टीमाइजेशन में लेंगे तो वह बात नहीं होगी। आज भी ट्रान्सफर के मामले को लेकर कोई भी कर्मचारी सिविल कोर्ट में नहीं जाता है और जा भी नहीं सकता है। इसलिये उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के स्कोप में नहीं रखा। इसके अलावा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
एक फोरम बना दिया दो फोरम के बजाय। वह कोई बात नहीं है। इसके अलावा अपील हो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के खिलाफ में कोई एग्रीव्ड व्यक्ति हो वह हाईकोर्ट में जा सकता है, रिट कर सकता है ऐसा प्रोविजन। हमने इसमें रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के फैसले के खिलाफ में हाईकोर्ट में रिट करने के लिये उसको आज भी डिबार करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि जैसा कि इसमें कहा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कर भी नहीं सकते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कुछ रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं।

इसी तरह से आपने यह कहा कि हाई कोर्ट के जज को ट्रिब्युनल का चेयरमैन बनाया जाना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल बनाने की सरकार की मंशा है इसीलिये इसका चेयरमैन एक सुपरटाइम स्केल के आई. ए. एस. अफसर को किया है। उससे यह अपेक्षा करें कि लोअर कोर्ट से दिये हुए जजमेन्ट को वह डिटो कर देगा यह मैं नहीं मान सकता। इन्टरप्रिटेशन का सवाल हो सकता है। उसके लिये हायर जुडिशियल सर्विस के एक आदमी को इसमें रखा है। केवल जुडिशियल अफसर को चेयरमैन बना देने से ही न्याय मिल जायगा यह मैं नहीं मान सकता। जुडिशियल माइन्ड का आदमी इसमें रखा है और वह जजमेन्ट दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में जो लोग समझते हों, जिनकी जानकारी हो वह अच्छी तरह से इन मामलों का निर्णय कर सकते हैं और उसमें देरी होने की गुन्जाइश भी नहीं रहती है। इसलिये चेयरमैन के लिये कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का ही सुझाव दिया है और सुपर टाइम अफसर को इसके लिये किया है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसमें काफी विलम्ब हो चुका है। 74 में यह बिल विधान सभा में प्रस्तुत हुआ। हमने इस बिल को डिस्कशन के दौरान जो प्रवर समिति को दिया गया था करीब 2 राजस्थान के उन सब ही व्यक्तियों को, जिनका इससे सम्बन्ध है, कर्मचारी संघों को, अन्य प्रमुख सम्बन्धित व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। न केवल उन लोगों को, जो कि लीगल पॉइन्ट आॅफ व्यू से ऐसे मामलों की अपीलों को करते रहे है, सुना है बल्कि उन लोगों को भी समिति ने सुना है जिनका इस विषय में काफी अनुभव है और तब जाकर समिति ने कन्सोलिडेटेड रूप में यह रिपोर्ट पेश की है इसलिये जनमत जानने अथवा इसको दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। माननीय श्री रामानन्द जी का यह प्रस्ताव है कि इसको वापिस दुबारा प्रवर समिति को भेजा जाय, हालांकि वे इस प्रवर समिति के प्रमुख सदस्य रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने अमेन्डमेन्ट्स भी पेश किये हैं क्लाजेज पर उन पर विचार करने का मौका मिलेगा और इसलिये इसको दुबारा प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से मैं यह उम्मीद करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने और दुबारा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव किया है वे उनको वापिस लेंगे।

श्री दीपंकर : मैं वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री दीपंकर : मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दुबारा प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या दुबारा प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित है, को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

खण्ड 2

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, "खण्ड 2 के भाग (च) में खण्ड vii) के बाद निम्नांकित उप-भाग (viii), (ix), (x), (xi), (xii) जोडे जायं और वर्तमान खण्ड (viii) को खण्ड (xiii) पुनः संख्यांकित किया जाये—

(viii) दमन के मामले,

(ix) संघों के विवाद के मामले,

(x) अनुशासनात्मक दण्ड के मामले,

(xi) आवश्यक सेवा निवृत्ति के मामले,

(xii) वार्षिक गुप्त रिपोर्ट से सम्बन्धित मामले।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
है उसमें यह चाहा है कि सेवा मामलों के अतिरिक्त कुछ मामले और हैं जिनको इसके अन्तर्गत जोड़ा जाय।

(1) दमन के मामले, (2) संघों के विवाद के मामले, (3) अनुशासनात्मक दण्ड के मामले, (4) आवश्यक सेवा निवृत्ति के मामले, और 5 वार्षिक गुप्त रिपोर्ट से सम्बन्धित मामले। इन सब मामलों को भी इसमें इन्क्ल्यूड करने की बात कही गई है।

जहां तक दमन के मामलों का प्रश्न है दमन की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं दी जा सकती है। दमन से मतलब माननीय सदस्य का यह हो कि वरिष्ठता के आधार पर उसको प्रमोशन न देकर उसके साथ दमन किया गया है और उसके राइट्स को छीना जा रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में इस बात का प्रोविजन किया हुआ है कि सीनियोरिटी के मामले किस प्रकार से डिसाइड होंगे। इसमें उनको कवर किया है। दमन से माननीय सदस्य क्या समझते हैं, यह मैं नहीं समझ सका और मुझे नहीं मालूम। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर से ही मतलब आपका दमन से है, मैं उसको नहीं मान सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से ही ट्रान्सफर किये जाते हैं और इसलिए इन मामलों को इसमें इन्क्लूड नहीं किया जा सकता है। वैसे जहां तक संघों के मामलों का प्रश्न है किसी भी कर्मचारी के सर्विस मैटर्स का सवाल है तो उसको पूरा रिप्रेजेन्ट करने का मौका दिया गया है। फिर संघों का किस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझ नहीं पाया। सर्विस मैटर्स से सम्बन्धित मामले हैं जो कि सिविल कोर्ट में जाकर डिले होते थे, उसको खत्म करने के लिये ही तो यह ट्रिब्युनल बनाया गया है जहां पर जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त किया जा सके। किस संघ की मेजोरिटी रहती है और किसको प्रतिनिधित्व दिया जाय वह तो अलग फोरम है और उस पर विचार किया जा सकता है। अनुशासनात्मक दण्ड के मामले में भी ट्रिब्युनल में आना चाहिये। किसी आदमी को किसी कारण से सजा दी जाती है तो ट्रिब्युनल में जाने का इस बिल में उसको अधिकार दिया गया है। उसकी गुन्जाइश है। रिप्रेजेन्ट करने का इसमें और लाने से कोई फायदा नहीं।

मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि एनुअल कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट उस साल में की गई उसमें उस आदमी के विषय में कार्यों का विवरण होता है। जो पुराना रूप था उसको अब बदल दिया गया है और नया प्रोफार्मा बना दिया गया है। किसी साल में किसी व्यक्ति के बारे में अधिकारी द्वारा टिप्पणी दी जाती है तो निश्चित रूप से उसको उसकी जानकारी दी जाती है उसके बाद उसको रिप्रेजेन्ट करने का अधिकार दिया हुआ है। जो फार्म प्रोवाइड किया हुआ है उससे अधिक इसमें और प्रोविजन की आवश्यकता नहीं रहती है।

खण्ड 2 में, माननीय सदस्य प्रवर समिति के मेम्बर थे, जिन मामलों को आइडेन्टीफाई कर दिया है ऐसे मामलों के अलावा भी इस ट्रिब्युनल के कार्य क्षेत्र में और कौनसे मामले समय-समय पर राज्य सरकार ला सकती है, इसका प्रोविजन

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कर दिया गया है। जो मामले ट्रिब्युनल में ट्रान्सफर कर रहे हैं, उसकी राज्य सरकार पर पाबन्दी नहीं है। इसके स्कोप को और बढ़ा दिया जाय तो खण्ड 2 में एक प्रोविजो और कर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो सर्विस मेटर्स की बात है वह इस खण्ड 2 मे है। इस पर और विचार किया जा सकता है लेकिन जो आज इन्क्लूड की गई है उसी तक सीमित रहना है।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to withdraw ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, प्रेस करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 को स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3, जो प्रवर समिति की ओर से रखा गया है, के उप-खण्ड (2), को विलोपित करके दूसरा उप-खण्ड (2) प्रतिस्थापित किया जाय जो निम्न प्रकार है:—

"(2) प्रत्येक अधिकरण में अध्यक्ष कार्यरत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिवेतनमान स्तर का अधिकारी होगा।"

तो यह अमेन्डमेंट मैं मूव कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में जो विचार थे, क्यों होने चाहिये उस पर मैं पुनः जोर देते हुये माननीय मन्त्री जी ने जो दलील दी है मैं समझता हूं उन दलीलों में यह बात नहीं आई है कि आखिर जो राज्य कर्मचारी हैं, उनमें अधिक विश्वास यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में है तो उनको उन्हें मानने में क्यों इन्कार होना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने खुद ने स्वीकार किया है और जहां उनके पास दो फोरम थे उनको खत्म करके एक फोरम क्रियेट कर रहे हैं, पहले जुडिशियल फोरम था, प्रशासनिक नहीं था। वह तो अब भी है इस अधिकरण के सामने सबोर्डिनेट ऑफिसर्स के ही केसेज नहीं आयेंगे, अगर प्रमोशन का मामला मंत्रिमंडल ने भी तय कर दिया तो मंत्रिमंडल का मामला भी इनके सामने दिया जा सकता है। इसलिये एक प्रशासनिक अधिकारी अपने उस मंत्रिमंडल के फैसले पर विचार करे जिसके वे अध्यक्ष हैं, उस स्थिति को भी समझिये। कम से कम जिस प्रकार का जुडिशियल सिस्टम है जिसमें जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्स दी है उस तरीके से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जिन लोगों के लिये कानून बना रहे हैं उनको अधिक विश्वास जुडिशियरी के ऊपर है। हाईकोर्ट का जज उसका अध्यक्ष हो तो उसका ज्यादा विश्वास होता है। मैं समझता हूं लगभग तमाम संघों ने इस बारे में एक मत दिया है इसलिये आप दो फ़ोरम को हटाकर इन्डिपेन्डेन्ट एक फोरम करें और प्रशासनिक अधिकारी का करें तो वह असर नहीं होगा जो असर यह कानून देकर आप उनमें पैदा करना चाहते हैं इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को देखते हुये पुनः निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी क्लोज माइन्ड से इस पर विचार न करें और ओपन माइन्ड रख कर कर्मचारियों की जो इच्छा व्यक्त हुई है उसके अनुसार ही उन्हें एक फोरम देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो शब्द कहना चाहता हूं—माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) का जो उत्तर दिया है वह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है। माननीय सदस्य रामानन्द जी ने अपनी दलील में यह कहा है कि आई. ए. एस. ऑफिसर के द्वारा विक्टिमाइजेशन होकर या उसी की आज्ञाओं के द्वारा पीड़ित होकर विभिन्न कैटेगरीज में आता है तो उसी के द्वारा, आई. ए. एस. के द्वारा आप न्याय दिलाना चाहते हैं यह कहां तक न्यायसंगत है? इसका कोई उत्तर इनके पास नहीं है। इसलिये आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती है हाईकोर्ट जज इसका चैयरमैन बनता है तो। इसलिये आपकी यह बात समझ में नहीं आती है इसको बदलने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिये।

इसी प्रकार आपने सारे कर्मचारियों का इन्टरव्यू लिया, स्पेसिलिस्टों का इन्टरव्यू लिया, एडवोकेट्स का इन्टरव्यू लिया, सम्बन्धित जो और पक्ष हैं, उनका इन्टरव्यू लिया और एक कर्मचारी संघ की मांग रही है कि इसका अध्यक्ष हाईकोर्ट का जज हो। उनके एसपीरेशन को देखते हुये जब कि वे ही लोग हैं जो आपके न्याय के सामने आयेंगे तो आप उनके एसपीरेशन को क्यों नहीं देखते हैं। जुडिशियरी का जो स्थान है और प्रशासन का जो स्थान है—दोनों को देखते हुये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी!

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रिब्यूनल के कम्पोजीशन का सवाल है माननीय सदस्यों की एक राय है कि कम्पोजीशन ठीक है। कम्पोजीशन में एक जुडिशियल सर्विसेज का आदमी रखा गया है और दो व्यक्ति जो आई. ए. एस. या आर. ए. एस. के सीनियर स्केल के व्यक्ति हों उनको रखा गया है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो जुडिशियरी के मानते हैं.......

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि इसके कम्पोजीशन से सब माननीय सदस्य सन्तुष्ट हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी, आपने बोला है ऐसा नहीं है। जो प्रवर समिति से पास होकर आया है उसमें एक आई. ए. एस. होगा और तीसरे के बारे में कहा गया है ..

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गवर्नमेन्ट जो नोमीनेट करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन यह जुडिशियरी का भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, आई. ए. एस. भी हो सकता है। इसलिये इसको कोट किया जा सकता है कि दो आई. ए. एस. होंगे। तो कम से कम इसको दुरुस्त कीजिये दो आई. ए. एस. नहीं हों और एक ही हो ....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया था एक सुपर टाइम स्केल का होगा और एक गवर्नमेन्ट जिसको नोमीनेट करे। इसलिये कम्पोजीशन में दो जुडिशियल ऑफिसर को रखने का जहां तक सवाल है किसी माननीय सदस्य ने एतराज नहीं किया है। तीसरे व्यक्ति को इन्क्लूड करने का है, राज्य सरकार जिसको चाहे उसको इन्क्लूड कर सकती है। यह प्रवर समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने है और सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है। अब जैसा कि इसका प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है माननीय सदस्य जानते है कि किसी कारण अगर दो सदस्यों में मतभेद हो जाता है ट्रिब्युनल के मेम्बर्स में तो थर्ड मेम्बर को कन्सल्ट किया जायेगा और बाई मेजोरिटी उसका फैसला किया जायेगा। हायर जुडिशियल सर्विस के अधिकारा को इसमें रखने का कारण भी यही था और आज सिविल कोर्ट्स में जाते हैं तो मुन्सिफ स्तर के व्यक्ति डिसीजन देते हैं और फिर फैसला करते हैं। उससे हमने इसको बढ़ा कर हायर जुडिशियल सर्विस के कैडर के व्यक्ति को इसमें रखने की बात कही है। जैसा मैंने शुरू में भी निवेदन किया था कि किसी लॉ के इन्टरप्रिटेशन का सवाल होगा, किसी कानून के सही ढंग से विवेचन करने का प्रश्न होगा तो हायर जुडिशियल सर्विस की राय उचित मानी जायेगी।

जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक कैटेगरी द्वारा तय डिसीजन को ट्रिब्युनल सुनेगा सो इसमें केवल आई. ए. एस. अधिकारा ही नहीं है बल्कि इसमें हायर जुडिशियल सर्विस का मेम्बर भी रहेगा और दूसरे अधिकारी भी रहेंगे। इसमें यह कोई शंका नहीं है कि किसी ऑफिसर ने कोई निर्णय देने में गलती की तो सुपरटाइम स्केल का आदमी चेयरमैन होगा इसलिये उसकी बात को सही करता रहेगा—ऐसी बात नहीं है। अगर गलत ऑर्डर्स पास हो गये तो ट्रिब्युनल एज सच विचार करेगा और मेजोरिटी से इसमें डिसीजन दिया जायेगा और उसमें जो हायर जुडिशियल सर्विस के सदस्य होंगे उनकी राय भी उसमें प्रिवेल करेगी। इसलिए यह शंका प्रकट करना कि जिन लोगों के मामले ट्रान्सफर किये जायेंगे उनकी आस्था इसमें नहीं रहेगी, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। इसलिए सुपरटाइम स्केल के चेयरमैन की बात कही गई है। उसी आधार पर एक सुपर टाइम अधिकारी को रखने का मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस लेते है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, मैं प्र स करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)
ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है यह बहुत अहमियत का है। जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, उसमें जो इस ट्रिब्युनल की पॉवर्स डिफाइन की गयी हैं उसमें इस ट्रिब्युनल को इन्टरिम ऑर्डर, कोई इन्जेक्शन या स्टे ऑर्डर, जिस ऑर्डर के खिलाफ इनके पास अपील की गई है, उस पर स्टे ऑर्डर देने की कोई पॉवर्स नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता को देखिये। अब भी अगर किसी गलत कर्मचारी का प्रमोशन हो गया और उसका नहीं हुआ वह ट्रिब्युनल में जाता है और ट्रिब्युनल उसमें स्टे ऑर्डर इश्यू नहीं कर सकता तो वह फैसला उसी तरीके से लागू हो जायेगा। इसी तरह से यह जितने भी मामलात हैं इन तमाम मामलात में कोई भी ट्रिब्युनल किसी को भी स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकेगा। अब मुझे यह आश्चर्य है कि यह भी क्या सुविधा है। अब भी जिन कर्मचारियों को आप ज्यादा बेटर फोरम देने की बात कर रहे हैं अगर वह नीचे सिविल कोर्ट्स में जाते हैं तो सिविल कोर्ट्स को इस तरह के स्टे ऑर्डर्स देने के अधिकार हैं और हाईकोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार के स्टे ऑर्डर्स दिये जा सकते हैं उसका इम्पलीमेन्टेशन रोका जा सकता है। यह फोरम क्रियेट करके आप उस कर्मचारी या अधिकारी से यह कह रहे हैं कि हम आपको यह फोरम दे रहे हैं लेकिन दो के बजाय एक दे रहे हैं और जो आपको वहां स्टे ऑर्डर्स मिल सकते हैं इस अदालत को यह भी स्टे ऑर्डर्स देने के अधिकार नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कर्मचारी को अपनी जगह से दूर, दो के बजाय एक फोरम और एक में भी फौरी राहत नहीं मिल सके, जो ग्रिवान्सेज उसके हैं और जिस ऑर्डर के खिलाफ ग्रिवान्सेज लेकर आया है वह ऑर्डर तो लागू होगा ही, उसको आप रोकने नहीं दें जब कि इस समय व्यवस्था है कि वह रोका जा सकता है—माननीय मन्त्री जी उत्तर दें तो बतायें कि क्या इस समय उनको स्टे ऑर्डर्स इन मामलात में सिविल कोर्ट्स से मिल सकते हैं या नहीं ? अगर इस समय भी स्टे ऑर्डर्स नहीं मिल सकते हैं तो बात समझी जा सकती है कि कोई उनके राइट्स में कमी नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई न कोई इन्क्रीमेन्ट कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उनको अब तक स्टे ऑर्डर्स मिल सकते हैं सिविल कोर्ट्स से और मिलते रहेंगे लेकिन इस फोरम के बाद स्टे ऑर्डर्स लागू नहीं हो सकेंगे और उन कोर्ट्स में नहीं जा सकेंगे। इसलिए यह कहा जाये कि इनडाइरेक्टली आप अपना ब्यूरोक्रेटिक कन्ट्रोल अनडेमोक्रेटिक कन्ट्रोल अपनी सर्विसेज के ऊपर ज्यादा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर का मुलम्मा ट्रिब्युनल का बढ़िया बनाकर जो रियल उसकी स्थिति है जो सामान्य नियमों की प्रक्रिया है, जहां अभी भी आदमी जाते हैं प्राइमाफेसी अगर उस केस में गलती दिखाई देती है तो स्टे ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं, वह बात भी आप इसमें नहीं रख रहे हैं। तो मैं इस अमेन्डमेन्ट को पढ़कर इसलिए मूव नहीं कर सकता कि जो पर्चा दिया गया है वह पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी इसको पढ़ दें।

[निम्नांकित संशोधन खण्ड 4 में प्रस्तुत किया गया :

उप-खण्ड (2) के अन्त में निम्नांकित अभिव्यक्ति शब्द 'प्रतिप्रेषित करने' तथा शब्द "की शक्ति होगी" के मध्य अन्तः स्थापित की जायेगी "तथा ऐसे आदेश के क्रियान्वयन पर अन्तरिम रोक लगाने का भी।"]

श्री उपाध्यक्ष : मान लिया। माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 4 में जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य प्रस्तावित करना चाहते हैं उसकी मन्शा यह है कि अन्तरिम आदेश देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। हमारा यह अनुभव रहा है कि जब-जब भी किसी सिविल कोर्ट्स में किसी सर्विस मैटर को लेकर कोई कर्मचारी जाते हैं और उन्हें स्टे ऑर्डर्स प्राप्त हो जाते हैं और उन केसेज के डिसाइड होने में एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, तीन वर्ष नहीं बल्कि चार-चार और पांच-पांच वर्ष से भी अधिक का समय लग जाता है और जब अधिक समय लग जाता है तो यह निर्णय तो बाद में होगा कि गोया उसका राइट बनता था या नहीं या उसकी सिनियोरिटी मानें या नहीं—यह निर्णय तो बाद में होगा लेकिन उस स्टे ऑर्डर होने की वजह से कई बार हमें डी. पी. सी. को पोस्टपोन करना पड़ता है और डी. पी. सी. की मीटिंग नहीं बुला सकते और जिनका राइट होता है उनके राइट्स को भी प्राइमाफेसी कायम नहीं कर सकते। यह बात सही है कि अभी सिविल कोर्ट्स में इस तरह का स्टे ऑर्डर देने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई जुडिशियल ट्रिब्युनल की तरह से फंक्शन करने का रूल नहीं रख सकते और जो भी ट्रिब्युनल के सामने अपील जायेगी उसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जायेगा ताकि किसी भी व्यक्ति को जिसका हक था या गलत ऑर्डर्स निकल गये उसके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय कर लिया जायेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार स्टे ऑर्डर प्राप्त हो जाता है तो जैसे कर्मचारी को अपनी तरफ से जो कुछ कहना है वह समय पर कहते हैं और लम्बी-लम्बी पेशियां आगे बढ़ती रहती हैं और जिसकी वजह से समय पर फैसला नहीं होता। यही कारण था कि इसमें डिले का प्रोसीजर बहुत लम्बा था उसी चीज को समझते हुए और यह समझते हुए कि ट्रिब्युनल बहुत लम्बे समय इन मामलों को पेन्डिंग नहीं रखेगा और जल्दी फैसला करेगा यही जानकार इसमें स्टे ऑर्डर का हमने कोई प्रोवीजन नहीं किया और मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कि स्टे ऑर्डर के देने की वजह से कई तरह की मुसीबतें क्रियेट हो जाती हैं प्रशासन के सामने और कई दूसरे कर्मचारियों का डी. पी. सी. के जरिये से या दूसरे जरिये से चयन होकर राइट होना चाहिए वह सब लम्बे समय तक पेंडिंग रह जाता है। इसलिए ट्रिब्युनल हमेशा इस बात को देखेगा कि जो भी इस प्रकार के केसेज हों, अपील के जरिये उनके सामने आयें वह बहुत शीघ्रातिशीघ्र उनका निपटारा कर सकें और उसके लिए बहुत लम्बा समय नहीं लगे। सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है तो स्टे हो जाता है और बहुत लम्बे समय तक मामला चलता है और वर्षों तक अपीलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं इस वजह से स्टे का प्रोविजन न तो प्रवर समिति ने माना है और राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि इससे डिले होने की सम्भावना है। इसलिए जो माननीय सदस्य ने खण्ड 4 में संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will press.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अधिकरण) विधेयक, 1973 के खण्ड 4 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 में मैंने जो संशोधन रखा है उसका उद्देश्य है, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं कि :

उप-खण्ड (1) में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय:—

"परन्तु अधिकरण जहां तक सम्भव हो सके मामलों की सुनवाई जिला मुख्यालयों पर करेगा"।

जैसा जनरल बहस में बोलते हुए कहा कर्मचारियों की सुनवाई के लिए उनको एक ही फोरम दे रहे हैं। मैंने जैसलमेर की मिसाल दी कि इतनी दूर से आना पड़ेगा तो कितना खर्चा होगा और ऐसा वह महसूस करेंगे कि जैसे उनसे वह फोरम छीन ही लिया गया है। मैं यह चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी इसके अन्दर रख दें कि जहां तक सम्भव हो। वह बराबर शंका नहीं है, यह आइडिया है कि मुख्यालय पर जहां तक सम्भव हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा यह सुविधा आप कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा! आप कहना चाहेंगे क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खण्ड 5 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी मंशा केवल इतनी है कि कर्मचारियों को यह सुविधा जिला मुख्यालय पर दे दी जाय। जहां तक इस ट्रिब्युनल को हैड-क्वार्टर पर रखने का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से एक ट्रिब्युनल होने की वजह से राजधानी में ही रहेगा, ऐसी सदस्य महोदय की मान्यता है। लेकिन ट्रिब्युनल किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर अपील की सुनवाई न करे ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। अगर किसी तरह के केसेज इस तरह के हुए कि वहां पर पचास साठ या सफिशियेंट नम्बर ऑफ केसेज अपील के हों तो ट्रिब्युनल उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर सुनवाई कर सकेगा। माननीय सदस्य के दिमाग में यह शंका है कि सुनवाई के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको यहां आना पड़ेगा इसलिए अपील करने के लिए भी उसको खर्चा बहुत करना पड़ेगा तो मैं निवेदन करूं कि अपील के लिए जरूरी नहीं है कि वह खुद आ करके ही पेश करे। वह रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकेगा और ट्रिब्युनल एक्सेप्ट कर सकेगा। इस तरह की बात उसमें है या की जाएगी, उसके तहत अपील करने को वह स्वयं आये यह जरूरी नहीं है और जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि ज्यों-ज्यों केसेज बढ़ते जायेंगे, ज्यों-ज्यों आवश्यकता महसूस की जाएगी, गवर्नमेंट एक ट्रिब्युनल ही नहीं, एक से अधिक ट्रिब्युनल भी अपॉइन्ट कर सकेगी, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की यह शंका कि लोगों को खर्चा अधिक करना पड़ेगा और सुविधा नहीं मिलेगी, सही नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे जवाब से माननीय सदस्य की शंका मिट जानी चाहिए। इस प्रकार की मंशा राज्य सरकार की नहीं है कि ट्रिब्युनल क्रियेट कर देने से उन राज्य कर्मचारियों के सामने दुविधा पैदा कर दें या किसी प्रकार का गतिरोध पैदा करें, यह राज्य सरकार की मंशा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You want to withdraw ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 और 6 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 एव 6 को स्वीकार किया गया।

खण्ड 7। श्री रामानन्द अग्रवाल !

Page No 91

(91)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 7 में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

इस खण्ड के अन्त में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :—

"परन्तु यदि अधिकरण के समक्ष सम्बन्धित राज्य कर्मचारी स्वयं उपस्थित होता है तो उसे इस अवधि के लिए जब कि वह अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो अपनी ड्यूटी पर माना जावेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि केसेज काफी अर्से तक चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि केसेज चलेंगे तो कर्मचारियों को अपना केस फाइट करने के लिए आना पड़ेगा और अधिकरण अभी एक ही, राजधानी में ही होगा तो इसलिए उसको पैरवी करने के लिए जैसलमेर और बाड़मेर से आना पड़ेगा तो वह एक पेशी में भी आवे तो वह उसको चार दिन, एक दिन की पेशी में ही लग जायेंगे। अगर ऐसा करके कर्मचारी पी. एल. या सी. एल. का एडजस्ट करने लगे तो यह उसके ऊपर बहुत जबरदस्त पेनल्टी हो जाएगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक सुविधा उनको दी जाय। आखिर आपने यह भी कहा है कि यह जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। यह हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल है, तो यह सारा कार्य आपका प्रशासन का ही कार्य है और प्रशासनिक कार्य है, इसलिए राज्य कर्मचारियों के बीच में है। राज्य कर्मचारी बावजूद इसके कि उसका अपना कार्य है, जो आपकी प्रशासनिक कार्य विधि से यह समस्या पैदा हुई है, उसी से उलझा हुआ है, वह कोई शादी विवाह में नहीं आ रहा है बल्कि ऐसे कार्य के लिए आ रहा है जोकि आपकी प्रशासनिक त्रुटियों के कारण, गल्तियों के कारण या किसी भी वजह से जो पैदा हुआ है। इसलिए मेरा मकसद यह नहीं है कि इसका कोई दुरुपयोग करे। कोई इस पेशी का नाम लेकर वैसे ही आ जाय। उसको सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है कि इस पेशी में हाजिर हुआ। एक्चुअल हाजिर हुआ है उसके मुताबिक हाजरी माने और जितने दिन का आने जाने में रीज-नेबली समय लग सकता है वह समय रखा जाय। सभी कर्मचारियों को यह आपने आश्वासन दिया है कि ज्यादा केसेज होने पर मुख्यालय पर भी हो जाएगा, फिर भी यह सम्भावना है कि वह नहीं किया जाय। तो ऐसे मामलों में जहां केसेज के लिए आना पड़े, आने जाने में चार-चार दिन लगें तो उनको अपनी छुट्टियां खत्म करना पड़े यह अनुचित होगा, या गैर हाजरी मान कर तनख्वाहें कटानी पड़े वह भी अनुचित होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको ड्यूटी पर माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने न तो इस संशोधन को स्वीकार किया है कि सारी पेशियां जिला मुख्यालय पर ली जायेंगी और न ही इस संशोधन को स्वीकार किया है कि इस ट्रिब्युनल के जो चेयरमैन होंगे वह हाई कोर्ट के जज होंगे। ऐसी स्थिति के अन्दर यह बड़ा स्पष्ट है कि कर्मचारियों के फैसले कोई जल्दी होने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

वाले नहीं हैं जिसकी कि अपेक्षा करते हुए इस बिल को सदन में लाये हैं। और वैसे भी यह राज्य सरकार का फर्ज भी होता है। जहां फोर्थ क्लास सर्वेन्ट, थर्ड क्लास सर्वेन्ट, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के सारे संघों के जो आॅब्जर्वेशन्स हैं कर्मचारी संघों को इससे कोई भी तसल्ली नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उनको खर्चा दिया जाना चाहिए और खर्चा नहीं भी दिया जाय तो उनको ड्यूटी पर माना जाय यह बिल में रखाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 7 में जिस प्रकार का संशोधन प्रस्तावित किया गया है, अभी तक राज्य कर्मचारी चाहे सिविल कोर्ट में जाएं, चाहे हाईकोर्ट में जाएं उन्हें आॅन ड्यूटी नहीं माना जाता है और न ही उनको खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है—इसलिए यह कहना कि उनकी फेसिलिटीज को विथड्रा कर लिया गया है, गलत है। जो प्रोसीजर अब तक लागू था उसी प्रोसीजर को सिद्धान्त रूप से इसमें माना गया है। न तो हाईकोर्ट में लड़ते समय वह ड्यूटी पर माना जाता है और न उसके ट्रेवलिंग एक्सपेन्सेज गवर्नमेंट देती है। इसी तरह से सिविल कोर्ट में है। इसलिए इसी सिद्धान्त को मूल रूप में इसमें स्वीकार किया गया है। यह कहना कि ड्यूटी वाली बात और एक्सपेन्सेज वाली बात को इनकोरपोरेट नहीं किया गया है, गलत है। कर्मचारी अपने अधिकार के लिए लड़ता है, दावा करता है, अपील करता है, अब तक का जिस प्रकार का प्रोसीजर है वही यहां पर एडाॅप्ट किया गया है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ता है उसको खर्चा दिया जाये, आॅन ड्यूटी माना जाए तो अगर अपील वह हार जाता है तो फिर कैसे उसको ड्यूटी पर माना जा सकता है ? इसलिए उसे ड्यूटी पर मानना और राज्य सरकार द्वारा उसको खर्चा देना यह एक तरह से अनावश्यक होगा और इससे अपील बढ़ने की गुंजाइश होगी। लोग यह समझेंगे कि खर्चा तो राज्य सरकार देगी, आॅन ड्यूटी भी माने जाएंगे तो उनकी जेब से क्या जाता है। इसलिए इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं होगा और इसका बेजा फायदा उठा कर कर्मचारी गलत अपील भी करेंगे। जब एक बार प्राॅविजन हो जायेगा कि उसको ड्यूटी पर मान लिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि इसका जो मेन पर्पज है वह डिफीट हो जायेगा और अनेक प्रकार के अनावश्यक मामले आ जायेंगे। इसलिए मैं इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I press.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 लगायत 12 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 लगायत 12 स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ सदस्यों के कहने पर) तृतीय वाचन है, बोल सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण विधेयक पर आज निर्णय ले रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह विधेयक स्वागत योग्य है और इसलिए इस सदन में आम तौर पर सभी तरफ से इसको समर्थन मिला है। लेकिन साथ ही यह भी है कि इसकी कुछ धाराओं, प्रावधानों के बारे में सन्देह, शंकाएं भी हैं। परीक्षण के रूप में यह सामने आ रही है और इस परीक्षण से जो अनुभव हमें प्राप्त होगा, उस अनुभव के आधार पर हम आगे अपना नीति निर्धारित करेंगे। लेकिन इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय, जब हम राज्य कर्मचारियों के लिए एक यह विधेयक बनाने जा रहे हैं, मैं यह निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि जहां आप इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए इस प्रकार का ट्रिब्युनल इस दृष्टिकोण से दे रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों में अधिकाधिक सन्तोष हो सके, राज्य कर्मचारी अधिकाधिक अपने कार्य में दत्त होकर अपनी जिम्मेवारी को निभा सकें—मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समय राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से, मुख्य मन्त्री महोदय की ओर से, खास तौर से इमर्जेन्सी जारी होने के बाद इस बात को बार-बार कहा गया है कि काम में सुधार आया है, काम में, ड्यूटीज में सुधार आया है, पाबन्दियां वक्त पर हुई हैं और काम भी तेजी से निकलने लगा है। यह तो वे बातें हैं जो कि सरकार मान रही है। राज्य कर्मचारी अपने दायित्व को और ज्यादा बढ़िया तरीके से पूरा कर रहे हैं तो फिर इस इमर्जेन्सी के जारी होने के बाद सरकार का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का होना चाहिये और सरकार का उनके प्रति जो दायित्व है उसमें भी कोई कमी न आवे और उस दायित्व में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज सुबह ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का प्रश्न था—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे समय पर आ रहे हैं, दायित्व को ज्यादा अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इस बात को सरकार द्वारा स्वीकार करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बाद भी आपकी जो पूर्व जिम्मेदारियां हैं, जो आश्वासन आपने अब तक उनको दिए हुए हैं, क्या वे आश्वासन कोई चीज नहीं है। जो महंगाई है उस महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता इन कर्मचारियों को मिले—क्या यह केवल मात्र आपका आश्वासन है? इमर्जेन्सी से पहले तक आप यह देते आये हैं। इमर्जेन्सी हो गई इसलिए नहीं दें और आप उनको दबाएं, आप यह समझ लें कि वे आन्दोलन नहीं करेंगे इसलिए उनका जो पहला अधिकार था, उस अधिकार से कर्मचारियों को वंचित कर दिया जाए—यह महंगाई भत्ता नहीं दिया जाय, उनको दबा दिया जाये, मैं समझता हूं आप ऐसा करते हैं तो यह इमर्जेन्सी का दुरुपयोग होगा। प्रधान मन्त्री ने बार-बार इस बात की घोषणा की है, दिल्ली के अन्दर उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने इमर्जेन्सी इसलिए लागू की है कि किसी तरह के आन्दोलन नहीं हों। परन्तु इससे पहले हमारे यहां जो उनके दायित्व थे उसको वे निभा रहे हैं तो जो भी उनकी समस्याएं खड़ी हों, किसानों की, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की, उन समस्याओं के बारे में उनके नेताओं के साथ बैठ कर के, बातचीत करके उनको हल किया जाय। मुझे खेद के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, कहना पड़ता है कि आज राजस्थान सरकार का इस प्रकार का रवैया है कि कर्मचारी संघ बार-बार चिट्ठी लिखते हैं बातचीत करने के लिए, जो मसले पहले से चले आ रहे हैं उनको तय करने के लिए तो यह सरकार उनसे बातचीत नहीं करती है। देवपुरा कमेटी ने जो फैसला किया और यह घोषणा की थी कि जो सर्व सम्मत फैसले होंगे उनको सरकार द्वारा लागू कर दिया जायेगा परन्तु आप आज तक उन फैसलों को लागू नहीं कर रहे हैं। केवल यह इमर्जेन्सी की बात कह कर तमाम इन मामलों को दबाया जा रहा है जिससे कर्मचारियों मे असन्तोष है। ये कर्मचारियों की वाजिब मांगें हैं—चाहे वह महंगाई भत्ते की बात हो, वेतन ग्रेड की बात हो, चाहे अन्य और सवाल हों, चाहे उनका सिटी अलॉउन्स का सवाल हो, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम मसलों को आप विचार करेंगे—विचार करेंगे कहकर टाल रहे हैं। आपको ध्यान देकर इन मसलों को तय करना होगा। यह आपकी टलाऊ नीति है, यह आपकी आंख मीच कर विचार करने की नीति है, यह नीति बिल्कुल ही उचित नहीं है। आप कैसे अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं? इस बिल का हम विरोध नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां चुपचाप पर्चों के जरिए आग सुलगा रही हैं। आपको यह चाहिए कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जब इनके कम्पलसरी डिपॉजिट्स का भुगतान कर दिया, तो जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जुलाई, 75 में कम्पलसरी डिपॉजिट वापिस कर दिया उसी तरह से आप भी यह कम्पलसरी डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को वापिस कर दें। परन्तु आपको तो मौका मिल गया और आपने इसको भी देने से इन्कार कर दिया। आप केवल यह कह कर टाल गये कि विचार कर रहे हैं। केवल ट्रिब्युनल देकर ही आप कर्मचारियों को सन्तोष देना चाहते हैं। उनके जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको हल नहीं करेंगे। उन्होंने कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नयी बात इमर्जेन्सी के पीरियड में रेज नहीं की है। मैं तो इन लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से यह एक नयी चीज क्रियेट कर रही है। कर्मचारियों के जो पुराने मामले थे, उनके जो पुराने अधिकार थे, उनको इमर्जेन्सी के नाम पर छीन रही है। मैं कहना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि इमर्जेन्सी का इस तरह से आप दुरुपयोग करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे। इन राजकीय कर्मचारियों के साथ, राज्य के मजदूरों के साथ, किसानों के साथ यदि आप इमर्जेन्सी का नाम लेकर ऐसा व्यवहार करेंगे और उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको कुचलने की कोशिश की गई जिसकी कि भारत सरकार की कोई इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है, इस तरह की नीति अपनायेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इस तरह से रि-एक्शनरीज फोर्सेज के हाथ में खेलेंगे। वे तो चाहते हैं कि आप से गलतियां हों और कर्मचारी आप से नाराज हों, मजदूर नाराज हों। आपने मजदूरों के लिए बोनस का आॅर्डिनेन्स निकाल दिया, राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, विचार करेंगे, विचार करेंगे, यह कह रहे हैं, कर्मचारियों के जो अन्य मसले हैं उनको आप तय नहीं करते, यह तरीका आप अपना रहे हैं मैं समझता हूं कि यह उत्तम नहीं है। आपकी इस लड़ाई मे हम मिल कर, कन्धे से कन्धा मिला कर उन शक्तियों के खिलाफ उन काली शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आप इस तरह से कुचल कर इनडाइरेक्टली कमजोर बना रहे हैं, जिसमें हम आपको मदद कर आपको कामयाब बनाना चाहते हैं उस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं कि इन डेमोक्रेटिक फार्सेज पर उन शक्तियों, जो आपके हाथ में हैं, ताकत है, प्रहार करने की कोशिश मत करें। आपके पास सत्ता है, ताकत है, इनको प्रेशराइज करें या उन काली शक्तियों को? उन काली शक्तियों को तो प्रेशराइज नहीं करते हैं। वह तो आपकी सर्विसेज में बैठी है, वह आपकी नौकरियों में बैठी हैं। गिरफ्तार होने बाद फिर उनको नौकरियां मिल जाती हैं। वाइस चान्सलर के पद पर बैठी हुई हैं, और जगह-जगह बैठी हुई हैं। उनका आप कुछ नहीं करते हैं, और जो आपके साथ हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, एन्टी फासिस्ट फोर्सेज हैं उनके ऊपर आप दमनचक्र चलायें, वह खुद आपके खिलाफ पड़ेगा। इसलिए मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का बहुत ज्यादा उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि यह मंत्रिमण्डल का मामला है, लेकिन इन भावनाओं को आप कन्वे कर दें और इन समस्याओं का आप समाधान करायें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं अपने दल की ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा यह प्रशंसा करते हुए कि एक अमेंडेड फार्म के अन्दर यह आया है, लेकिन खेद इस प्रश्न के ऊपर है कि इस बिल का जो मेन टास्क है वह एम्प्लाइज को सुविधाएं देने का है। लेकिन इनको

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सुख-सुविधाएं जो दी जा सकती थी, और जो एमेनिटीज एम्प्लाइज को दी जा सकती थीं उन्हें न देकर, और जिन मामलों को लिया जा सकता था उनको न लेकर उस सारे के सारे टास्क को अधूरा रख रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि विक्टेमाइजेशन क्या है, बड़ी वेग टर्म है, लेकिन एम्प्लाइज की बड़ी लम्बी हड़ताल हुई, एम्प्लाइज निकाले गये, और सरकार ने स्वीकार किया कई मामलों के अन्दर कि केवल कुछ लोग एम्प्लाइज का नेतृत्व कर रहे थे उनको निकाला गया। आखिर प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या हैं? खुद आपने, राज्य सरकार ने प्रोटेक्टेड वर्कमैन को कुछ सुविधाएं दी हैं। क्यों दी हैं? इसलिए कि कोई यूनियन के अन्दर फन्क्शन करता है, अपने कलेक्टिव रिप्रेजेन्टेशन के राइट को एक्जर्ट करता है, ऐसे आदमी का ट्रान्सफर कर दिया जाता है। आप प्रोटेक्टेड वर्कमैन का ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं। यह बड़ा क्लियर केस है जो कि विक्टेमाइजेशन का केस है। जो लीडरशिप करता है, कलेक्टिव रिप्रेजेन्टेशन करता है इन ग्राउण्ड्स पर विक्टेमाइजेशन हो, और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि बड़ी वेग टर्म है। विक्टेमाइजेशन क्या होता है। फिर रिप्रेजेन्टेशन स्वीकार करने के मामलों को भी यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आखिर एक मालिक खड़ी कर लेता है 10 आदमियों की यूनियन और एक यूनियन है जिसकी एक हजार की मेम्बरशिप है, और 10 आदमियों की यूनियन को मालिक रिकग्नीशन दे देता है, और जिसका बहुमत है, 70 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट और 50 पर्सेन्ट से ज्यादा को रिप्रेजेन्ट करने वाली जो यूनियन है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने वाली संस्था है उसके लिए माननीय मंत्री महोदय विचार नहीं करना चाहते हैं कि उनको रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय या नहीं दिया जाय। फिर और दूसरे मामले हैं उनको भी माननीय मन्त्री महोदय नहीं लेना चाहते हैं चाहे वह प्रमोशन्स के हों, चाहे डिमोशन्स के हों, चाहे दूसरे मामले हों। इसलिए मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि एक ओर तो माननीय मंत्री महोदय, जिन सुख-सुविधाओं की अपेक्षा थी, दो साल से अपेक्षा थी, इस प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बाद अपेक्षा थी, अगर उन सारी सुविधाओं को नहीं देते हैं तो असन्तोष की स्थिति पहले से ज्यादा होती जायगी। गवर्नर के भाषण में इस बात को गौरव से कहा गया है कि अनुशासन बढ़ा है, समय पर कर्मचारी आते हैं और सही समय पर जाते हैं, काम पर अंकुश बढ़ा है। मैं मामूली से शुगर मिल की बात कहता हूं कि जितना क्रशिंग गंगानगर शुगर मिल इस वर्ष कर रही है वह रिकार्ड उत्पादन है। जब पोद्दार के हाथ से इस 150 वर्ष पुरानी मिल को लेकर आप आये थे उस वक्त से लेकर आज तक इतना रिकार्ड प्रोडक्शन कभी भी पब्लिक सेक्टर की किसी भी फैक्ट्री में नहीं किया गया है। लेकिन उनका जो सेटलमेंट हो चुका है, जो आपका एग्रीमेन्ट है उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, मजदूरों पर नहीं कर रहे हैं, डिस्टीलरी के स्टाफ पर लागू नहीं करना चाहते हैं, वहां के स्टाफ पर लागू नहीं करना चाहते हैं। आपने कर्मचारियों के साथ में जो एग्रीमेन्ट किया है उसको लागू नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप गौरव से कहते हैं कि कर्मचारी टास्क

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को पूरा कर रहे हैं, ग्राथिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए कर्मचारियों ने जान लगा दी। एक तरफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों ने जान लगा दी एक तरफ तो ग्रापके रेडटेपिज्म के फीते को काटने के लिए कर्मचारी ग्रागे बढ़े हैं....

श्री विजयसिंह : किस कानून पर बोल रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके ग्रन्दर जो ग्रमेंडमेंट है उस पर बोल रहा हूं। कॉन्फिडेन्शल रिपोर्ट का मामला इसके ग्रन्दर है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की।

माननीय मन्त्री महोदय ने ग्रपने उत्तर में इस बात को कहा है कि हमने सारी टेक्निक को बदल दिया है। ग्राज ग्रंग्रेजों के जमाने की टेक्निक नहीं है। ग्राज ग्रधिकारियों को कॉन्फिडेन्शल रिपोर्ट के ग्रन्दर जो मुद्दे हैं उनके बारे में नोटिस दिया जाता है। यह तो ग्रंग्रेजों के जमाने में भी नोटिस दिया जाता था। उसको स्वीकार करने की टेक्निक में कौनसा परिवर्तन किया गया है? यह माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे। सारा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंटवाइज होता है। वही ग्रधिकारी ग्रौर उसी तरह का काम है। क्या कॉन्फिडेन्शल रिपोर्ट के रोके जाने के बारे में तब्दीली हुई है,? मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं कि तब्दीली यह हुई है कि प्रतिक्रियावादी ताकतें, ग्रानन्दमार्गी, ग्रार. एस. एसाइट ग्रापके ग्राज के कर्मचारियों के ग्रन्दर मौजूद हैं। वह विक्टेमाइजेशन भी कर रहे हैं, सी. ग्रार. भी खराब कर रहे हैं, ग्रौर उन लोगों की सी. ग्रार. खराब कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ग्रापके ग्रनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं का वह विक्टेमाइजेशन कर रहे हैं। ग्रौर इमर्जेन्सी के मिसयूज के रूप में ग्रापकी ब्यूरोक्रेसी का वह पोर्शन जो कि करप्ट है ग्राज उन लोगों की सी. ग्रार. खराब कर रहा है जो कि उनको फीड नहीं करते हैं। ग्राज भी मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं कि ऐसे बहुत से एम्प्लाइज हैं, मैं सदन का ग्रधिक समय नहीं लेना चाहता, माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे तो सेपरेट केसेज मैं उठाऊंगा। ऐसे सैंकड़ों थानेदार हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय को खुद को जानकारी है कि कितनी ही बार उनका सस्पेन्शन हुग्रा है, जिनकी सी. ग्रार. खराब हुई है, उनकी सी. ग्रार. इम्प्रूव कर दी गई, उनको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के नजदीक नहीं ग्राने दिया जा रहा है। मैं सारी ब्यूराक्रेसी को करप्ट नहीं कहता हूं, लेकिन जो करप्ट पर्सन्स को फीड नहीं करते हैं उनका विक्टेमाइजेशन हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रन्त में मैं यह कहूंगा कि जिस रूप से माननीय मंत्री महोदय ने इन सारे प्रस्तावों को ग्रस्वीकार किया है उन पर वे दुबारा विचार करें, गम्भीरता से विचार करें, ग्रौर उनको फिर इसके ग्रन्दर में समाविष्ट करने की कोशिश करें ग्रौर उनका ऐसा स्पष्टीकरण करें कि जिससे कर्मचारियों को संतोष हो। केवल बहुमत के ग्राधार पर 'हां' कहलवा कर इस बिल को पास न करायें। ग्राज यह 'हां' ग्रापके लिए घातक भी हो सकती है। बहुत

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

विचार करके यह 'हां' कहलवायें। हम भी 'हां' कह देंगे, लेकिन 'हां' हृदय के अन्दर से आने वाली 'हां' हो। इनके असन्तोष का लाभ उठा कर प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने देश को संकट में डाल दिया था। इसलिये सचेत होकर 'हां' कहलवाइयेगा। 'हां' कहने वाले यहां तो 'हां' कह देंगे और बाहर जाकर 'ना' कह देंगे तो ऐसी 'हां' से इस देश को लाभ नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री दीपंकर : मुझे एक बात अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले बोल दिया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत् करता हूं। इसका एक्ट बन जाय, इससे पहले राज्य सरकार का ध्यान मैं कुछ मुद्दों पर खींचना चाहता हूं जो कि वर्तमान स्थिति से डील करते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल को बनाने का एक ही बेस है कि मामले बड़े लम्बे चलते रहें या उनको न्याय नहीं मिला। हाईकोर्ट में केसेज पैंडिंग रहे इसलिए हाईकोर्ट को और सुप्रीमकोर्ट को इसके जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया और उन केसेज को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाथ में दिया गया है। इसलिए सर्विस के मामले में लोगों में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि उनके अधिकारियों के बारे में जो उनके मन में भावना है उससे अबोक हो जाएं तो डिसिप्लीन चला जायगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जितने स्टेण्डिंग लॉ हैं आपके यहां, उनमें कुछ पाइन्ट हाईकार्ट में जाने के बाद नजर आते हैं वह मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। पहला पॉइन्ट तो यह है कि आपके यहां किसी को चार्जशीट दी तो खयाल आया, चार्जशीट दें, तो सस्पेंशन ऑर्डर पहले दें। जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हैं, इण्डस्ट्रीज के अलावा, उनमें 4 दिन से ज्यादा नहीं लगते है, और डिस्पोजल हो जाता है। कहा जाता है कि 4 दिन हैं। आप उसको 4 महीने कीजिए, 6 महीने कीजिए। उसके बाद में सरकार का फैसला नहीं होता है इसका नतीजा यह होता है कि वर्षों मुकदमा चलता है। श्री फोर्थ वेतन ले रहा है। एक प्रकार से जयपुर में बैठा हुआ है। करता क्या है? दूसरा यह है, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दूं, पैंडिग केसेज बिफोर दी कमेटी हाईकोर्ट के बाद हैं मैं नहीं कहता हूं कि कितने वर्षों से वह पेंडिग चल रहे हैं। एक इन्जीनियर की बात है, वह डेपूटेशन पर आना चाहता है। जब कहा कि तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट है, तो वह कहता है कि ऐसा कौन है जिसके खिलाफ चार्ज नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है कि यह आपका डिसिप्लीन सामन्ती न हो जाये। आज भी सामन्ती डिसिप्लीन है। इस के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई रास्ता ढूंढें। मैं तो एक और सजेशन देना चाहता हूं। कई उलझनें आपने पैदा कर रखी है वह आप खत्म करें। जैसे एल. डी. सी. हैं, फिर यू. डी. सी. हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेण्ट में आपने पर्सेण्टेज कायम कर रखा है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

ओवरसीयर की जगह जूनियर इन्जिनियर तो बन गया। अब वह सुपरिटेण्डेण्ट कितने वर्षों बाद बनेगा इसके बाद ? आप यह कह सकते हैं कि आपका केस एक महीने में, 6 महीने में समाप्त हो जायगा । मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा । इसके लिये आपको रूल्स में, शिड्यूल में, जो चार्जशीट का निर्णय करने जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में निश्चित बात रखनी चाहिये । मैं समझता हूं कि आई. ए. एस. प्रजेन्ट में हैं लेकिन आर. ए. एस. ऑफिसर सुपर-टाइम स्केल में नहीं आ पाते हैं । आपके अधिकारियों के मन में जब तक विद्रोह रहेगा तब तक अच्छा नहीं होगा । यह सरकार का जो ब्यूरोक्रेटिक सैट-अप है, इसमें क्लर्क ही नोट बनाता है, यह कहा जाता है । फिर उस पर दस्तखत हो जाते हैं । बड़े-बड़े अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के नाम पर आप निर्णय कर दें । खाली कागज को एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट को नहीं भेजें । आप ही निर्णय कर दें । हमने बड़े बड़े अधिकारियों से पूछा है । वह कहते हैं कि कौन ऑफिसर ऑर्डर पास करे । हालत यह है कि इधर से कागज आया तो लॉ डिपार्टमेंट में भेज दिया । लॉ डिपार्टमेण्ट से आया तो फाइनेंस में भेज दिया । वहां से आयेगा तो फिर किसी दूसरे डिपार्टमेण्ट में भेज देंगे । माननीय मन्त्री महोदय सजग हैं, यह मेरी मान्यता है । इस तरह के कागज कितने हैं, यह देख लें, यह मेरा निवेदन है । यह नहीं हो कि नो डिस्पोजल की कल्पना करने वाले अधिकारी आ गये हों । यह इमर्जेंसी है । इमर्जेंसी पारियड की बात कर रहा हूं । इससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं । बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे तो इस कानून से कुछ होने वाला नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मेरे दिमाग में थीं जिनकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता था । किन्तु मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने उन पर कह दिया है । इसलिये मैं उनका पिष्टपेषण नहीं करना चाहता हूं । हमें इस कानून पर मुहर लगानी है, वह तो लग जायेगी । परन्तु मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि कुछ छिपे तौर के लोग हैं । बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अपने सबोर्डिनेट को लिखित में ऑर्डर नहीं देते हैं । लिखित में ऑर्डर नहीं देंगे, कह देंगे, जाओ बाहर बैठो । उनको सस्पेण्ड कर दिया जाएगा । ऐसे आदमी आपके पास कैसे आयेंगे ? कोई अधिकारी लिखित रूप में देता नहीं है । इस प्रकार की स्थिति है । मैं समझता हूं कि सलेक्ट कमेटी में इस प्रश्न को उठाया गया था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर विक्टोमाइजेशन की बात आती है ।

श्री दीपंकर : सवाल यह है कि वह अपील करदें । इसलिए आप ऐसी व्यवस्था अवश्य रख दें । वह आदमी बेजुबान है, वह डिफेंस में जा नहीं सकता है । इसलिये इस बारे में आप कोई हल अवश्य करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं अपने आपको उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखूंगा जिनका कि विधेयक से सम्बन्ध है। बहस के बीच कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न खड़े किये हैं जिनका कि विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कई लोग वर्षों तक सस्पेण्ड पड़े रहते हैं। सेलेरी कम मिलती है। वैसे तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के दौरान जिनको सस्पेण्ड किया जाता है उनको अधिक से अधिक दो वर्ष सस्पेण्ड रखा जाता है। उनका रिव्यू किया जाता है या नहीं लेकिन ऐसे केसेज, जो एण्टीकरप्शन डिपार्टमेण्ट के जरिये से होते हैं, का जब तक अदालत से फैसला नहीं हो जाता है, तब तक उन केसेज में कुछ नहीं होता है। इसलिए ऐसे कुछ केसेज हो सकते हैं जो ट्रेप में हों और काफी अर्से से अदालत में पेन्डिग हों और उन में बहुत लम्बा समय लगा हो लेकिन आम तौर पर राज्य सरकार की यह मन्शा रहती है कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से हैरेस नहीं किया जाय और उनके केसेज को रिव्यू किया जाय। हलांकि ऐसे कई मामले इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं जो उठाये गये हैं, फिर भी मैंने उनका उत्तर दे दिया है, सभी प्रश्नों का, जो इस बिल से सबन्धित नहीं हैं, उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझता हूं। माननीय सदस्य श्री हांडा साहब ने और अग्रवाल साहब ने भी कई बातें बताईं जिनका उन्होंने इस बिल में समावेश करने के लिए सुझाव दिया है और वह ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से राज्य कर्मचारियों के साथ पूरा हित होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है केवल विक्टीमाइजेशन के मामलों को इसमें नहीं रखने के कारण ही ऐसा मान लिया जाय, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। कर्मचारियों के लिए एक फोरम क्रिएट किया गया है। उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ता है और दूसरी कोर्ट में भी जाना पड़ता है, अब वहां उनको नहीं जाना पड़ेगा और उन सबका सोल्यूशन, सबका मिलाकर एक ही जगह कर दिया गया है। उसमें हायर जुडिशियल सर्विस के जज को रखा गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के कारण एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के व्यक्ति का चेयरमैनशिप में इसका गठन किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि गलत आदेशों की अपील भी की जा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल के पारित हो जाने से कर्मचारियों के मामले जल्दी से जल्दी निपटाये जा सकेंगे और उनको राहत मिल सकेगी।

जहां तक दूसरे जो मुद्दे उठाये गये कि कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान डी. ए. देने का और प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि देने का मामला है, इस सम्बन्ध में आज सुबह ही माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि यह विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर उचित निर्णय लिया जायगा। यह इस बिल से सम्बन्धित भी नहीं है, इसलिए और कुछ कहना आवश्यक नहीं है। जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इमर्जेन्सी में राज्य कर्मचारियों के संगठन का आप नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, मैं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी के भी हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं करना चाहती है और जैसा कि आज सुबह ही माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन में बताया है कि यह मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो अलग अलग खण्ड में जो माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए हैं उनका उत्तर मैं दे चुका हूं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अधिकरण) विधेयक, 1973 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया गया।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

पत्र

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि विभाग के पत्र संख्या एफ. 4 (15) विधि/75, दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 को सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया, विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया, विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975—

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री जी।

विचारार्थ प्रस्ताव करेंगे

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया, विनियमन एव विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

(विराम)

क्या आपकी तैयारी नहीं है बोलने की ?

श्री ओंकारलाल चौहान : कागज देख रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : तैयारी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : I may call the next man.

श्री दीपंकर : पहले आप किसी दूसरे से बुलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री चेतराम : आपको मालूम है किस पर बोलना है ?

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया, विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन / पन्द्रह दिन / दो सप्ताह / एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों की एक नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर दीपंकर जी से बोलने की आशा करता था लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल निराश कर दिया। मुझे उपाध्यक्ष महोदय के चेम्बर से पता लग गया इसलिये भागकर आ गया। आपके सम्मुख राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया, विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 विचारार्थ प्रस्तुत है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है इस सिलसिले में वह शायद मैं पूरा कर चुका हूं। इसके जरिये जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने सन् 1950 से मामले कभी पब्लिक सर्विस कमीशन के दो सदस्यों ने, कभी तीन सदस्यों ने और कभी एक सदस्य ने या कभी चेयरमैन ने डिसाइड कर दिये और हाईकोर्ट के द्वारा ऐसे सारे मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया, सन् 1950 से लेकर आज तक उन सारे मामलों को राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक के जरिये रेगुलराइज करने की बात की गई है। वैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पैटर्न है उसके सम्बन्ध में समय समय पर इस सत्र में और पहले के सत्र में भी अनेक प्रश्न उपस्थित होते आये हैं और राज्य सरकार यह क्लेम करती रही है कि यह उनका कॉन्स्टीट्यूशनल राइट है कि चेयरमैन एज सच भी मामलों को तय कर सकता है, एक सदस्य भी तय कर सकता है और दो या तीन सदस्य भी तय कर सकते हैं। इस कॉन्स्टाटूयूशनल राइट को स्वीकार करते हुये आज इसमें सारे मामलों को रेगुलराइज कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में न तो सदस्य इस आधार पर लिये जाते हैं कि वह टेक्निकली एक्सपर्ट हों और न ही पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य इस आधार के ऊपर लिये जाते हैं कि वे सर्विस रूल्स के कोई स्पेशियलिस्ट हों जिससे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई इम्प्रूवमेन्ट हो। इस प्रकार की स्थिति के बावजूद भी एक्सपर्ट लोग वहां पर जाते हैं। जब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी इन्जिनियर का इन्टरव्यू होता है या किसी डॉक्टर का इन्टरव्यू होता है या

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

किसी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के अधिकारी का इन्टरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन करता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन को एडवाइज करने के लिये एक्सपर्टस होते हैं और उस इन्टरव्यू के अन्दर वह एक्सपर्ट अपनी राय पेश करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य नहीं जानते हैं कि एक इन्जिनियर में क्या स्पेशियल क्वालिटीज होनी चाहिये या एक डॉक्टर में क्या स्पेशियल क्वालिटीज होनी चाहिये। मोस्टली डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट एडवाइजर्स पर ही पब्लिक सर्विस कमीशन चयन करती आई है और नतीजे के तौर पर एक्सपर्ट की राय खास तौर पर टेकिनकल डिपार्टमेन्ट में फाइनल ओपिनियन होती है और वही लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोसेस को पार कर जाते हैं जिनको कि एक्सपर्ट पास कर दें। केवल यह कहना कि हाईकोर्ट से केसेज रिजेक्ट हो गये या यह कि एक या दो या तीन सदस्यों ने तय कर दिया, यह तो केवल एस्केप बोड बना पा रहे हैं, इस बाबत में काफी स्ट्रिक्चर्स भी हाईकोर्ट से पास हुये हैं। पी. एस. सी. में बहुत ज्यादा सदस्य भी नहीं होते हैं। उसको छोटा भी बनाया जा सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के रिकमन्डेट्री मेम्बर होते हैं। अब कई नाम सुनने में आ रहे हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने वाले हैं। लोग आश्चर्यचकित हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओपिनियन टेक्निकली साउन्ड नहीं हो पाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की इसलिए बहुत सी रिकमन्डेशन्स हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुई हैं। बहुत सों ने हाईकोर्ट में केसेज किये हैं, इन्जिनियर्स ने किये हैं, डॉक्टर्स ने किये हैं, टेक्निशियन्स ने किये हैं, आर. एस. ई. बी. के लोगों ने किये हैं, कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ओपिनियन पूरी तरह से साउन्ड नहीं हो पाई है। जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रोसेस आउट करना चाहिये था, वह सारे के सारे मेरिट में नहीं आये है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन उन केसेज को प्रोसेस आउट भी कर दे, तो उसके बावजूद भी कन्फर्मेशन नहीं हो पाते हैं। अब यह बिल और पिछले वाला बिल, आज दोनों को साथ लिया गया है। एक कन्फर्मेशन की प्रॉब्लम है, मैं माननीय मन्त्री जी को कहना चाहूंगा, कि कन्फर्मेशन की प्रॉब्लम को पिछले बिल के एरिना में नहीं लेना चाहते थे, तो यह कन्फर्मेशन की प्रॉब्लम बहुत बडी प्रॉब्लम है। ऐसे डाक्टर हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इन्टरव्यू फेस किया, अब छः छः साल हो गये लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है। ऐसे इन्जिनियर्स हैं जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोसेस आउट कर दिया, इसके बावजूद कन्फर्मेशन नहीं हो रहे हैं। यह कन्फर्मेशन का मामला है इसके लिये एक सेपरेट ऑथोरिटी हो, उसके सामने यह पहुंचें और वह इन कन्फर्मेशन के मामलों को तय करे। और नहीं तो सुओ-मोटो कन्फर्मेशन दे दें। पब्लिक सर्विस कमीशन के इन्टरव्यू के बाद में सुओ-मोटो कन्फर्मेशन कर देना चाहिये। मुझे इस बिल में आपत्ति नहीं है मगर पूरा नहीं होने के कारण से 1950 से आज तक जो डिसीजन उन्होंने किये, क्या आप सोचते हैं कि उनका रेगुलेराइजेशन करायेंगे ? अगर नहीं होते हैं तो विक्टीमाइजेशन होगा। माननीय मन्त्री, विक्टीमाइजेशन शब्द से भय खाते हैं। मैं समझता हूं, कि यह

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

विक्टीमाइजेशन होगा अगर उन लोगों को, जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रोसेस आउट करा लि[illegible] है, आज कन्फर्म नहीं माना जाय। [illegible]को न माना जाय, यह उचित नहीं है [illegible]इसके अलावा आप पब्लिक सर्विस कमी[illegible] को ब्रीफ बनाइये, आज काफी बड़ा बना हुआ है। साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन की ओपिनियन को साउन्ड बनाना चाहिये। केवल डिपार्टमेंट्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंस हो इसको समाप्त करने की बहुत जरूरत है। पब्लिक सर्विस कमीशन सुओ-मोटो इसके लिए केपेबल होना चाहिये अगर जरूरत हो तो डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स की रिटिन एडवाइस मंगा ली जाय, यह उचित है। लेकिन डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट पीछे बैठ कर कानून में फूंक मारते रहें, यह पब्लिक सर्विस कमीशन का करेक्ट फंक्शनिंग नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेशन का करेक्ट फंक्शनिंग नहीं है। आप हर मामले को स्टडी करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन का नया पर्सपेक्टिव आपके सामने आयेगा और इस अमेंडिंग बिल के साथ में आपको और बिल लाने पड़ेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको फण्डामेंटल परिवर्तन करने पड़ेंगे जो जो दरकार हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स की एलीजिबिलिटी के बारे में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो नये युग की दरकार है। आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शनिंग के बारे में चेंजेज करनी पड़ेंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रासेस आउट होने के बाद जिन लोगों के कन्फर्मेशन के इश्यूज हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन की लाइट में प्रोसेस करने का एपरेटस हो, उसको करेक्ट करने के लिए काफी विचार आपको करना पड़ेगा और नया अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अच्छा यह होगा कि एक कन्सोलिडेटेड अमेंडमेंट बिल इस सदन के समक्ष इसी सत्र में आये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

मोहम्मद श्री गफ्फारअली !

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया: "राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह / एक माह / एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, मेरा नोट इधर उधर खो जाने के कारण मैं लेट हो गया। फिर भी आज्ञा दी, इसके लिए आभारी हूं।

लोक सेवा आयोग ऐसा आयोग है, जो राजस्थान के सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको मेरे प्रति आभारी होना चाहिए जिसने भाग कर आपको बचा लिया।

श्री दीपंकर : आपके प्रति भी आभारी हूं।

सभी विभागों के लिए, राजस्थान के विकास, राजस्थान की योजनाओं, राजस्थान सरकार के निर्णयों की क्रियान्विति के लिए जो व्यक्तियों का चयन होता है, वह चयन करने वाला यह आयोग है। इस आयोग को इस आधार पर गठित किया गया है कि आयोग वाले रुचि लेकर एक साथ बैठ कर यह निर्णय करें कि हमारे सामने आने वाला जो केन्डीडेट है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का क्षेत्र हो, चाहे इरिगेशन का क्षेत्र हो—किसी और क्षेत्र में हो, आयुर्वेदिक क्षेत्र हो—इनके लिए जो केन्डीडेट आयें तो आयोग के द्वारा एक साथ बैठ कर यह जांचा जाय कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दृष्टि को मद्दे नजर रखते हुए इन सेवाओं के लिए, स्टेट के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।

इसमें आप इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं, जैसे हमारे यहां कभी कभी कोरम नहीं होता है, मैं समझता हूं वहां कभी कोरम नहीं होता है इसलिए एक दो आदमी जो भी मौके पर मिल जायं और जिस तारीख का पेपर है वह आॅफिसर उनको पकड़ा दे और वह इन्टरव्यू ले लें और चयन कर दें। इससे अच्छे अच्छे आदमी हैं वह वंचित हो जायेंगे। ऐसी हालत में सवाल खड़ा होगा कि जो कान्ट्रिल आदमी हैं वह आगे जायेंगे, वह हाईकोर्ट में जायेंगे और कहेंगे कि हम क्वालीफाइड हैं हमारा अनुभव बड़ा है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है। पूरा आयोग बैठा नहीं, था, एक दो सदस्य बैठे। इसलिए हमें सुना जाना चाहिये। इस तरह के केसेज की हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ा जाना या यहां पर उदाहरण पेश किया जाना—मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा। परन्तु यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो अब तक चयन नहीं हुआ है, उनके लिए वहां पर राजनैतिक दबाव रहा है। बाज वक्त कम से कम डेढ़ दो सौ मील से कार आती है, टेलीफोन आते हैं, मजबूरी हो जाती है अध्यक्ष की, जिनको अध्यक्ष बना कर वहां बैठा दिया है, वह तनख्वाह प्राप्त हैं और आराम का उनका वक्त है। वह देखते हैं, अब की बार इनकी मानें, अब की बार इनकी मानें। इस आधार पर चयन होते हैं। इस कारण से जो विशेष प्रकार की योग्यता वाले होते हैं, विशेष प्रकार के अनुभव वाले होते हैं—जो प्रतिभायें हैं, जिनकी तमन्नायें हैं कि हम कुछ करें जीवन के अन्दर, राजस्थान के अन्दर वह बेकार रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। या फिर चयन हो जाता है, रिजल्ट निकल जाता है—उसके बाद भी उनको सेवारत नहीं किया जाता है। एक्ट के अन्दर चयन होने के बाद इस तरह का अमेंडमेंट कर दिया जाता है कि अमुक परीक्षा पास होने के बाद अमुक डिग्री इसमें और जोड़ दी जाय। इस प्रकार अपने आदमी को ले लिया जाय। उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं, एक्जीक्यूटिव आॅफिसर लिये गये हैं, जो एल. एस. जी. के अन्दर ट्रेण्ड हैं वह आज गली गली मारे फिर रहे हैं और दूसरों का चयन हो गया। किसी मैट्रिक आदमी का चयन हो गया तो उसको नौकरी पर नहीं ले रहे हैं। अब कहते हैं कि बी. ए. पास

Page No 106

(106)

(श्री दीपंकर)

को प्राथमिकता देंगे। अब बी. ए. क्यों ? लोग अजमेर गये, उसका खर्चा बेकार गया, जो ट्रेनिंग ली वह बेकार गई। इसलिए चयन में ऐसा सिस्टम बनाइये, जिस सेवा के व्यक्तियों का चयन हो, उस सेवा के व्यक्ति बैठें और पूरे आयोग के लोग बैठें। आप अधिकार देने जा रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैंच बना देता है, उसी प्रकार चेयरमैन होगा वह मनोनीत कर सकेगा और एक दो मेम्बर्स हैं, उनको बिठा कर चयन करा लेगा। एक दो व्यक्ति चयन कर लें, यह मुश्किल है। आप कल्पना करते हैं कि राजस्थान का लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में कुछ व्यक्तियों की कल्पना थी, का आज जो स्वरूप है, उसके कारण आज कुछ व्यक्तियों के दिमाग में यह विचार है कि इसका इस तरह से कुछ उपयोग है या नहीं। चयन करते हैं उसमें नाम देखते हैं। कहीं यह अधिकार इसको दे देते हैं कि एक दो आदमी बैठा कर यह किसी को ले लें। तो इसका मतलब यह है कि इसकी आवश्यकता क्या रह जाती है। इससे तो अच्छा आप विभागाध्यक्षों को अधिकार दे दीजिये कि चयन कर लें। इस खर्चे को आप हटाइये। इससे आपके 21 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए काफी रकम बच जायगी। और जो मेम्बर हैं उन्हें कहीं और बैठा दें। अन्यथा जो आयोग के चयन में कमी रही है उसके कारण जो अपील में गये हैं उससे राज्य सरकार की इज्जत को धक्का पहुंचा है और लोगों के दिलों को भी धक्का पहुंचा है। लोगों ने अपना कीमती वक्त लगा कर डिग्री हासिल की है, यहां उनका चयन नहीं होने के कारण यहां से जाकर दूसरी जगह पर कम पैसों में अपनी सेवा देने को मजबूर होना पड़ा है। जो काबिल हैं उनका चयन हो तो वह राजस्थान को और सशक्त बनायें, आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करें और समाज को लाभ पहुंचायें। उनको मौका न दें और इसमें संशोधन लाकर यह कहना चाहें कि एक दो आदमी, जिसे चेयरमैन चाहे बैठा दे और वह सलेक्ट कर ले, उसे सही माना जायगा। यह सही स्थिति मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं हो सकेगा। इससे तो सीधे आप यह लिख दें कि चयन में जिसको लेने की मर्जी होगी उसको ले लें और दूसरे नामों को लिस्ट में से निकाल दें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अजमेर में मैंने देखा है, कैसे गड़बड़ी होती है। किस प्रकार लोग बैठ कर, ऊंची ऊंची बड़ी तनख्वाह पायन्दा बहुत योग्यता वाले मूंगफली चबाते हैं। भिखारी की तरह बैठे रहते हैं। उनका नाम नहीं आता है। वह कहते हैं, उठ गई कोर्ट। हम बहुत कम पैसा खर्च के लिए लेकर आये थे, हमारी बात सुन लें। हमारा इन्टरव्यू होना चाहिए। लेकिन उनका इन्टरव्यू नहीं होता है। यह शिकायतें हैं इनको दूर करवाने की कृपा करें। आप चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि आयोग बना रहे और मर्जी के माफिक चयन होता रहे और राजस्थान में जो पुरानी परम्परा है वही चलती रहे, तो चलती रहे। लेकिन 21 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आपको भावनाशील व्यक्ति चाहिये। यह इरादा नहीं है तो आने दीजिये, जिस तरह की मर्जी होगी उस तरह के व्यक्ति आयेंगे वह आयेंगे। और आने के बाद में उसका यही परिणाम होगा, जैसे जगह जगह कितनी ऐसी आत्मायें

(श्री दीपंकर)

हैं लेकिन मुख्यालयों पर जहां आपने इस तरीके से चयनित व्यक्ति भेजे हैं, उनकी क्रियान्विति नहीं होती। इसलिए कि आपके आदेशों पर, आपकी नीतियों पर, आपके कार्यक्रम पर उनका कोई विश्वास नहीं है। वे कहते हैं कि हम अपने तरीके से आए हैं।

दूसरी बात जो चयन किया जाए उस चयन करने के पीछे वहां पर कुछ लोग जो विशेष व्यक्तियों की सेवायें करते हैं यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप क्या इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं? मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम पेश करना चाहता हूं, मैं पत्र पेश करना चाहता हूं, जो पेश हुए उनका इन्टरव्यू नहीं लिया गया। यह कितनी शर्मनाक बात है कि चयन आयोग में ऐसी घटनायें घटें तो छोटे मोटे विभागों की क्या हालत होगी। अन्त में मेरा निवेदन है कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके पीछे इतना जरूर मानें कि अधिकार चेयरमैन को दें लेकिन यदि वह काम का आदमी नहीं है तो उसको बिठा दें। आप एक्सपर्ट बिठायें, 21 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर पुनर्गठन करें कि किस प्रकार के आदमी इसमें लिए जाने चाहिए। अगर यह नहीं करेंगे तो आपका कार्यक्रम पूरा करने वाले आदमियों का चयन नहीं होगा और आप इसको मान कर चलें और थोड़े ही दिनों में परिणाम स्वयं देखेंगे कि जब इमर्जेन्सी लगाई थी तब जो वातावरण बना था क्या आज वह चुस्ती है? धीरे धीरे ढीला पड़ गया, लोगों में जो इस कार्यक्रम के प्रति सजगता थी वह धीरे धीरे जा रही है, पर्चे निकल रहे हैं, मीटिंगें होती हैं, बालाजी के घाट के नाम पर आर. एस. एस. वाले इकट्ठे होते हैं। चयन आयोग के चयनित अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सारे के सारे देखते हैं। वे कहते हैं कि यह होता है, बडा देश है, बड़ी बातें हैं, क्या पता झूठ है, सच है, तो इस तरह से जो कुछ कह रहे हैं यह वे कह रहे हैं जिनकी आपकी नीतियों में आस्था नहीं हैं। तो आस्थाहीन लोगों का चयन नहीं होना चाहिए, पैसा लेकर नहीं होना चाहिए, राजनैतिक प्रभाव नहीं होना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, नियुक्ति) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब से यह आयोग स्थापित हुआ है, उनके सदस्यों ने अलग अलग स्तर पर, अलग अलग चयन में अलग अलग समय पर जिस प्रकार की राय की आवश्यकता पड़ी है कभी एक माननीय सदस्य, कभी दो सदस्य या कभी चैयरमैन ने अलग अलग रूप से अपनी राय दी है। कुछ अधिकारियों ने इस बात को लेकर हाईकोर्ट में रिट पेश की और हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया कि कमीशन से तात्पर्य सभी सदस्यों से है और यदि सभी सदस्यों को ही कमीशन मान लिया जाता है तो अब तक कमीशन के माननीय सदस्यों ने चाहे एक चाहे दो या चेयरमैन ने एक ग्रुप में जो राय दी है नगण्य हो जाती है और उससे जितने कर्मचारी चयनित हुए हैं और जो नियुक्तियां की गई हैं वे अवैध हो जाती हैं। इसलिए कमीशन की परिभाषा को ठीक करने की दृष्टि से और

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
उसके द्वारा अब तक के लिए चयन का नियमन करने का दृष्टि से यह विधेयक सदन के समक्ष लाया गया है।

जहां तक कमीशन के गठन का सवाल है, इसका जातिवाद आधार नहीं होता है, योग्यता के आधार पर कमीशन के सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। आयोग में हाई इन्टेग्रिटी के लोग हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे हमें किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसमें मन्शा केवल इतनी है कि अब तक जो कार्य हुए हैं उनको वेलीडेट करना है। आगे से कमीशन की परिभाषा क्या होगी वह इस बिल में स्पष्ट किया है क्योंकि सारे सदस्यों का किसी चयन में बैठना संभव नहीं होगा इसी मन्शा से अध्यादेश जारी किया गया था। इसलिए इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री दीपंकर : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य को जनमत जानने के लिए संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री दीपंकर : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधि, मान्यकरण) विधेयक, 1975 का प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 का पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : मेरी प्रार्थना है कि रजिस्ट्रीकरण वाला छोटा बिल है, उसको पहले ले लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

"रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रजिस्ट्रीकरण विधेयक जो पेश किया गया है इसमें वही लाइट नजर आती है जो 21 सूत्री कार्यक्रम में दी है। भूमि विकास बैंक से पैसा लेते समय काश्तकार को काफी दिक्कत होती थी, वह रजिस्ट्री तहसील में करवाए और पटवारी का सर्टीफिकेट ले और को-ऑपरेटिव सोसाइटी से भी ले।

वह पंचायत समिति से उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेन्ट लेकर बैंक में जाकर पेश कर दे तो उसे पैसे मिल जायेंगे लेकिन अब उसके बारे में हटाकर यह कर दिया गया है कि काश्तकार चाहे तो अलग से पैसे प्राप्त कर सकता है, वह किसी भूमि विकास बैंक से या ऐसे किसी बैंक से, जो कि कृषि संबंधी लोन्स दिया करता है, लोन प्राप्त कर सकेगा। इसमें पहले काफी दिक्कतें कृषकों को आती थीं वह अब यह कर देने से नहीं आयेंगी। रजिस्ट्रीकरण को हल्का कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस रजिस्ट्रीकरण बिल के पास हो जाने से उसका सरलीकरण कर दिया गया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके के कुछ ऐसे केसेज आपके सामने रखना चाहूंगा जिनमें पहले रजिस्ट्री करा दी गई थी।

(3.30. म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, पहले जो आदेश थे जो राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित किये हुए थे उनमें यह था कि कोई हरिजन की भूमि सवर्ण नहीं खरीद सकता लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर हजारों हरिजनों की भूमियां सवर्णों ने राज्य सरकार के आदेश होने के बावजूद अपने नाम रजिस्टर करवालीं। मैं अपने क्षेत्र का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां पर एक ब्राह्मण ने अपने आपको हरिजन बता कर जमीन रजिस्टर कराली। बाद में पता चला कि वह हरिजन नहीं है तो उस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं तो था नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति ने जिसे मैंने भेजा था उसने मुझे हरिजन बता कर यह रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब आज भी जिलाधीश के गले में यह घन्टी लगी हुई है। सभापति महोदय, होता क्या है कि लोग खेती कराते हैं तो हमारे उधर के इलाके में लोग हाली रखते हैं यह ज्यादातर लोग हरिजन होते हैं जो सस्ते में काम पर हाथ आ जाते हैं और बाद में वह लोग हरिजनों की जमीन अपने नाम नामान्तरण करा लेते हैं। ऐसा एक नहीं आपको हमारे उधर हजारों के तादाद में केस मिलेंगे, जिनमें हरिजनों की

(श्री दीपंकर)

जमीनों का दूसरे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पर कोई उनके खिलाफ में एक्शन नहीं हो रहा है । इससे राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना तो होती है पर साथ में बेचारे गरीब हरिजनों को बहुत भारी नुकसान होता है ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि ज्यादातर रजिस्ट्रियां होती थीं पहले और आज भी लोग अपनी जायजाद की कम कीमत बता कर रजिस्ट्रियां करा देते, हैं इससे राज्य सरकार को काफी स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है । इसके अलावा यह भी होता है कि दस ग्यारह प्रतिशत देकर लोग तहसीलदार से नाम भी बदलवा लेते हैं । इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन लोगों के पैसे बन्धे हुए होते हैं और पैसे मिलते ही वहां पर तहसीलदार के यहां पर ठप्पा लगा दिया जाता है । इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, लोग जिलाधीश के पास जाकर ज्यादा कीमत बताते हैं और फिर उन जमीनों का नामान्तरण अपने नाम कराते हैं । वहां यह भी कहते हैं कि साहब पहले कम कीमत के स्टाम्प लग गये थे अब ज्यादा स्टाम्प लगाने के लिये पेश हुए हैं । उस समय कलेक्टर या तहसीलदार यह सोचता है कि अच्छा है कोई गलती से कम कीमत के स्टाम्प लग गये होंगे, राज्य सरकार को इनकम हो रही है अगर कोई वोलेन्ट्री गलती मान रहा है, तो उसका मुनीम इस प्रकार पैसे ले देकर जमीनों को अपने नाम रजिस्टर करा लेते हैं । सिर्फ इसमें जमीनें ही नहीं बल्कि बड़े भवन तक इस प्रकार से रजिस्टर हो जाते हैं और उसमें काफी मात्रा में आये दिन घोटाले होते हैं । सभापति महोदय, इस प्रकार के घोटाले ज्यादातर वही लोग करते हैं, जो कि महाजन और समझदार व्यक्ति होते हैं, जो गांवों में इस प्रकार के घोटाले करते हैं । इसलिये आप जो वीकर सैक्शन को लाभ देने की बात करते हैं वह किस प्रकार दे पायेंगे जब कि आप इस प्रकार के लोगों के द्वारा करायी रजिस्ट्रियों का नामान्तरण कर देते हैं । आज पैसे बन्धे हुए रहते हैं, कोई भी जमीन या प्रोपर्टी बेचते हैं तो लोग कम कीमत के स्टाम्प लगाकर रजिस्ट्री कराते हैं । अगर कोई ज्यादा कीमत कहे तो वह खुद ही कह देते हैं कि लेन देन की बात करो, पैसे तुम चाहे ज्यादा ले लो पर स्टाम्प के पैसे अधिक देने से क्या फायदा । इस प्रकार वह लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं । इसके साथ साथ उनको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है । इसका कारण यह है कि इसके लिये तहसीलदार सब-रजिस्ट्रार होता है वह अगर किसी के घर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके पैसे अधिक बंधे होते हैं । बाकी वहां पर हर रजिस्ट्री में करीब चालीस-पचास रुपयों से कम खर्च नहीं होता है । इसका कारण यह है कि इसमें तहसील का बाबू, तहसीलदार व उसके यहां जो चपरासी होता है उन सभी को दो-दो, चार-चार रुपये कुछ न कुछ मिलता ही रहता है । तहसीलदार को 25 रुपये तक मिल जाते हैं । तो यदि आप समझें कि सिर्फ गांवों में ही है यह बात नहीं है । आज आप जाकर जयपुर तहसीलदार के दफ्तर में देख लें । रोजाना रजिस्ट्रेशन होता है और उनको बधे बंधाये पैसे मिल जाते हैं । आप चाहें तो पता लगा लें । इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं

(श्री दीपंकर)

होती। सभापति महोदय, आज किसी व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के कारण मकान अडानगत रखना हो, जमीन को अडानगत रखना हो चाहे बेचना हो तो रजिस्ट्रेशन के लिये जाना ही पड़ता है और वहां पर लोग लूट रहे हैं। खुले आम जनता को लूटा जा रहा है। वह बात अलग है कि कोई निसरड़ा ही व्यक्ति हो तो वह जाकर एन्टी-करप्शन में केस रजिस्टर करावे। पर ऐसे सिर्फ आपको एक-दो व्यक्ति ही मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर तहसीलदार रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर देता है तो जिला का जो रजिस्ट्रार होता है वह जिलाधीश होता है, तहसीलदार तो सिर्फ सब-रजिस्ट्रार ही होता है। तो उस रजिस्ट्री को जिलाधीश कर देता है, वहां भी पैसे बंधे हुए रहते हैं। तो भारी मात्रा में घोटाला हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जब तक आप इन घोटालों को नहीं रोकेंगे तब तक आप इसको सही रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। आज आपके शहरों में भी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं—आनन्द भवन, बगड़िया भवन और अशोक भवन जैसे कई बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं उन एक एक मकान की 8-10 बार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। इसी प्रकार हाउस-टैक्स के मामले में काफी घोटाले आज हो रहे हैं। एक ही मकान में एक कमरा और रसोई बता कर हाउस-टैक्स से अपने आपको बचा लेते हैं। इन सभी की पूरी तरह से चैकिंग होनी चाहिये और जो इस प्रकार के घोटाले करते हैं आपको उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये। सभापति महोदय, आज कई बड़ी बड़ी हवेलियां हैं बड़े-बड़े गढ़ की तरह जो कभी उनके पूर्वजों ने बनाये थीं लेकिन आज वह किन्हीं कारणों से उन्हें बेच रहे हैं। उसमें काफी गड़बड़ियां और घोटाले हो रहे हैं, कम कीमत पर ही रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये आपको पूरी तरह से चैकिंग करके उन सभी लोगों से पूरे पैसे जमा कराने चाहिये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये। इसके अलावा आपने जो यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है उससे काश्तकारों को काफी सहुलियतें मिलेंगी और मैं समझता हूं कि काश्तकार लोग अपने दस्तावेजों से बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिये जो सरलीकरण आपने किया है उसके लिये तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन जो यह तहसीलदार लोग कम कीमत पर रजिस्ट्रियां कर देते हैं ज्यादा कीमती प्रोपर्टी की उनके लिये तो आपको प्रोपर चैकिंग कराकर एक्शन लेना चाहिये। बाकि आपको इस बिल को लाने के लिये मैं बधाई देता हूं। बस मुझे इतना निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी")]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरे बदले श्री केशरीमल जी बोलेंगे। मेरा समय उनको दे दिया जाय।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, आज सदन में रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को पेश किया गया है उसमें काश्तकारों को कई सहूलियतें दी गई हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि किसान उन बैंकों को, जो कृषि संबंधित सामग्रियों पर लोन देती हैं, अपने कागजात भेजकर रजिस्ट्री करा कर पैसे प्राप्त कर लेगा और वहां पर एक रजिस्टर में दर्ज कर लिया जावेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा जो भी संशोधन इसमें किये गये हैं वह सभी स्वागत योग्य हैं। लेकिन मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि यह जो बिल अब लाया जा रहा है यह तो बहुत ही पहले लाया जाना चाहिये था। इसको आपने लाने में बहुत देरी कर दी है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारी पार्टी की ओर से लगातार लम्बे अर्से से यह बात कही जा रही थी कि हमारे देश के अन्दर, इस प्रान्त में भी यह जो पुराने कानून हैं लगातार उनका फायदा उठा कर लोग अपनी जमीनों को बेनामी तरीके से और कई तरह से फरोख्त करते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि उस वक्त में कानून के जरिये पाबन्दी लगाई जाती कि वह अपनी जमीन को बेच न सकें। लेकिन सरकार ने उस समय इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि समय पर ध्यान दिया जाता तो बहुत सी जमीनें इस तरह से जो बेच दी गई हैं और जो आज भी बेची जा रही हैं, वह रोकी जातीं यह काम पहले होता तो ज्यादा अच्छा होता और बहुत से लोगों को इससे ज्यादा फायदा होता। जहां तक जमीनों की रजिस्ट्री का प्रश्न है ऐसे लोगों के नाम वह रोकना चाहें तो रोक दें, उसकी व्यवस्था हो सकती है। जैसा अभी तक चला आ रहा है शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जमीनें दूसरे लोग नहीं ले सकेंगे, यह व्यवस्था की गई है, यह अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह चाहूंगा कि ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं उन आदमियों के लिए किसी तरह की पाबन्दी लगानी चाहिए। जो ढाई हजार, दो हजार साल के कमाने वाले लोग हैं उनकी भूमि के बेचान पर भी पाबन्दी लगे ताकि उनकी जमीनों को भी पैसे वाले लोग खरीद नहीं कर सकें। कहीं कहीं तो गरीबों की जमीन जब किसी पैसे वाले के मकान के पडौस में आ जाती है तो वह पैसे वाले फुसला कर या पैसे से उनको वहां से दूर करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से अधिकार करते हैं। कोई नहीं जावे तो झगड़ा भी करते हैं या प्रलोभन देते हैं, उनको तंग किया जाता है और किसी तरह से भी

(श्री केशरीमल)

उनकी जमीन हड़प ली जाती है। यह इससे रुकेगा, यह अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था अगर इस तरह से सुधरे तो मेरे खयाल में आगे जाकर फायदा होगा। अभी भी जो जमीनें इस तरीके से सीलिंग के अन्दर आ गई हैं वह सीलिंग में आने के बाद पुनः दी गई हैं। शहरों में भी जमीनें पड़ी हुई हैं, शहरी सीलिंग कानून अभी आया नहीं है और शहरी सीलिंग नहीं होने के कारण ऐसे बहुत से लोग, जितने ऐसे पैसे वालों के पास में जमीनें हैं, अभी भी इस तरीके से रजिस्ट्री करा कर धड़ाधड़ बेच रहे हैं। उन पर पाबन्दी लगा कर उनको रोका जाय। उन जमीनों को लिया जाय और सरकार उन जमीनों को ऐसे ढंग से बिकवाने की व्यवस्था करे कि जिससे गरीब वर्ग का जो तबका है वह उन पर आकर बैठ सके, अपने रहने के लिए आवास उपलब्ध कर सके और स्थान पा सके, ऐसी व्यवस्था इसके जरिये से की जा सकती है। यह तीनों ही बातें मैं स्वागत योग्य मानता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, यह बिल जो सदन में पेश किया गया है यह तीन मुद्दों को लेकर पेश किया गया है। पहला मुद्दा तो यह है कि राजस्थान को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 196। के तहत लैंड डवलपमेंट बैंक को रजिस्ट्रेशन की जरूरत से मुक्त किया गया है। किसी किसान की जमीन को रहन रखा जाय या लीज पर लिया जाय तो उस डाकूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा आज बहुत से बैंक, शिड्यूल बैंक, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हों या अननेशनलाइज्ड बैंक हों, वे बैंक्स भी किसानों को इन जमीनों पर कर्जा दे रही हैं तो यह उचित समझा गया कि जो लैंड डवलपमेंट बैंक को सुविधा दी गई है वही सुविधा दूसरे बैंकों को भी दी जाय। साथ ही दूसरी तरह के जो एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन हैं और संस्थायें हैं जो किसानों को जमीनों के आधार पर कर्जा दे रही हैं, उन्हें भी यह सुविधा दी जाय और किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाय बशर्ते कि वह बैंक या संस्था जो भी हो, रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी को, सब रजिस्ट्रार जो हल्के में पड़ता है, एक निश्चित समय में सूचित कर दे कि फलां फलां किसान को या आदमी की जमीन को रहन रखा है और इस जमीन के तहत इतना कर्जा दिया है। यह सुविधा जो लैंड डवलपमेंट बैंक को प्राप्त थी वही दूसरे बैंकों को, दूसरी इंस्टीट्यूशन्स को दी है। पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि अगर कोई डाकूमेंट या कोई कार्य को हम यह समझते हैं कि यह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है उस डाकूमेंट का रजिस्ट्रेशन आज रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार नहीं कर सकें, यह पॉइन्टेडली प्रोविजन नहीं था। कोई भी डाकूमेंट जो रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार को पेश होता था उसका उसको रजिस्ट्रेशन करना लाजिमी था। लेकिन राज्य सरकार ने इस एक्ट को पास करके अब यह प्रोविजन कर दिया है कि इस तरह के डाकूमेंट का, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, रजिस्ट्रेशन करने के

(श्री चन्दनमल बैद)
लिए रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार इन्कार कर सकता है ।

तीसरी बात जो इसमें रखी गई है वह यह है कि अभी तक राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी ऐसे डाकूमेंट की रजिस्ट्रेशन फी माफ कर सके, कम कर सके जिसको कि राज्य सरकार उचित समझती है । मान लीजिए कि किसी संस्था को जमीन दी है और राज्य सरकार चाहती है कि इससे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाय, या इसी प्रकार किसी गरीब तबके के लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, किसानों को किसी भी प्रकार की संस्थाओं को राज्य सरकार समझती है कि इन पर रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगे, माफ कर दी जाय तो राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं था, इस बिल के द्वारा अब राज्य सरकार यह अधिकार ले रही है जिससे जरूरत समझें तो किसी की रजिस्ट्रेशन फी माफ करना है तो माफ की जा सके । तीन चीजों को लेकर यह बिल सदन के सामने है । इस मौके पर दो माननीय सदस्य, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य, ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने इस बिल की सारी चीजों की प्रशंसा की है, स्वागत किया है । मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बातें तो बहुत सी कही गई हैं जो इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं । मैं इस मौके पर ज्यादा कण्ट्रोवर्सी में, ज्यादा डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहता । चूंकि इस बिल की तारीफ की गई है, स्वागत किया गया है इस वास्ते मुझे ज्यादा नहीं कहना है । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन में इस बिल का विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री दीपंकर और श्री केशरीमल ने रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने अथवा प्रवर समिति को भेजने के जो प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

दोनों ही संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए ।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्ड 2 से 5 ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किए गए ।

नया खण्ड 6 प्रभारी मंत्री जी ।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, यह जो खण्ड 6 मैं नया प्रस्तुत कर रहा हूं वह इतना फॉर्मल है कि यह जो अध्यादेश जारी किया गया था, उस अध्यादेश के अन्तर्गत जितनी कार्यवाही की गई है वह वैध होगी । यह बड़ा फॉर्मल है जो हर

(श्री चन्दनमल बैद)
बिल में, जो अध्यादेश के बाद आता है, में क्लॉज होता है। किसी कारण से यह रह गया है इसलिए मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूं।

[निम्नांकित नया खण्ड 6 प्रस्तुत किया गया :

"6. Repeal and savings.—(1) The Registration (Rajasthan Amendment) Ordinance, 1975 is hereby repealed.—

(2) Nothwithstanding such repeal all things done or actions taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act."]

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि नया खण्ड 6, जो माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने रखा है, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

नया खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1। प्रभारी मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, इस बिल का एक हिस्सा सन् 1972 में सदन में प्रस्तुत कर दिया गया था और अब इसके साथ दूसरे हिस्से रखे हैं, तो इसके साथ ही जो यह बिल में सन् 72 है उसके स्थान पर 76 कर दिया जाय।

[निम्नांकित संशोधन खण्ड 1 में प्रस्तुत किया गया :

खण्ड 1 में अभिव्यक्ति "Act, 1972" के स्थान पर अभिव्यक्ति "Act, 1976" प्रति स्थापित की जावे।]

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 में खण्ड 1 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, व अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, संशोधित रूप में, व अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाय ?

श्री सभापति : अब तो 76 होगा।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, 76 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, गृह) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गफ्फारअली बोलेंगे।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गफ्फारअली जी के बाद बोलूंगा।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह/इसी सत्र/एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रिमिसेज (कण्ट्रोल ऑफ रेंट एण्ड इविक्शन) (अमेंडमेंट) बिल, 1976 विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत है। वास्तव में इस बिल की मैं सराहना करता हूं और मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बिल सदन में प्रस्तुत किया है कि जिससे आज की बढ़ती हुई मांग, जो कि विशेषकर टिनेन्ट्स के पक्ष में नहीं है, पर कुठाराघात किया गया है और टिनेन्ट्स को इससे राहत मिलेगी। इसके अन्दर ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं वह इसलिए रखे गये हैं कि एक समस्या पैदा हो गई थी, लोगों को मकान मिलते नहीं हैं और उनको जितनी समस्या का सामना करना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया है एक प्रोविजन एड करके "in the event of death of the person as is referred to in sub-clause

(श्री ओंकारलाल चौहान)

his surviving spouse, son, daughter and other heir .. who had been.......... ordinarily residing" इसमें यह होता है कि उनके हक में क्योंकि यह कठिनाई और परेशानी हो जाती थी कि उसकी डेथ के बाद उसके परिवार के लोगों को सामना करना पड़ता था, इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी का दृष्टिकोण काफी प्रोग्रेसिव है और आज की समस्या का हल करने वाला है। ऐसे समय में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जहां इतनी सुविधाएं दी है वहां कुछ और सुविधायें भी दी जानी चाहिये। अगर कोई मकान मालिक, लैण्डलॉर्ड उसकी सुविधाओं को काट देता है पानी या बिजली के कनेक्शन् उसके बाद में एक धारा दी है, अमेन्डमेंट दिया है उसको लगा सकते हैं और 500) रु. तक उससे वसूल कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, कई दफा बिल्स काफी हो जाते हैं और यह जो धनराशि रखी है 500) रु. कम है, इसको बढ़ाकर एक हजार करना चाहिये ताकि जो तरमीम करें उसका पूरा लाभ उसको मिल सके। इसके अन्दर तरमीम के साथ जो पानी और बिजली के सम्बन्ध में सुविधा दी है उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और अगर कोर्ट इजाजत दें ? तो वह कार्य कर सकता है। इसमें एक प्रावधान होना चाहिये वह स्वयं भी ऐसी व्यवस्था कर सके और स्वयं व्यवस्था करने के बाद जो कुछ खर्चा आये वह लैन्डलॉर्ड के रेंट के हिसाब से काट ले यह जुड़ना चाहिये ताकि मकान मालिक को भी सहायता मिल सके और काई कठिनाई व दुविधा न रहे। मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ भी करता हूं, इसमें ज्यादा कहने की बात नहीं है। आज की स्थिति को देखते हुये यह उनके पक्ष में आता है लेकिन पेमेन्ट भी अस्योर्ड होना चाहिये। जब हम यह देखते हैं तो लैन्डलॉर्ड की बात को भी देखना पड़ता है। लैण्डलॉर्ड और टिनेन्ट दोनों को आधार मानना चाहिये।

अगर कोई टिनेन्ट 6 दफा किराया अदा नहीं करता है तो वह डिफाल्टर की गिनती में आता है। मैं यह कहता हूं, मान लीजिये पांच महीने का किराया दे और फिर जमा कर दे उसको बाई पास करता चला जाय। मैं समझता हूं एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है जिससे उस मकान मालिक को दिक्कत होगी। मान लीजिये किसी लैन्डलार्ड का आधार ही लैन्ड है, उसकी जीविका का साधन ही लैंड है और कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य प्रोफेशन नहीं है, कोई धन्धा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उसकी रोजी-रोटी पर आघात लगेगा। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि पेमेन्ट शुड बी अस्योर्ड, अगर पेमेन्ट अस्योर्ड हो जाता है तो उससे ऐसा लगेगा कि लैन्डलॉर्ड और टिनेन्ट के मामले खत्म हो जायेंगे।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, इसके अन्दर एक और क्लॉज दिया है कि

"Notwithstanding anything contained in any law or contract, no suit for eviction from the permises

(श्री ओंकारलाल चौहान)

let out for commercial purposes or business premises shall lie against a tenant on the ground of personal necessity."

पर्सनल नेसेसिटी के आधार पर दिया है, ठीक है पर्सनल नेसेसिटी पर मकान खाली होना चाहिये लेकिन उस पर पाबन्दी लगाई है ...

"....before the expiry of five years from the date the premises were let out to the tenant."

पांच साल कि अवधि है। माननीय सभापति जी, मैं समझता हूं यह ज्यादा है, इसको कम करना चाहिये। यह लम्बी अवधि हो जाती है जिससे उसके हकों पर कुठाराघात होगा इसलिए इस अवधि को कम करके दो साल की अवधि करनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, जो बिल प्रस्तुत है उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के जरिये टिनेन्ट्स को राहत दी है और उसके लिये एक आधार बनेगा।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल। (पाली)

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री जी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा के खड़े होने पर)

आप बोल रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां।

सभापति महोदय, राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 सदन के अन्दर प्रस्तुत है और यह स्वागत योग्य है जो कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। सरकार इस बात का गौरव प्राप्त करना चाहती है कि जहां एक ओर सागड़ी-मनी-लैन्डर्स बिल में अमेन्डमेंट करके शहर की जनता को राहत दी है ...

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण जनता को राहत दी है ..

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मनीलैन्डिंग में दोनों को ही राहत का प्रश्न है इसलिये मैं इनके ही शब्दों को बर-करार रख रहा हूं। इस बिल के जरिये इन्होंने शहर के गरीब किरायेदारों को राहत दी है। वैसे इस सम्बन्ध में एक कमेटी का भी निर्माण हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी है और यह बिल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लाना आवश्यक हो गया है। जब किरायेदार मर जाता था तो उसके बच्चों को, उसके लड़कों को कोई अधिकार नहीं रहता था कि किसी प्रकार वे उस मकान में किरायेदार बरकरार रहें लेकिन सुप्रीम-कोर्ट के जजमेंट के बाद यह बिल लाये हैं और उनको बरकरार रखा है। टिनेन्ट की डेफिनेशन में उसके लड़के, उसकी पत्नी टिनेन्ट की हैसियत में आती है—इस प्रकार बहुत बड़ा शोषण किरायेदार के साथ

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

चलता था और मकान मालिक उसका फायदा उठाते थे।

एक बार 62 से 67 के सत्र में और अनेकों बार यह मसला इस सदन में प्रस्तुत हुआ है। बहुत सी विधवायें अपने मकान को किराये पर देती हैं हालांकि उनकी तादाद नगण्य है लेकिन आज के कार्यक्रम के अन्दर सरकार ने यह स्वीकार किया है। सारे देश की और राज्य की हाउसिंग पोजीशन देखें तो वैसे तो बहुत बड़ा पर्सेन्टेज लोगों का सड़कों पर और फुटपाथों पर रहता है। वहीं बड़े होते हैं, वहीं शादी-ब्याह होते हैं और वहीं नया बच्चा पैदा करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन आज किरायेदारों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है जो किराये के मकानों में रहते हैं। राजस्थान में भी यह संख्या कम नहीं है इसलिए किरायेदार को कोई हक देते हैं तो यह बिल स्वागत योग्य है। वह किरायेदार बरकरार रहेगा। न तो सरकार के पास इतने पैसे है और न हाउसिंग कॉरपोरेशन इतने मकान प्रोवाइड कर सकता है। अगर गांव की स्थिति भी देखी जाय जिसमें सात लाख से ज्यादा प्लॉट्स गांव वालों को दिये हैं और आज नये आदेश जारी किये हैं शहरों में प्लॉट्स देने के जिसमें 50 पर्सेंट रिजर्वेशन देकर ऑक्शन के लिये और 50 पैसे गज के हिसाब से देकर स्लैब सिस्टम से जो 200 रु. से कम आमदनी वाले हैं उनको 50 पैसे में फिर 200 से 500 और हजार के स्लैब सिस्टम से प्लॉट दे रहे हैं। अगर सारे प्लॉट्स की संख्या आंकी जाय तो गंगानगर में हजार पन्द्रह सौ प्लॉट उपलब्ध होने शुरू हो गये हैं और इस प्रकार यदि हम (बी) क्लास सिटी को देखें तो सारे राजस्थान में लाखों के अन्दर प्लॉट्स क्रियेट हो जायेंगे और सारे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को मिला लें और सारी योजनाओं को मिला लें तो हम सारे आवासहीन लोगों के लिये प्लॉट अलॉट नहीं कर सकते हैं। केवल जो रूरल एरियाज हैं और जिनको एग्जिस्टिंग प्लॉट्स दे रखे हैं उनको ही दो करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अगर शहरों में एग्जिस्टिंग प्लॉट्स दें तो शायद एक हजार करोड़ रुपया देना पड़ेगा। वह भी 200) रु. से कम आमदनी वाले मान लें तो हजार, पन्द्रह सौ करोड़ रुपया देना पड़ेगा और वह केवल एक कमरे या डेढ़ कमरे के मकान बनाने के लिये। ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक हो गया था कि टिनेन्ट्स का जो हैरीटेज है उसका प्रोटेक्शन करें और उनके आवास के लिए प्लॉट्स दें। फिर बिजली और पानी की समस्याओं के बारे में भी गम्भीर स्थिति थी। किरायेदारों को तंग करने के लिए पानी के कनेक्शन काट देते थे, बिजली के कनेक्शन काट देते थे और रैन्ट डिपोजिट के बारे में भी बहुत दिक्कतें थी। उसको एरियर्स के अन्दर बताने के लिए वह रेन्ट रिकवर नहीं करते थे। अगर मनीऑर्डर करवा देते तो उसके रिफ्यूजल की बात आ जाती थी। फिर कोर्ट में जमा कराने की स्थिति थी। काफी काम्पलीकेटेड मामले थे। अगर किसी किरायेदार की बिजली और पानी काट दिया जाये तो इस हैरेसमेन्ट से परेशान होने के बाद दूसरी स्थिति नहीं रहती थी कि वह मकान को छोड़कर चला जाये। यह सारी बातें इस इस बिल में प्रोवाइड की गयी हैं। यह बहुत सुविधाजनक

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। और इसमें बहुत से अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत किये हैं माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करेंगे। मैंने बिल की धाराओं का स्वागत करते हुए कुछ नये एडीशन्स करने के लिए प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा प्रस्ताव भी है इसमें।

श्री सभापति : आपका नाम बोला गया था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा नाम भी था।

श्री सभापति : आप चाहें तो बोल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति जी, यह जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है इसकी भी एक लम्बी कहानी है। बहुत मेहनत के बाद और बहुत प्रयत्नों के बाद इस विधेयक को इस सदन में लाया गया है। इस बात के लिए तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आखिर इस विधेयक को बहुत अरसे की इन्तजारी के बाद यहां सदन में लाया गया।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो किरायेदारों की स्थिति है और आजकल मंहगाई के बढ़ते हुए जमाने में, जो मालिक मकानों का दृष्टिकोण है उसमें जो मालिक और किरायेदारों के बीच संबंध हैं वह उतनी ही अहमियत पकड़ गये हैं जितने कृषि भूमि पर टिनेन्ट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में यह संबंध महत्वपूर्ण हैं और राजस्थान में जहां एग्रेरियन रिफॉर्म्स के रूप में हम समझते हैं जिसकी वजह से हमने इतने लैन्ड रिफॉर्म्स किये, इसमें स्टेचूटरी इन्टरमीडियरीज को खत्म करके टिनेन्ट्स को अधिकार खातेदारी राइट्स के रूप में दिये क्योंकि टिनेन्ट्स को बेदखल कर दिया जाता था, चाहे जितना लगान ले लिया जाता था इसलिये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेन्ट और ओनरशिप राइट्स यह तीन स्लोगन्स निकाले जिनकी बुनियाद पर तमाम लैण्ड रिफॉर्म्स के कानून बने। मैं समझता हूं कि कस्बों और शहरों में रिहायशी मकानों में रहने वालों और उनके मालिकों के बीच में भी वही रिलेशन्स हैं और वही प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रहीं है। किरायेदारों की सुरक्षा नहीं है और चाहे जिस तरीके से रेन्ट और पानी और बिजली के पैसे लिये जा रहे हैं और इसकी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण उनकी जिन्दगी एक बड़ी अनिश्चितता से गुजरती है। मकानों की हालत भी खराब होती है और बहुत से किरायेदारों की, अधिकांश की, ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने मकान बना सकें। इसलिए, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आवश्यकता तो दरअसल इस प्रकार के बिल की थी और केवल इस अमेन्डिंग बिल से ही काम नहीं चलने वाला। बेसीकली नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि जिस प्रकार हमने अन्य स्टेजेज में कृषि भूमि पर अधिकार दिये, सुरक्षा दी, फेयर रेन्ट दिये और ओनरशिप राइट्स दिये, इसी प्रकार से निवास की सम्पत्ति में भी रहने वाले किरायेदारों को सुविधायें देने के लिए उसी दिशा में हमें बढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके का कानून बनाना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पड़ेगा । किरायेदारों में भी बड़ी अनिश्चितता है। उनके फेयर रेन्ट हों। तो इन दो स्टेजेज पर तो हम चल पड़े लेकिन तीसरी स्टेज पर भी हमको बढ़ना पड़ेगा कि जैसे टिनेन्सी में हैं और उसमें उनको ओनरशिप देनी पड़ी इसी तरह से इसमें भी हमको ओनरशिप देनी पड़ेगी। अभी जहां तक मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट इस दिशा में सोच पाई है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की दिशा में बढ़ रही है, कुछ फेयर रेन्ट के बारे में भी बढ़ी है लेकिन तीसरी बात तो अभी तक दिमाग में है ही नहीं कि इन्हीं टिनेन्ट्स को किसी अरसे रहने के बाद, जिस मकान में वह रह रहे हैं, उस सम्पत्ति में उस मकान का उनका मालिकाना हक बनता है। यह एक दृष्टिकोण होना चाहिए जो हमारी पार्टी का भी दृष्टिकोण है। लेकिन अभी तक सरकार पहले मुद्दे की बुनियाद पर कानून बना रही है और हमारा जो पुराना एक्ट है और इसमें जो संशोधन आ रहे हैं वह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और फेयर रेन्ट से ही सबंधित हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन दो दृष्टिकोणों से भी अगर हम पुराने कानून को देखें और मौजूदा कानून, जो कि संशोधन करके ला रहे हैं, को देखें तो मैं कहना चाहूंगा कि यह मौजूदा विधेयक किन्हीं मायने में कुछ हद तक किरायेदारों की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की दिशा में कुछ आगे बढ़ता है। बल्कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कर दी इस कानून से यह बात नहीं है। होना ऐसा चाहिये था लेकिन अब भी इस कानून के आने के बाद बड़ी गुंजाइश लैण्डलॉर्डस के लिए छोड़ी है जिसमें कि लोगों को बेदखल करके बेमकान और बेदुकान किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो ऐसी बात नहीं है। पहले जो स्थिति थी इस ऑर्डिनेन्स के आने के बाद उसमें एक कदम आगे बढ़ गया है, कुछ सहूलियतें दी गई हैं खास तौर पर रिहायशी मकानों के संबंध में। निजी आवश्यकता की बुनियाद पर जो सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (1) (एच) में जो धारायें थीं जिनमें निजी आवश्यकता की बुनियाद पर कोई मकान मालिक किसी किरायेदार को निकाल सकता था उसमें अब भी संशोधन करके इतना सुधार किया है कि अदालत को अधिकार दिया है। अदालत यह देखेगी कि अगर बेदखली की डिक्री दे दी जाय तो उससे किरायेदार को ज्यादा दिक्कत होगी या नहीं दी जाय तो लैंडलॉर्ड को ज्यादा दिक्कत होगी। बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेन्स को देखा जाता है। बॉम्बे के कानून में बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेन्स के प्रिन्सिपल को इन्ट्रोड्यूस किया गया।

अच्छा तो यह होता कि इसको और स्ट्रिन्जेन्ट बनाया जाता खास तौर से सिवाय इस प्रकार के लोगों के जिनके पास अलावा अपने मकान के और कोई मकान नहीं है। नौकरी कर रहा था और वह अपने मकान में रहना चाहता है। दूसरे लोगों की इजेक्टमेण्ट की स्थिति नहीं होनी चाहिये। इसमें भी आपने सुधार किया है कि एमीनिटीज, बिजली और पानी की सुविधाओं को मकान मालिक किरायेदार को निकालने के लिये, उनको तंग करने के लिये काट देते थे उसमें काफी पाबन्दी लगा दी है। काटे तो जुर्माना होगा, सजा होगी। दोनों का प्रावधान किया है। जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस पर रोक लगावेंगे उस दिशा में यह अमेन्डिग बिल दुरुस्त है।

लेकिन साथ ही इस कानून के जरिये लैंडलॉर्ड को भी बहुत बड़ी रियायत इसमें दी गयी है। यह ही सोचा गया हो कि गवर्नमेन्ट लैंडलॉर्ड और टिनेन्ट को बराबर देखती है, एक जैसा देखती है तो यह सोचना दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेन्ट को, मैं समझता हूं, समाज के गरीब तबकों को सपोर्ट करना है, इकोनोमिक डिफरेन्स के कारण और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर ही यह कानून बनाया गया है।

शुरू में जब कानून बनाया गया था तो इसका जो मकसद था, प्रिएम्बल को देखें तो आपको मालूम होगा कि यह कानून लैंडलॉर्ड को सहूलियत देने के लिये नहीं बना था। वह साफ इस बात को कहता है कि टिनेन्ट्स को सहूलियतें देने के लिये कानून बनाया गया है। लेकिन आश्चर्य यह है कि इसके द्वारा टिनेन्ट को जहां सहूलियतें दे रहे है वहां लैंडलॉर्ड को पहले जो सुविधायें नहीं थीं उससे ज्यादा दे रहे है जिसको मैं सही नहीं मानता हू। आप 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रचारित कर रहे हैं, किताबें भी इस मायने में निकाली हैं। आप यह कह रहे हैं, यह कानून इसीलिये ला रहे हैं कि किरायेदार को राहत दे रहे हैं। फिर कानून में यह कान्ट्रेडिक्शन क्यों? टिनेन्ट के साथ साथ लैंडलॉर्ड को भी सहूलियत दी हैं।

सभापति महोदय, आपने इस कानून के जरिये लैंडलॉर्ड को भी किराया बढ़ाने की सुविधायें दी हैं। जो किराया, स्टैंडर्ड रेन्ट, इस पुराने कानून के तहत लिया जा सकता था, इस कानून में संशोधन कर रहे हैं उसमें मालिक के लिये सुविधा रख दी है किराया बढ़ाने की। बजाय इसके कि आप किरायेदार को अधिक सुरक्षित करते आपने मकान मालिक को किराया बढ़ाने की सुविधा दी है। कैसे?

पहले आपने 1943 को बेसिक ईयर माना है। जो स्टैन्डर्ड रेन्ट कायम होता था, उस वक्त वैसे ही बेस ईयर के अनुसार जो मकान का रेन्ट था 1½ गुना रिहायशी मकानों के लिए और 2½ गुना दुकान वगैरह के लिए था। आपने एक कमेटी बनायी। उसकी सर्व सम्मत सिफारिश यह रही कि 43 का तो बहुत पुराना हो गया है इसलिए 53 को बेसिक ईयर माना जाय। आपने तो यहां लैंडलॉर्ड को बहुत बड़ी रियायत और दे दी। 43 का पुराना है कानून उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कोई दिक्कत आती हो ऐसी बात नहीं थी। पुराना तो 1857 का भी है जिसका इतिहास की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। 947 का भी बहुत बड़ा महत्व है और दुनिया की कोई भी ताकत इसको मिटा नहीं सकती है और न मिटाना चाहिये। 43 का बेसिक ईयर टिनेन्ट के पक्ष में था। किराया उस समय नीचा था और उसको यदि बेसिक ईयर माना जाय तो किरायेदार पर उतना ज्यादा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो किराया 43 से 1½ गुना और 2½ गुना रखा गया उससे अधिक नहीं हो सकता था। उससे किरायेदार काफी सुरक्षित अनुभव करते थे। 43 को हटा कर आपने 1962, 19 साल का डिफरेंस करके, बेसिक ईयर कर दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और वह जो पुराने कानून में प्रोविजन था 1।। गुना और 2।। गुना का उसको वैसा ही रखा। माननीय सदस्य इसको सुन लें, जो किराये के मकानों में रहते हैं, मैं तो जानता हूं कि मेरा मकान मालिक कितना किराया ले सकेगा, इस कानून के जरिये 1।। गुना और 2।। गुना रिहायशी और दूकान के लिए किराया रखा गया है, पुराने कानून में जो प्रोविजन था 1943 के बेसिक ईयर का, 1943 से बदल कर 1962 कर दिया है और किराया बढ़ाने का वह ही प्रोविजन रखा है। मैं पूछना चाहूंगा राज्य मन्त्री जी से, 62 के इन्डेक्स नम्बर क्या हैं और 75 के इन्डेक्स नम्बर क्या हैं? टिनेन्ट, जिस पर महंगाई की वजह से भारी असर पड़ा है, पहले ही परेशान है अब किराया महंगाई के बढ़ने से 2।। गुना बढ़ा देना चाहते हैं। या तो बेसिक ईयर 43 ही रखिये 2।। गुना करते हैं तो, 62 को बेसिक ईयर रखने की आवश्यकता नहीं। 62 का ही स्टेन्डर्ड रेन्ट मान कर उसमें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। रिहायशी के लिए आप 1।। गुना और उसी प्रकार से दुकानों वगैरह के लिए आप 2।। गुना कर रहे हैं। 2।। गुनी तो आज मार्केट रेट भी नहीं है। 62 में जो किराया था उसको 2।। गुना बढ़ा दिया हो 75 में, ऐसा नहीं है। कानून पास होने पर मालिक मकान, वकील आपको बधाई देंगे और किरायेदार मुकदमेबाजी में उलझ जावेंगे। इस कानून को मालिकों किराया बढ़ाओ कानून कहा जायगा। इस 20 सूत्री प्रोग्राम को और इन्दिरा जी के नाम को बदनाम मत कराओ जिसमें यह कहा गया है कि कमजोर तबके को किराये में राहत देने के लिए इस प्रकार का कानून ला रहे हैं। आप इस प्रकार का कानून पास न करें। 2।। गुना और 1।। गुना पुराने एक्ट में है, अमेन्डिंग एक्ट में नहीं है। केवल मात्र इसके पढ़ने से उसका पता नहीं लगता है। 43 को 62 कर दिया। 46 का 65 कर दिया।

जो कमेटियां बनाते हैं उनकी मोरल वेल्यू क्या है? जिसमें मन्त्रीगण हों और सर्व सम्मति से रिकमन्डेशन की हो। उसमें भी आगे जाकर लैंडलॉर्ड्स के लिए सुविधायें रख दीं यह शोभादायक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य मन्त्री जी से कि उस कमेटी ने युनेनिमसली रिपोर्ट दी थी बेसिक ईयर 1943 के बजाय 1955 किया जाय। 46 के बजाय 58 किया जाय और जिस किरायेदार ने 58 या उसके बाद मकान किराये पर लिया है उसका किराया कोई नहीं बढ़ाया जावेगा। यह इसका मतलब होता है। अब आपने इस तारीख को 1965 कर दिया है। 58 और 65 के बीच किराया बढ़ाया जा सकेगा और उनका भी किराया ढाई गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। यह तो क्लीअरकट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बोनस दिया है और वह बहुत बड़े मोनोपोलिस्ट को दे दिया। राजस्थान सरकार के हाथ में बोनस देने जसी कोई बात नहीं है। जो कुछ बात थी वह किरायेदारों का गला काट कर मकान मालिकों को आप बोनस देना चाहते हैं इस कानून के जरिये यह मैं कहना चाहता हूं, यह बिल किसी भी दशा में भी दुरुस्त नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून दो मुंहा है। इस कानून का एक हिस्सा तो अच्छा है उससे टिनेन्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को राहत मिलती है और दूसरे हिस्से से आपने टिनेन्ट के ऊपर वजन बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि अगर वास्तव में आप बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत, गरीबों को और कमजोर वर्गों के लोगों को राहत देने के लिए इस बिल को ला रहे हैं, आपका यदि यह मकसद है तो फिर इस बिल के अन्दर जो असंगतियां हैं उनको दुरुस्त कीजिये और किराया बढ़ाने वाली बात में जो आपकी कमेटी का सर्व-सम्मत निर्णय है, 55 जो आपका बेसिस है और 58 के बाद नहीं बढ़ा सकते, जिसे उस कमेटी ने मन्जूर किया, कम से कम उस पर तो आप कायम रहें वरना तो मैं यह समझता हूं कि आपका इस दुरुस्ती को करने का विचार नहीं है। इन दुरुस्ती को करने के लिए आशा है आप मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे तो यह कानून किरायेदारों को राहत देने वाला कानून हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मान्यवर,

श्री सभापति : आपका नाम पहले बोला जा चुका है। इसके अलावा आपकी पार्टी के दो सदस्यों को समय मिल चुका है....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : परन्तु यह परम्परा रही है कि जिसका नाम रह गया है, उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है। मैं बहुत कम समय लूंगा। आप तो जानते हैं मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं सदन का....

श्री सभापति : यह तो सही है परन्तु आपके अमेन्डमेन्ट भी हैं। उन पर भी तो आप बोलेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं कुछ एप्रिसिएशन भी करूंगा, गवर्नमेन्ट को काम्पलीमेन्ट्स भी पेश करूंगा। सिर्फ 5 मिनिट।

श्री सभापति : पांच मिनिट में ही समाप्त करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह जो बिल है, जिसकी कमेटी का मैं भी मेम्बर था और हमारे होम मिनिस्टर भी थे। यहां पर इस बिल में कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं जिससे टिनेन्ट को राहत मिली है। यह तब्दीलियां असल में पहले आनी चाहिये थीं। ये देर से यहां पर आयी हैं परन्तु फिर भी इससे बड़ी राहत मिली है। रिलेटेड हार्डशिप का जो हमने प्रोविजन दिया है वह बम्बई के आधार पर दिया है। इसके मुताबिक टिनेन्ट को राहत मिली है। इसके मुताबिक अदालत का यह फर्ज होगा कि वह जितना भी रेन्ट होगा डिटरमाइन करेगी। इसके साथ-साथ हाईकोर्ट के भी फैसले आये हैं। उससे भी हमको राहत मिली है। इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट है जिसके प्रति हम खासतौर से राज्य सरकार के आभारी हैं और मैं समझता हूं कि इससे जो टिनेन्ट का राहत मिली है यह तो इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट है और भी बहुत से हैं लेकिन इस सम्बन्ध

(श्री माहम्मद गफ्फार ग्रली)
में दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। जब हम कानून बनाते हैं तो कानून तोड़ने वाले इसकी तरफ भी सोचने लग जाते हैं। तो इस लाइट में भी थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। एक तो यूनेनिमस जो डिसीजन था, वह यह था कि 55 और 58 बेसिक ईयर, पहले 55 और उसके बाद 58 के बाद कोई किराया नहीं बढ़ा सकता। इसको राज्य सरकार ने बदल दिया है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को इस पर नजरसानी करना चाहिये क्योंकि हम सब लोग बैठे थे, ऐसा नहीं था कि राज्य सरकार का कोई नुमाइन्दा नहीं था। वह भी था और वह भी इससे डिस-एग्री नहीं था बल्कि हमने रिपोर्ट की, उसमें हर स्टेज पर कम्प्रोमाइज किया है और हमारा यह प्रयत्न था कि रिपोर्ट यूनेनिमस गवर्नमेन्ट को जाये। तो हमने यह यूनेनिमस रिपोर्ट दी। जब यूनेनिमस रिपोर्ट जाती है और मन्त्री महोदय भी उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो फिर यह नौबत क्यों आती है कि उसको रिवाइज किया जाये। अगर हम इसको रखते हैं तो दिसम्बर 61 में किसी ने किराया बढ़ाया है तो वह जनवरी 62 में फिर किराया बढ़ाने के लिए मजबूर हो जायेगा। दस से पन्द्रह कर दिया तो जनवरी में वह 15 से 22 किराया कराने का हकदार हो जायेगा और किरायेदार नहीं करेगा तो वह दावा करेगा। अदालत क्या व्यू लेती है यह जुदा बात है। तो इस बिल का यह नेगेटिव आस्पेक्ट है। जिस उद्देश्य से यह बनाया गया था उसका राज्य सरकार द्वारा स्वागत किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रॉब्लम पैदा हुई हैं। जैसे हमने रिलीफ दी टिनेन्ट को कि वह एक साल का किराया जमा करा सकता है और उसके बिजली पानी को नहीं काटा जायेगा जैसा कि लैन्डलॉर्ड अक्सर किया करते हैं। अब यह हो सकता है कि बिजली का पैसा ही नहीं देते हैं और गवर्नमेन्ट कनेक्शन को काट दे तो वह कानून की नजर में नहीं आ सकता है। क्योंकि गवर्नमेन्ट ने कनेक्शन काट दिया। इसके लिए लिमिट नहीं है। कानून का यह जो आस्पेक्ट पैदा हो रहा है, उस पर गवर्नमेन्ट को कन्सीडर करना चाहिये और हम को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये। इस किस्म के कई मामले मेरे सामने आये हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत से मकान मालिक किरायेदार पर ऊपर से कचरा डाल दें। इस किस्म की शिकायतें आयी हैं। इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है लेकिन बिजली, पानी के कनेक्शन राज्य सरकार को चार्जेज न अदा करने की सूरत में काट दिये जाते हैं, यह आस्पेक्ट खराब है। इसलिए यह निवेदन करूंगा कि मैंने इसके लिए यहां पर अमेन्डमेन्ट रखा है, इसमें अभी काफी टाइम है, राज्य सरकार अगर यह मुनासिब समझती है तो इन थोड़े से अमेंडमेंट का मन्जूर कर ले और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि दो रोज के लिए इसको पोस्टपोन कर दें। इतना अभी तो टाइम है और इस बीच में हम इसको दुरुस्त कर लें ताकि यह जो जरूरी खामियां रह गयी हैं यह दूर कर ली जायें इसलिये यह समय मिलना चाहिये। मेरा अर्ज करना तो यह है कि आप इसको एक्सेप्ट फर्मा लें, इसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट किये हैं। इसका

(श्री मोहम्मद गफ्फारग्रजी)
तो पॉजिटिव ग्रास्पेक्ट है, जो नेगेटिव ग्रास्पेक्ट है, उसमे हमारी रिपोर्ट के विरुद्ध फैसले लिये गये हैं, वह जो फैसले राज्य सरकार ने लिये हैं मैं उनको नेगेटिव ग्रास्पेक्ट मानता हूं। गवर्नमेंट ने जिस कमेटी का निर्माण किया, जिसमें खुद मंत्री महोदय मौजूद थे, तो उनको रिपोर्ट भी वह एक्सेप्ट करनी चाहिये। फिर भी उसमें तब्दीली लाये है 55 से 58 रखा इससे लैन्डलॉर्ड को रिलीफ मिल गया परन्तु 61 से 62 रख दिया, इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और यह बढ़ भी गयी है। डेढ़ गुना, ढाई गुना किराया कर दिया है, इस पर मैंने ग्रमेन्डमेन्ट मूव किये हैं और आगे ग्रमेन्डमेन्ट पर बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक 1976 आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। वैसे तो सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है, और राज्य सरकार ने इस विधयक में किरायेदारों को जो रियायतें, सहूलियतें दीं हैं उनका भी स्वागत किया गया है।

इस संशोधन के जरिये राज्य सरकार ने किरायेदारों के जो वारिस होते थे उनको किरायेदार की मृत्यु के बाद, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे उसके साथ रहने वाला कुटुम्ब का सदस्य हो, कोई कानूनी राहत नहीं मिलती थी, किरायेदार की हैसियत से वह उस मकान में नहीं रह पाते थे और लैण्डलॉर्ड उनसे मकान खाली करा लेता था। कानून में इसका प्रोविजन नहीं होने के कारण से कई डिक्रियां कोर्टों से और हाईकोर्ट से हो गईं जिससे दिक्कतें पैदा हुई। इस संशोधन के जरिये अब किरायेदार के वारिस न केवल पुत्र ही, न केवल पत्नी ही, न केवल पति ही, बल्कि कुटुम्ब के सदस्य के रूप में रहने वाले सदस्यों को भी इसमें अधिकृत किया है यदि वे उसके साथ में परमानेन्टली रहते थे और उसके कुटुम्ब के पार्ट एण्ड पार्सल थे, वह भी किरायेदार माने जायेंगे, और उनसे मकान मालिक खाली नहीं करा सकेगा किसी तरह से भी। यह एक बहुत बड़ी राहत इस संशोधन के जरिये से किरायेदारों को प्राप्त हुई है। इस संशोधन के जरिये हमने इस संशोधन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किया है। इसकी वजह से डिक्रियां जो कोर्ट ने पास कर दी हैं और उन डिक्रियों की वजह से टिनेन्ट्स को परेशानी पैदा हो गई थी वह डिक्रियां इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि इसको हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है।

यही नहीं किरायेदार से हमेशा मकान मालिक तौर तरीके अपनाया करते थे उनमे खास तौर से जो एमेनिटीज उसके पास थीं उनको कर्टेल कर दिया करते थे, और उन्हें जब एमेनिटीज नहीं मिलती थीं तो किरायेदार परेशान होकर भाग जाता था या मकान खाली कर देना पड़ता था उसको। तो इस संशोधन के जरिये से मकान मालिक के इस अधिकार को कम किया गया है और किरायेदार को सरक्षण दिया गया है जिससे वह उसकी एमेनिटीज का कम न कर सके और न कनेक्शन्स को काट सके। अगर कोई एमेनिटीज को कम करता है या कनेक्शन को काट देता

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

है तो वापिस कनेक्शन्स लगाने के लिए जो खर्चा होगा उस खर्चे को मकान मालिक द्वारा देने का प्रावधान किया गया है। यदि कोर्ट डिक्री पास करती है, और मकान मालिक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के रूप में दण्ड का इसमें प्रोविजन किया गया है। जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से उससे वसूल किया जा सकता है।

पहले जब किरायेदार किराया जमा कराता था तो एक ही तरीका था जिसकी वजह से वह किराया दे सकता था, लेकिन किराया जमा कराने के कई प्रोसीजर लाये हैं। वह चाहे बैंक एकाउन्ट में डिपॉजिट करा सकता है, चाहे मनीऑर्डर करा सकता है, चाहे कोर्ट में जमा करा सकता है। इस तरह का एमेंडमेंट इसमें किया गया है जिससे पहले मकान मालिक बहाना बना लिया करता था कि किराया समय पर नहीं दिया गया, और कोर्ट में दावा दायर करके किराया न मिलने के बहाने का उपयोग करता था, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। किराये के पेमेन्ट के कई तरह के रास्ते बताये हैं।

साथ ही साथ इसमें हमने इस बात की भी सबसे बड़ी राहत किरायेदार को दी है। मकान मालिक को अब तक पर्सनल रिक्वायरमेंट के आधार पर कोर्ट में जाकर खाली कराने का अधिकार दिया हुआ था, लेकिन इस कानून में जो संशोधन इसके अन्दर किया गया है जो कि आपके सामने विचारार्थ है, यह प्रोविजन कर दिया गया है कि कोर्ट में अगर कोई आदमी अपनी पर्सनल नेसेसिटी के आधार पर सूट फाइल करता है तो कोर्ट को यह देखना पड़ेगा, अगर कोर्ट ऐसी डिक्री पास कर दे कि मकान खाली कराये तो यह देखा जाय कि हार्डशिप किस को पैदा होगी। अगर हार्डशिप किरायेदार को पैदा होगी और हाउस ऑनर को पैदा नहीं होती है तो ऐसे ही डिक्री पास न करे लेकिन बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेंस किसके साथ में होगा इसको कोर्ट डिक्री देते वक्त ध्यान में रखेगी। इसलिए मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में जो कानून किरायेदारों को संरक्षण देने की दृष्टि से बने हुए हैं उनकी दृष्टि में राजस्थान का यह कानून, जो नया संशोधन करके सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ज्यादा प्रगतिशील है।

रहा सवाल यह जैसा झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसी मकान मालिक ने दुकान किराये पर दे दी बिजनेस के लिए तो वह 5-7 साल तक उसने खाली नहीं करा सकता है। यह संशोधन किया गया है उससे मकान मालिक को बड़ी हार्डशिप होगी। इनका दृष्टिकोण यह है कि कोई किरायेदार दुकान किराये पर लेता है तो मालिक दुकान, जो कि किराये पर देता है, का बिजनेस करने का इरादा नहीं है इसीलिए वह किराये पर दे रहा है। अगर वह दुकान जल्दी ही खाली कराता है और बहानेबाजी करता है तो निश्चित रूप से किरायेदार ने इतनी बड़ी पूंजी लगाई है उसको एक या दो साल में हटा दिया जाय तो निश्चित रूप से उसके साथ में बड़ा अन्याय होगा। तो हमने यह कहा है कि 5 साल की अवधि के पहले यदि वह पर्सनल बिजनेस करना

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चाहेगा तो किरायेदार को नहीं हटाया जा सकता है। यह हमने संशोधन किया है।

पर्सनल इन्ट्रेस्ट के आधार को बहुत अच्छी तरह से एक्स्प्लेन करने की कोशिश की है। अगर कोई पर्सनल इन्ट्रेस्ट के नाम पर मकान खाली कराना चाहते हैं और दुकान खाली करवा लें और सर्टेन पीरियड तक उनको खाली रखे और फिर दूसरे को किराये पर दे दें तो सर्टेन पीरियड का वह उपयोग करेगा और खाली रखेगा तो यह माना जायगा कि पर्सनल इन्ट्रेस्ट के आधार पर खाली नहीं कराया गया है बल्कि किसी और को किराये पर देने की दृष्टि से खाली कराया गया है। तो कोर्ट में इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, इसलिए मैं समझता हूं कि जनमत जानने का और प्रवर समिति के अन्दर भेजने का प्रस्ताव जो है वह नहीं होना चाहिये, और इसको पास करना चाहिए। वैसे यह जो कमेटी बनाई थी उसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे। इसमें किरायेदारों के प्रतिनिधि थे, हमारे सी. पी. आई. के विधान सभा के सदस्य, श्री मोहम्मद गफ्फारअली भी इस कमेटी के सदस्य थे, मकान मालिकों को भी इस कमेटी के अन्दर प्रतिनिधित्व दिया गया था, और उनके विचारों को समाविष्ट करके ही राज्य सरकार ने जो किरायेदारों को परेशानियां थीं उनको मिटाने के लिए जो इस कानून में संशोधन करना आवश्यक था उसको महसूस करके ही इसको यहां पर पेश किया है। आज के दिन सलेक्ट कमेटी या जनमत जानने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस में बहुत ज्यादा डिले होगी, और कोई मन्शा पूरी नहीं हो पायेगी, और जो फायदा किरायेदारों का दिया है वह उनको नहीं मिल सकेगा। केवल एक ही शंका अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकट की है और एक बात गवर्नमेन्ट के बारे में कही है कि जो बेस ईयर फिक्स कर दिया है वह मकान मालिक के फेवर में कर दिया है...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यही तो महत्वपूर्ण है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह फर्मा दें कि उस कमेटी की सारी बातों को आपने मान लिया है ? जो कमेटी ने मान लिया है उसमें आप चेन्ज कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब 1950 में एक्ट बना था तो किरायेदारों को संरक्षण देने का तो बेस ईयर माना गया था 43 तो 1950 में जो बेस ईयर माना गया था वह 7 साल पुराना माना गया था। उस समय केवल 7 साल पुरानी बात को मानकर बेस ईयर मान लिया। अब हमने 62 को बेस ईयर माना है तो हमने 13 साल का गैप दिया है। सन् 1950 वाले एक्ट में केवल 7 साल का ही गैप था और हमने 13 साल पुराने को बेस ईयर मानकर डाइवर्सन कर दिया है तो कहां पर मकान मालिक को संरक्षण देने की बात आ गई। हमने इस तरह से डाइवर्सन किया है तो 7 साल का पहले फर्क था और 13 साल का गैप देकर बेस ईयर को चेन्ज किया है तो इस प्रिन्सीपल को ध्यान में रखा है। मैं यू. पी. का रेफरेन्स देना चाहूंगा। वहां पर जो किराया नियन्त्रण और बदखली का कानून है उसमें जो बेस ईयर माना गया है वह 1972 माना गया है

Page No 129

(129)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

है। जब यू. पी. में 72 का बेस ईयर है तब हमारे यहां राजस्थान में हमने 62 को ही बेस ईयर माना है।

इसलिए यह कहना कि शायद हम बहुत ज्यादा कंजरवेटिव हो गये हैं या मकान मालिकों को ज्यादा सुविधाएं दिलाना चाहते हैं, सही नहीं है। 1950 में जो एक्ट पेश किया गया है, उसमें बेसमेण्ट कुछ था और जो आज 76 में पेश कर रहे हैं, इसका बेसमेण्ट कुछ और है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

खण्ड-2 श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, खण्ड 2 जो ओरिजिनल एक्ट में है, वह निम्न प्रकार है :

"(2) Sections 1 to 4 and 27 to 31 of this Act shall come into force at once, and the remaining provisions thereof shall extend to such areas in the State of Rajasthan and shall come into force therein with effect from such date as may from time to time be notified by the State Government in the Official Gazette"

श्री सभापति : आप क्या संशोधन पढ़ रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ओरिजिनल सेक्शन 2 सब-सेक्शन 2 है। मैंने इसको हटाकर इसकी जगह संशोधन रखा है। इस सब सेक्शन के बजाय यह रखा जाये—

"This act shall come into force at once".

इसका मतलब यह हुआ, पुराने सेक्शन के अनुसार सारे राजस्थान में एक्ट लागू हुआ लेकिन अलग-अलग एरिया के लिये में गजट में सरकार लाया करेगी कि फलां शहर में लागू होगा, तभी लागू होगा नही तो नहीं। इसका मतलब यह है कि 25 वर्ष होते हुए भी सारे किरायेदारों को राहत नहीं मिली है। मुझे मालूम है, डीग और भरतपुर से ऐसे कितने ही रिप्रेजेण्टेशन्स राज्य सरकार को दिये हैं कि इसकी किश्तें कर दो लेकिन वह नहीं हुई हैं। जो कि म्युनिसिपल टाउन्स हैं। मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। जब सरकार यह महसूस करती है कि यह टेम्प्रेरी एक्ट नहीं है। इसको आप परमानेंट बना रहे हैं। फिर सारे राजस्थान में लागू करने में क्या दिक्कत है। इससे

Page No 130

(130)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्या होगा कि सारे राजस्थान के किरायेदारों को लाभ मिल सकेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से इस पर विचार करें ताकि सभी जगह पर यह लागू हो जाये। इससे प्रशासनिक कार्य भी बचेगा। रोजमर्रा यह तय करना होगा कि यह कहां लागू होगा या कहां लागू नहीं होगा। इस एक्ट के पास होते ही सारी जगह लागू हो जाएगा।

यह खण्ड 2 में है, यह भी बता दूं।

श्री सभापति : आप का जो अमेण्डमेंट है, वह भी मूव कर दें। दोनों एक साथ ही कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा इसमें ही अमेण्डमेण्ट पार्ट 2 का है —

"(ii) after the proviso so amended, the following sub section shall be inserted, namely:—

"(3) The State Government, if it is satisfied that it is necessary or expedient so to do in public interest, may, by notification in the official Gazette, exempt from all or any of the provisions of this Act any premises owned by any educational, religious or charitable institution.....

श्री सभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ".... the whole of the income derived from which is utilised for the purpose of that institution."

मैंने इसमें संशोधन किया है। इसका कारण यह है कि इसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं, मान लें कि उनके अन्दर बहुत से किरायेदार रहते हैं, आपका मकसद टिनेन्ट को राहत देने का है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेट करें कि लेण्डलार्ड कौन है। वह किराया नहीं देता वह निकाला जा सकता है। आप चाहते हैं कि डेढ़ गुना या ढाई गुना हो उसमें पाबन्दी नहीं है।

चैरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन के लिए आप यह देना चाहते हैं।

श्री सभापति : शर्त में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें मन्दिर से ताल्लुक रखते थे। उसमें भी लोग रहते थे लेकिन टिनेन्ट्स नहीं थे, उन्हें यह राहत आप दें। तो जो टिनेन्ट हैं, इन्हें कोई सिक्योरिटी दे नहीं रहे हैं। कितना ही किराया बढ़ा दो। यह उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार ने अपनी बिल्डिंग्स को अलग कर रखा है। वह बात अलग है। इसीलिए मेरा कहना है कि इसको नहीं बढ़ाया जाये। यह आप नया इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

निम्नांकित संशोधन खण्ड 3 में प्रस्तुत किया गया।

"Add the following part (i) in the clause and the existing parts be renumbered accordingly:—

(i) The expression "Sections 1 to 4 .... be notified by the

Page No 131

(131)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

'State Government in the Official Gazette' by "This Act shall come into force at once."

(ii) Delete part (ii) of proposed amendment."]

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक क्लॉज 2 में अमेण्डमेण्ट करने का सवाल है, राजस्थान में खण्ड 2 लागू है। मेरे पास सूचना उपलब्ध है। 94 स्थानों में लागू है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारी म्युनिसिपेलिटीज में नहीं है। 144 म्युनिसिपेलिटीज हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभी पर लागू करने का अर्थ यह होगा कि राजस्थान की छोटी से छोटी ढाणी में भी यह लागू हो जाएगा। विलेजेज में भी यह लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां आवश्यकता पड़ जाती है, आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है वहां सरकार को अधिकार नहीं है। जहां आवश्यकता पड़ जाती है या समस्या उत्पन्न हो जाती है, उन क्षेत्रों में राजस्थान सरकार को अधिकार मिला हुआ है। उसका उपयोग कर सकती है। इसलिए यह नहीं लागू किया जाये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरा जो एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को बेनेफिट दिया है, राजस्थान सरकार यह महसूस करे कि इनकम का पूरा भाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में ही लगाया जायगा, तो उसको कर सकते हैं। चरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन्स अपनी आवश्यकताएं पूरी करे और चले, इसलिए इसको लगाया है। किरायेदार को ऑनर-अगर बहुत ज्यादा किराया बढ़ाये तो उसमें छूट देने का प्रश्न नहीं है। अगर यह हो जाता है तो मैं समझता हूं कि पहले वाला संशोधन है, जहां भी और जब भी समस्या होगी तो राजस्थान सरकार कर सकती है। इसलिए संशोधन आवश्यक नहीं होगा। चरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन्स को जो रखने का अधिकार दिया गया है उसका यह है कि उसकी पूरी इनकम इन्स्टीट्यूशन के काम में ली जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस अमेण्डमेण्ट की अब तक क्यों छूट दी है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी तक नहीं दी गई है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है खण्ड 2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 3 में मेरा संशोधन इस प्रकार है—

In clause (vii) sought to be substituted in sub-part (b) add

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

the following explanation at the end:—

"Explanation:—For the purposes of this sub-section 'ordinarily residing' or 'ordinarily carrying on business' with him shall include such children who, on account of minority or some disability or for the purpose of education have not been physically residing on business with the deceased."

सभापति महोदय, सरकार ने जो संशोधन सेक्शन 3 में किया है उसमें जो टिनेन्ट की डेफिनेशन दी गई है उसमें इस प्रकार के बच्चों को रखा है कि जो उनके साथ रहते हों। इसका क्या मतलब है उसको मैंने फरदर डिफाइन किया है मसलन मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ता तो जयपुर में है और रहता है वह होस्टल में, तो फिजिकली तो वह मेरे पास नहीं रहता है, या एक लड़का कहीं दूर रहता है और अगले पांच वर्षों में भी मेरे पास आने वाला नहीं है तो क्या वह टिनेन्ट की डेफिनेशन में आता है?

श्री ओंकारलाल चौहान। हेयर में तो आ जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें यह है कि—

"in the event of death of the person as is referred to in sub-clause (a), his surviving spouse, son, daughter and other heir .... इन सबके साथ हेयर भी हैं और लड़के भी हैं—

"....who had been, in the case of premises leased out for residential purposes, ordinarily residing and in the case of premises leased out for commercial or business purposes, ordinarily carrying on business with him in such premises as member of his family up to his death."

इसका साफ मतलब यह है कि आपके लड़के भी साथ में नहीं रह रहे हैं फिजिकली तो फिर वह डेथ के बाद टिनेन्ट की डेफिनेशन में नहीं आयेंगे और वे क्लेम नहीं कर सकते। यह मन्शा इस बिल की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको मैंने रखा है। मैं समझता हूं कि अगर आप ओरिजिनल क्लॉज रखेंगे तो हरएक के लिए यह चीज लागू होगी। पहले टिनेन्ट सबको ही मानते थे लेकिन हाई कोर्ट ने एक जजमेन्ट दे दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है और अब बहुत ही कोंशियस रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय गुड इन्टेंशन की बात कहते है तो इसको लागू करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा संशोधन है और वह सही स्प्रिट में है—

In part (ii) in the proposed clause (iii) in sub-clause (b) afte r

Page No 133

(133)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
the words "member of his family" the following words be added:—

"or dependent upon him as member of his or her family"

ऐसा है कि बालिग बच्चे अगर हों और काम कर रहे हों तो वे कवर हो जायेंगे और नाबालिग बच्चे हों और इस काबिल नहीं हों कि काम कर सकें और बालिग हो जाने के पहले ही वह खत्म हो जाय तो फिर इस कानून में दिक्कत पैदा हो सकती है क्योंकि इसमें है

"ordinarily residing and ordinarily carrying on business"

इसलिए यह कवर नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह दिक्कत की बात है, इसलिए इसमें बढ़ाना है कि

"or dependent upon him as member of his or her family."

यह मेरा निवेदन है और यह स्प्रिट भी थी जिससे यह कानून बनाया गया था।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं कि—

"ordinarily residing and ordinarily carrying on business"

इस वर्ड से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाने से बेनेफिट नहीं मिलेगा और यह एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया जाना चाहिए।

"or dependent upon him as member of his or her family"

इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन 20 ऑफ दी सिविल प्रॉसीजर कोड में भी ऑर्डिनरीली शब्द यूज किया गया है और इसको माना गया है और इसी तरह से देहली में भी ऑर्डिनरीली शब्द को माना गया है लेकिन जहां तक उसके पुत्र या हेयर को अधिकार देने का प्रश्न है उसको वंचित नहीं रखा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह डेफिनेशन तो उनके साथ भी लागू है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आगे जाकर जो बिजनेस कर रहे हों उनको भी इसमें शामिल किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले जो शब्द है "(b) in the event of death of the person as is referred to in sub-clause (a), his surviving spouse, son, daughter..." यहां तक वालों के लिये तो क्वालिफिकेशन नहीं है और उसके आगे लागू है तो इससे मतलब हल नहीं होता है। अगर आप अंग्रेजी को सही तरीके से इन्टरप्रेट करें तो यह सबके लिये लागू है।

(4.55 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित होने तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : यह तो "or dependent upon him as member of his or her family"

श्री उपाध्यक्ष : टिनेन्ट की डेफिनेशन के लिये कह रहे हैं ? क्या आप अपने संशोधन को विथड्रा करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री जी का जवाब आने दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो इसके लिये कह चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 3 में अलवर से आने वाले और जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो सशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वाकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड (4) में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है—

"(i) In part (ii) of the proposed amendment replace the figures '1965' by '1958' in sub-part (a) and replace '1962' by '1955' in sub-part (c).

(ii) In clause (a) of sub-section (2) delete the words "increased by fifty per cent;"

(iii) in clause (b) of sub-section (2) substitute the word 'two' by the word 'one."

उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट बहुत ही क्रूशियल है, इस सारे एक्ट में जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि बेस ईयर को 43 से बढ़ाकर 62 कर दिया है । पहले तो यह था कि किसी भी किरायेदार का जो 43 में किराया था उससे रिहायश का ड्योढ़ा और दुकान का ढाई गुना किया जा सकता है । अब इस 43 को बढ़ाकर 62 कर दिया । इसके लिये जो कमेटी बनी थी जिसमें सभी तरह के, मकान मालिक भी, किरायेदार भी, कांग्रेसी भी और कम्युनिस्ट भी, सरकारी अफसर और नेता भी थे उन सबने मिलकर यह तय किया था कि 43 के बजाय 1955 कर दें । चाहे कम्युनिस्टों को मन्जूर नहीं हो लेकिन टिनेन्ट और मकान मालिक और सरकार के प्रतिनिधियों ने इसको मन्जूर कर लिया । तो और भा कहूँ कि चलो, यही सही ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें हमने अमेंडमेंट में यह जो 1943 है, इसके बजाय 1955 को भी कहा है। अब मन्त्री जी, उन मकान मालिकों ने हां भर दी कमेटी के सामने, तो कहते हैं हां क्यों भर आये, हम ज्यादा रियायत देना चाहते हैं। यह आप कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कॉन्फ्रेन्स में एग्री कर गये, जैसे ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स होती है, तो आप कैसे इस बात को जस्टीफाई करेंगे, किस तरह इस बात को कहेंगे। आप कहेंगे, हम बहुत गरीब के हैं। आपका यह कारनामा देखा जायगा, तो यह गरीब का नहीं है, इन्दिरा जी का जो पुराना सिण्डीकेट का चरित्र है, वह चरित्र सामने आ रहा है। जिस तरह से पुराने वक्त में सोचते थे उस तरह सोचने का है, वरना समझ में यह बात आने की नहीं है कि जिससे लैंडलॉर्ड एग्री कर गये, जिससे टिनेन्ट एग्री कर गए, युनेनिमस डिसीजन कर लिया इसके लिए, हम युनेनिमस हैं इसके लिए, उसको मन्त्री जी अब चेन्ज कर रहे हैं, मंत्रिमण्डल चेन्ज कर रहा है, प्रो-लैंडलॉर्ड है यह मन्त्रिमण्डल मुझे ताज्जुब है, होम कमिश्नर जिस बात को एग्री कर ले उसको मन्त्रिमण्डल एग्री करता है। यह मन्त्रिमण्डल प्रो-लैंडलॉर्ड है, जो उल्टी चीज करना चाहता है, यह लैंडलॉर्ड के पक्ष में है। कमेटी की जो सिफारिशें थीं, उसमें जो टिनेन्ट के पक्ष में थीं, उनको केबिनेट ने चेन्ज नहीं किया। आपको टीनेन्ट के पक्ष में चेन्ज करना चाहिये था। यह स्प्रिट आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवाइये कि जिसको मकान मालिक एग्री कर गए, उसको मन्त्री मण्डल ने चेन्ज करा। माननीय सदस्य, इस बात को सोचें कि 1962 में जो मकान को किराये पर लिया है उसका डेढ़ गुना और दुकान को 1962 में जिसे किराये पर लिया है, उसका ढाई गुना होगा। मकान और दुकान का यह होगा तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि दौड़-दौड़ कर मकान और दुकान का किराया बढ़ाना शुरू हो जायगा। और इस कानून का नाम मकान दुकान किराया बढ़ाने वाला कानून होगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमने जो अमेंडमेंट रखा है उसको आप मंजूर करें, नहीं तो बाद में आपको अमेंडमेंट के लिए न आना पड़े। इसलिए आप इसे मंजूर करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1950 में जब किरायेदार बेदखली विधेयक पास किया गया था तब बेस ईयर माना था, 1943 और 1946 और आज जब 1976 में यह विधेयक पारित करने जा रहे हैं, तब बेस ईयर माना है, 1962 को, 1965 को।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 1975 में माना था, 1955 और 1958 जब कि आप प्रिसाइड कर रहे थे। उस ईयर से आप बहुत पुराने चले गये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं पुराना नहीं चला गया हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं 1975 में ले जाना चाहता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं माननीय रामानन्द जी को याद दिला रहा हूं, 1943...

Page No 136

(138)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं याद दिला रहा था, 1975 में जब आप चेयरमैन थे...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आज भी हूं।...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रहेंगे। स्वीकार करें तो अच्छा। आपको स्वीकार करना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप अच्छे हितचिन्तक हैं, उस कमेटी के चेयरमैन रखना चाहते हैं जो खत्म हो गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको मन्त्री पद पर रखना चाहता हूं, हांण्डा साहब !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा . मन्त्री पद पर रहेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपका सुझाव यह है कि 1962 और 1965, जो 1943 और 1946 के बजाय रिप्लेस किया है, उसके बजाय 1955 और 1958 करना चाहिये। जैसा मैंने पहले निवेदन किया, फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 1950 में एक्ट बनाते समय बेस ईयर का डिफरेन्स रखा था कि 1950 में किराया क्या था और 1943 में क्या रहा। प्रिन्सिपल उस वक्त इवाल्व कर दिया कि 1943 में जो किराया रेजिडेंशियल प्रिमिसेज का रहा होगा उसका ड्योढ़ा होगा और कॉमर्शियल प्रिमिसेज का ढाई गुना होगा। यह जो प्रिन्सिपल है, इससे डवेड नहीं किया है, उसी प्रिन्सिपल पर कायम रहे हैं, उसी प्रिन्सिपल पर चल रहे हैं और उसी पर आगे चलना चाहते हैं। रहा सवाल बेस ईयर का, 1943 के बजाय 1955 मान लिया जाय या 1955 के बजाय 1962 मान लिया जाय। यही फर्क है - आपका सुझाव है कि 1955 बहुत रीजनेबल है, बहुत रेशनल है, लेकिन राज्य सरकार की मन्शा यह है कि जिस तरह से प्राइसेज बढ़ गई हैं, जमान की कीमत बढ़ गई है, और और चीजों की बढ़ोतरी हो गई है, उसके मुकाबले में 1955 को बेस ईयर मानना बहुत पहले, पीछे जाने की बात है। 1950 में हमने सात साल पुराना बेस ईयर माना था, जब कि 1976 में केवल तेरह साल पीछे का बेस ईयर मान रहे हैं। यह प्रोग्रेसिव बात है। मैं मोहम्मद गफ्फारअली से निवेदन करूंगा कि 1950 में सात साल पहले बेस ईयर रखा था, इसमें तेरह साल का डिफरेन्स कर दिया इससे उन्हें संतोष होगा -

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे ही समझाइयेगा सोशलिज्म को।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) हम भी समझ रहे हैं, आपने समझ लिया है, हम समझे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 1943 और 1950 में कीमतों में बहुत बड़ा फर्क नहीं था, आज कीमत के ऊपर चल रहे हैं तो 1962 में किराया ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। उसके बाद कितना किराया करना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : फिर कहते हैं कि समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। समाजवाद से तो पीछे हट रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कॉमर्शियल प्रिमिसेज के लिए छूट दे दी तो व्यापारी तबाह हो जायेंगे। ढाई गुना किराया बढ़ाने की छूट दे दी तो दुकानें खाली करनी पड़ेंगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किराये का सिद्धान्त····

श्री ओंकारलाल चौहान : ट्रीपार्टाइट कॉफ्रेन्स में लैंडलॉर्ड, टिनेन्ट और सरकार के बीच समझौता हुआ था, फिर 1955 व 1958 क्यों नहीं किया गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य को पूर्ण जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ओंकारलाल जी को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जानकारी दूंगा और कमिश्नर साहब भी यहां बैठे हुए हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप कमेटी के सदस्य थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लैंडलॉर्ड जोर देते रहे, 1972 और 1975 होना चाहिए। हमने लैंडलॉर्ड की इस दलाल को नहीं माना····

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका डिसेंन्ट नोट नहीं है। उन्होंने परसुएशन से मान लिया था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उन्होंने कहा था कि मकान ले लो वापिस। लैंडलॉर्ड को क्या दिक्कत है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1955 और 1958 से उन्होंने एग्री नहीं किया था। दूसरी बातों से भी एग्री नहीं थे। क्योंकि हम जितने संशोधन कर रहे थे वह लैंडलॉर्ड के खिलाफ थे। वे कैसे एग्री करते। वह वहां अकेले थे। उन्होंने कहां डिसेन्ट नोट दिया। अपनी बात उन्होंने कह दी, आपस में बैठ कर फैसला हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कमेटी के समक्ष उनके जो विचार थे, वह रखे थे।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं यह पूछना चाहूंगा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कीमतें बढ़ी हैं, यह मान कर 1962 और 1965 बेस ईयर कर दिया है। तो क्या मजदूरों का कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स, दूसरा प्राइस इन्डेक्स का बेस ईयर बदलने को तैयार हैं? क्या आप उसको चार-पांच साल आगे करने को तैयार हैं? ब्यावर में और जयपुर में उसका रीडिंग कर लिया जाता है, उसका बेस ईयर चेंज करिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बेस ईयर का प्रिन्सिपल तय करने की बात थी, मोहम्मद गफ्फार अली ने 1955-1958 की स्वीकृति दे दी। बेस ईयर बदलने के प्रिन्सिपल की स्वीकृति दे दी। अब प्रश्न रह जाता है कि 1962 माना जाय या 1958। प्रिन्सिपल के अनुसार 1943 तो नहीं माना जा सकता। इससे आप एग्री करते हैं। हमने 1975 के बजाय 1962 माना है और 1958 के बजाय 1965 माना है, हमने इसको ज्यादा इक्यूटेबल फील किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इससे काम्प्लीकेशन्स पैदा नहीं होने वाले हैं। इसलिए इसको स्वीकार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा कि आपकी कमेटी में मकान मालिक थे वह अकेले थे और दुकेले का साथ मिला वह मंत्रिमण्डल में मिला। यह मतलब था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरा यह मतलब नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसमें लिबर्टी होनी चाहिए वोटर्स को। आपकी तरफ के चीफ ह्विप को कह दें तो अच्छा है।

श्री चम्पनमल वैद : हमारी पार्टी की बात आप तय करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वोट आपके हक में नहीं देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको स्वतंत्रता दिलवाना चाहते हैं। यह पार्टी इश्यू नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य वापिस लेना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह खतरनाक अमेंडमेंट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में अलवर से आने वाले और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री मो. गफ्फार अली } : हां पक्ष जीता। We claim division.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : Noes have it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गला जरूर बैठा हुआ है, लेकिन जीता हां पक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : Again.

प्रश्न यह है कि खंड 4 में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां पक्ष जीता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ना पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : जो हां पक्ष में हैं वे खड़े हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल है कि पहले घंटी बजा कर आप सदस्यों को बुलायेंगे वरना गलत हो जाएगा, प्रोसीजर को फालो करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा तो नहीं है कि पहले लोबीज क्लियर हो जायं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले घंटी बजानी पड़ेगी, हमारा भी एक सदस्य बाहर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे बहुत से सदस्य बाहर हैं, बहुत से सदस्य इधर उधर हैं, घंटी सुनते ही आयेंगे। सब किरायेदारों के पक्ष में हैं, लैंडलॉर्ड के पक्ष में एक दो हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लोबीज क्लियर करवाई जायं।

(मतदान-सूचक घंटी)

प्रश्न यह है कि खंड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खंड 4 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड 4 स्वीकार किया गया।

खंड 5। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खंड 5 में मेरा संशोधन है।

In the proposed amendment, add the following part (iii):

(iii) At the end of the sub-section (1), add the following proviso:

"Provided that no such notice for increase in rent shall be given by the landlord to his tenant if the fair rent or/standard rent has been determined or determined by any court under this Act or mutually agreed upon between the parties within 15 years previously."

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में यह अधिकार दिया गया है मालिक को कि अगर वह किराया बढ़ाना चाहे तो फिर किराएदार को पहले नोटिस देगा कि मैं किराया बढ़ाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि अब आपने 1943 से 1962 कर दिया और 1946 से 1965 कर दिया तो अब मेरा कहना है कि अब जो कोई भी मालिक पिछले 15 वर्ष के अन्दर उसमें किराया बढ़ा लेता है तो फिर तो किराएदार की जान छोड़ो, अब तो किराया बढ़ाने की इजाजत मत दो। इसका मतलब यह है कि कानून आगे भी रहेगा कि पिछले 15 वर्षों में अगर कोई किराया बढ़ा लिया हो या किसी कोर्ट की बढ़े हुए किराए की डिक्री हो तो उसको नोटिस देने की इजाजत नहीं मिलेगी। उससे पहले का है तो उसको मिल सकती है। इससे अननेसेसरिली जो सूट्स हैं उनसे बचा जा सकेगा। पिछले साल ही एक किराएदार ने किराया बढ़ाया उनका आपस में एग्रीमेंट हो गया, अब आपने बेस ईयर 1962 कर दिया और ढाई गुने का जो पिछले साल फैसला किया ढाई गुना इससे ज्यादा देता है तो मालिक पिछले फैसले को रद्द करके अदालत में जाएगा और कहेगा कि मेरा किराया बढ़ाओ। तो क्या आपका इरादा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है कि इस कानून के जरिए ऐसे लोगों को परेशान किया जाए ? ढाई गुना वाली बात मंजूर कर दी। लेकिन अब थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दो कि 15 वर्ष के अन्दर जिनके किराए बढ़ाए गए हैं उन पर परेशानी न आए। यह भी अगर आप कर देंगे हम समझेंगे कि थोड़ी राहत आपने उनको दी। बाकी लैंडलॉर्ड का पक्ष ही लेना है तो दूसरी बात है। नई कोठियां बन गई उनमें एक-एक लैंडलॉर्ड के एक-एक किराएदार रहता ही है, उन पर असर पड़ेगा, वह बात दूसरी है। 1961-62 में जो किराए हैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकेंगे, आपकी बात भी उसमें रह जाती है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस संशोधन का मन्शा है कि जो लैंडलॉर्ड को अधिकार मिला है वह किराया बढ़ाने के लिए जा सकता है "अण्डर सेक्शन 10 शैल बी इन्सर्टेड" मतलब सेक्शन 10 के प्रोविजन्स के आधार पर ही दरख्वास्त किराया बढ़ाने की दे सकता है। ओरिजिनल एक्ट के सेक्शन 10 में जो प्रोविजन्स हैं उनके तहत ही किराया बढ़ाने की दरख्वात दे सकते हैं अन्यथा सेक्शन 6 में नहीं। सेक्शन 10 इस बात को प्रोवाइड करता है कि लैंडलॉर्ड ने जब किराए पर दे दिया जो एग्रीमेंट था, शर्तें थीं, उसके बाद अगर उसमें सुधार किया है, स्ट्रक्चरल एडीशन किया है तो उस बढ़े हुए भवन के किराए के लिए वह दरख्वास्त दे सकता है क्या आप चाहते हैं कि मान लिया जाए कि अगर 10 साल पहले 15 साल पहले किसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था दो कमरों का और उसमें एडीशन्स व आल्टरेशन्स करके तीन कमरे कर दिए ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह नई टिनेन्सी हो जाएगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसा तो नहीं होगा। या उसी में एक बरामदा नहीं था, किचिन नहीं था, छोटी-मोटी चीजें नहीं थी, जो उसने कर दी और वह कहता है कि उसका किराया और बढ़ना चाहिए, वह किराया बढ़ाने की दरख्वास्त देता है तो सेक्शन 10 इस पर्पज के लिए एन्टरटेन किया जाएगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं जानकारी चाहता हूं कि उस स्थिति में क्या होगा जैसे मान लीजिए कोई किराएदार सन् 1965 या 1962 से किराए पर है। अब दो साल पहले आपस में बातचीत हुई, किराया बढ़ा दिया। किराया बढ़ा चुका है तो 1962 बेस ईयर माना जाएगा जिसमें दरख्वास्त दे सकता है ? क्या इस चीज को प्रोटेक्शन दिया गया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो किया गया है वह सेक्शन 10 के लिये किया गया है। पहले ऐसा हुआ कि एक लैण्डलॉर्ड हाई कोर्ट में चला गया और वहां पर हाई कोर्ट में जो जजमेन्ट हुआ उसमें इसकी वजह से काफी दिक्कत हो गयी। अब सेक्शन सिक्स की वजह से कोर्ट में नहीं जा सकता है। इसमें किन्हीं कारणों से किराया बढ़ाया जा सकता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब यह सिर्फ सेक्शन टेन के अन्तर्गत ही अगर कोई मकान मालिक अपने किराये के मकान में किसी प्रकार का आल्टरेशन कराता है

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
तो वह किराये के लिये कोर्ट जा सकता है। दूसरे प्रोविजन के तहत लैण्डलॉर्ड को रेस्ट्रिक्ट किया है नहीं। वह पहले सैक्शन 6 के अन्तर्गत भी कोर्ट में जा सकता था। हमने तो लैण्डलॉर्ड के राइट को करटेल किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे किरायेदार ने पहले किराया बढ़ा दिया और बाद से '62 से 15 साल होते ही आप तो किराया ढाई गुना बढ़ाने का लैण्डलॉर्ड को दे देते हैं। वह फिक्सेशन ऑफ स्टैण्डर्ड रेन्ट के लिये कोर्ट में अर्जी दे देगा और किराया ढाई गुना करा देगा। मुझे तो किराया बढ़ा हुआ दो।

श्री प्रभुसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही निवेदन था कि मकान मालिक स्टैण्डर्ड रेन्ट के लिये एप्लाई कर देगा उसके चैकिंग के लिये आप क्या कर रहे है वह एक बार किराया बढ़ा कर दूसरी बार किराया बढ़ाने के लिये और कह सकता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ अभी रामानन्दजी अग्रवाल ने जो एमेन्डमेन्ट मूव किया है उसके बारे में कह रहा हूं कि हमने तो इस संशोधन करने से मकान मालिक को किराया बढ़ाने के लिये रेस्ट्रिक्ट किया है अब वह सिर्फ सैक्शन टेन के अन्तर्गत ही किराया बढ़ाने के बारे में अर्जी दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : रामानन्दजी अब भी आप प्रैस करते हैं या संशोधन प्रस्ताव वापिस लेते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I Press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड पांच में जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड पांच को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड पांच को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 6। श्री रामानन्द जी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय खण्ड 6 में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:

In the proposed new section 12:—

1. In sub-section (2):-in eleventh line after the word "tenant" and before the word "he" insert the following:—

   "or if the tenant pays off or is prepared to pay within resonable time whatever amount the Magistrate orders him to pay; "

2. After the word "not satisfied" in the thirteenth line, insert the words "or the tenant does not pay the amount as ordered."

इसमें मेरी मंशा यह है कि जो एमीनिटीज किरायेदार को मिलती हैं, उसमें जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रावधान है अगर किरायेदार लैण्डलॉर्ड को पेमेंट करने को तैयार है तो आप इसमें मजिस्ट्रेट को यह पावर दे दें कि वह यह आदेश दे दे कि आज ही या रीजनेबल टाइम के अन्दर किरायेदार पैसे का पेमेंट कर दे तो उसको जो बिजली पानी की एमीनिटीज मिली हुई हैं उनको मकान मालिक समाप्त नहीं कर सकता। इसमें आप मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दें ताकि टिनेन्ट की एमीनिटीज समाप्त नहीं हों। अभी यह ऑप्शन मजिस्ट्रेट के पास नहीं है और चूंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि किन्हीं कारणों से टिनेन्ट अगर डिफाल्ट कर देता है तो मकान मालिक उसके खिलाफ में दावा करता है। तो ऐसे वक्त में एक मौका आपको और किरायेदार को देना चाहिये कि मजिस्ट्रेट उसको कहे कि या तो अभी या एक रीजनेबल टाइम में अगर वह पैसा जमा कर दे तो उसको बेदखल नहीं किया जायेगा। नहीं तो आज यह ऑप्शन नहीं है। तो मेरा तो यह एमेन्डमेन्ट देने का मतलब यह है कि इसमें कुछ सुधार हो। नहीं तो मकान मालिक किरायेदार को बिजली और पानी के लिये डिफाल्टर बना कर उसको बेदखल कर देंगे। इसमें जो मैंने संशोधन दिया वह अगर आप मान जाते हैं तो थोड़ी सिक्योरिटी हो जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: इसको थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। अगर आप मैंने जो एमेन्डमेन्ट दिया है उसे मान लेते हैं तो उससे थोड़ा टिनेन्ट सिक्योर हो जायेगा। इसकी पहले जब रिपोर्ट आयी तो उस वक्त भी मैंने यह कहा था अगर आप नहीं मानेंगे तो मकान मालिक हो सकता है डिफाल्ट की अर्जी देकर उसकी एमीनिटाज को जो पानी बिजली की हैं समाप्त कर देगे। हो सकता है जब बच्चों के इम्तिहान का समय हो तब बिजली-पानी बन्द कर दें तो काफी दिक्कत रहेगी। इसलिये आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको पॉवर्स देनी पड़ेगी। इसके लिये आप थोड़ी ह्यूमनीटेरियन एप्रोच रखें तो ठीक रहेगा। आपको चाहिये कि डिफाल्टर को एक मौका तो दें। नहीं तो बहुत ज्यादा पॉवर मकान मालिक को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मत दीजिये गरीबपरवर।

[निम्नांकित संशोधन खण्ड 6 में प्रस्तुत किया गया]

Clause—6.

(i) In the proposed section 12, in sub-section (2) replace the words—

"If the magistrate is satisfied with ... .
up to amenities" be omitted and be substituted by the following words:—

"If the tenant appears on the date fixed by the magistrate and deposits the amount due the magistrate shall dismiss the application for permission to disturb amenities attached to the premises let to him but the tenant does not deposit the amount due and fails to explain the circumstances justifying the with holding of charges

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

claimed by the land-lord, he may permit the landlord to disturb the amenities."

(ii) In the proposed sub-section (2) of section 12, the following proviso be added:—

"Provided that if the electricity or water connections are disturbed due to the non-payment of the charges by the land-lord the tenant shall be entitled to deposit the electric and water charges directly with the competent authority which shall issue the bills in the case of the tenant henceforth:

Provided further that if the tenant is in occupation of a part of the building and the water and electric connections are disturbed on account of the non-payment of water or electric charges by the land-lord or by other occupants of the building tenant shall be entitled to secure the water or electric meter in his own name at his own cost which he shall be entitled to deduct from the rent falling due till the cost is fully realized."

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया है वह टिनेन्टों की बिजली पानी की एमीनिटीज के बारे में किया है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज कोई मकान मालिक की जेब में थोड़े ही जाता है। वाटर वर्क्स के चार्जेज जो हैं वह भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को जाते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि टिनेन्ट वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का पेमेंट नहीं करे तो यह कहां तक उचित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह हमने कब कहा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: अगर लैण्डलॉर्ड किराया भी नहीं ले सके और बिजली पानी के पैसे भी उसको टिनेन्ट नहीं दे तो यह कहां तक उचित है। यह तो दूसरे डिपार्टमेंट को पेमेंट होता है इसलिये उसका पेमेन्ट तो होना ही चाहिये। क्या आप यह चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज या वाटर के चार्जेज भी नहीं देने दें टिनेन्ट्स को।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि अगर किसी कारण से टिनेन्ट पानी-बिजली के पैसे नहीं दे सके तो आपको एक मौका तो उसे देना चाहिये। इसमें लैण्डलॉर्ड चाहे तो पूरे पैसे वसूल कर लें तथा आप चाहे तो इस डिफाल्ट के लिये उससे दण्ड के रूप में इन्ट्रेस्ट उस पर ले सकते हैं। लेकिन आपको टिनेन्ट की बिजली-पानी रोकने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। वरना तो एक बार डिफाल्ट होने पर वह टिनेन्ट हमेशा के लिये बिजली काट देगा, पानी का कनेक्शन काट देगा। That means you are creating ground for ejectment.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज और वाटर चार्जेज नहीं देने का प्रश्न है, अगर मजिस्ट्रेट यह देखता है कि नहीं दिये हैं, मकान मालिक की दरख्वास्त आने पर, मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने न आ जावे। दूसरी बात कनेक्शन जो काटेगा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज नहीं देने पर, या तो जिस मकान में मकान मालिक खुद रहता है, मकान मालिक और टिनेन्ट साथ-साथ रहते हैं, वह जमा नहीं करायेगा तो उसका खुद का भी कटेगा, और टिनेन्ट अलहदा रहता है तो एक बार कट जाता है तो दुबारा रिकनेक्शन के लिये डिपार्टमेंट को फीस देगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसके लिये पहले ही प्रोविजन रखिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : विधेयक की मंशा यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज और वाटर चार्जेज मकान मालिक अदा करता है डिपार्टमेन्ट् को वह किरायेदार नहीं देता है इसका मतलब यह हुआ कि साल भर किरायेदार ये चार्जेज न दे और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फेसिलिटीज उठाता रहे और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कन्ज्यूम करता रहे यह उसके लिये आप सहूलियत चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मजिस्ट्रेट का यह फैसला हो जाता है, काटने की इजाजत देता है फिर रेस्टोर करवा सकता है...

एक माननीय सदस्य : मकान मालिक खुद करवायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मकान मालिक अपना तो कायम रखेगा और उसका सब मीटर काट देगा। कहीं कन्फ्यूजन है माननीय मंत्रीजी। आपका मकसद भी यह नहीं है कि एक दफा किराया या बिजली-पानी का पैसा न देने पर सारी जिन्दगी उसको कनेक्शन न मिले। आप यह प्रोविजन रख सकते हैं कि उस वक्त तो काट दे, फिर बिजली और पानी के डिपार्टमेंट में जाकर कनेक्शन करवा दे। आप कोई इसके लिये पेनल्टी रख दें। मजिस्ट्रेट यह कह दे कि यह पेनल्टी है और काटे नहीं। यह प्रोसिजर क्यों रखवाना चाहते हैं कि एक दफा तो लैंडलॉर्ड काटेगा ही ? एक दफा तो मजा चखना पड़ेगा। उस पर इन्ट्रेस्ट रख दीजिये, पेनल इन्ट्रेस्ट रख दीजिये, उस पर यह मुसीबत क्यों रखते हैं कि कनेक्शन कटे। बच्चे उसके पढ़ रहे हैं और पढ़ने से वे महरूम रहें। लैंडलॉर्ड को क्या मजा आयेगा ? पैसा चाहिये तो और दिलवा दीजियेगा बकाया है उसके अलावा और रख दीजियेगा। इतने पैसे से सेटिस्फाई हो जावेगा। पैसे की ही इच्छा है तो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह क्लेरिफिकेशन कर दीजियेगा कि दुबारा ले सकता है। पेनल्टी रख दीजियेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेनल्टी रख दीजियेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दुबारा कनेक्शन लेने की मनाही नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मजिस्ट्रेट का हुक्म लाए तो करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : एक व्यक्ति सेपरेट मकान में किरायेदार के रूप में रहता है। वह बिजली पानी के चार्जेज अदा नहीं करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका कनेक्शन कटेगा। कट जावेगा तो दुबारा कनेक्शन मिलेगा तो पानी और बिजली डिपार्टमेन्ट में जाकर कहेगा और फीस जमा करायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मालिक की मंजूरी न हो तब तक नहीं ले सकता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : पेनेल्टी का सवाल ही नहीं है। दुबारा डिपार्टमेन्ट को एप्लाई करेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसको क्लेरिफाई करवा दीजियेगा जिससे कन्फ्यूजन न रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सेक्शन में जो प्रोविजन दिया है उसकी मंशा यह है कि लैंडलॉर्ड अनावश्यक रूप से टिनेन्ट को परेशान न करे। अगर वह अनावश्यक रूप से परेशान करता है किसी एमेनिटी को विथड्रो कर लेता है और काट देता है तो उसको काटने के लिये वह कभी भी सक्षम नहीं है। उसको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा। यह प्रोविजन किया है। पहले बिना परमिशन के, बिना पूछे ताछे सुओमोटा कनेक्शन काट देता था इस अमेन्डिंग बिल में हमने यह इम्प्रूव किया है। माननीय सदस्यों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनको इसमें क्या अड़चन आ रही है। यदि मकान मालिक मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त न दे और एमेनीटीज को काटना चाहे तो नहीं काट सकता है लेकिन दरख्वास्त दे और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाय ऐसी फैसीलिटीज को विथड्रो करने के लिये तो उसको प्रस्ताव करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज का सुनने का मौका देगा कि उसने इलेक्ट्रिक ड्यूज और वाटर ड्यूज जमा कराये हैं या नहीं, किराया जमा कराया है या नहीं और जो रीजन्स रखे गये हैं वे ठीक हैं या नहीं। इस प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन पहले नहीं था। 59 के एक्ट में भी प्रोटेक्शन नहीं था। वह हमने दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बोम्बे के एक्ट को ले लीजिये, और किसी भी स्टेट के एक्ट को ले लीजिये इससे अधिक अच्छा प्रोविजन नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तारीफ की बात है। एक सूरत यह बनेगी कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर पाये। कनेक्शन काट दिया। रिकनेक्शन के लिये लैंडलॉर्ड को परमीशन लेना आवश्यक होगा। कोई झगड़ा करना चाहता है किसी नीयत से, नोटिस देगा, रीजन बतायगा कि किस वजह से बिलों का चुकारा नहीं किया है। जमा कराना हो तो करा देगा, किसी कारण नहीं हुआ, थोड़े दिन बाद करेगा, उस सूरत में, रुपया जमा कराये रीकनेक्शन का पैसा दे दे उस वक्त लैंडलॉर्ड के लिये यह ओब्लीगेट्री हो गया क्या ? वहां भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लैंडलार्ड की ओर से कन्ट्राडिक्शन हो सकता है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पैनल क्लाज रखा है। आपने 500 रुपये जुर्माने की कोई बात रखी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लैंडलॉर्ड जबरदस्ती काट देगा तो उसके लिये हमने पैनल क्लॉज रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टिनेन्ट के तो आप पेनल्टी लगा दीजिये। पेमेन्ट करने के बाद बिजली पानी का कनेक्शन कटे हुए रखने में क्या तुक है? 500 रुपया रखा गया है, पेनल क्लॉज रखा गया है। उसको आपने बिजली पानी काटने का हक दे दिया। इसका मतलब यह रास्ता निकलेगा, इजेक्टमेंट होगा। लोगों को निकालने की यह लूपोल निकल जायगी। इसलिये कोई पेनल्टी रख दीजिये ....

(माननीय मंत्री महोदय के ऑफिसर्स गैलेरी में जाने पर)

हम भी कुछ लगते हैं, उधर ही उधर की बात न मानें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टिनेन्ट की फैसिलिटी का सवाल है हमने इस बिल में टिनेन्ट को काफी सेफगार्ड किया है कि लैंडलॉर्ड इस प्रकार की हरकतें न करें और इसमें लिखा है Every protection has been given to the tenant and I cannot go beyond this.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नहीं कर सका वह ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अपने चार्जेज नहीं दे तो जस्टीफाई नहीं करें....

(व्यवधान-अश्रव्य)

"Where on an application for permission to cut off or withhold the amenities presented by landlord under Sub-section (1), it appears to the Magistrate that the tenant has not paid charges in respect thereof which he was liable to pay, the Magistrate shall issue a notice requiring the tenant to appear on the date as may be fixed by him and to explain the circumstances justifying, withholding of such, charges"

अपने चार्जेज का मजिस्ट्रेट के सामने एक्सप्लेन भी नहीं करें ? .. I cannot accept such an amendment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन उसको नहीं जंचे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट को पावर्स दिये जायें तो टिनेन्ट को जहां मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी वहां जाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से पावर्स छीन लेंगे तो। इसलिये मैं समझता हूं टिनेन्ट के जहां तक राइट्स का सवाल है वह इसमें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में माननीय रामानन्दजी ने जो

(श्री उपाध्यक्ष)
संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरे, उपाध्यक्ष महोदय, दो और हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 6 में ही ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हां ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में माननीय मोहम्मद गफ्फार अली ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को स्वीकार किया जाय ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रोविजन्स थे । इसी में, उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रोविजन्स सजेस्ट किये थे । गलतफहमी रह गई ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो उसके ऊपर राय ली है । अलग अलग दिया है दोनों ने अग्रवाल साहब । और आपका दोनों का अलग अलग है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 8

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खण्ड 8 में यह संशोधन है कि "Proviso to the proposed new sub-section (6) of section 13 be deleted.

अब यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सा है । उपाध्यक्ष महोदय यह प्रोविजन है इसमें "If a tenant makes deposit or payment as required by sub-section (4), no decree for eviction, on the ground specified in clause (a) of sub-section (1) shall be passed by the court against him :"

यानि पहले सुविधा दी गई किरायेदार को कि अगर डिफाल्टर हो गया है तो दावा होने के बाद पैसा जमा करा दे तो उसको डिफाल्टर की वजह से नहीं निकाला जाय । तो जो इस प्रोविजन्स के जरिये मैंने दिये हैं उसको वापिस लेने की कोशिश की है । इसमें कहा गया है एक दफा डिफाल्टर होगा तो ठीक है लेकिन दुबारा डिफाल्टर होगा तो फिर तो उसको फांसी ही है । मैं यह कहना चाहता हूं अगर आपको किरायेदार को सुविधा देनी है और खासतौर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से इस महंगाई के जमाने में वक्त पर किराया नहीं दिया जाय और मकान मालिक ऐसे होशियार हैं कि मुझे किराया मिला नहीं इसलिये इस प्रोविजन के जरिये ...

"Provided that a tenant shall not be entitled to any relief under this sub-section, if having obtained such benefit or benefit under section 13-A in respect of any such accommodation, he again makes a default in the payment of rent of that accommodation for six months."

अभी तो बिजली के डिफाल्टर के बारे में देखा। कहते हैं एक दफा बिजली का पैसा नहीं दिया तो कनेक्शन काटेंगे ही। क्यों नहीं दिया पैसा ? यह भारी कसूर वह कर रहा है। लेकिन वह कहता है मेरे से ले लो, दुगुना ले लो तब भी मंत्री जी को स्वीकार नहीं है ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिफाल्टर है, वह कह रहा है गलती हो गई है। इस बात में डिस्प्यूट नहीं। वह कहता है मेरे 20 रुपये होते थे, मैं 40) रु. देने को तैयार हूं लेकिन आप कहते हैं यह बदमाश है और अब तो इसका बिजली-पानी कटेगा ही। और दूसरा वह कह रहा हूं किराया नहीं देने की वजह से एक दफा फायदा उठा लिया और दुबारा किराया नहीं दिया तो अब ता निकलेगा ही, कोई रास्ता नहीं है—यह प्रोविजन्स किये हैं, इसको डिलीट कराना चाहते हैं। पेमेन्ट कर देता है और विद इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट करता है तो उसको वापिस निकालने से क्या मतलब ? लेण्ड-लॉर्ड का इन्ट्रेस्ट तो इस हद तक सेव करें कि उसको किराया मिल जाय। न जागीरें बची हैं, न महल बचे हैं, न बड़ी बड़ी अट्टालिकायें बची हैं मैं कहता हूं न मकान मालिकों के मकान बचेंगे चाहे आप कितनी ही पाबन्दी लगाने का कोशिश कर लें। यह होकर रहेगा। किरायेदार एक दिन इनके मालिक होंगे। जो लोगों के बुनियादी अधिकार हैं, उन बुनियादी अधिकारों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आज की यह डिबेट भी एतिहासिक डिबेट होगी कि किन-किन लोगों ने क्या क्या हिस्सा लिया इसलिये मैं कोट करना चाहता हूं जो कानून बनाया है अच्छा है, और बहुत मुश्किल से आया है अब वापिस इस प्रोग्रेसिव कानून को रिट्रोग्रेड करना चाहते हैं। यह प्रो-लेन्डलॉर्ड है और एन्टी-टिनेन्ट है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोहमम्द गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सक्सीडिंग तारीख 15 तारीख के बजाय विदिन दी फिफ्टीन डेज ऑफ दी टिनेन्सी रख दी जाय। किसी की 5 तारीख को टिनेन्सी खत्म होती है तो उसको 20 तारीख और यदि 10 तारीख को टिनेन्सी खत्म होती है तो उसको 25 तारीख यानि विदिन फिफ्टीन डेज ऑफ दी टिनेन्सी होना चाहिये। उसमें यह बेनिफिट हो जायगा कि उसको डेट मालूम होगी और उसके 15 वें दिन मे जमा करा

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
देगा। उसमें लैण्डलॉर्ड को भी सहूलियत मिल जाती है कि उस निश्चित तारीख तक पैसा मिल जायगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इसको विदिन फिफ्टीन डेज ऑफ दी टिनेन्सी कर दिया जाय तो उसमें और रिलीफ मिल जायगा और लैण्डलॉर्ड को भी समय पर पैसा मिल जायेगा।

[निम्नांकित संशोधन खण्ड 8 में प्रस्तुत किया गया]

In section 13, in the proposed sub-section (4) the words "within fifteen days of each succeeding month from the date of tenancy" be substituted for the words "by the fifteenth of each succeeding month."

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा और जो अमेन्डमेन्ट पेश किया मैं नहीं समझ पाया कि जो हमने प्रॉविजन किया है उसमें तो एक स्टेप आगे गये हैं। कहां पीछे हट रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: बहुत आगे बढ़ रहे हैं लैण्डलॉर्ड्स को सहूलियत देने में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: उसमें गफ्फार अली भी शामिल थे—मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक स्टेप आगे गये हैं और हमने यह कहा है कि कोर्ट में भी किराया जमा करा दें डिफाल्ट होने के बाद भी....

श्री रामानन्द अग्रवाल: पहले भी था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: पहले कहां था? डिफाल्ट होने पर किराया जमा कराने का चान्स नहीं था और डिफाल्ट मानकर दावा दायर कर दिया जाता था। आपको याद होगा कि पहले यह नहीं था और मैं उस सैक्शन को भी पढ़कर सुना सकता हूं। हमने कहा कि डिफाल्ट होने के बाद भी वह कोर्ट में किराया जमा करा देता है तो डिफाल्ट नहीं मानकर इविक्शन नहीं कराया जा सकता। फिर आप क्या चाहते हैं?

दूसरा श्री गफ्फार अली जी का संशोधन है। वह कहते हैं कि टिनेन्सी से 15 दिन का समय मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वर्ड्स का कन्फ्यूजन हो सकता है बाकी हमारी मन्शा वही है। 10 तारीख को किराया ड्यू होता है उसके बाद 15 दिन का टाइम लिमिट दी है। उसकी मन्शा तो वही है। वर्ड्स का कन्फ्यूजन हो सकता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: सक्सीडिंग मन्थ की 15 तारीख को जमा कराना जरूरी है। अगर आप डेट ऑफ टिनेन्सी रखते हैं तो जैसे किसी की 5 तारीख की टिनेन्सी है तो 20 तारीख को जमा कराना जरूरी होगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: सक्सीडिंग मन्थ ऑफ दी टिनेन्सी आयेगा।

(150)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जैसे 5 तारीख को टिनेन्सी शुरू होती है तो 20 तारीख को जमा करा देगा। आपका यह है कि हर'हालत में 15 तारीख को जमा कराये। दिसम्बर का किराया है तो 15 जनवरी तक जमा करा देना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बिलकुल।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा यह है कि टिनेन्सी 5 तारीख को शुरू होती है किसी महीने की तो आपको 15 तारीख के बजाय 20 तारीख को जमा कराने का हक हो जायेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप यह चाहते हैं, 15 दिन के बजाय 30 दिन देना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उस तारीख से एक महीना दे दीजिए। कोई एक चीज तो मान लें ताकि रिकार्ड में अच्छी बात रह जाये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने सारी चीजें आपके मन की रखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो श्री रामानन्द अग्रवाल ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन-प्रस्ताव अस्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में श्री गफ्फार अली ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 9 में मेरा संशोधन इस प्रकार है:

In part (iii) add the following new clauses after new clause (f):—

"(g) No court shall execute any decree that might have been passed on the ground of reasnoable and bonafide necessity or on the ground of compromise in a suit for eviction based on reasnoable and bonafide necessity unless the court is satisfied in the suit that having regard to all the circumstances of case including the question whether the reasonable accommodation is availble to the landlord or the tenant, greater hardship would be caused by passing the decree than by refusing to pass it.

(h) The provisions of clause (g) shall *mutatis-mutandis* apply to all executions pending at the time of commencement of this amending Act."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मन्शा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कानून से एक सुविधा दी है जिसको हमने सबने वैलकम किया है। पर्सनल नैसेसिटी की बुनियाद पर किसी के मकान को खाली कराने से पहले उसकी सुविधाओं को देखा जाये कि खाली करने से किरायेदार को ज्यादा असुविधा होगी या नहीं, या खाली नहीं करने से मकान मालिक को ज्यादा असुविधा होगी। बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेन्स जिस तरफ हो और इस कानून की मन्शा यही है लेकिन खामी यह रह गयी कि यह कानून में आगे के लिए इस तरह की डिग्री तो नहीं हो लेकिन जो मौजूदा ऐसी डिक्रियां हो चुकी हैं उनके ऊपर इसको लागू नहीं किया है। याने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की मन्शा है। अगर आपकी नीयत इस तरह की रियायत देने की है तो जिसके खिलाफ डिक्री भी पेश हो गयी है और एग्जीक्यूशन में मामला चला गया है और एक्चुअली मकान अभी छोड़ा नहीं है तो उसको भी यह सुविधा मिल जाये तो उसूलन आपको क्या एतराज होना चाहिए? पहले अमेन्डमेन्ट जब हुआ था सैक्शन 13 (ए) लागू हुआ था, जब डिफाल्ट वालों को सुविधायें दी गयी थीं तो उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर चाहे सूट, चाहे डिक्री, चाहे एग्जीक्यूशन सबके ऊपर उसको लागू किया था और आपने ऐसे ही कुछ मामलात के अन्दर लागू किया है लेकिन यह आपके प्रावधान में नहीं है? इसलिए यह प्रावधान रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए है और मैं समझता हूं कि वह आप दे चुके हैं। प्रोस्पेक्टिव नहीं होने के कारण दूसरे लोगों की काफी ऐसी तादाद है, 1 लाख 30 हजार केसेज राजस्थान के अन्दर टिनेन्ट्स के ऊपर मालिकों की तरफ से अदालतों में चल रहे हैं। ऐसी किरायेदार संघ की ओर से मुझे सूचना दी गई है और उसमें से अधिकतर केसेज इस प्रकार के हैं जो कि नेसेसिटीज की बुनियाद के ऊपर है तो उनका इतना बड़ा इम्पेक्ट होना चाहिए तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेन्स के प्रिन्सिपल को हमने इस एक्ट के तहत माना है और उसका फायदा माननीय रामानन्द जी उन मामलों में दिलाने के पक्ष में हैं और वह अमेन्डमेंट भी लाये हैं जिनमें केस फाइनल हो गया, डिक्री इश्यू कर दी गयी और एग्जीक्यूशन भी उस डिक्री का हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्जीक्यूशन हो गया उनमें नहीं। एग्जीक्यूशन पेन्डिंग है उन मामलों की कह रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी वह अपनी स्पीच के दौरान बता रहे थे कि किरायेदार संघ ने उन्हें यह सूचना दी है कि राजस्थान की डिफरेन्ट कोर्ट्स में इस तरह के मामले 1 लाख 30 हजार पेन्डिंग हैं। जहां तक पेन्डिंग केसेज का सवाल है मैं इसके बारे में डिस्प्यूट नहीं करता। यह फिगर्स, है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन जहां तक पेन्डिंग केसेज हैं और जिनके ऊपर कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है और कोर्ट्स में चल रहे हैं उनके ऊपर तो हमने इसको लागू कर दिया...

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिक्री नहीं हुई तब तक के तो है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बेलेन्स ग्रॉफ कन्वीनियेन्स वाले मामले में लागू कर दिया ग्रौर हाईकोर्ट के केसेज में हम पेन्डिग मानते हैं उस हद तक भी यह लागू हो जाता है लेकिन डिक्री होने के बाद ग्राप चाहते हैं तो मामला नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा कि···

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राप समझ गये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ग्राप समझ गए तो ग्रागे नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य वियड्रा करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्रापने मजबूरी बता दी, नहीं तो मानना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : यह बेरोमीटर ग्रापके पास है तो ग्रच्छा है, सन्तुष्ट हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह रिकार्ड पर तो नहीं ग्राता। रिकार्ड में लाने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड 9 में ग्रलवर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव ग्रस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 को स्वीकार किया गया।

खण्ड 10

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल !

श्री प्रद्युम्नसिंह : ग्रब तो मान जाग्रो रामानन्दजी, मन्त्रीजी तो मानने वाले नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देखिए, यह तो ग्रब इतिहास कहेगा। तो हम ग्रलग से ग्रलग ग्रौर छोटी सी सुविधा चाहते हैं। चलो यह नहीं करो तो यह ग्रमेंडमेंट इस रूप में है इसे ही मान लीजिए। डिक्री ग्राप देना नहीं चाहते तो मेरा यह संशोधन है कि :

In the proposed new sub-section (3) the following proviso be added at the end: —

"Provided that if the tenant has got only one business or commercial enterprise as source of livelihood and the court is satisfied that his eviction from such premises shall make him unemployed so as to render his family without reasonable source of income, the court shall not pass a decree of eviction,"

यानि एक रेजिडेंशियल मामले में तो ग्रापने बैलेंस ग्रॉफ कन्वीनियेंस वाली बात रखी है। लेकिन जो बिजनेस प्रिमिसेज हैं उनमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

केवल आपने पांच वर्ष की बात कह दी है कि पांच वर्ष तक उन पर दावा नहीं आएगा, उसके बाद आ सकेगा । मैं आपको पांच वर्ष के बाद भी सब दावों के लिए नहीं कहता लेकिन आपसे अपील करना चाहता हूं उन लोगों के नाम पर जो एक दुकान वाला है, चाहे पनवाड़ी है, कहीं पर कोई धन्धा नहीं है, यह दुकान का धन्धा उसका सोर्स ऑफ इन्कम है । ऐसे अगर लोग हों और उनके मामले में भी बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेंस की बात को देखेंगे, अदालत यह देखेगी कि वास्तव में यह ऐसा आदमी है, बड़ा परिवार है, इसके पास और धन्धा नहीं है, यह भी नहीं है कि उसका बेटा नौकरी में हो और उसकी आमदनी उसको आती हो, कोई भी नहीं है और उसके हटने से वह धन्धे से बाहर हो जाएगा, अनएम्प्लायड हो जायगा, ऐसी स्थिति में उसके इविक्शन की डिग्री अदालत नहीं देगी, यह प्रोविजन इस बिल में जोड़ना चाहता हूं । इसका मतलब यह नहीं है बड़े लोग पर है, जिनका बड़ा बिजनेस लगा है, यह केवल बेसिक नीड़ वाले, कमजोर वर्ग के तबके के जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, जो शुरू से किराये पर बैठते आ रहे हैं, उनके लिए प्रोविजन है । आप यह देखें जब सामने आया, दिल्ली के अन्दर खास तौर से, आप यह कह रहे हैं कि हमारा बहुत प्रोग्रेसिव कानून है, आपने दिल्ली प्रिमिसेज रेंट कन्ट्रोल एक्ट को देखा होगा, मेरी जहां तक सूचना है वहां पर जो बिजनेस प्रिमिसेज हैं उन बिजनेस प्रिमिसेज से खाली कराया ही नहीं जा सकता है पर्सनल नेसेसिटी की बुनियाद पर भी । क्योंकि मकान खाली करना है, साथ ही बिजनेस भी लेना है, इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत लिमिटेड तबके के लिए केवल बहुत छोटे लोग, नीचे से नीचे तबके के लोग हैं उनको रिलीफ देने की बात है । अगर आप समझते हैं कि इस तरह के किरायेदारों को रिलीफ देना है तो ठीक है वरना लैंडलॉर्ड्स को बहुत बड़ी रियायत मंजूर हो तो यह आपकी मर्जी है । यह भी आपकी मजबूरी है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई मजबूरी का प्रश्न नहीं है, सिद्धान्तों का प्रश्न है और किसी सिद्धान्त के आधार पर ही चल रहे हैं और मजबूरी कोई सामने आएगी तो उसका भी सामना करते रहेंगे ।

बैलेंस ऑफ कन्वीनियेन्स का प्रिंसिपल जहां रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए माना है, माननीय सदस्य का इसमें यह अमेंडमेंट है कि इस बात को, बैलेंस ऑफ कन्वीनियेन्स को कार्मशियल में भी माना जाना चाहिए । जहां लैंडलॉर्ड को यह राइट दिया गया है कि अगर वह बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बता सके....

श्री ओंकारलाल चौहान : बोनाफाइड नेसेसिटी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बोनाफाइड नेसेसिटी साबित कर सके तो खाली करवा सकता है । मान लीजिए कि एक आदमी है और उसकी दुकान किराये पर एक्स को दे रखी है और उसका लड़का माइनर था, किसी धन्धे को करने के लिए लायक नहीं था और वह मेजर हो जाता है और वह फालतू बैठा है और वह अपनी नेसेसिटी के हिसाब से खुद

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
धन्धा करना चाहता है और दुकान को खाली कराना चाहता है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियेन्स में करा पायेगा ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तो निश्चित रूप से नेसेसिटी है और उसमें यह बोनाफाइड नेसेसिटी के आधार पर डिक्री दी जा सकेगी । इसलिए बोनाफाइड नेसेसिटी उसमें बता कर देखा जाएगा कि बोनाफाइड नेसेसिटी अराइज होती है या नहीं इसलिए बोनाफाइड नेसेसिटी का प्रश्न मान लिया है तो उसके अनुसार फैसला होगा । इस नए अमेंडमेंट से कोई पर्पज पूरा नहीं होता । बोनाफाइड नेसेसिटी के प्रिंसिपल को मान लिया है इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 को स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 12

श्री मोहम्मद गफ्फारअली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : खण्ड 12 में यह यूनेनीमस रिपोर्ट थी, ऐसा होता है कि मनीऑर्डर भेजा और अक्सर ऐसा होता है कि मनीऑर्डर के ऊपर यह लिखा दिया जाता है कि मिला ही नहीं । तो वह वापिस आ गया मनीऑर्डर । हमने यह दिया है कि अगर मनीऑर्डर भेज दिया गया है उस एड्रेस पर जो कि उसके किरायेनामे पर दर्ज है या ऑर्डिनरी तौर पर एड्रेस हो हो सकता है तो वही सफिसियेंट टेण्डर समझा जाएगा फॉर दी पर्पज ऑफ पेमेन्ट । और जब भी सही पते से मनीऑर्डर भेजा, it should be sufficient tender according to this; sufficient tender समझा जाएगा । यह रिपोर्ट करा देता है एक रुपया, आठ आना डाकिये को देकर कि वह मिला नहीं, इसमें वह दिक्कत पैदा नहीं होगी । एक दो बार कभी भी मनीऑर्डर भेज दे उस एड्रेस पर भेज दे वही सफिसियेन्ट टेण्डर समझा जाएगा । यह मैंने छोटा सा अमेंडमेंट रखा है अगर आप मंजूर फरमाये तो ठीक है ।

[निम्नांकित संशोधन खण्ड 12 में प्रस्तुत किया गया :

In the proposed sub-section (3), in clause (a) the words "which shall be considered a sufficient tender irrespective of any consideration whatsoever" be added at the end].

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

Page No 155

(155)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गफ्फार साहब ने जो अमेंडमेंट रखा है

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रिपोर्ट भी यही थी कि सफिसियेंट टेण्डर हो मनी-ऑर्डर भेजना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो मान लिया है। आप कोई पर्टीक्यूलर क्लॉज बतायें, हमें तो कोई डिफेक्ट नजर नहीं आता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह लिखा देता है कि मिला नहीं, "money order is received back by him under a postal endorsement of refusal or unfound..."

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमने, तो यह माना है कि मनीऑर्डर भेज दे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : "(c) where he has remitted the rent by postal money order under clause (a) and the money order is received back by him under a postal endorsement of refusal or unfound...." अब आपने क्वालिफाई कर दिया है।

"...is received back by him under a postal endorsement of refusal or unfound..." तो अनफाउण्ड जो है उसकी पोसिबिलिटी इतनी है कि रिफ्यूजल कर देता है

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पेज 14 पर सब-सेक्शन 4 है

"(4) For the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 13, a tenant shall be deemed to have paid or tendered the amount of any rent due from him, if he has paid, remitted or deposited the amount of rent by any of the methods specified in sub-section (3)."

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह ठीक है। उसको क्लेरीफाई कर दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सब-सेक्शन 4 सेफगार्ड करता है। मनीऑर्डर से जमा कराया हुआ मानेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फिर यह क्यों लगाया है ?

"(c) where he has remitted the rent by postal money-order under clause (a) and the money-order is received back by him, under a postal endorsement of refusal or unfound and where the landlord does not specify a bank and account number."

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: It is clear.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप इसका क्लेरीफिकेशन कर दीजिए। That it will be considered sufficient tender irrespective of any other consideration.

श्री ओंकारलाल चौहान : इसके लिए चार तरीके सजेस्ट किए हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका तो यह मतलब हो गया कि मनीआर्डर वाला तो गया और बाकी के दूसरे तरीके अपनायें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मनीआर्डर से भी पैसा जमा करा सकता है । मनीआर्डर लेने से रिफ्यूज करता है तो वह कोर्ट में जाकर कह सकता है कि पैसा जमा कराये, लेने से इन्कार कर दिया । यह उसका सबूत हो सकता है that he has sent the money.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह आठ आना फीस देकर एन्डोर्स करवा सकता है कि नहीं मिले ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मनीआर्डर को वापिस करवा सकता है, लेने से इन्कार कर सकता है । वह उसे कोर्ट में सबूत कर सकता है । और भी माड ऑफ डिपोजिट है, उसको अपना सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य श्री मोहम्मद गफ्फार अली ने जो संशोधन खण्ड 12 में प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 लगायत 18 स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

खंड 12 लगायत 18 स्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

माननीय मंत्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21-1-76 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6-13 बजे बुधवार, दिनांक 21 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी ।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूची)

विधि व्याख्याताओं की सूची

क. सं.	महाविद्यालय का नाम	पूर्णकालीन विधि-व्याख्याता	दिनांक	अंशकालीन विधि व्याख्याता	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	डूंगर कॉलेज, बीकानेर	2	17-1-76	4	2-12-75
2.	राजऋषि कॉलेज, अलवर	1	26-9-75	9	17/18-10-75
3.	एम. एस. जे. कॉलेज, भरतपुर	1	26-9-75	4	18-10-75
4.	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	1	26-9-75	6	17/19-10-75
5.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	1	26-9-75	13	17-10-75 24-10-75
6.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	1	26-9-75	2	18-10-75
7.	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	1	26-9-75	3	19-10-75

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची)

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	ग्राम संख्या	1971 की जनसंख्या	योजना की लागत (रु. लाखों में)	कुल खर्चा (रु. लाखों में)
1.	नगरीय/ग्रामीण ज. प्र. योजना, सिरोही	सिरोही	1	18,774	20.65	—
2.	,, पिंडवाड़ा	पिंडवाड़ा	1	9,743	5.74	5.47
3.	,, सियोगंज	सियोगंज	1	12,029	7.40	7.67
4.	,, माउंट आबू	आबूरोड़	1	9,840	44.50	32.93
5.	ग्रामीण/जलप्रदाय योजना, मण्डार	रोदर	1	6,629	2.81	3.09
6.	,, रोदर	रोदर	1	2,770	1.14	1.19
7.	,, दांतराई	रोदर	1	2,636	0.91	0.96
8.	,, निम्बाज	रोदर	1	1,753	0.95	1.00
9.	,, भारजा	पिंडवाड़ा	1	2,606	0.87	0.86
10.	,, मनादर	सियोगंज	1	3740	0.98	1.11
11.	,, भव-उम्मेदगढ़	सियोगंज	15	13,116	15.86	16.00
12.	,, जोंइला-अलपा	सियोगंज	11	7,897	10.40	10.38
13.	,, सिलदर-रामपुरा	सिरोही	2	2,188	2.04	2.06
14.	,, जवाल	सिरोही	1	5,045	1.36	1.40
15.	,, बरादा	सिरोही	1	1,629	0.80	0.80
16.	,, मोहब्बत नगर	सिरोही	1	2,280	1.01	1.01
17.	,, कालन्दरी	सिरोही	1	4,572	1.23	1.00
18.	,, पोसालिया	सियोगंज	1	3,599	1.09	1.09

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

तहसील चाकसू एवं फागी में अध्यापकों की व्यवस्था

220. श्री जयकिशनलाल सोलावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कुल कितने मिडिल स्कूल हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील चाकसू एवं फागी के मिडिल स्कूलों में अध्यापकों के कितने स्थान कब से रिक्त हैं ? और इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(3) तहसील चाकसू एवं फागी में सरकार और मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कुल 326 मिडिल स्कूल हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) तहसील फागी में रा. उ. प्रा. वि., डाबिन एवं उ. प्रा. वि. सवाई जयसिंहपुरा में दो-दो अध्यापकों की कमी माह सितम्बर, 75 से है। इनकी पूर्ति शीघ्र ही कर दी जावेगी। चाकसू में कहीं भी स्थान रिक्त नहीं है।

(3) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता

221. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित व जन-जाति के लोगों के विरुद्ध राजस्थान की अदालतों में जनवरी, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक इस प्रकार के कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए जिनमें कि सरकार द्वारा पैरोकारी व वकील करने की सहायता दी जा सकती थी। सूची सदन की मेज पर न्यायालय-वार रखने का कष्ट करें।

(2) न्यायालय वार कितने कितने प्रार्थना-पत्र सहायता के लिए प्राप्त हुए और उनमें कितने कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये। कितने अस्वीकार किये गये तथा कितने विचाराधीन रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त मामलों में न्यायालयवार वकीलों पर पैरवी के लिए सहायता के तौर पर कुल कितनी राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की और कितनी कितनी खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त मामलों में न्यायालयवार किन किन वकीलों को पैरोकार नियुक्त किया गया व किन किन मुवक्किलों को नकद सहायता दी गई व कुल खर्चा कितना

(श्रीजनार्दनसिंह गहलोत)
हुआ तथा वकीलों को चुनने की क्या प्रक्रिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को वसूली सहायता देने सम्बन्धी क्या नियम हैं ? जिससे कि वे शीघ्र सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकें ?

(6) कोई व्यक्ति यदि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का वकील हो तो सरकारी पैरोकारी के लिए उसे प्राथमिकता देने का नियम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

सहोदरा बांध का कार्य

222. श्री अर्जुनसिंह (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सहोदरा बांध के निर्माण हेतु 1975 के बजट में कुछ राशि स्वीकृत की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग इस अधूरे बांध को पूरा करने में असमर्थ है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष ही उक्त बांध को पूरा कराने हेतु कोई आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) कार्य की मात्रा एवं उपलब्ध धनराशि को देखते हुए कार्य इस वर्ष पूरा नहीं किया जा सकता।

जालोर एवं बाड़मेर डिपो की बसें

223. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर एवं बाड़मेर डिपो की निगम की यात्री बसें सब रास्तों पर समयानुसार बराबर नहीं चल रही हैं एवं इनमें सबसे ज्यादा ब्रेक-डाउन होता रहा है तथा आगे रेल से जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है ? अगर हां, तो क्यों ? इन डिपो की बसों का ब्रेक-डाउन न हो एवं समय पर चलें इस बारे में निगम द्वारा अब कब तक क्या सुधार किया जावेगा ?

(2) क्या बाड़मेर एवं जालोर डिपो के लिए स्थानीय सलाहकार समितियां राज्य सरकार शीघ्र बनाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जालोर एवं बाड़मेर डिपो की वाहनें क्रमशः 8 एवं 9 प्रतिशत विलम्ब से चल रही हैं। परन्तु ब्रेक-डाउन अधिक नहीं है। वर्तमान में जालोर एवं बाड़मेर में कार्यशाला की पूर्ण सुविधा नहीं है। जिससे कठिनाई है। कार्यशालाओं का निर्माण शीघ्र किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था में सुधार आ सकेगा।

(श्री यातायात मन्त्री)

(2) राज्य सरकार ने निगम के लिये तीन सलाहकार समितियों की 1 जयपुर क्षेत्र 2 जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र व 3 उदयपुर-कोटा क्षेत्र स्थापना कर रखी है। बाड़मेर व जालोर उक्त जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र की समिति के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इनके अतिरिक्त सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला परिवहन समन्वय समितियां भी बना रखी हैं। इन समितियों में निगम के आगार प्रबन्धक भी सदस्य हैं।

हरनावदा शाहजी-कलमोदिया सडक

224. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हरनावदा शाहजी से कलमोदिया तहसील छीपाबड़ौद, जिला कोटा की सड़क कब बनाई गई थी ?

(2) इस सड़क के निर्माण के बाद इसकी मरम्मत पर कितना पैसा खर्च किया गया व कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस सड़क की हालत बड़ी दयनीय है व बरसात में आवागमन पुलिया टूट जाने से बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है व अब भी आवागमन अवरुद्ध जैसा ही है ?

(4) यदि हां, तो इस सड़क की व पुलिया की मरम्मत व डामर का कार्य कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हरनावदा—कलमोदिया सड़क निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था।

(2) वार्षिक-मरम्मत उपलब्ध धनराशि अनुसार प्रतिवर्ष की जाती है। वर्ष 72-73 से 1975-76 तक मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि की सूची प्रस्तुत है।

(3) सड़क की दशा अधिक अच्छी नहीं है। आवागमन चालू है। टूटी पुलिया का मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(4) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। पुलिया का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। और आगामी वर्षा से पूर्व पूर्ण होने की आशा है।

सूची

हरनावदा-कलमोदिया सड़क पर वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि की सूची।

वर्ष	मरम्मत धनराशि
1972-73	15,900.00
1973-74	979.00
1974-75	23,848.00
1975-76	2,593.00
योग:	43,320.00

नोट :—झालावाड़ खण्ड द्वारा वर्ष 72-73 से पूर्व मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि के आंकड़े इस सूची में शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 212 की सूची)

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

LIST OF CENTRES FOR THE EXAMINATIONS OF NON-COLLEGIATE CANDIDATES TO BE HELD IN MAY/JUNE, 1976

S. No.	Names of the Centres
1	2
1.	Government College, Banswara.
2.	Government College, Dungarpur.
3.	Shri M. L. V. Government College, Bhilwara.
4.	Government College, Chittorgarh.
5.	S. M. B. Government College, Nathdwara.
6.	Government College, Kota.
7.	Government College, Bundi.
8.	Government College, Jhalawar.
9.	Dungar College, Bikaner.
10.	M. S. College for Women, Bikaner.
11.	Lohia College, Churu.
12.	Shri Kalyan College, Sikar.
13.	S. N. K. P. Government College, Neem-Ka-Thana.
14.	Seth Motilal College, Jhunjhunu.
15.	Chirawa College, Chirawa.
16.	Government College, Dholpur.
17.	M. S. J. College, Bharatpur.
18.	Raj Rishi College, Alwar.
19.	Government College, Sirohi.
20.	Government College, Barmer.
21.	Bangur College, Pali.
22.	S. D. Government College, Beawar.
23.	Savitri Girls College, Ajmer.
24.	Government College, Ajmer.

1	2
25.	University Maharani's College, Jaipur.
26.	Agarwal College, Jaipur.
27.	S. S. Jain Subodh College, Jaipur.
28.	University Maharaja's College, Jaipur.
29.	University Rajasthan College, Jaipur.
30.	Government College, Tonk.
31.	Government College, Karauli.
32.	Government College, Sawai Madhopur.
33.	Government College, Kotputli.
34.	Government College, Shri Ganganagar.
35.	Chaudhary Baluram Godhra Government Girls College, Shri Ganganagar.
36.	Nehru Memorial College, Hanumangarh.

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 96 की सूची)

Statement showing the break-downs in Aburoad, Sirohi, Jalore & Barmer.

Month	Sirohi		Abu Road		Jalore		Barmer	
	No. of B/D	Rate per 10,000 Kms.	No. of B/D	Rate per 10,000 Kms.	No. of B/D	Rate per 10,000 Kms.	No. of B/D	Rate per 10.000 Kms.
April, 75	8	0.39	9	0.39	1	0.06	10	0.52
May, 75	2	0.09	3	0.12	9	0.53	14	0.54
June, 75	12	0.59	8	0.33	9	0.53	24	1.11
July, 75	10	0.49	4	0.20	15	1.07	19	0.93
August, 75	6	0.30	6	0.32	10	0.69	34	1.90
September, 75	11	0.63	11	0.61	15	1.00	10	0.64
October, 75	31	1.60	10	0.42	10	0.41	12	0.63
November, 75	22	1.09	15	0.62	15	0.61	11	0.58
Total :	102	0.64	66	0.37	84	0.64	134	0.87

165

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची)

सूची 'अ'

1-4-74 से 31-12-74 तक खरीदे गये कण्डक्टर का विवरण

क्रमांक	फर्म जिससे कन्डक्टर खरीदा गया	कन्डक्टर का नाम	पी. ओ. नम्बर तारीख	खरीद दर रु. प्रति कि. मीटर बिक्री कर एवं अन्य कर अतिरिक्त	तादाद जितना कन्डक्टर खरीदा गया
1	2	3	4	5	6
1.	मै. पारस प्राईवेट लि., बांसवाड़ा	लेडी बर्ड	5139 दि. 30-11-73	949.00 960.00	1150 कि. मीटर (इसमें से केवल करीब 97.5 कि. मीटर कन्डेक्टर ही अप्रेल 74 के बाद में प्राप्त हुआ। शेष कन्डेक्टर इससे पूर्व ही प्राप्त हो चुका था।)
2.	मै. अग्रन्वानिय इण्डस्ट्रीज, अरनाकूलम	ग्रान्ट	टी.एन. 795, दि. 28-9-74	1760.00	400 कि. मीटर
3.	मै. देवरा पू. कंवकोम मै. कम्पनी, इन्दौर	"	टी.एन. 795, दि. 17-9-74	1825.00	200 कि. मीटर
4.	मै. राका केबल कारपोरेशन, कूडप्पा	"	टी.एन. 795, दि. 28-9-74	1825.00	500 कि. मीटर

1	2	3	4	5	6
5.	मै. कृष्णा कण्डक्टर, विजयवाड़ा	प्लान्ट	टी.एन. 795,दि. 25-11-74	1867.00	600 कि. मीटर
6.	मै. मोदी इलैक्ट्रिक मैन्यू. कम्पनी मद्रास	,,	टी.एन. 795,दि. 16-11-74	2070.22	2000 ,, ,,
7.	मै. जे. जे. एन. इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता	,,	टी.एन. 795, दि. 28-9-74	2007.00	900 ,, ,,
8.	मै. स्वदेशीय मैटल प्राईवेट लि., सोलन	,,	टी.एन. 795, दि. 25-9-74	2195.00	100 ,, ,,
9.	मै. बंगाल इन्डस्ट्रियल कम्पनी, कलकत्ता	,,	टी.एन. 795, दि. 30-9-74	2133.00	1000 ,, ,,
10.	मै. स्वदेशीय मेटल प्राईवेट लि., सोलन	,,	टी.एन. 795, दि. 25-9-74	2250.00	100 ,, ,,
11.	मै. पावर कन्डक्टर्स, कानपुर	,,	टी.एन. 795, दि. 1-10-74	2195.00	100 ,, ,,
12.	मै. पावर कन्डक्टर्स, कानपुर	,,	टी.एन. 795, दि. 1-10-74	2295.00	100 ,, ,,
13.	मै. जयपुर मेटल्स एण्ड मीटर्स लि., जयपुर	,,	टी.एन. 795,दि. 31-10-74	2325.00	800 ,, ,,
14.	मै. ओसवाल केबल्स, जयपुर	,,	टी.एन. 795, दि. 13-9-74	2350.00	195 ,, ,,
15.	मै. मेटल ऐक्ट्रूजन, जयपुर	,,	टी.एन. 795, दि. 18-9-74	2350.00	100 ,, ,,
16.	मै. राजस्थान वायर प्रोडेक्ट, जयपुर	,,	टी.एन. 795, दि. 17-9-74	2350.00	260 ,, ,,
17.	मै. केवल कन्डेक्टर्स प्राईवेट लि., ब्यावर	,,	टी.एन. 795, दि. 18-9-74	2350.00	325 ,, ,,
18.	मै. मुरारका इन्टरप्राईजेज, कोटा	,,	टी.एन. 795, दि. 18-9-74	2350.00	100 ,, ,,
19.	मै. पारस प्राईवेट लि. बांसवाड़ा	,,	टी.एम. 795, दि. 18-9-74	2350.00	325 ,, ,,
20.	मै. न्यू एज केबल कम्पनी, जयपुर	,,	टी.एन. 795, दि. 18-9-74	2350.00	285 ,, ,,

Page No 167

(167)

सूची 'ब'

लेडी बर्ड और आंट कन्डक्टर का उपयोग (1-4-74 से 31-12-74)

लेडी बर्ड कन्डक्टर 1-4-74 से 31-12-74 तक 97-5 किलोमीटर प्राप्त हुआ जिसमें से इस भांति खर्च हुआ।

माह	प्राप्ति	खर्च
जून, 74	—	5.1 किलोमीटर
अगस्त, 74	10.0 किलोमीटर	10.0 किलोमीटर
नवम्बर, 74	62.0 किलोमीटर	62.0 किलोमीटर
दिसम्बर, 74	25.5 किलोमीटर	15.5 किलोमीटर

आंट कन्डक्टर

कुल प्राप्ति 1-4-74 से 31-12-74 तक	6951.7 किलोमीटर
खर्च इस अवधि में	6250.7 किलोमीटर

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची) List: 'A'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

List of A. R. C. Areas where R. E. C. Schemes are in Operation.

1.	P. S. Kekri.	District Ajmer.
2.	P. S. Girwa.	District Udaipur.
3.	P. S. Atru.	District Kota.
4.	S. F. D. A. Area.	District Udaipur.
5.	P. S. Jhalrapatan.	District Jhalawar.
6.	P. S. Nimbahera.	District Chittorgarh.
7.	P. S. Mandal.	District Bhilwara.
8.	P. S. Tijara.	District Alwar.
9.	P. S. Rajakhera.	District Bharatpur.
10.	P. S. Todabhim.	District Sawaimadhopur.
11.	S. F. D. A. Area.	District Bharatpur.
12.	P. S. Railmagra.	District Udaipur.
13.	P. S. Sangod.	District Kota.
14.	S. F. D. A. Area.	District Alwar.
15.	P. S. Srimadhopur.	District Sikar.

परिशिष्ट--8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Tentative list of the electrified localities in district Jaipur.

S. No.	Code No. as per 1964	Name of the village	Date of electrification
		TEHSIL CHAKSU	
1.	8/14/86	Bar Kheda	31-3-66
2.	8/14/10	Chaksu	23-10-65
3.	8/14/19	Bara Maksoodanpura	31-3-66
4.	8/14/127	Seeta Rampura	3-11-65
5.	8/14/12	Shivdanpura	23-10-65
6.	8/14/97	Seel Ki Doongri	10-3-69
7.	8/14/102	Manpur Doongri	27-3-69
8.	8/14/79	Nimodiya	31-3-71
9.	8/14/10	Chandlai	25-3-69
10.	8/14/4	Tilkpura	21-1-74
11.	8/14/96	Dayapura	21-1-74
12.	8/14/106	Khutckpura	21-1-74
13.	8/14/119	Prahaladpura	21-1-74
14.	8/14/6	Mahariya-ka-Bas	21-1-74

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची)

Appendix 'A'

Details of revised estimate prepared by Shri B. K. Badhwa, Junior Engineer, R.S.E.B., Lalsot.

S.No.	Name of the Consumer	Village	Original estimate Amount	Revised estimate Amount	Difference	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Chanda Lal Mohan Lal	Lalsot	74.10		(—)17.10	The estimates were prepared separately initially, but the amount was changed due to combined estimate subsequently.
2.	„ Chanda Lal Mohan Lal	Lalsot	65.35	113.20	(—)8.35	
3.	„ Kishan Lal Parashar	Lalsot	73.30	45.00	(—) 28.30	Feeding point changed from pole to other consumer's meter, after consent of both.
4.	„ Kalyan Prasad	Rajoli	69.00	58.00	(—) 14.00	Meter site changed by the consumer from inside to outside.
5.	„ Mohan Lal Narain Lal	Mandawari	39.00	103.00	(+) 64.00	The consumer had shown, in-correct site, at the time of estimate.

6.	„	Tipu Gujar	Lalsot	381.00	407.00(+)	26.00	
7.	„	Mandir Narsing ji Ka	Lalsot	381.00	413.00(+)	32.00	The land over which L. T. line was proposed, acquired by the Panchayat.
8.	„	Chetniya Ven Adhikari	Lalsot	381.00	453.00(+)	72.00	
9.	„	Mool Chand Bhonrilal	Lalsot	81.00	74.00(—)	7.00	Minor change due to providing pipes etc. by the consumer.
10.	„	Hari Narain Ram Pal	Lalsot	40.00	115.35(+)	75.35	The group scheme was revised due to change of site by the consumer.
11.	„	Ram Sahai Ram Pal	Lalsot	40.00	110.35(+)	70.35	
12.	„	Moolya Ram Pal	Lalsot	31.00	103.35(+)	72.35	
13.	„	Kalu Ram Ram kumar	Lalsot	33.45	99.35(+)	65.90	
14.	„	Radhey Shyam Satya-Narain	Lalsot	31.00	98.35(+)	67-35	
15.	„	Gula Ram Mali	Lalsot	31.00	106.35(+)	75.35	
16.	„	Nanga, Gainda Mali	Lalsot	33.45	119.35(+)	85-90	
17.	„	Prabhu, Ram Dayal Bairagi	Lalsot	67.00	175.00(+)	108.00	

1	2	3	4	5	6	7
18. Shri	Radhey Shyam Lallu Pd.	Deedwana	05,9.00	6,8000.00	(+)850.00	Difference of actual and estimated length.
19. ,,	Ramanand Mahadev Ad. Agri.	Deedwana				
20. ,,	Ramswaroop Bani Dass Ad.Agri.	Toda Tehkla	Combined	Scheme.		While preparing the esimate. the J.E.N. had referred a cyclostyled copy of Board's order wherein span of H. T. line is mistyped as 230 Meter in place of 205 Meter (approximately.).
21. ,,	Kalan Bux	-do-				
22. ,,	Gopal Das	-do-	Cost of L.T. 38 Poles	Cost of L.T 42 Poles	Cost of L. T. (+)4 Poles.	
23. ,,	Bhoma Regar	-do-				
24. ,,	Gopal Dass	-do-				
25. ,,	Chotya Jeewan	-do-	Cost of H.T. 2 Poles	Cost of H. T. 4 Poles.	Cost of H. T. (+) 2 Poles.	
26. ,,	Mool Chand Meena	-do-				
27. ,,	Gulab Singh	-do-				
28. ,,	Maha Chand Patel	-do-				
29. ,,	Sukha Ram Meena	-do-	Cost of Transformer 63 KVA 1No. 51,000.00	Cost of Transformer 63 KVA 1 No. 56,700.00	Cost of Transformer (+) 5,700.00	Secondly the actual length could not be measured.
30. ,,	Ganga Ram Bhonriya	-do-				
31. ,,	Panchu Ram Patel	-do-				

32.	„	Prabhu Dayal Kajodmal	Khemawas	Combined Scheme.				The difference is on account of change of transformer position on consumer's request and cancellation of one file of Shri Ram Sahai who wanted connection in other locality. Secondly the line of of Total Tehekla was corrected which was not drawn previously difference in measurement.
33.	„	Anant Ram Bansidhar	-do-					
34.	„	Raju Lal Banshidhar	-do-					
35.	„	Ram Sahai Narain	-do-	Cost of L.T. 82 Poles.	Cost of L.T. 65 Poles	Cost of L.T (—) 17 Poles.		
36.	„	Kanhaiya Mali Kalu Mali	-do-					
37.	„	Ram Sahai Ram Rai	-do-	Cost of H.T. 20 Poles.	Cost of HT 26 Poles	Cost of HT (+) 6 Poles		
38.	„	Jagannath Ramkumar	-do-					
39.	„	Kajod Ramkishore	-do-					
40.	„	Kajod Mali Jagannath	-do-	Cost of 100 KVA Transformer 1 No.	Cost of 100 KVA Transformer 1 No.			
41.	„	Bhoma Gajanand	-do-					
42.	„	Ram Pal Dhanna Lal	-do-					
43.	„	Chuniya Sariya Kalu	-do-	1,13,700.00	1,06,150,00	(-)7,550,00		
44.	„	Bhonri Lal S/o Jagannath	-do-					
45.	„	Gopi Lal S/o Deviram	-do-					

APPENDIX 'B'

Statement indicating the consumers whose priorities had been superseded.

S. No.	Name of Consumer	Category	Locality	Date of receipt of Case File	Date of release of connection	Reasons
1.	Shri Hanuman Sahai Sharma	Domestic	Lalsot	5-9-1974	28-4-1975	The connections could not be released due to the reason that original case files had been misplaced somewhere and the connections were released after preparation of duplicate case files.
2.	Shri Rewad Mal Ghamandi	–do–	–do–	5-9-1974	28-4-1975	
3.	Shri Maliram Puraka	–do–	–do–	5-9-1974	28-4-1975	
4.	Shri Gajanand Ramjilal	–do–	–do–	5-9-1974	28-4-1975	

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

क्रमांक	नाम सड़क	व्यय की गई धनराशि
1.	मैंटल रोड मनोहरपुर से मेड	1,92,914
2.	,, माइल 54 से कुहाड़ा	1,04,663
3.	,, साईवाड़ से विशनगढ़	1,20,004
4.	,, साईवाड़ से बाड़ी जोड़ी	81,264
5.	,, भीलवाड़ी से बास उदयसिंह पुरा	49,088
6.	,, के बैराठ से छीतोली वाया लाखा वाला-भीम लाठ	1,37,469
7.	,, बैराठ से पांतेला	83,000

सूची (व)

बजट हैड 64 फेमिन रिलीफ वर्क अकाल राहत कार्यों का ब्यौरा 72-73, 73-74 तथा 75-76

क्रमांक	कार्य का नाम	मार्च, 73 तक का खर्चा			4-73 से 7-73			8-73 से 3-74			75-76		
		लेबर	मेटेरियल	योग	लेबर	मेटेरियल	योग	लेबर	मेटेरियल	योग	लेबर	मेटेरियल	योग
1.	मेंटल रोड मनोहरपुर से मेड	—	—	—	48575	16	48591	135882	8441	144323	—	—	—
2.	मेंटल रोड माइल 54 से कुहाड़ा	19801	—	19801	36644	17953	54597	29496	769	30265	—	—	—
3.	मेंटल रोड साईवाड़ से विशनगढ़	4323	—	4323	15171	5373	30554	88257	6870	95127	—	—	—
4.	मेंटल रोड साईवाड़ से बाड़ी जोड़ी	6621	—	6621	16933	4061	20994	39156	14493	53649	—	—	—
5.	मेंटल रोड बीलवाडी से बास उदयसिंह पुरा	19819	—	19819	15142	3463	18605	9030	1634	10664	—	—	—
6.	मेंटल रोड बैराठ से छीतोली वाया लाखावाला-भीमलाठ	—	—	—	14873	5326	20199	105617	11653	117270	—	—	—
7.	मेंटल रोड बैराठ से पांतेला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44000	39000	83000